# वार्षिक रिपोर्ट
# ANNUAL REPORT
# 2012-13

**Soaring high...**
**Scaling new heights**

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण
Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

# निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री रवि चटर्जी
कार्यपालक निदेशक
**Sri Ravi Chatterjee**
Executive Director

श्री एम जी संघवी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
**Sri M G Sanghvi**
Chairman & Managing Director

श्री एम आंजनेय प्रसाद
कार्यपालक निदेशक
**Sri M Anjaneya Prasad**
Executive Director

श्री एच प्रदीप राव
निदेशक
**Sri H. Pradeep Rao**
Director

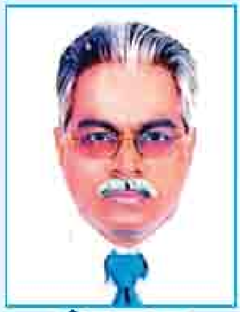

श्री ए एस राव
निदेशक
**Sri A. S. Rao**
Director

श्री नरेन्द्र एल दवे
निदेशक
**Sri Narendra L. Dave**
Director

श्री दिनकर एस पूंजा
निदेशक
**Sri Dinkar S. Punja**
Director

श्री दिलीप कुमार सक्सेना
निदेशक
**Sri Dilip Kumar Saxena**
Director

श्री जगदीश राज श्रीमाली
निदेशक
**Sri Jagdish Raj Shrimali**
Director

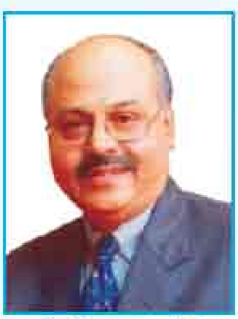

श्री रमेश एल अडिगे
निदेशक
**Sri Ramesh L. Adige**
Director

श्री सी आर नसीर अहमद
निदेशक
**Sri C R Naseer Ahamed**
Director

श्री आनंद के.पंडित
निदेशक
**Sri Anand K Pandit**
Director

श्रीमती जसलीन सूरी
निदेशक
**Smt Jasleenn Suri**
Director

वर्ष 2012-13 के दौरान श्री ए. आर. नागप्पन (26.06.2012 तक) एवं श्री भूपिंदर सिंह सूरी (26.06.2012 तक) ने भी निदेशकों के रूप में बैंक की सेवा की हैं।

During the year 2012-13 following Directors also served on the Board of the Bank. Sri A R Nagappan [upto 26.06.2012] and Sri Bhupinder Singh Suri [26.06.2012]

# महाप्रबंधक गण/General Managers

श्री टी मुरलीधरन
Sri T Muralidharan

श्री टी विश्वनाथन नायर
Sri T Vishwanathan Nair

श्री पी एम वसंतराजन
Sri P M Vasantharajan

श्री एस बालकृष्णन
Sri S Balakrishnan

श्री पी के सक्सेना
Sri P K Saxena

श्री अनिल कुमार अर्गल
Sri Anil Kumar Argal

श्री मुकेश कुमार जैन
Sri M K Jain

श्री एस के ढींगरा
Sri S K Dhingra

श्री आई एन आर भट
Sri I N R Bhat

श्री के संतोष कामत
Sri K Santhosh Kamath

श्री के पी मुरलीधरन
Sri K P Muralidharan

श्री एच एन विश्वेश्वर
Sri H N Vishweshwar

श्री जार्ज एम कुरियन
Sri George M Kurian

श्री वी के सैगल
Sri V K Saigal

श्री के प्रीतम लाल
Sri K Preetam Lal

श्री वसंत नायक एच
Sri Vasanth Nayak H

श्री रामचन्द्रन एस
Sri Ramachandran S

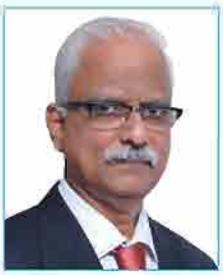
श्री प्रभाकर शेणै
Sri Prabhakar Shenoy

श्री सतीश कुमार ठक्कर
Sri Satish Kumar Thakkar

श्री अतुल कुमार
Sri Atul Kumar

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के महा प्रबंधकों में श्री विनयरंजन राव (31.10.2012 तक), श्री यू. गणेश कामत (30.06.2012 तक), श्री सुदर्शन कुमार अबरोल (31.12.2012 तक), श्री पी. के. चन्द्रशेखर हेर्ले (30.06.2012 तक), श्री आर. वेंकटरामन (30.09.2012 तक) और श्री हरि कपूर (30.06.2012 तक) भी सेवारत थे।

During the year 2012-13 following General Managers also served the Bank Sri Vinay Ranjan Rao [upto 31.10.2012], Sri U Ganesh Kamath [upto 30.06.2012], Sri Sudershan Kumar Abrol [upto 31.12.2012], Sri P K Chandrashekar Herle [upto 30.06.2012], Sri R Venkataraman [upto 30.09.2012] and Sri Hari Kapoor [upto 30.06.2012].

हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने महामहिम राष्ट्रपति से भेंट की। इस अवसर पर लिए गए चित्र में (बायें से दायें), श्री एम.जी. संघवी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, एवं श्री एम. आंजनेय प्रसाद, कार्यपालक निदेशक

Photo taken on the occasion of CMD's visit to the Office of President of India. Seen in the photo are Sri M G Sanghvi, CMD, Sri Pranab Mukherjee, Hon'ble President of India and Sri M Anjaneya Prasad, ED.

श्री एम जी संघवी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री पी चिदंबरम, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री को ₹ 151.35 करोड़ का लाभांश चेक प्रदान करते हुए,श्री नमो नारायण मीणा, माननीय केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री, श्री डी के मितल, आई ए एस, सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, श्री एम आंजनेय प्रसाद, कार्यपालक निदेशक और श्री प्रदीप राव, आई ए एवं ए एस, संयुक्त सचिव एवं बैंक के निदेशक भी इस अवसर पर उपस्थित है।

Sri M G Sanghvi, CMD handed over Dividend Cheque of ₹151.35 crore to Sri P Chidambaram, Hon'ble Union Finance Minister. Sri Namo Narain Meena, Hon'ble Union Minister of State for Finance, Sri D K Mittal, IAS, Secretary, Department of Financial Services, Sri M Anjaneya Prasad, ED and Sri Pradeep Rao, IA & AS, Joint Secretary and Director of the Bank were also present.

श्री एम जी संघवी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कर्नाटक के पूर्व माननीय मुख्य मंत्री श्री जगदीश शेट्टर का अभिवादन करते हुए। साथ में, श्री के पी मुरलीधरन, महा प्रबंधक भी हैं।

Sri M G Sanghvi, CMD, is seen greeting Sri Jagadish Shettar, the then Hon'ble Chief Minister of Karnataka. Sri K P Muralidharan, GM, was also present.

श्री एम जी संघवी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंकिंग क्षेत्र में नवोन्मेष के लिए श्री थॉमस मैथ्यू, प्रबंध निदेशक, एल आई सी से विज़नरी पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

Sri M G Sanghvi, CMD, receiving Visionary Award for innovation in Banking Sector from Sri Thomas Mathew, Managing Director, LIC.

हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम जी संघवी, पंजाब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल को पुष्प गुच्छ प्रदान करके अभिनंदन करते हुए।

Sri M G Sanghvi, CMD, is seen greeting Sri Prakash Singh Badal, Hon'ble Chief Minister of Punjab.

हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम जी संघवी, गुजरात राज्य के माननीय मुख्य मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करते हुए।

Sri M G Sanghvi, CMD, is seen greeting Sri Narendra Modi, Hon'ble Chief Minister of Gujarat.

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटी) को सर्वोत्कृष्ट आर सेटी का पुरस्कार हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम जी संघवी को प्रदान करते हुए, श्री जयराम रमेश, माननीय केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास, भारत सरकार, बायीं ओर खड़े हैं श्री के. पी. मुरलीधरन, महाप्रबंधक तथा दाहिनी ओर पद्मभूषण डॉ. डी. वीरेंद्र हेगड़े, धर्माधिकारी, धर्मस्थल।

Sri M G Sanghvi, CMD, received Award from Sri Jayaram Ramesh, Hon'ble Minister for Rural Development for best Rural Self-employment Training Institutes (RSETIs) sponsored by the Bank. Sri K P Muralidharan, GM and Padma Bhusan Dr. D Veerendra Heggade, Dharmadhikari, Dharmasthala were also present.

कर्नाटक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (संयोजक सिंडिकेट बैंक) का आयोजन बेंगलूर में किया गया। चित्र में, बैठक को संबोधित करते हुए श्री एस वी रंगनाथ, मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार। चित्र में (बायें से दायें) श्री रवि चटर्जी, कार्यपालक निदेशक, श्रीमती उमाशंकर, क्षे.नि. भा.रि.बैं. बेंगलूर, श्री एस.वी. रंगनाथ, मुख्य सचिव एवं हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम जी संघवी

Sri S V Ranganath, Chief Secretary, Govt. of Karnataka, speaking on the occasion of SLBC [Karnataka] Meeting held at Bangalore. Others seen in the photo are [L to R] Sri Ravi Chatterjee, ED, Smt Uma Shankar, RD, RBI, Bangalore, Sri S V Ranganath, Chief Secretary and Sri M G Sanghvi, CMD of the Bank.

बैंक द्वारा ₹3 लाख करोड़ का कारोबारी लक्ष्य हासिल करने के अवसर पर उच्च प्रबंधन के सदस्यों तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों को संबोधित करते हुए हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम जी संघवी, उनकी दाहिनी तरफ श्री रवि चटर्जी, कार्यपालक निदेशक तथा बायीं ओर श्री एम आंजनेय प्रसाद, कार्यपालक निदेशक। बैंक ने अब ₹3.34 लाख करोड़ ग्लोबल बिजनेस को पार कर लिया है।

Sri M G Sanghvi, CMD addressing the Top Management and Regional Managers on the occasion of function organised in connection with the Bank crossing ₹3.00 lakh crore business. Executive Directors Sri Ravi Chatterjee and Sri M Anjaneya Prasad were also present. The Bank has now crossed ₹3.34 lakh crore global business.

सिंडिकेट बैंक की मेजबानी में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की 132वीं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 129वीं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन दिनांक 19.5.2012 को बेंगलूरु में किया गया। फोटो में, सभा को संबोधित करते हुए हमारे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री म गि संघवी। फोटो में डॉ एस के पाण्डेय, सहायक महा प्रबंधक(राभा), सिंडिकेटबैंक, श्री टी मुरलीधरन, महा प्रबंधक, सिंडिकेटबैंक, श्री सी पी डौंडियाल, संयुक्त निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ रमाकांत गुप्त, उप महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री एम वी अशोकन, उप महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई।

Sri M G Sanghvi, CMD speaking on the occasion of 132nd OLIC Meeting of DFS, Ministry of Finance and 129th Meeting of RBI for Public Sector Banks. Others seen in the photo are Sri S K Pandey, AGM (OL) of the Bank, Sri T Muralidharan, GM of the Bank, Sri C P Daundhiyal, Joint Secretary, DFS, Govt of India, Dr Ramakanth Gupta, DGM, RBI, Sri A V Ashokan, DGM RBI, Central Office, Mumbai.

दिनांक 9.5.2012 को संपन्न एनलिस्टों की बैठक को संबोधित करते हुए हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम जी संघवी उनकी दायीं ओर बैठे हुए श्री रवि चटर्जी, कार्यपालक निदेशक तथा बायीं ओर बैठे हुए श्री एम आंजनेय प्रसाद, कार्यपालक निदेशक

Sri M G Sanghvi, CMD, addressing Analysts during Analysts' Meet held on 09.05.2012. Executive Directors Sri Ravi Chatterjee and Sri M Anjaneya Prasad were also present.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कारवार में प्रायोजित आउटरीच कार्यक्रम में विद्यालयों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं को पुस्तक प्रदान करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री सुबीर गोकर्ण, उनके बगल में बायीं ओर श्रीमती उमा शंकर, क्षे.नि., भा. रि. बैं., दाहिनी ओर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम जी संघवी

Dy. Governor, RBI Sri Subir Gokarn, distributing Books, Dictionaries etc., meant for students to a school teacher during RBI Outreach programme held at Karwar. Smt Uma Shankar, RD, RBI Bangalore and Sri M G Sanghvi, CMD of the Bank were also present.

श्री एम जी संघवी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - नैगम कार्यालय, बेंगलूरु में संपन्न संस्थापक दिवस समारोह के अवसर पर स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए। श्री एम आंजनेय प्रसाद, कार्यपालक निदेशक भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बैंक के तीन संस्थापक एवं स्वप्नदृष्टाओं डॉ टी एम ए पै, श्री उपेन्द्र अनंत पै तथा श्री वामन कुड्वा, को माल्यार्पण करके उनका स्मरण किया गया।

Sri M G Sanghvi, CMD addressing the Staff during Foundation Day Celebrations at Corporate Office, Bangalore. Sri M Anjaneya Prasad, ED was also present on the occasion. Bank founders & visionaries Dr T M A Pai, Sri Upendra Ananth Pai and Sri Vaman Kudva were remembered on this occasion by garlanding their photos.

श्रीमती उमा शंकर, क्षेत्रीय निदेशक, भा रि बैंक दि.04.03.2013 को बेंगलूरु में हमारे बैंक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के अवसर पर संबोधित कर रही हैं। श्री एम जी संघवी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्रीमती दीपिका एम संघवी, डॉ सुजाता रवीन्द्र, सुगुणा अस्पताल, बेंगलूरु एवं श्री एम आंजनेय प्रसाद, कार्यपालक निदेशक भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बैंक के 200 से अधिक महिला स्टाफ सदस्य इस समारोह में उपस्थित रहीं। बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, संगीत, फैशन शो, स्किट, भाषण तथा प्रख्यात डॉक्टरों से चर्चा सत्रों की भी व्यवस्था की गयी।

Smt. Uma Shankar, RD, RBI, Bangalore, speaking on the occasion of International Women's Day celebrations organised at Bangalore on 04.03.13. Sri M G Sanghvi, CMD, Smt. Dipika M Sanghvi, Dr Sujatha Ravindra, Suguna Hospitals, and Sri M Anjaneya Prasad, ED were present. 200 women employees of the Bank attended. Women's Day was celebrated at all ROs of the Bank. Cultural programmes - Dance, Music, Fashion Show, Skit, Lectures and Interactive sessions from eminent doctors were arranged.

श्री एम जी संघवी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कारोबार संपर्की तथा मेवात जिला के चंदेनी ग्राम लोगों के साथ चर्चा करते हुए।

Sri M G Sanghvi, CMD interacting with Business correspondents and villagers of Chandeni, Mewat District, Haryana.

दि. 29.06.2012 को डॉ डी सुब्बाराव, गवर्नर, भा रि बैंक के करकमलों से राजभाषा पत्रिका प्रतियोगिता 2012 का पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारे कार्यपालक निदेशक श्री एम आंजनेय प्रसाद। इस अवसर पर डॉ एस के पाण्डेय, सहायक महा प्रबंधक(राभा) भी उपस्थित है।

Sri M Anjaneya Prasad, ED receiving Prize in Rajbhasha Magazine competition 2012 from Dr. D Subba Rao, Governor, RBI on 29.06.2012. Dr S K Pandey, AGM, Rajbhasha Department of the Bank was also present.

# बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिट/Units financed by Bank

मेसर्स फ्लासपाइंट इक्विपमेंट्स प्राइवेट लि., चिंचवाड शाखा, पुणे (लिक्विड एवं गैस फिल्ट्रेशन, सपरेशन एवं स्क्बिंग इक्विपमेंट्स और पद्धति घटक)

M/s Flashpoint Equipments Pvt. Ltd., Chinchwad Branch, Pune (Manufacturer of liquid and gas filtration, separation and scrubbing equipments and systems).

मेसर्स बी आर के एवं सन्स, कार्कल शाखा (काजू उत्पाद एवं निर्यात घटक)

M/s B R K & Sons, Karkala Branch (Manufacturers and exporters of Cashew nuts)

बागवानी फार्म, मरसूर शाखा, कर्नाटक

Horticultural Farm, Marsur Branch, Karnataka.

मेसर्स मेसन्स अंतरराष्ट्रीय प्राइवेट लि., आइबीबी शाखा, मुंबई(ट्रक के भागों का निर्माण घटक)

M/s Masons International Pvt. Ltd., IBB Branch, Mumbai (Manufacturer of Components for Trucks)

मुर्गी पालन, चिकमगलूर शाखा, कर्नाटक

Poultry Farm, Chickmagalur Branch, Karnataka

मेसर्स अक्युरा वेलड्रोड्स कोवै प्राइवेट लि., अविनाशी रोड, कोयंबतूर शाखा (बाइंडिंग वायर्स, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का निर्माण घटक)

M/s Accura Weldrods Kovai Pvt. Ltd. Avinashi Road, Coimbatore branch (Manufacturer of Binding Wires, Welding Electrodes, etc.)

मेसर्स विजया स्पिनर्स, राजपालयम शाखा (सूत/यार्न्स का उत्पाद घटक)

M/s Vijaya Spinners, Rajapalayam branch Manufacturers of Yarns)

मेसर्स दाली एवं समीर इंजीनियरिंग प्राइवेट लि., चिंचवाड पुणे शाखा (आटोमोटिव सेक्टर के लिए शीट मेटल का उत्पाद घटक)

M/s Dali & Samir Engg. Pvt. Ltd., Chinchwad Pune Branch (Manufacturers of sheet metal components for automotive sector)

मेसर्स इन्ट्रोन लाइफ साइन्सेस, गुलपल्ली शाखा, ओंगोल (बायो केमिकल्स का उत्पाद घटक)

M/s Intron Life Sciences, Gulapalli Branch, Ongole (Manufacturer of Bio-chemicals)

मेसर्स रैनडेक फास्टनर्स इंडिया, कैंप पुणे शाखा (विंड एनर्जी इंडस्ट्री के लिए फास्टनर्स का उत्पाद घटक)

M/s Randack Fasteners India, Camp Pune Branch (Manufacturers of fasteners for wind energy industry)

# प्रगति एक दृष्टि में
# Progress at a Glance

वैश्विक जमा एवं अग्रिम

सकल एन पी ए एवं निवल एन पी ए अनुपात

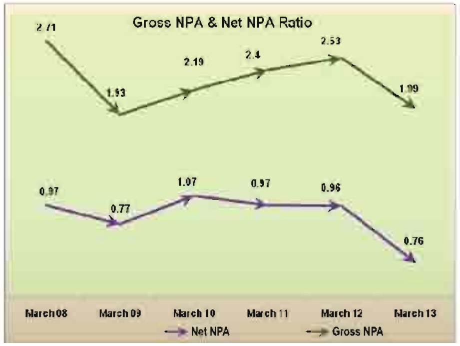


एन पी ए प्रोविजन कवरेज अनुपात

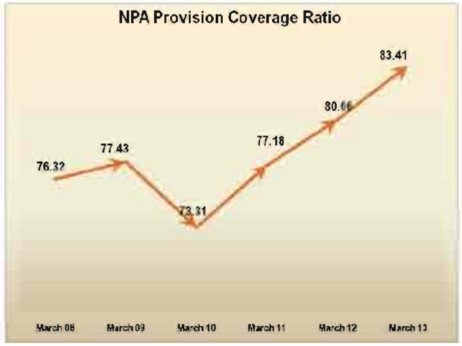


निवल ब्याज मार्जिन (%)

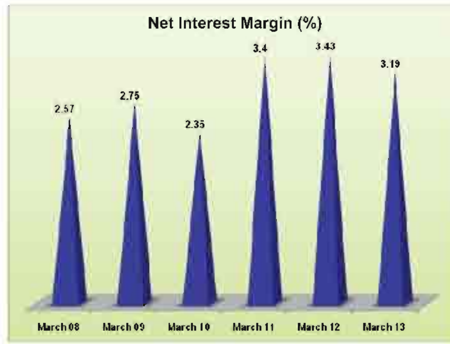


पूंजी पर्याप्तता अनुपात

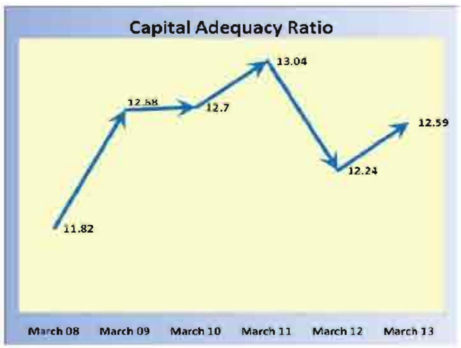


बही मूल्य (एफ वी ₹ 10)

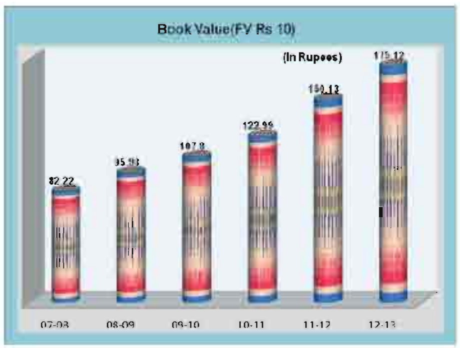


प्रति शेयर अर्जन (एफ वी ₹ 10)

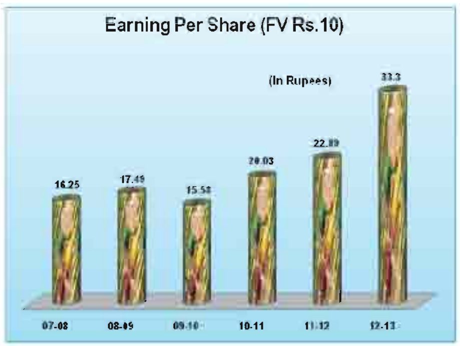


प्रति कर्मचारी कारोबार

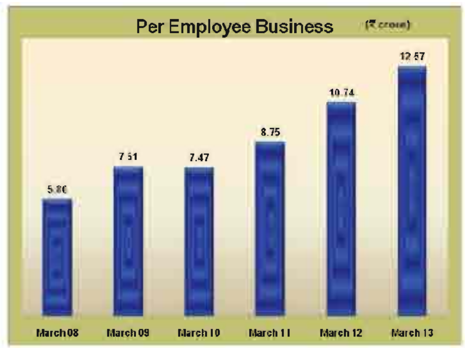

# विषय सूची CONTENTS

## वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2012 – 2013


| | पृष्ठ Page |
|---|---|
| • अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement | 3 |
| • सूचना Notice | 14 |
| • निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report | 34 |
| • नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance | 70 |
| • बासेल – II प्रकटीकरण – मार्च 2013 Basel II Disclosures – March 2013 | 116 |
| • लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report | 127 |
| • तुलन-पत्र Balance Sheet | 130 |
| • लाभ व हानि लेखा P & L Account | 131 |
| • लेखों की अनुसूचियाँ Schedules to Accounts | 132 |
| • महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies | 138 |
| • लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts | 144 |
| • नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement | 160 |
| • समेकित तुलन-पत्र Consolidated Balance Sheet | 162 |
| • सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड SyndBank Services Limited | 185 |
| • ईसीएस संबंधी परिपत्र Circular regarding ECS | 201 |
| • प्रॉक्सी फार्म Proxy Form | 205 |
| • फार्म 2बी Form 2B | 207 |
| • उपस्थिति पर्ची Attendance Slip | 209 |
| • मतदान पत्र पास Ballot Paper Pass | 211 |
| • नैगम अभिशासन में पर्यावरण संरक्षण : बिना कागज के Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless | 214 |
| • पते में परिवर्तन का फार्म Change of Address Form | 215 |
| • शिकायत पंजीकरण फार्म Grievance Registration Form | 217 |
| • अनुबंध – निदेशक का चुनाव Annexure–Election of Director | 219 |


## निदेशक मंडल
## BOARD OF DIRECTORS

| | |
|---|---|
| **म गि संघवी** *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक* | **M G Sanghvi** *Chairman & Managing Director* |
| **रवि चटर्जी,** *कार्यपालक निदेशक* | **Ravi Chatterjee,** *Executive Director* |
| **एम आंजनेय प्रसाद,** *कार्यपालक निदेशक* | **M Anjaneya Prasad,** *Executive Director* |
| **एच प्रदीप राव,** *निदेशक* | **H Pradeep Rao,** *Director* |
| **ए एस राव,** *निदेशक* | **A S Rao,** *Director* |
| **नरेन्द्र एल दवे,** *निदेशक* | **Narendra L Dave,** *Director* |
| **दिनकर एस पूंजा,** *निदेशक* | **Dinkar S Punja,** *Director* |
| **दिलीप कुमार सक्सेना,** *निदेशक* | **Dilip Kumar Saxena,** *Director* |
| **जगदीश राज श्रीमाली,** *निदेशक* | **Jagdish Raj Shrimali,** *Director* |
| **रमेश एल अडिगे,** *निदेशक* | **Ramesh L Adige,** *Director* |
| **सी आर नसीर अहमद,** *निदेशक* | **C R Nasseer Ahamed,** *Director* |
| **आनंद के पंडित,** *निदेशक* | **Anand K Pandit,** *Director* |
| **जसलीन सूरी,** *निदेशक* | **Jasleenn Suri,** *Director* |

लेखा-परीक्षक
मेसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी
मेसर्स चंडोक एण्ड गुलियानी
मेसर्स जे एन शर्मा एण्ड कंपनी
मेसर्स रमणलाल जी शाह एण्ड कंपनी
मेसर्स शंभु एन डे एण्ड कंपनी
मेसर्स के एन गोयल एण्ड कंपनी

Auditors
M/s Thakur Vaidyanath Aiyar & Co
M/s Chandiok & Guliani
M/s J N Sharma & Co.
M/s Ramanlal G Shah & Co.
M/s Sambhu N De & Co.
M/s K N Goyal & Co.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
प्लॉट सं.17 से 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद – 500 081
दूरभाष: 04044655000 विस्तार: 116 या 040 44655116 (सीधा)
फैक्स: 040 23420814

Registrars & Share Transfer Agents
M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24
Vithalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad – 500 081
Ph.: 040 44655000-Extn: 116 or 040 44655116 (D)
Fax: 040 23420814

## अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल तथा सिंडिकेटबैंक के अपने सहयोगियों की तरफ से और मैं अपनी ओर से आपके बैंक की इस चौदहवीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणियों को साथ-साथ प्रस्तुत करते हुए मैं काफ़ी प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ।

मुझे उम्मीद है कि आपको 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई होगी जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट और बैंक के वार्षिक लेखे की लेखा-परीक्षित रिपोर्ट भी है जो आपके बैंक के निष्पादन को जानने हेतु सुलभ संदर्भ है।

वर्ष 2012-13 के दौरान आपके बैंक के महत्त्वपूर्ण निष्पादनों पर प्रकाश डालने से पूर्व मैं चाहूँगा कि बैंक के समग्र निष्पादन में जिन आर्थिक एवं वित्तीय परिवेशों का समावेश रहा है उनके बारे में आपसे एक संक्षिप्त चर्चा करूँ।

**व्यापक आर्थिक परिवेश:**

वर्ष 2012 के दौरान वैश्विक वित्तीय संकट ने पूरी वित्तीय स्थिति को झकझोर कर उसे अस्थिर कर दिया था। यूरो क्षेत्र के लम्बे ठहराव एवं संयुक्त राष्ट्र की अल्पकालिक राजकोषीय तंगी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुधरने में रोड़ा डाल दिया। हाल के साइप्रस-वित्तीय संकट ने भी वैश्विक वित्तीय बाज़ार एवं उसके स्थायित्व का बचा-खुचा कसर पूरा कर दिया। अर्थ-व्यवस्था का बड़ा हिस्सा निवेश से वंचित होने लगा और धीमी रोजगार दर की वजह से मांग लड़खड़ाने लगी।

विकास में बार-बार ऐसी बाधाएँ आने के कारण वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि गिरने लगी और जो वृद्धि वर्ष 2011 में 4.0 प्रतिशत थी वह वर्ष 2012 में गिरकर 3.2 प्रतिशत पर आ गई। उभरते बाज़ारों तथा विकाशशील अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि दर धीमी होकर वर्ष 2011 के 6.4 प्रतिशत के

## CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, my colleagues at SyndicateBank and also on my personal behalf, I extend a very warm welcome to all of you to this Fourteenth Annual General Meeting of your Bank.

It gives me great pleasure to present the Annual Report of the Bank together with the audited financial statements for the financial year ended 31st March 2013.

I hope that all of you have received the Annual Report for the year ended 31st March, 2013 along with the Directors' Report and audited Annual Accounts of the Bank, as ready reference for your Bank's performance.

Before I proceed to read out the performance highlights of the Bank during the year 2012-13, let me share with you, very briefly, the economic & financial environment, which had a strong bearing on the overall performance of the Bank.

**Macro Economic Environment**

The global financial crisis had moved into a more chronic phase during the year 2012, marked by a deterioration of financial conditions and recurring bouts of financial instability. The downside risks emerged from prolonged stagnation in the euro area and excessive short-term fiscal tightening in the United States, has also dampened the recovery prospects of global economy. The most recent Cyprus crisis has also reminded us the continued fragility of global financial market and its stability. Investment declined in major economies and the demand was almost sluggish hobbled by low employment rates.

The cumulative impact of all these developments pulled down the global GDP growth from 4.0 per cent in 2011 to 3.2 per cent in 2012. Emerging market and developing economies also registered slow growth rate of 5.1 per cent

मुकाबले वर्ष 2012 में 5.1 प्रतिशत हो गई। इस वैश्वीकृत आर्थिक परिवेश में भारत के पास भी अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से बचा कर रखने का कोई रास्ता नहीं बचा और उस पर भी वैश्विक बीमारी की मार पड़ी, उदाहरणस्वरूप ; मुद्रास्फीति का दबाव तथा मंद निवेश के वातावरण ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) को वित्तीय वर्ष 2012 के 6.2 प्रतिशत के मुकाबले घटाकर वित्तीय वर्ष 2013 में 5.0 प्रतिशत पर लाकर खड़ा कर दिया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कारोबार 22 मार्च 2013 की स्थिति में 14.19 प्रतिशत तक बढ़ा जबकि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 15.07 प्रतिशत दर्ज़ किया गया था।

इन चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, मैं सहर्ष सूचित करना चाहता हूँ कि आपके बैंक की वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है और बैंक ने सभी महत्वपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत अच्छा निष्पादन दिखाया है।

**बैंक ने अपने वैश्विक कारोबार के मामले में दि. 31.12.2012 की स्थिति में ₹ 300000 करोड़ की उपलब्धि हासिल करके एक नई मंजिल तय की है तथा दि. 31.03.2013 की स्थिति में वैश्विक कारोबार के मामले में ₹ 334779 करोड़ की उपलब्धि हासिल की है।**

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के वित्तीय निष्पादन का वैशिष्ट्य निम्नलिखित है :

1. बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष 2011-12 के ₹ 283558 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 में 18.06 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 334779 करोड़ हो गया है।
2. वैश्विक जमाराशियाँ वर्ष 2011-12 के ₹ 157941 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 में ₹ 17.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 185356 करोड़ पर पहुँच गई हैं, जबकि, वैश्विक अग्रिम वर्ष 2011-12 के ₹ 125617 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 में 18.95 प्रतिशत की वृद्धि दर से ₹ 149423 करोड़ हो गया है।
3. बैंक का निवल लाभ वर्ष 2011-12 के ₹ 1313.39 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 में 52.61 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 2004.42 करोड़ हो गया है।
4. आस्तियों पर प्रतिलाभ (आर ओ ए) वर्ष 2011-12 के 0.81 प्रतिशत की तुलना में सुधरकर वर्ष 2012-13 में 1.07 प्रतिशत हो गया है।
5. बैंक का प्रति शेयर अर्जन 31 मार्च 2012 की स्थिति में ₹ 22.89 था, वह बढ़कर 31 मार्च 2013 की स्थिति में ₹ 33.30 हो गया है।
6. निवल अग्रिम में निवल अनर्जक आस्ति की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 के 0.96 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2012-13 में 0.76 प्रतिशत पर आ गई। सकल अग्रिम में सकल अनर्जक आस्तियों की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 के 2.53 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012-13 में घटकर 1.99 प्रतिशत हो गई।
7. बैंक का प्रोविजन कवरेज अनुपात 31 मार्च 2012 के 80.06 प्रतिशत की तुलना में सुधरकर 31 मार्च 2013 की स्थिति में 83.41 प्रतिशत हो गया।

in 2012 as against 6.4 per cent in 2011. In this globalised economic environment India could hardly insulate itself from global slowdown and its ill effects viz. inflationary pressures and subdued investment climate, leading to sharp decline in country's GDP from 6.2 per cent in FY 2012 to 5.0 per cent in FY 2013. Scheduled Commercial Banks' (SCBs) business grew by 14.19 per cent as at March 22, 2013 as against 15.07 per cent recorded during the similar period of previous year.

Even in these challenging global macroeconomic conditions, I am pleased to announce that your bank has delivered sound financials and has significantly improved its performance under all key parameters.

**The Bank has crossed new milestone with global business of ₹300000 crore by 31.12.2012 and achieved global business level of ₹334779 crore by 31.03.2013.**

Other highlights of performance registered by your Bank during 2012-13 are outlined as under:

1. Global Business grew by 18.06 per cent to ₹334779 crore in 2012-13 as against ₹283558 crore in 2011-12.
2. Global Deposits grew by 17.36 per cent to ₹185356 crore in 2012-13 as against ₹157941 crore in 2011-12, whereas global advances grew by 18.95 per cent to ₹149423 crore in 2012-13 as against ₹125617crore in 2011-12.
3. Net Profit of the Bank grew by 52.61 per cent to ₹2004.42 crore in 2012-13 as against ₹1313.39 crore in 2011-12.
4. The Return on Assets (ROA) improved to 1.07 per cent in 2012-13 as against 0.81 per cent in 2011-12.
5. The Earnings Per Share (EPS) of the Bank improved to ₹33.30 as at March 31, 2013 as against ₹22.89 as at March 31, 2012.
6. Net NPA percentage to Net Advances declined to 0.76 per cent in 2012-13 as against 0.96 per cent in 2011-12. Gross NPA percentage to Gross Advances declined to 1.99 per cent in 2012-13 as against 2.53 per cent in 2011-12.
7. The Provision Coverage Ratio of the Bank improved from 80.06 per cent as at March 31, 2012 to 83.41 per cent as at March 31, 2013.

8. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम वर्ष 2012-13 के दौरान 12.21 प्रतिशत की वृद्धि के बाद ₹ 46437 करोड़ दर्ज़ किया गया जो समायोजित निवल बैंक ऋण (ए एन बी सी) का 44.62 प्रतिशत है जबकि अधिदेशी आवश्यकता 40 प्रतिशत है।

9. कृषि ऋण 15.78 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 20156 करोड़ दर्ज़ किया गया जो समायोजित निवल बैंक ऋण (ए एन बी सी) का 19.37 प्रतिशत है जबकि अधिदेशी आवश्यकता 18 प्रतिशत है।

10. बैंक का निवल ब्याज मार्जिन वर्ष 2011-12 के 3.43 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान 3.19 प्रतिशत रहा।

11. प्रति शेयर बही मूल्य 31 मार्च 2012 के ₹ 150.13 की तुलना में 31 मार्च 2013 की स्थिति में सुधर कर ₹ 175.12 हो गया।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने 67 प्रतिशत के लाभांश का प्रस्ताव किया है जो पिछले वर्ष के 38 प्रतिशत से काफी अधिक है।

**शाखा विस्तार:**

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने 215 शाखाएँ खोली जिससे लंदन शाखा सहित शाखाओं की कुल संख्या 2934 हो गई हैं। घरेलू शाखाओं में 903 ग्रामीण शाखाएँ, 788 अर्धशहरी शाखाएँ, 629 शहरी शाखाएँ, 567 मेट्रो शाखाएँ तथा 46 पोर्ट टाउन शाखाएँ शामिल हैं। 31.03.2013 की स्थिति में बैंक के कुल ए टी एम 1306 हैं।

**नए उत्पादों का विकास:**

बैंक ने ''सिंडनवरत्न'' नामक ब्रांड नाम वाले एक नायाब एवं आकर्षक उत्पाद की शुरुआत की है जो बचत बैंक खाता सहित ग्राहकों को कई सुविधाएँ प्रदान करता है; जैसे : शून्य शेष सुविधा, सभी शाखाओं में सममूल्य पर चेक बुक सुविधा, आर टी जी एस/एन ई एफ टी के माध्यम से ₹ 1.00 लाख तक के निधि अंतरण की सुविधा, इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग सुविधा, तत्काल नि:शुल्क ग्लोबल डेबिट कार्ड, एस एम एस बैंकिंग सुविधा, वगैरह। आपका बैंक स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक के ज़रिए बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने, ई-उत्पाद तथा सेवाएँ शुरु करने तथा विभिन्न ग्राहकों की अलग-अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के सुपुर्दगी चैनलों को लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम:**

स्थाई ऋण वृद्धि, आस्ति गुणवता को बेहतर बनाने, उच्चतर अर्जन तथा निर्दिष्ट विकास सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्गों में समुचित एवं सुव्यवस्थित ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु बैंक ने विभिन्न रणनीतियाँ तैयार की हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम मार्च 2013 की स्थिति में ₹ 46437 करोड़ तक पहुँच गया जो समायोजित निवल बैंक ऋण (ए एन बी सी) का 44.62 प्रतिशत है जबकि अधिदेशी आवश्यकता 40 प्रतिशत है। कृषि

8. Priority Sector Advances registered a growth of 12.21 per cent to ₹46437 crore during 2012-13 and constituted 44.62 per cent to the Adjusted Net Bank Credit (ANBC), as against the mandatory requirement of 40 per cent.

9. Credit to Agriculture increased by 15.78 per cent to ₹20156 crore and constituted 19.37 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), as against the mandatory requirement of 18 per cent.

10. Net Interest Margin (NIM) of the Bank stood at 3.19 per cent in 2012-13 as against 3.43 per cent in 2011-12.

11. Book value per share improved to ₹175.12 as at March 31, 2013 as against ₹150.13 as at March 31, 2012.

The Board of Directors of the Bank have proposed a dividend of 67 per cent for the year ended 31st March 2013, increased from 38 per cent in previous year.

**Branch Network**

Bank has opened 215 branches during the year 2012-13 taking the total number of branches to 2934 including a branch in London, UK. The domestic branch network consisted of 903 rural branches, 788 semi-urban branches, 629 urban branches, 567 metro branches and 46 port town branches. Bank has 1306 ATMs as on 31.03.2013.

**New product development**

Bank has launched a unique and attractive new product under its brand name 'SyndNavaratna' which provides savings bank account with multiple benefits to customers viz. zero balance facility, cheque book facility at all branches at par, funds transfer facility through RTGS/NEFT up to ₹1.00 lakh, internet and mobile banking facilities, free instant global debit card, SMS banking facility, etc. Your Bank is committed and focused towards providing excellent Customer Service by state-of-the-art technology, launching of e-products & services and multiple service delivery channels, which are best suited to the diverse needs of different customers.

**Priority Sector Advances**

Bank has adopted various strategies during the year to achieve sustainable credit growth, improved asset quality, higher earnings and for maintaining well diversified credit portfolio covering all sections of the society to ensure inclusive growth. Priority Sector Advances of the Bank reached a level of ₹46437 crore as at March 2013 constituting 44.62 per cent of ANBC against the mandatory

क्षेत्र का अग्रिम मार्च 2013 की स्थिति में ₹ 20156 करोड़ तक पहुँच गया है जो समायोजित निवल बैंक ऋण (ए एन बी सी) का 19.37 प्रतिशत है जबकि इसके लिए अधिदेशी आवश्यकता 18 प्रतिशत है।

**तकनीकी पहल :**

क) बैंक के पास 32 मिलियन ग्राहकों का एक मजबूत आधार है। हमारा विजन है कि बैंक हर भारतीय की पसंद का बैंक बने और विश्व स्तर पर पसंदीदा साझीदार बने। 31.03.2013 की स्थिति में पूरे देश के 729 केंद्रों पर बैंक के 1306 ए टी एम कार्यरत हैं। वीसा एवं मास्टर कार्ड भुगतान गेटवे के माध्यम से बैंक का ग्लोबल डेबिट सह ए टी एम कार्ड है जिससे 55.55 लाख से ज्यादा कार्डधारक विश्व स्तर पर ए टी एम एवं पी.ओ.एस. टर्मिनल का लाभ उठा रहे हैं।

ख) चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सी टी एस) प्रारंभ में नई दिल्ली में (नेशनल कैपिटल रीजन (एन सी आर) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शुरू किया गया जिससे दिल्ली, फरीदाबाद, चंडीगढ तथा गाज़ियाबाद क्षेत्रों की शाखाएँ लाभान्वित हुई। इसके बाद, अन्य क्षेत्रों में इसे क्रियान्वित किया गया। चेन्नई सेवा शाखा, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा पुदुचेरी राज्यों को शामिल करते हुए उनके ग्रीड सी टी एस लिखतों को सँभाल रही हैं। चालू वर्ष के दौरान मुंबई में पश्चिमी सी टी एस-ग्रिड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ग) बी एस एन एल/एम टी एन एल के अलावा बैंक ने वैकल्पिक सर्विस प्रोवाइडर से अपनी सभी शाखाओं के लिए एम पी एल एस (मल्टी प्रोटोकाल लेबल स्विचिंग) कनेक्टिविटी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि नेटवर्क का निष्पादन बेहतर हो और शाखाओं को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिल सके। एम पी एल एस कनेक्टिविटी 1265 स्थानों पर लगा दी गई है तथा 1493 स्थानों पर यह कार्य चल रहा है।

घ) बैंक ने आउटसोर्सिंग के रूप में मैनेज्ड सिक्युरिटी सर्विस प्रोवाइडर (एम एस एस) के माध्यम से सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था एवं निगरानी हेतु 24 × 7 सुविधा शुरू की है। उसी एम एस एस प्रोवाइडर द्वारा बैंक के वेबसाइट की 24 × 7 निगरानी की जाती है।

**कार्यनीतिक मैत्री एवं संयुक्त उद्यम:**

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने कई कार्यनीतिक समझौते तथा संयुक्त उद्यम शुरु किए, जिनका वर्णन निम्नवत है :

क) वाणिज्यिक इस्तेमाल हेतु ''सिंड एम एस ई योजना'' के अंतर्गत वाहन खरीदी के लिए बैंक द्वारा वित्त प्रदान किए जाने को बढ़ावा देने के लिए मे. पीजो वेहिकल प्रा. लि., (पी वी पी एल) के साथ बैंक ने गठबंधन किया है। सिंडवाहन योजना के अंतर्गत बैंक ने मे. मारुति सुज़ुकि इंडिया लि. के साथ कंपनी के अधिमानी वित्तीय भागीदार के रूप में कार खरीदी पर वित्त प्रदान करने हेतु सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ख) बैंक ने कुछ प्रसिद्ध वाणिज्यिक वेहिकल निर्माताओं, जैसे : टाटा मोटर्स, टी वी एस मोटर्स, बजाज ऑटो लि. तथा फोर्स मोटर्स, के साथ, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों हेतु वित्त प्रदान करने के लिए सहमति ज्ञापन को नवीकृत किए हैं।

level of 40 per cent. Credit to Agricultural Sector reached a level of ₹20156 crore forming 19.37 per cent of ANBC as at March 2013 against the mandatory requirement of 18 per cent.

**Technological initiatives**

a) The Bank has a Strong base of over 32 million customers. Our vision is to be a bank of choice of every Indian and a preferred banking partner globally. To actualize that, Bank has operationalised 1306 ATMs as at 31.03.2013, spread across 729 Centres throughout the country. Bank has Global Debit-cum-ATM cards through VISA and Master Card Payment Gateways with a Card-base of over 55.55 Lakhs for global access to ATMs and POS Terminals.

b) Cheque Truncation System (CTS) was initially implemented in National Capital Region (NCR) at New Delhi covering the Branches in Delhi, Faridabad, Chandigarh and Ghaziabad Regions and has been further extended to other centres. Chennai Service Branch is handling Grid CTS instruments of various centres covering the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka, including Puducherry. Western CTS-Grid is proposed to be established at Mumbai during the current year.

c) Bank is in the process of obtaining Multi Protocol Label Switching (MPLS) connectivity for all its Branches from alternate Service Provider, other than BSNL/MTNL to improve Network Performance and redundancy for the Branches. The commissioning of MPLS connectivity has been completed in 1265 locations and further rollout in another 1493 locations is under process.

d) Bank has outsourced the 24X7 monitoring & management of the Security Devices and the security events through the Managed Security Service (MSS) Provider. Bank's Website is also being monitored 24X7 basis by the same MSS Provider.

**Strategic Alliance & Joint Ventures**

During the year 2012-13, Bank has undertaken many strategic alliances & joint ventures, which are enumerated below:

a) Bank has entered into a Tie-up arrangement with M/s PIAGGIO Vehicles Pvt Ltd (PVPL) for promotion of the Bank's financing through its 'SyndMSE Scheme' for purchase of vehicle for commercial use. Bank has renewed MOU with M/s Maruti Suzuki India Ltd.,for financing cars under SyndVahan Scheme as a preferred financing partner with the company.

b) Bank has also renewed MOUs signed with reputed Commercial Vehicle Manufacturers viz., Tata Motors, TVS Motors, Bajaj Auto Ltd and Force Motors, for financing commercial vehicles under Micro and Small Enterprises.

ग) शुल्क आय को बढ़ाने के लिए बैंक ने म्युचुअल फंड उत्पादों के संवितरण हेतु 9 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ गठबंधन किए हैं। ये कंपनियाँ हैं : 1) रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि., 2) बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कं. लि., 3) आई डी बी आई एसेट मैनेजमेंट लि., 4) एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि., 5) यू टी आई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि., 6) फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि., 7) एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि., 8) आई सी आई सी आई प्रुडेन्शियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि., 9) म्युच्यूअल फंड उत्पाद के वितरण हेतु डी एस पी ब्लैक रॉक इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि.।

**नई पहल:**

क) बैंक ने प्रारंभ में इलेक्ट्रॉनिक लांज (ई-लांज), एच एस आर ले आउट बेंगलूर में स्वयं-सेवा बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की शुरुआत की है जिसे अन्य बड़े केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा और इसके अंतर्गत ग्राहकों के लिए पासबुक मुद्रण, इंटरनेट बैंकिंग, ए टी एम, स्वसेवा वाले कियोस्क लगाए जाएंगे जो ग्राहकों को नकदी एवं चेक जमा स्वीकृति आदि जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगे।

ख) छवि निर्माण के अंतर्गत बैंक ने वर्ष के दौरान बेंगलूर स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय भवन को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। भवन के सामने वाले भाग को और प्रशस्त किया गया है, ए टी एम का स्थान परिवर्तित करके उसकी संख्या में बढ़ोत्तरी की गई है और ग्राहकों की सुविधा के लिए भूतल पर चेक डिपॉजिट कियोस्क और स्व सेवा टर्मिनल इन्टरनेट बैक अप के लिए लगाए गए हैं।

ग) वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय में मिड कॉर्पोरेट ऋण संबंधी एक नए वर्टिकल का भी शुभारंभ किया गया है। ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अलग से वर्टिकल की शुरुआत करने के लिए बैंक ने कदम उठाए हैं ताकि ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। गैर ब्याजी शुल्क आधारित आय को बढ़ाने के लिए भी बैंक ने नए वर्टिकल प्रारंभ किए हैं।

घ) प्रारंभ में बेंगलूर में केंद्रीकृत बचत एवं चालू खाता खोलना शुरू किया गया है जिसे शीघ्र ही अन्य केंद्रों पर भी शुरु किया जाएगा। यह बैक ऑफिस,खाता खुलने के बाद ग्राहक को सीधे एक स्वागतम किट भेजेगा जिसमें उसका पास बुक, चेक बुक, ए टी एम कार्ड आदि होगा। इससे शाखाओं का समय बचेगा और इस बचे हुए समय का उपयोग शाखाएं ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने तथा बैंक की आय को बढ़ाने हेतु बैंक उत्पादों के विपणन के लिए कर सकेंगी।

ङ) हर तिमाही के अंत में बैंक की छवि को और अधिक बढ़ाने के लिए तथा उसकी उपस्थिति को अधिक से अधिक लोगों के बीच प्रचारित-प्रसारित करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं जिनमें हर तिमाही प्रेस के साथ भेंट-वार्ता, एनॉलिस्टों के साथ बैठकें आदि शामिल हैं और इनमें बैंक के वित्तीय परिणामों के बारे में सूचना दी जाती है।

c) To boost fee income, Bank has entered into tie-up arrangements with Nine leading Asset Management Companies Viz., 1) Reliance Asset Management Company Ltd., 2) Birla Sun Life Asset Management Company Ltd., 3) IDBI Asset Management Ltd., 4) HDFC Asset Management Company Ltd., 5) UTI Asset Management Company Ltd., 6) Franklin Templeton Asset Management Company Ltd., 7) SBI Funds Management Private Limited, 8) ICICI Prudential Asset Management Company Ltd., 9) DSP BlackRock Investment Managers Pvt. Ltd. for distribution of mutual fund products.

**New Initiatives**

a) Bank has started providing E-Lounge, Self Service Banking facilities at HSR Layout Bangalore initially and will be extended to other major centres where facilities like Pass Book Printing, Internet Banking, ATM, Self Serviced Kiosk for Cash and Cheque Deposits acceptance etc. will be provided to customers.

b) As image building exercise, Bank has given a new look to the Corporate Office building at Bangalore by a face lift and enhancing the front elevation, besides relocating the ATMs, increasing numbers of ATMs, and placing cheque deposit kiosk and self service terminal for internet backup to ground floor for customers convenience.

c) A new vertical for increasing the Mid Corporate Credit has also started functioning at Corporate Office during the year. Bank has also initiated steps for creation of a separate vertical at Regional Offices to cater to the credit needs of customers, so that these customers are given special attention. Bank has also started new vertical to increase non interest fee based income.

d) Centralized Savings and Current Account opening is started initially at Bangalore which will be extended to other centres, shortly. This Back Office, after account opening, sends Pass Book, Cheque Book, ATM Card in a Welcome Kit to customers directly. This will enable branches to devote more time for customer service and marketing of bank's products for improving fee income.

e) We have taken lot of steps to improve the image of the Bank & visibility by meeting the Press, Analysts etc. at the end of every quarter, to keep them informed about financial results of the Bank.

## मानव संसाधन आयोजना

मानव पूँजी के महत्त्व को महसूस करते हुए बैंक ने एक अति कुशल मानव संसाधन नीति बनाई है। कारोबार विस्तार, सेवा निवृत्ति, पलायन आदि को देखते हुए तथा ज्ञान के अंतराल को भरने की दृष्टि से बैंक ने 75 विशेषज्ञ अधिकारियों, 435 परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा 893 लिपिकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान भर्ती किया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने 1500 अधिकारियों तथा 1400 लिपिकों को भर्ती करने की योजना बनाई है ताकि मानव संसाधन मजबूत हो और ग्राहक सेवा/विपणन के क्षेत्र में और अधिक सुधार हो सके।

## प्रशिक्षण एवं विकास

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रशिक्षण तंत्र द्वारा 278 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 5180 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया और कामगार कर्मचारियों के लिए 227 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनके माध्यम से 3946 कामगार कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, देश के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम ों में 87 कार्यपालकों तथा 221 अधिकारियों को बाह्य प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। साथ ही, 6 कार्यपालक तथा 2 अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न वेतनमानों में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की तथा वर्ष 2012-13 के दौरान दि. 31.03.2013 तक विभिन्न वेतनमानों में 1179 पदोन्नतियाँ की गईं।

## पुरस्कार एवं सम्मान:

वर्ष के दौरान बैंक को कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

क) दि. 31.03.2012 की स्थिति में हमारे मणिपाल एवं कुमटा आरसेटी को क्रमश: देश का सर्वश्रेष्ठ तथा द्वितीय सर्वश्रेष्ठ आर सेटी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दि. 28.07.2012 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हितधारकों हेतु आयोजित प्रथम नेशनल मीट ऑफ आरसेटी में भारत सरकार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री जयराम रमेश ने पुरस्कार प्रदान किए।

ख) वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन के बारे में क्षेत्रस्तर पर कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर बड़ी श्रेणी के बैंकों में से हमारे बैंक को संडे स्टैंडर्ड द्वारा ''बेस्ट बैंकर'' सम्मान से नवाज़ा गया।

ग) व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बी सी पी) तथा आई टी डिज़ॉस्टर रिकवरी (डी आर) परियोजना के लिए बैंक को स्कॉच फाउंडेशन का डिजिटल इनक्लूज़न अवार्ड 2012 के तहत गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है।

घ) दि. 05.01.2013 को मे. स्कॉच ग्रुप द्वारा नई दिल्ली में वर्ष 2012 के दौरान वित्तीय समावेशन के तहत उत्कृष्ट निष्पादन हेतु बैंक को 'सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया।

## जोखिम प्रबंधन संरचना

हमारे बैंक का जोखिम प्रबंधन विभाग पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहलों को क्रियान्वित करता है। बैंक ने अपनी आंतरिक पूँजी पर्याप्तता

## Human Resource Planning

Realizing the importance of human capital, Bank has put in place a more articulated HR Policy. To cope with the business expansion, superannuation, attrition etc. and also to fill the knowledge gap, Bank has recruited 75 Specialist Officers, 435 Probationary Officers and 893 Clerks during the current fiscal. During the financial year 2013-14, Bank is planning to recruit 1500 officers and 1400 clerks to strengthen the human resources and to facilitate customer service / marketing efforts.

## Training & Development

During the year 2012-13, 278 programmes covering 5180 officers and 227 programmes covering 3946 workmen employees were conducted by the Training System. In addition, 87 executives and 221 officers were deputed to external training programmes conducted by training institutes of repute in India. Further, 6 executives and 2 officers were deputed to overseas training programmes. During the year 2012-13, Bank had initiated promotion process to fill up the identified vacancies in various scales/ grades upto 31.03.2013 and 1179 promotions were made during the year 2012-13 in various scales.

## Award & Recognitions

Bank has received good number of awards during the year and some of these are as follows:

a) Our Manipal and Kumta RSETIs have been adjudged as the Country's Best and Second Best RSETIs as on 31.03.2012. Hon'ble Minister for Rural Development, Govt of India, Shri Jairam Ramesh presented the awards during the first National Meet of RSETI stake holders held at Vigyan Bhavan, New Delhi on 28.07.2012.

b) The Bank has been conferred "Best Banker" award by Sunday Standard amongst large category banks based on field level survey of implementation of financial inclusion.

c) Gold Award has been conferred on our Bank at SKOCH Foundation's Digital Inclusion Awards 2012, for Business Continuity Plan (BCP) and IT Disaster Recovery (DR) Project.

d) The Bank was also awarded 'Certificate of Merit' and trophy for the meritorious performance under Financial Inclusion during 2012 by M/s Skoch Group at New Delhi on 05.01.2013.

## Risk Management Architecture

Risk Management Department of the Bank oversees the overall implementation of various risk management

निर्धारण प्रक्रिया नीति (आई.सी.ए.ए.पी.) भी बनाई है जिसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया बाज़ार तथा आर्थिक परिवेश एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप नियमित रूप से चलती रहती है। ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालन जोखिम से संबंधित बैंक के पास अत्यंत कुशल नीति एवं प्रक्रियाएं हैं।

बैंक ने अपने पूँजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान हमने टियर II पूँजी को बढ़ाने के लिए ₹ 1000 करोड़ उधार टियर II बांड के तहत लिया है। हमने अपनी लंदन शाखा के विदेशी परिचालन के निधीयन के लिए एम टी एन इश्यू के माध्यम से यूएसडी 500 मिलियन उधार लिए हैं।

**औद्योगिक संबंध**

बैंक में औद्योगिक संबंध काफी मैत्रीपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण रहा है जिससे स्वस्थ वातावरण में कार्य करने का माहौल बना है। यूनियन/एसोसिएशन बड़े ही जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं तथा उन्होंने बैंक की प्रगति एवं समृद्धि के लिए अबाधित रूप से काफी सकारात्मक एवं सहयोगात्मक समर्थन प्रदान किया है।

**वित्तीय समावेशन (एफ आई)**

बैंक ने वित्तीय समावेशन वाले गांवों में 11.23 लाख ''नो फ्रिल'' खाते, 2.13 लाख के सी सी, 0.42 लाख ग्लोबल क्रेडिट कार्ड तथा 3.90 लाख स्मार्ट कार्ड / मोबाइल इनेबुल खाते खोले। 1600-2000 जनसंख्या वाली श्रेणी के 496 गांव हमारे बैंक को आबंटित किए गए थे जिन्हें 31.03.2013 तक बैंकिंग सुविधा प्रदान करवाना था, बैंक ने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 514 बी.सी.ए. सहित 8 शाखाएँ/सेटेलाइट कार्यालय खोले। भविष्य में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत कारोबार में वृद्धि और ग्राहक आधार को व्यापकता प्रदान करने की जो असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं उनकी बैंक कल्पना कर रहा है।

**प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी बी टी)**

बैंक ने दि. 01.01.2013 से चुने हुए 43 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को गति प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसका कार्यान्वयन करने वाले कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर चुने हुए जिलों में सर्वेक्षण करने एवं निगरानी रखने के लिए विशिष्ट नोडल अधिकारियों/कार्यपालकों को नामोदिष्ट किया गया। बी सी ए/ए टी एम/शाखाओं की अपेक्षाओं का निर्धारण करते हुए उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए ठोस कदम उठाए गए।

**क्षेत्रों का पुनर्गठन**

कुछ खास क्षेत्रों में कारोबार बढ़ने तथा शाखाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण उन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए बैंक ने दिल्ली, मुंबई तथा बेंगलूरु क्षेत्रीय कार्यालयों को दो-दो भागों में विभाजित किया जिसके कारण तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय हो गए तथा वर्तमान में 41 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए हैं।

initiatives across the Bank. The Bank has also formulated its Internal Capital Adequacy Assessment Process Policy (ICAAP), which is fine tuned regularly so as to be in line with the market realities and economic environment and regulatory requirements. The Bank is having well articulated policies and processes with regard to Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

Bank has taken various measures to strengthen its capital base. During the year, we have raised ₹ 1,000 crore under Tier- II bonds to boost our Tier II capital. We have also raised USD 500 million through MTN issue for funding of overseas operation of our London branch.

**Industrial Relations**

The Industrial Relations in the Bank have been cordial and harmonious, fostering a healthy work environment. The Unions / Associations have been responsive and proactive and they have extended unstinted support for the measures aimed at the progress and prosperity of the Bank.

**Financial Inclusion (FI)**

Our Bank has 11.23 lakh No Frill Accounts in FI villages and has extended 2.13 lakh KCCs, 0.42 lakh GCCs and issued 3.90 lakh smart cards / mobile enabled accounts. Our Bank was allotted 496 villages in the population category of 1600-2000 for covering these villages with banking outlets before 31.03.2013 and Bank has engaged 514 BCAs and opened 8 Branches / Satellite Offices, thus accomplishing the target given. Bank is visualising underlying opportunities of financial inclusion (FI) as a tool for potent business growth in future, and for widening the customer base.

**Direct Benefit Transfer (DBT)**

The Bank has taken a number of steps for smooth roll out of Direct Benefit Transfer in the identified 43 districts w.e.f. 01.01.2013. Sensitization programmes for the implementing personnel have been organized. Specific Nodal Officer / Executives have been designated for each of the identified Districts for supervision and monitoring. Assessment of the requirement of BCAs / ATMs /Branch etc., has been made and steps are taken to meet the requirements

**Reorganisation of Regions**

Due to increase in business and number of branches under some specific regions, for effective control and business development, Bank has effected bifurcation of certain regions like Delhi, Mumbai and Bangalore into two regions resulting in three additional regions and taking the tally of regions to 41 at present.

**अगली मंजिल**

वैश्विक अर्थव्यवस्था आज भी उबरने के लिए संघर्षमय स्थिति में बनी हुई है। वित्तीय बाज़ार की स्थिति में सुधार होने के बावजूद व्यापक अर्थव्यवस्था आज भी अत्यंत धीमी एवं अपूर्ण है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि विश्व का आर्थिक संकट अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी-बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की कमजोरियाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था की जड़ तक बैठी हुई हैं। अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2013 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है।

बैंक, बाजार में अपनी भागीदारी तथा वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। बैंक के पास भविष्य के लिए विकास की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है जो आकार और गुणवत्ता दोनों में एक संतुलन बनाए रखेगी ताकि हितधारकों को सर्वोत्तम लाभ मिले और इसे कारपोरेट थीम – ''**उत्कृष्टता**''– सिर्फ **उत्कृष्टता** के माध्यम से और भी स्पष्ट रूप में उद्घोषित किया गया है।

बाजार में हिस्सेदारी को बढ़ाना ताकि गुणात्मक कारोबार हेतु मील का पत्थर बन सकें।

ग्राहक आह्लाद हेतु विनम्र सेवा तथा शीघ्र निर्णय लेना।

कासा के विकास पर ध्यान केंद्रित करना।

खुदरा, एम एस एम ई तथा मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट की गुणवता पर ध्यान देते हुए क्षे.का./शाखा स्तर पर ज्यादा से ज्यादा ऋण मंजूरी प्रदान करके अर्जन बढाना।

मार्च 2013 की स्थिति से 20 प्रतिशत अनर्जक आस्तियों को कम करना।

शुल्क आधारित आय तथा लाभप्रदता बढाने के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना।

आंतरिक नियंत्रण में वृद्धि और उसका पूर्ण अनुपालन।

मानव संसाधन का पोषण एवं सभी स्तरों पर कौशल में अभिवृद्धि।

छोटे एवं बड़े- सभी खातों के ऋणों पर सतत निगरानी रखना।

बैंक की छवि को बढ़ाना तथा उसकी उपस्थिति को अधिक से अधिक प्रचारित-प्रसारित करना

चालू वर्ष 2013-14 के लिए बैंक ने कासा को बढ़ाने (उच्च लागत संसाधनों को कम करते हुए), आस्तियों की गुणवता में सुधार (निरंतर निगरानी के द्वारा स्लिपेज को न होने देना और अपग्रेडेशन बढ़ाना) उच्च लाभ वाले अग्रिमों को बढ़ाना, जैसे, खुदरा ऋण, एम एस एम ई, मिड कार्पोरेट आदि, क्योंकि ये हमारे निष्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

मैं आपके समक्ष यह उल्लिखित करना चाहता हूँ बैंक हर मानदंड के निष्पादन में सुधार के लिए वचनबद्ध है ताकि अंततोगत्वा सभी हिताधिकारियों के मूल्य में अभिवृद्धि हो।

आपके बैंक का पूँजी आधार मजबूत है, चलनिधि पर्याप्त है और अच्छी गुणवता वाली आस्तियाँ हैं जिनमें उच्च आय अर्जन की क्षमता है जो

**The Way Ahead**

The global economy is still struggling to recover. Even though improved financial market conditions are benefiting the broader economy to some extent, the transmission is very slow and incomplete. It serves to remind us that the world economic crisis is still far from over. Weaknesses in the major developed economies are at the root of continued global economic woes. IMF has projected global GDP to grow at 3.3 per cent in 2013.

Bank will Endeavour to increase its market share as well as its financials. The Bank has a growth plan ahead, balancing the size and quality, to deliver the best to stakeholders, which is visible and more pronounced by its Corporate Theme – "**EXCELLENCE**" – Nothing but **EXCELLENCE.**

**E**xpand market share to reach milestone of qualitative business

**X**press courteous services & speedy decisions for customer delight

**C**oncentrate on CASA growth

**E**nhance earnings through quality credit with focus on Retail, MSME & Mid Corporate credit with more sanctions at Br/RO level.

**L**ower NPAs by minimum 20% than Mar.2013

**L**everage technology fully to improve fee based income & profitability

**E**nhance internal control & ensure full compliance

**N**urture human resources & nourish skills at all levels

**C**onsistent credit monitoring of small & big-All accounts.

**E**nhance image of the Bank with improved visibility

For the current year 2013-14, Bank considers expansion of CASA (shedding down high cost resources), improving the asset quality (through constant monitoring, to avoid slippage and increase upgradation), increasing high yield advances like (Retail Credit, MSME, Mid Corporate etc.) as thrust areas of performance.

I would like to place before you that the Bank is committed to improve performance under every parameter and finally add value to all stakeholders.

Your Bank's strong capital base, comfortable liquidity with good quality assets and high income generating capacity

विपरीत आर्थिक एवं वित्तीय परिस्थितियों में भी आपके बैंक को मजबूती प्रदान करनेवाली हैं।

शुल्क आय में वृद्धि के अवसरों की सतत तलाश, ग्राहक केंद्रित उत्पादों के द्वारा ग्राहक आधार में वृद्धि एवं मूल्य वर्धितउत्पाद एवं सेवाएं जो संतुलित सूचना प्रौद्योगिकी से लैस हों, उन्हें भी कारोबार में अभिवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों, भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे शेयरधारकों ने हममें जो आस्था एवं विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सभी सम्माननीय ग्राहकों को उनके निरंतर सहयोग तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इस संस्था के निष्पादन को बुलंदियों तक पहुँचाने वाले अपने सिंडपरिवार के सभी स्टाफ सदस्यों की प्रशंसा करता हूँ तथा उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण एवं मूल्यवान योगदान को अभिलेखित करता हूँ।

अंत में, मैं आप सभी को इस बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

सादर,

आपका,

**(म गि संघवी)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 18.05.2013

has equipped it to withstand against adverse economic & financial conditions.

Exploring avenues for enhancing fee income, increasing customer base with customer-centric products & services and value added products supported by robust technology are also considered important for business growth.

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve Bank of India, for their valuable support and guidance. I thank all our shareholders for the confidence and faith they have reposed on us. I thank all our esteemed customers for their continued co-operation and support. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment put in by our SyndParivar staff members for enabling the Bank to scale new heights of performance.

Finally, I thank one and all of you for attending this meeting.

With regards,

Yours Sincerely,

**(M G Sanghvi)**
Chairman & Managing Director

Place : Manipal
Date : 18.05.2013

This Page is Left Blank

# वार्षिक आम बैठक/ANNUAL GENERAL MEETING

## 25 जून, 2013–मणिपाल/25th June, 2013– MANIPAL

## घटनाओं का महत्वपूर्ण कैलेंडर/IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

| | |
|---|---|
| वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने तथा नामित करने, वोट देने और चुनाव में सहभागिता करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु विनिर्दिष्ट तारीख<br>Specified Date for ascertaining the shareholders eligibility to attend AGM and to nominate, vote and contest in the election | 24.05.2013 |
| शेयरधारकों की सूची जिसे अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाना है ।<br>List of shareholders to be made available for the candidates | 03.06.2013 |
| नामांकन फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट अंतिम तिथि<br>Last date for submission of nomination form on or before | 10.06.2013 |
| नामांकन की छानबीन<br>Scrutiny of nominations | 11.06.2013 |
| अभ्यर्थियों की उचित और उपयुक्त स्थिति का निर्धारण<br>Ascertaining the fit and proper status of the Candidates | 12.06.2013 |
| प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु प्रॉक्सी फॉर्मों और संकल्पों की प्राप्ति हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख<br>Last date of receipt of proxy forms and resolutions appointing authorized representatives | 20.06.2013 |
| नामांकन को वापस लेना<br>Withdrawal of Nominations | 24.06.2013 |
| बहियों का समापन (दोनों दिवस सम्मिलित)<br>Book Closure (Both days inclusive) | 18.06.2013 से/to 25.06.2013 तक |
| वार्षिक आम बैठक की तारीख और समय<br>Date and time of Annual General Meeting | 25.06.2013 प्रात: 11.00 बजे<br>(मंगलवार/Tuesday) 11.00 a.m. |

**पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट:**

**मेसर्स. कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड**

**यूनिट : सिंडिकेटबैंक**

**प्लाट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर**

**माधापुर, हैदराबाद 500 081**

**दूरभाष: 040 44655000 - विस्तार: 116**

**या 040 44655116 (सीधा)**

**फैक्स सं.: 040 23420814**

**Registrars & Share Transfer Agents:**

**M/s Karvy Computershare (P) Ltd.**

**Unit: SyndicateBank**

**Plot No. 17 to 24, Vithal Rao Nagar**

**Madhapur, Hyderabad 500 081**

**Phone No.: 040 44655000 – Extn.: 116**

**or 040 44655116 (D)**

**Fax No. 040 23420814**

# सूचना

सूचना दी जाती है कि सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 के विनियम 56 के अनुसार सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक दि. 25 जून, 2013 को प्रात: 11.00 बजे से सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल – 576 104, में निम्नलिखित कारोबार का संव्यवहार करने के लिए होगी:

1. 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक के तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में लाभ व हानि लेखा, लेखे से संबंधित अवधि के दौरान बैंक के कार्यचालन और उसकी गतिविधियों पर निदेशकों के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन पर चर्चा करने, उसका अनुमोदन करने और अंगीकार करने के लिए ।

2. वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश की घोषणा करने के लिए।

3. विचार करने के लिए तथा यदि सही पाया जाए तो, आशोधन के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के तौर पर पारित करने के लिए:

   ''**संकल्प किया जाता है कि,** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (बैंकिंग अधिनियम), सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (बैंक विनियम), विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (''फेमा'') को लागू प्रावधान, भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड (पंजी एवं निर्गम समिति की आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (''आई सी डी आर विनियम''), विदेशी विनिमय प्रबंधन, (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण या जारी) विनियम 2000, भारत सरकार जिसे लागू नियमों, विनियमों, मार्गदर्शी सिद्धांतों, परिपत्रों, स्पष्टीकरणों के द्वारा समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर संशोधित और/या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बशर्ते विधि, नियम और विनियम के अध्यधीन (इसमें किए गए संशोधन या वर्तमान समय में पुन: लागू अधिनियमन), बैंक द्वारा उन स्टॉक विनियमों में सूचीयन करार जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, सेबी और/या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति जो लागू हों और अपेक्षित, भारत और भारत से बाहर अन्य संबद्ध प्राधिकरणों से अनुमोदित, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति प्रदान करने समय उनके द्वारा शर्तों, निबंधनों और आशोधनों का उनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदनों, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति के लिए लगाया जाना और उससे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो सकना (इसके बाद इसे ''बोर्ड'' कहा जाएगा, इस शब्द में बोर्ड द्वारा गठित कोई भी समिति शामिल है) बैंक की सहमति है और एतद्द्वारा बोर्ड को दी जाती है कि वह आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वह अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से बैंक के ईक्विटी शेयरों का सृजन, ऑफर, निर्गम, आबंटन आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में वर्णित किए गए अनुसार संख्या में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को करे, भले ही, वे बैंक के शेयरधारक हों या न हों जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, बोर्ड ने लागू विधि एवं विनिमयों के अनुसार अपने विवेकाधिकार से ₹ 1500 करोड़ (एक हजार पाँच सौ करोड़ रुपये मात्र) से अनधिक कुल रकम अनुमत की है, जो ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर प्रीमियम सहित और ऐसे ढंग से और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जिसे बोर्ड अपने स्व-विवेकाधिकार से निर्धारित करे जिसमें यह विवेकाधिकार भी शामिल है, निवेशकों की उन श्रेणियों का निर्धारण जिन्हें ऑफर, निर्गम एवं आबंटन किया जाए, ऑफर के समय बाजार की स्थितियों और अन्य संबद्ध तत्वों को ध्यान में रखते हुए ऑफर, निर्गम एवं आबंटन के समय अन्य श्रेणियों के निवेशकों का बहिष्करण और जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ अग्रणी प्रबंधक(कों) एवं/या हामीदार(रों) एवं/या अन्य सलाहकार(रों) से परामर्श करके बोर्ड अपने अनन्य विवेकाधिकार से उचित या उपयुक्त निर्णय लेगा ।''

   ''**आगे पुन: संकल्प किया जाता है कि** जारी किए जानेवाले शेयर/जारी करने के लिए प्रस्तावित शेयर, बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के बराबरी के होंगे जिनमें लाभांश शामिल हैं''

   ''**आगे पुन: संकल्प किया जाता है कि,**

   क) ईक्विटी शेयर या ऐसी अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में निर्णय लेने के लिए बैठक की तारीख वह तारीख होगी जिसमें बोर्ड प्रस्तावित ईक्विटी शेयर जारी करने या अन्य किसी भी समय पर या समय-समय पर आई सी डी आर विनियम के अध्यधीन अनुमति प्रदान करे;

   ख) प्रस्तावित निर्गम के अनुमोदन संबंधी इस संकल्प की तारीख से 12 महीनों के अंदर ईक्विटी शेयरों का आबंटन पूरा हो जाएगा या कोई अन्य समय जिसे आई सी डी आर विनियमावली के तहत समय-समय पर नियत किया जाए ।''

# NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 that an ANNUAL GENERAL MEETING of the SHAREHOLDERS of SYNDICATEBANK will be held on 25th June, 2013 at 11.00 A.M.at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal - 576 104 (Karnataka State) to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt, the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2013 and the Profit & Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare dividend for the Financial Year 2012-2013.

3. To consider and if thought fit, pass with or without modification the following resolution(s) as Special Resolution:

   **"RESOLVED THAT** pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("the Act"), Banking Regulations Act, 1949 (Banking Act), SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Bank's Regulations), the applicable provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 ("FEMA"), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations"), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time and in accordance with applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India ("GOI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and/or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the Listing Agreements entered into by the Bank with stock exchanges where the equity shares of the Bank are listed, any approval, consent, permission or sanction of SEBI and/ or Central Government as applicable and required, approvals, consents, permissions or sanctions of other concerned authorities, within or outside India, and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which term shall include any Committee constituted by the Board), consent of the Bank be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not/Rights issue under Chapter IV of ICDR Regulations to the existing shareholders, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹1500 crore (Rupees One Thousand Five Hundred Crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/ or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Equity Shares issued shall rank pari passu with the existing shares of the Bank including dividend."

**"RESOLVED FURTHER THAT**

a) the relevant date for determination of price of Equity Shares shall be the date of the meeting at which the Board decides to open the proposed issue of Equity Shares, or such other time as may be permitted under ICDR Regulations from time to time;
b) The allotment of Equity Shares shall be completed within 12 months from the date of this Resolution approving the proposed issue or such other time as may be permitted under ICDR Regulations from time to time."

''**आगे पुन: संकल्प किया जाता है कि,** उक्त संकल्प को लागू करने के उद्देश्य हेतु बोर्ड प्राधिकृत है और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ड्राफ्ट को अंतिम रूप प्रदान करने, उसके अनुमोदन से जुड़े सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य करे जो इसमें शामिल हैं परंतु यहीं तक सीमित नहीं है, साथ ही, अंतिम ऑफर प्रलेख (खों) जो निर्गम के फार्म और ढंग को नियत करें, इसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है जिन्हें ईक्विटी शेयर निर्गमित होंगे, आबंटित किए जाएंगे जैसा कि वह वर्ग शामिल है जिन्हें ईक्विटी शेयर निर्गमित होंगे, आबंटित किए जाएंगे जैसा कि वह अपने विवेकाधिकार से उचित समझे, अपने अनन्य विवेकाधिकार से निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम मूल्य का निर्धारण और शेयर के निर्गम, ऑफर एवं आबंटन से उपजे सवालों, प्रक्रियाओं, कठिनाइयों से संबंधित प्रश्नों का अपने विवेकाधिकार से समाधान करे और इसके लिए सदस्यों की सहमति या अनुमति आवश्यक नहीं होगी, दूसरे शब्दों में; यह माना जाएगा कि संकल्प के प्राधिकार के संबंध में सदस्यों की अनुमति है ।''

''**आगे पुन: संकल्प किया जाता है कि,** निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह इस कार्य हेतु लीड प्रबंधकों, विधि सलाहकारों, हामीदारों, बैंकरों, सलाहकारों, जो भी आवश्यक हों, उन्हें शामिल करें/नियुक्त करें, जो ऐसे ईक्विटी शेयरों के ऑफर के कार्य से जुडे हों, संबद्ध हों और उन्हें कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क आदि के रूप में पारिश्रमिक दें और ऐसी एजेंसियों के साथ करार, ज्ञापन, प्रलेखन आदि की व्यवस्था करें, निष्पादन कराएं और निर्गमित ईक्विटी शेयरों की उन स्टॉक इक्सचेंजों में लिस्टिंग कराएं जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं ।''

''**आगे, पुन: संकल्प किया जाता है कि,** निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निदेशकों की समिति या अपने सभी अधिकारों या किसी अधिकार को प्रत्यायुक्त करें या निदेशकों की समिति/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक/कंपनी सचिव/बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपें जो उक्त संविदा को प्रभावी बना सकें और उसे प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे कार्यों, कर्तव्यों, विषयों, कर्मों को करे और कोई भी जरूरी परिवर्तन(नों) या संशोधन(नों) को करें जिसे उचित समझता है और ऐसा निर्देशन दें जो ईक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन से उठनेवाले प्रश्नों और कठिनाइयों का समाधान करने की दृष्टि से आवश्यक हैं, ये शामिल हैं पर सीमित नहीं है:

i. ड्राफ्ट/अंतिम ऑफर प्रलेख का अनुमोदन एवं आवश्यकतानुसार उसे किसी प्राधिकरण या व्यक्तियों को फाइल करना;

ii. निर्गम मूल्य, आबंटन किए जानेवाले ईक्विटी शेयरों की संख्या, आबंटन का आधार और ईक्विटी शेयर के आबंटन का अनुमोदन;

iii. ईक्विटी शेयर के निर्गम के संबंध में जरूरी सुपुर्दगी और सभी आवश्यक या वांछनीय संविदाओं, करारों और अन्य प्रलेखों, विलेखों और लिखतों का निष्पादन;

iv. ऐसे बैंक खाते खोलना जो ऑफर के लिए आवश्यक हों;

v. ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य करना और ऐसे अन्य सभी प्रलेखों का निष्पादन करना और अपने अनन्य विवेकाधिकार से संव्यवहार के लिए आवश्यक या अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना;

vi. समुचित प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए जानेवाले सभी आवश्यक आवेदनों को तैयार करना और इस संबंध में सारी विनियामक फाइलिंग करना;

vii. उस स्टॉक इक्सचेंज(जों) में बैंक के ईक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए आवेदन करना जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं ।

4. रिक्तियों को भरने तथा उन शेयरधारकों के संबंध में जिनसे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात ''विनियम अधिनियम'' कहा गया है) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) (जिसे इसमें इसके पश्चात ''अधिनियम'' कहा गया है) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''योजना'' कहा गया है) और सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''विनियमावली'' कहा गया है) जो अधिनियम की धारा 19 के अनुसार बनाए गए हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''भा.रि.बैं. की अधिसूचना'' कहा गया है) सं. डी.बी.ओ.डी.सं.बी.सी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23 मई, 2011 के साथ पठित अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बी.सी. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 की शर्तों के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हो गया है, चयनित निदेशकों के कार्यालय में रिक्तियों को भरने तथा निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए:

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in its absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of the members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to engage/appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to form a Committee of Directors to delegate all or any of its powers to Committee of Directors / Chairman and Managing Director / Executive Directors / Company Secretary / other person authorized by the Board to give effect to the aforesaid Resolutions and is authorized to take such steps and to do all such acts, deeds, matters and things and accept any alteration(s) or amendment(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

i. Approving the draft / final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;

ii. Approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotments of Equity Shares;

iii. Arranging the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;

iv. Opening such bank accounts as may be required for the offering;

v. To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;

vi. To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;

vii. Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchange(s) where the equity shares of the Bank are listed.

4. To elect One Director from amongst shareholders of the Bank other than Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "the Regulation Act"), The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998(hereinafter referred to as the "Regulations") and Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29/.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'RBI Notification') to fill the vacancy in the office of the elected Directors and to pass the following resolution:

**संकल्प किया जाता है कि** उक्त योजना तथा विनियमावली और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार केंद्र सरकार से भिन्न, अन्य शेयरधारकों में से उस एक निदेशक को बैंक के निदेशकों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे दि. 26.06.2013 से अपना कार्यभार संभालेंगे जो विनियमन के विनियम 66 (iii) के अनुसार चुनाव की परवर्ती तारीख है और वे कार्यालय में निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि पूरी होने तक अपने पद पर बने रहेंगे ।

**निदेशक मंडल के आदेश द्वारा**
**कृते सिंडिकेट बैंक**

म. गि. संघवी

**(म. गि. संघवी)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 15.05.2013

"**RESOLVED THAT** One Director elected from amongst shareholders, other than Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI notification, be and is hereby appointed as Director of the Bank and shall assume office from 26.06.2013 being the date subsequent to the date of election pursuant to Regulation 66(iii) of Regulations and hold office until the completion of a period of three years from the date of assumption of office as Director."

**By order of the Board of Directors**
**For SYNDICATEBANK**

**(M G Sanghvi)**
Chairman& Managing Director

Place : Manipal
Date : 15.05.2013

## नोट:

**(i) व्याख्यात्मक कथन**

बैठक के कारोबार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन संलग्न है।

**(ii) मतदान अधिकार**

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2 ई) के उपबंधों यथा संशोधित 2013 के अनुसार, केन्द्र सरकार से भिन्न समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के **दस** प्रतिशत से अधिक शेयर रखता/रखती है तो वह मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा । यदि उक्त अधिनियम, योजना और विनियमावली में किए गए किसी संशोधन की वजह से इस सूचना में दी गयी वर्तमान प्रक्रिया के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो उक्त संशोधन अभिभावी होगा ।

उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, विनियमावली 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जिसका नाम विनिर्दिष्ट तारीख को यानी 24.05.2013 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है वह अपना हाथ उठाकर एक वोट दे सकता है और मतदान के मामले में वह प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट के लिए पात्र है ।

उक्त विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उस से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो उस व्यक्ति को एकल शेयरधारक माना जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में सबसे पहले उल्लेख किया गया हो और वोटिंग के मामले में उसे एकल धारक के रूप में माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्त नाम में हैं तो केवल वही व्यक्ति जिसका नाम पहले है वह बैठक में भाग लेने, नामित करने, चुनाव लडने और वोट देने के लिए पात्र है।

**(iii) निर्दिष्ट तारीख**

विनियमावली के विनियम 12 के अनुसार चुनाव में सहभागिता करने के लिए यानी, केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व करनेवाले दो निदेशकों के चयन के लिए निदेशकों को नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट देने के लिए पात्र शेयरधारकों के नामों को निर्धारित करने के उद्देश्य हेतु निर्दिष्ट तारीख 24.05.2013 है ।

**(iv) प्रॉक्सी की नियुक्ति**

**बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा स्वयं को छोड़कर मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है । प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है।**

तथापि,ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सिंडिकेटबैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो, उसे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त न किया जाए।

## NOTES:

**(i) EXPLANATORY STATEMENT**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

**(ii) VOTING RIGHTS**

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, amended in 2013, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **Ten** per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Specified date, i.e. 24.05.2013 shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

**(iii) SPECIFIED DATE**

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations, 24.05.2013 is the Specified Date for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of one Director representing the shareholders of the Bank other than the Central Government as mentioned in the notice.

**(iv) APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of SyndicateBank.

उक्त विनियमावली 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी के किसी लिखत का गारंटर उस बैठक में वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा जिस लिखत से वह संबद्ध हो।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् 20.06.2013 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए ।

**(v) प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी अथवा किसी निकाय कारपोरेट, जो कि शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में, वार्षिक आम बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् 20.06.2013 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले जमा नहीं कर देता/कर देती।

**(vi) उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-बैलेट पेपर पास**

शेयरधारक सदस्यों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-बैलेट पेपर पास इस नोटिस के साथ संलग्न है । शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक स्थल पर सौंप दें । शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर प्रॉक्सी अथवा ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए ।

चुनाव के समय बैलेट पेपर को प्राप्त करने हेतु बैलेट पेपर के एक भाग को सौंपना चाहिए ।

**(vii) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां**

शेयरधारक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ अपने साथ लाएँ जिसकी प्रति पंजीकृत पते पर बैंक द्वारा डाक भेजी दी गयी है। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.syndicatebank.in. पर भी प्रदर्शित है।

**(viii) लेखा विषयक सूचना**

शेयरधारक यदि खाते के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो उनसे अनुरोध है कि बैंक को लिखें और उनके द्वारा माँगी गई जानकारी बैंक को कम से कम वार्षिक आम बैठक से एक सप्ताह पहले मिल जानी चाहिए ताकि प्रबंधक वर्ग सूचना तैयार करके रख सके। वार्षिक आम बैठक के समय उसके जवाब दिए जायेंगे ।

As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy form, in order to be effective, must be received Head Office at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting. i.e., on or before the closing hours of the Bank on 20.06.2013.

**(v) APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting. i.e., on or before the closing hours of the Bank on 20.06.2013.

**(iv) ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum- Ballot Paper Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

The portion of the Ballot paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

**(vii) COPIES OF ANNUAL REPORT**

Shareholder Members are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence, the Members are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at the registered addresses. Additionally, the Annual Report has been hosted on Bank's website www. syndicatebank.in.

**(viii) INFORMATION ON THE ACCOUNTS**

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

**(ix) वही बंदी**

वार्षिक आम बैठक के सिलसिले में और अंतिम लाभांश 2012-13 की पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों की पंजी और बैंक की शेयर अंतरण पंजी मंगलवार, 18 जून, 2013 से मंगलवार, 25 जून, 2013 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगी।

**(x) लाभांश वारंटों में बैंक खाते का विवरण/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा (एन ई एफ टी)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस की सुविधा (एन ई सी एस):**

जहाँ कहीं भी संभव है, बैंक लाभांश की राशि को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एन ई एफ टी)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस की सुविधा द्वारा शेयरधारकों के बैंक खातों में जमा करेगा। शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम परिवर्तित पता और बैंक अधिदेश संबंधी जरूरी विवरणों के संबंध में अपने **डिपॉजिटरी सहभागी** को शीघ्र सूचना दें **(नया खाता सं. यदि कोई हो, बैंक का एम आई सी आर और आई एफ एस कोड सं. सहित)** ताकि एन ई एफ टी/एन ई सी एस द्वारा लाभांश राशि को सीधे जमा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। **शेयरों को डीमैट फार्म में रखनेवाले शेयरधाक इस संबंध में जरूरी कार्रवाई हेतु केवल अपने डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करें।**

शेयरों को कागजी रूप में रखनेवाले शेयरधारक अपने बैंक अधिदेश विवरणों को 17 जून 2013 को या उससे पहले बैंक के निवेश संपर्क केंद्र या नीचे पैरा (xvi) में दिए गए पते पर बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेन्ट को प्रस्तुत/अद्यतन करें।

बैंक लाभांश वारंट केवल उसी स्थिति में जारी करेगा जब इलेक्ट्रॉनिक फार्म में भुगतान करने हेतु जरूरी सूचना उपलब्ध न हो या भुगतान अनुदेश निरस्त हो गया हो या बैंकर्स द्वारा रद्द कर दिया गया हो। ऐसे मामलें में, उन लाभांश वारंटों पर बैंक अनिवार्य रूप से निवेशकों की खाता संबंधी विवरणी को मुद्रित करेगा। बैंक का ब्यौरा उपलब्ध न होने की स्थिति में बैंक के लिए शेयरधारकों को लाभांश वारंट भेज पाना संभव नहीं हो सकेगा।

ई सी एस अधिदेश का प्रफोर्मा संलग्न है।

**(xi) अंतरण**

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र अंतरण हेतु रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाने चाहिए। मई 2009 से सेबी ने शेयरों के अंतरण के प्रस्तुतीकरण के समय अंतरिती द्वारा पैन कार्ड

**(ix) BOOK CLOSURE**

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Tuesday, the 18th June 2013 to Tuesday, 25th June, 2013 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend 2012-2013.

**(x) DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS/ NATIONAL ELECTRONIC FUNDS TRANSFER FACILITY (NEFT) / NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE FACILITY (NECS):**

The Bank will credit the dividend amount to the bank accounts of the shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their **Depository Participants** about their latest change of address and bank mandate details **(including new account number, if any, bank's MICR and IFS Code numbers)** immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT/NECS. **The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.**

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish/update their Bank Mandate details to the Investor Relations Centre of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in Para (xvi) below on or before 17th June, 2013.

The Bank will issue dividend warrants only if the required information for making payment in electronic form is not available or payment instructions have failed or have been rejected by the Bankers. In such cases, the Bank will mandatorily print the bank account details of the investors on such dividend warrants. In case no bank details are available, the Bank may be constrained not to dispatch the dividend warrants to the shareholders.

A proforma of ECS Mandate is enclosed.

**(xi) TRANSFERS**

Share Certificates along with share transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent for effecting transfer. Since May 2009,

के ब्यौरे (पैन कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है ।

**(xii) पते में परिवर्तन**

क) **कागज़ी फॉर्म में शेयर रखना**

कागज़ी फॉर्म में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पंजीकृत पता, लाभांश अध्यादेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या इत्यादि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
प्लाट सं. 17 से 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद – 500 081
दूरभाष सं.: 040 44655000 एक्स्टेंशन 116
या 040 44655116 (सीधा)
फैक्स सं. 040 23420814

पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध निर्धारित फार्मेट में पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति और पते का सबूत जैसे, दूरभाष बिल, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स इत्यादि की अनुप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाए। पते में परिवर्तन का फार्मेट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

ख) **इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखना**

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अर्थात् डी-मैट खाते में शेयर रखनेवाले हिताधिकारी स्वामी के मामले में बैंक केवल उनके डिपॉजिटरी सहभागी (डी.पी.) के पास उपलब्ध ब्यौरे जैसे, पता, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा, बैंक खाता संख्या इत्यादि को ही गणना में लेगा ।

**इसलिए हिताधिकारी स्वामियों से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पता, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि को विधिवत् अपलोड करवाएं ताकि वे तत्संबंधी संसूचना, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश इत्यादि को ठीक समय पर प्राप्त कर सकें ।**

**(xiii) बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में (डीमैट) अनिवार्य शेयर व्यापार**

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिए गए दिशा निदेशों के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए हमारे बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में व्यापार 26 जून, 2000 से अनिवार्य कर दिया गया है।

बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) से बैंक के शेयरों के बेकागज़ीकरण के लिए निर्गमकर्ता कंपनी के रूप में करार किया है।

the SEBI has made submission of PAN Card details (attested copies of PAN Card) mandatory by the Transferee(s) at the time of submission for transfer of shares.

**(xii) CHANGE OF ADDRESS**

a) **Holding of Shares in Physical Forms**

Shareholders' holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number, etc., to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24
Vithal Rao Nagar, Madhapur
HYDERABAD – 500 081
Phone No. 040 44655000 – Extn.: 116
or 040 44655116 (D)
Fax No. 040 23420814

Request for change of address should be submitted in the prescribed format alongwith self attested copies of PAN Card and address proof, such as attested copies of Telephone Bill, Passport, Voter ID Card, Ration Card, Driving License, Aadhar Card, Electricity bill etc. Change of address format is enclosed to the Annual Report.

b) **Holding of Shares in Electronic Form**

In case of Beneficial owners holding shares in Electronic Form i.e. through a Demat account, the Bank will take into consideration only the details like address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number etc., available with their Depository Participant (DP).

BENEFICIAL OWNERS ARE, THEREFORE, REQUESTED TO ENSURE THAT THE ADDRESS, BANK DETAILS, ETC., ARE DULY UPLOADED WITH THEIR DEPOSITORY PARTICIPANTS SO THAT THEY MAY RECEIVE THE COMMUNICATION, ANNUAL REPORTS, DIVIDEND ETC., IN TIME.

**(xiii) COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM:**

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank Shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors with effect from June 26, 2000.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer company for dematerialization of Bank's shares.

बेकागज़ीकरण संबंधी अनुरोध संबंधित डिपोज़िटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रॉन्सफर एजेन्ट को भेजे जाएं।

**(xiv) बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली डी.पी. सेवाएं**

हमारा बैंक निम्नलिखित डी.पी. सेवाएँ प्रदान करता है:

1. बेकागजीकरण
2. पुन: कागजीकरण
3. प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना
4. सुपुर्दगी द्वारा व्यापार का निपटान–ऑन मार्केट, ऑफ मार्केट और इंटर डिपोजिटरी ।
5. प्रतिभूतियों की गिरवी/गिरवी मुक्त करना
6. डीमैट खातों को जब्त करना/मुक्त करना

डी.पी. सेवाएं युक्त शाखाओं के ब्यौरे हमारे बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर उपलब्ध हैं ।

**(xv) फोलियो का समेकन**

एक ही नाम पर तथा उसी क्रम में विभिन्न फोलियों में शेयरधारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे शेयर धारण के ब्यौरे शेयर अंतरण एजेंटों को प्रस्तुत करें ताकि वे उन शेयरधारित राशि को एक ही शेयरधारित राशि के अंतर्गत समेकित कर सकें। इससे बैंक, शेयरधारकों को और अधिक कारगर ढंग से सेवा दे पायेगा।

**(xvi) निवेशक संपर्क केन्द्र**

शेयरधारकों को शीघ्र और दक्षतापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिंडिकेटबैंक ने अपने कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूर में निवेशक संपर्क विभाग खोला है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी सहायता के लिए इस केन्द्र से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव
निवेशक संपर्क केन्द्र
सिंडिकेटबैंक, कॉरपोरेट कार्यालय
2 क्रॉस, गांधीनगर, बेंगलूरु – 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080 - 22283030 फैक्स: 080 - 22283030
ईमेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक की शिकायत : syndinvest@syndicatebank.co.in

Request for dematerialization may be sent through respective Depository Participants to our Registrars and Share Transfer Agents.

**(xiv) DP SERVICES OFFERED BY THE BANK**

Our Bank provides following DP Services:

1. Dematerialization.
2. Rematerialisation.
3. Holding of securities in electronic form.
4. Settlement of trades by delivery - On market, off market and Inter-depository.
5. Pledge/Unpledge of securities.
6. Freezing/unfreezing of Demat Accounts.

Details of branches enabled for DP Services are available in our Bank's Website www.syndicatebank.in

**(xv) CONSOLIDATION OF FOLIOS**

Shareholders holding shares in various folios with identical names and in same order are requested to furnish details of such holding to the Share Transfer Agents, to enable them to consolidate those holdings into a single holding. This will facilitate the Bank to service the shareholders more effectively.

**(xvi) INVESTOR RELATIONS CENTRE**

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, SyndicateBank has set up an Investor Relations Centre at its Corporate Office, Bengaluru. Shareholders may contact this Centre at the under mentioned address for any assistance:

The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank – Corporate Office
2nd Cross Gandhinagar
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)
Tel 080 - 22283030, Fax - 080 - 22283030
E-mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances: syndinvest@syndicatebank.co.in

## मद संख्या (3) का व्याख्यात्मक कथन

**अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी/अधिकार निर्गम) द्वारा जारी पूंजी**

निरंतर बदलते हुए कारोबारी परिदृश्य में बढ़ते हुए कारोबारी स्तर के प्रबंधन के साथ-साथ बासेल-III मानदंडों का अनुपालन करने और खासकर उनके कार्यान्वयन हेतु बैंक को अतिरिक्त पूंजी की तत्काल आवश्यकता है ।

उसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने नए निर्देश जारी करके आस्तियों की विभिन्न श्रेणियों के जोखिम भार में पर्याप्त वृद्धि की है । यद्यपि बैंक के पास 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2013 के अंत में पर्याप्त सी आर ए आर क्रमश: 12.24% और 12.59% था, फिर भी, वर्तमान वर्ष के साथ-साथ आने वाले वर्षों के दौरान इसके कारोबार में वृद्धि के लिए खासकर टियर-I पूंजी के लिए और अधिक पूंजी की जरूरत है ।

कई उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों से संबंधित पत्रांक डी बी ओ बी, सं. बी पी बी सी. 42/21.01.002/2007-08 दिनांक 29.10.2007 में बैंकों को विभिन्न प्रकार के टियर-I और टियर-II साधनों के द्वारा अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश हेतु अनुमति दी गई है, को ध्यान में रखकर, बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी/अधिकार निर्गम) के माध्यम से एक या एक से अधिक भागों में ईक्विटी शेयर जारी करके ₹1500 करोड़ (एक हजार पाँच सौ करोड़ रुपये मात्र) तक पूंजी बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाई है और उसके नियम एवं शर्तें वही होंगी जो बैंक के सर्वोत्तम हित में हों।

ईक्विटी शेयर को जारी करने से संबंधित सूचना में विशेष संकल्प प्रस्तावित किया गया जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करने एवं प्रकटीकरण जरूरतें) विनियम, 2009 (''आई सी डी आर विनियम'') के अध्याय VIII के अंतर्गत ₹1500 करोड़ (एक हज़ार पांच सौ करोड़ रुपये मात्र) तक के अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददार के लिए दिया गया है ।

चूँकि, बैंक के ईक्विटी शेयर को सूचीकरण करार के खंड 23 के अनुसार बाजार में सूचीबद्ध किया गया है, अत: यह आवश्यक है कि किसी भी आगे की प्रतिभूति के ईश्यू को शेयरधारकों से अनुमोदित करा लिया जाए यदि आनुपातिक आधार पर उन्हें प्रस्तावित न किया गया हो।

यह नोट किया जाए कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अतिरिक्त, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी/अधिकार निर्गम) के माध्यम से जारी ईक्विटी शेयर सांविधिक, विनियामक या इस संबंध में लागू अन्य निर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे ।

ईक्विटी शेयर को जारी करने के विस्तृत नियम एवं शर्तें वर्तमान बाजार की स्थिति पर विचार करते हुए व्यापारी बैंकों, अग्रणी प्रबंधकों,

## EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.(3)

**Capital Issue by Qualified Institutional Placement (QIP/Rights Issue)**

To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario as well as to comply with the Basel-III norms, the bank needs additional capital immediately, particularly for implementation of BASEL-III norms.

Besides, the recent guidelines issued by Reserve bank of India have prescribed substantial increase in the risk weights on various categories of assets. Though the Bank had comfortable CRAR at 12.24% and 12.59% as at the end of 31st March, 2012 and 31st March, 2013 respectively, its business growth during the current year as well as that for the coming years calls for higher capital particularly Tier-I capital.

After evaluating the various available alternatives as well as taking into consideration the Reserve Bank of India's guidelines bearing Reference No.DBOB.No.BP. BC.42/21.01.002/2007-08 dated 29.10.2007 permitting the Banks to access capital market for their raising capital through different types of Tier-I and Tier-II instruments, the Bank has planned to access capital market for raising capital upto the extent of ₹1500 Crore (Rupees One thousand five hundred crore only) by issuing equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP)/Rights Issue in one or more tranches and subject to terms and conditions as may be felt to be in the best interest of the Bank.

The Special Resolution proposed in the Notice relates to the issue of equity shares as Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") to Qualified Institutional Buyers for an amount not exceeding ₹1500 Crore (Rupees One thousand five hundred Crore only).

As the equity shares of the Bank is listed with the Stock Exchanges pursuant to Clause 23 of the Listing Agreement, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.

It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP)/Rights Issue would be subject to compliance of all statutory, regulatory or any other applicable guidelines in this regard.

The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by

सलाहकारों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों जो बैंक द्वारा विचारणीय हों, के साथ विचार-विमर्श करके बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएंगी । ईक्विटी शेयर एक से अधिक भाग में, उपयुक्त समय या समयों पर, उपयुक्त मूल्य या मूल्यों पर और उपयुक्त निवेशकर्ता को जारी करने हेतु बोर्ड के विवेकानुसार से जो सही हो, ऐसा करने हेतु बोर्ड को अधिकार देने के लिए विशेष संकल्प लिया जाए ।

नोटिस में वर्णित विशेष संकल्प के लिए आपके अनुमोदन को निदेशक मंडल संस्तुत करते हैं ।

बैंक के किसी भी निदेशक की विशेष संकल्प में संबद्धता या रुचि नहीं है ।

**संकल्प (4) का व्याख्यात्मक कथन**

**एक शेयरधारक निदेशक का चयन**

- **निदेशकों के चयन के लिए शेयरधारकों के अधिकार**

बैंक ने 17-07-2012 को संपन्न वार्षिक आम बैठक के दौरान आयोजित चुनाव में सुश्री जसलीन सूरी और श्री आनंद के पंडित को शेयरधारक निदेशकों के रूप में चयनित किया और उन्होंने सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 के विनियम 66 (iii) की शर्तों के अनुसार दि.18 जुलाई 2012 को तीन वर्षों की अवधि के लिए पदभार ग्रहण किए।

फिलहाल, वार्षिक आम बैठक की तारीख तक बैंक का पब्लिक शेयरधारण 33.83% है, बैंक ने इस प्रत्याशा में दो शेयरधारक निदेशकों का चयन किया कि भारत सरकार द्वारा यदि पूंजी लगाई जाती है तो उसके परिणामस्वरूप आमजनता की शेयरधारिता 32% से कम हो सकती है। हालांकि, भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी लगाने के लिए बजट में प्रावधान किए हैं फिर भी, इसके लिए कुछ और समय लगने की संभावना हैं ।

ऐसी स्थिति में जब भारत सरकार अतिरिक्त पूंजी लगाती है तब सार्वजनिक शेयरधारण 32% से कम हो जाएगा, तब एक शेयरधारक उस रीति के अनुसार सेवा निवृत्त हो जाएगा जैसा कि योजना के खंड 4 ए में उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए रिक्ति को भरने के उद्देश्य से बैंक ने केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से एक निदेशक का चयन करने हेतु चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है। अतएव, शेयरधारक (केन्द्र सरकार से भिन्न) विभिन्न तथा संगत अधिनियमों, विनियमावली, योजना, विनियमन अधिनियम और भा.रि.बैं. की अधिसूचना में दी गयी प्रक्रियाओं के अनुसार अपना नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं । उसका संगत भाग निम्नवत् हैं:

इस प्रकार से चयनित निदेशक 26 जून, 2013 से अपने कार्यालय में कार्यग्रहण करेंगे।

the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

The Board of Directors recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the Special Resolution.

**EXPLANATORY STATEMENT TO RESOLUTION (4)**

***ELECTION OF ONE SHAREHOLDERS – DIRECTOR***

- **RIGHT OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS**

The Bank had conducted an election at the Annual General Meeting (AGM) held on 17-07-2012. In the said meeting, Sri Anand K Pandit and Ms. Jasleenn Suri were elected as the shareholder Directors. They assumed office in terms of Regulations 66 (iii) of the SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 on 18$^{th}$ July 2012 for a period of 3 years.

Though the public shareholding in the Bank was at 33.83% as on the date of AGM, the Bank got two shareholder directors elected in anticipation of Capital infusion by Government of India which would have resulted in public shareholding falling below 32%. Government of India did not infuse capital in the Bank during the last financial year. Though Government of India has made Budgetary Provisions for capital infusion in Public Sector Banks during the current financial year, the process is likely to take some more time. In the event of Government of India infusing additional capital, which leads to reduction of public shareholding in the Bank below 32% , one shareholder Director will have to retire in the manner as provided in Clause 4A of the Scheme.

In view of the aforesaid and with a view to filling in the existing vacancy, the Bank has decided to conduct election to elect one Director from amongst Shareholders other than the Central Government. The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedures detailed in various and relevant Act, Regulation Act, the Scheme, the Regulations and the RBI Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder:

A Director so elected shall assume office with effect from 26th June, 2013.

## विधिक प्रावधान

**इस संबंध में लागू होनेवाले विभिन्न अधिनियमों/योजना/विनियमावलियों/अधिसूचनाओं में शामिल उपबंधों के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:**

| अधिनियम/योजना/ अधिसूचनाएँ | उपबंध | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 | धारा 16 (1)<br>धारा 20 | ➢ सामान्य निदेशक पर निषेध<br>➢ किसी भी निदेशक को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने पर प्रतिबंध |
| बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 | धारा 3 (2 ई)<br>धारा 9 (3)(i)<br><br>धारा 9 (3 ए) (ए) से (सी) तक<br>धारा 9 (3 एए)<br><br>धारा 9 (3 ए बी)<br><br>धारा 9 (3 बी)<br>धारा 13 (2) | ➢ वोंटिंग अधिकार पर प्रतिबंध<br>➢ शेयरधारकों द्वारा चयन किए जानेवाले निदेशकों की संख्या<br>➢ कुछ क्षेत्रों में विशेष जानकारी<br>➢ कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह ट्रैक रिकार्ड के आधार पर निष्ठा और भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट अन्य मानदण्डों के अनुसार उचित और उपर्युक्त न हो ।<br>➢ उस चयनित निदेशक को हटाने के लिए भा.रि.बैं. को प्राप्त अधिकार जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3 ए) और 9 (3 एए) की अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो<br>➢ निष्ठा और गोपनीयता का अनुपालन |
| राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 | खण्ड 4 ए<br><br>खण्ड 9 (4)<br>खण्ड 10<br><br>खण्ड 11<br>खण्ड 11 ए<br>खण्ड 11 बी<br>खण्ड 12 (8) | ➢ अतिरिक्त चयनित निदेशक को निर्धारित करने का ढंग<br>➢ चयनित निदेशकों की पदावधि<br>➢ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अनर्हता मानदण्ड<br>➢ निदेशक के पद को रिक्त करना<br>➢ चयनित निदेशक को पद से हटाना<br>➢ चयनित निदेशक के पद को भरना<br>➢ कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों के हितों का प्रकटीकरण जिन पर वे हितबद्ध हैं । |
| सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली 1998 | विनियम 10<br>विनियम 61<br>विनियम 63<br>विनियम 64<br>विनियम 65<br>विनियम 66<br>विनियम 67<br>विनियम 68<br>विनियम 69<br><br>विनियम 70 | ➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग<br>➢ आम बैठक में वोटिंग<br>➢ आम बैठक में चयनित निदेशकगण<br>➢ शेयरधारकों की सूची<br>➢ चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन<br>➢ नामांकनों का मूल्यांकन<br>➢ चुनाव संबंधी विवाद<br>➢ मतदान अधिकारों का निर्धारण<br>➢ सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान<br>➢ प्रॉक्सी |
| भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बी.सी. सं. 46 और 47/29/39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 और सं. डी.बी.ओ.डी. बी.सी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23.05.2011 | बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3 ए ए) और धारा 9 (3ए बी) के अनुसार | राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयनित निदेशकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदण्ड |

## संगत अधिनियमों/योजना/विनियमावली/अधिसूचनाओं इत्यादि का उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा हेतु विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना तथा भा.रि.बैं. की अधिसूचना सं. डी.बी.ओ. डी. सं. बी.सी.सी. सं. 46 और 47/29/39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 तथा सं. डी.बी.ओ. डी. बी.सी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23.05.2011 के संगत

## LEGAL PROVISIONS

**The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:**

| ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS | PROVISIONS | SHORT PARTICULARS |
|---|---|---|
| The Banking Regulation Act, 1949 | Section 16 (1)<br>Section 20 | ➢ Prohibition of Common Director<br>➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors |
| The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 | Section 3 (2E)<br>Section 9(3)(i)<br><br>Section 9(3A) (A) to (C)<br><br>Section 9(3AA)<br><br>Section 9(3AB)<br><br>Section 9(3B)<br>Section 13(2) | ➢ Restriction on voting rights<br>➢ No. of directors to be elected by the shareholders<br>➢ Special knowledge in certain fields<br>➢ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.<br>➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.<br>➢ Obligation as to fidelity and secrecy |
| The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 | Clause 4 A<br><br>Clause 9(4)<br><br>Clause 10<br><br>Clause 11<br>Clause 11A<br><br>Clause 11B<br><br>Clause 12(8) | ➢ Manner of determination of excess elected director<br>➢ Term of office of elected directors<br>➢ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank<br>➢ Vacation of office of Director<br>➢ Removal from office of an elected Director<br>➢ Filling of vacancy in the office of an elected Director<br>➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested. |
| SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 | Regulation 10<br>Regulation 61<br>Regulation 63<br><br>Regulation 64<br>Regulation 65<br><br>Regulation 66<br>Regulation 67<br>Regulation 68<br>Regulation 69<br><br>Regulation 70 | ➢ Exercise of rights of joint holders<br>➢ Voting at General Meetings<br>➢ Directors to be elected at General Meetings<br>➢ List of Shareholders<br>➢ Nomination of candidates for election<br>➢ Scrutiny of nominations<br>➢ Election disputes<br>➢ Determination of voting rights<br>➢ Voting by duly authorized representative<br>➢ Proxies |
| RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29/.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011 | Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 | Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks |

## EXTRACTS OF RELEVANT ACTS/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS ETC.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29/.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 will be

उद्धरणों को बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर अपलोड किया जाएगा। इसकी सूचना इस नोटिस के अंत में दी गयी है। उक्त उद्धरण को इच्छुक अभ्यर्थियों को भी ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा बशर्ते वे नामांकन फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख यानी 10 जून 2013 से पहले सिंडिकेटबैंक, महा प्रबंधक (कार्मिक) प्रधान कार्यालय, मणिपाल को अनुरोध पत्र प्रस्तुत करें।

**बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित अर्हताएँ**

i) अधिनियम की धारा 9(3A) की शर्तों के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और बैंक का निदेशक बनने की इच्छा रखता है,

क) उसे निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो:

- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।

ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

ग) किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो।

ii) उक्त अधिनियम की धारा 9 (3 ए ए) की शर्तों के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी जो बैंक का शेयरधारक है औरवह बैंक का निदेशक बनना चाहता हैं तो उसे अपेक्षित है कि वह भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय जारी किए जानेवाले निदेशों/अधिसूचनाओं के अनुसार ''उचित और उपयुक्त'' स्थिति बनाए रखें ।

iii) पुनः, चयनित निदेशक को चाहिए कि वे प्रसंविदा विलेख का निष्पादन करें और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करें।

**बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अनर्हता**

क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खंड 10 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित और निदेशक बनने के अयोग्य हैं :

क) यदि उसे कभी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया है अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया है, अथवा

ख) यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया है और सक्षम न्यायालय ने उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में घोषित किया है; अथवा

hosted in the Bank's website www.syndicatebank.in The same are also reproduced at the end of this Notice. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the SyndicateBank, General Manager, (Personnel), Head Office, Manipal, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz 10th June, 2013.

**QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK**

(I) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall –

(A) Have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely:

i. Agriculture and rural economy,
ii. Banking,
iii. Co-operation,
iv. Economics,
v. Finance,
vi. Law,
vii. Small scale industry,
viii. Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

(B) Represents the interest of depositors; or

(C) Represents the interest of farmers, workers and artisans.

(II) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status pursuant to Reserve Bank of India's directives/ notification from time to time in this regard.

(III) Further, the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

**DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK**

A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a. if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b. if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

ग) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने आपराधिक सजा सुनाई है अथवा उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो अथवा

घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायक बैंक में लाभ के पद पर है किन्तु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 में (च) व (छ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद ग्रहण कर सकता है।

और

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी.बी.सी. सं. 95/39.001/2010-11 दि. 23 मई 2011 के साथ पठित अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बी.सी. सं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 की शर्तो के अनुसार यदि वे बैंक के निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा ''उचित और उपयुक्त'' व्यक्ति नहीं पाए जाते हों ।

**निदेशक मंडल की संरचना**

अधिनियम की धारा 9(3)(i) अंतर्गत:

जहाँ धारा 3 की उप-धारा (2 बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी की गयी पूंजी:

I. कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत तक है तो एक निदेशक,
II. कुल प्रदत्त पूंजी सोलह प्रतिशत से अधिक किंतु बत्तीस प्रतिशत से कम है, तो दो निदेशक,
III. कुल प्रदत्त पूंजी बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो तीन निदेशकों का चयन केंद्रीय सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों द्वारा उन्हीं में से किया जाएगा ।

बशर्ते चयन के पश्चात् ऐसा कोई भी निदेशक इस खंड के अनुसार कार्यग्रहण करता है तो समान संख्या में खंड (एच) के तहत उतने ही निदेशक उसी तरह से सेवा निवृत्त होंगे जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

**निदेशकों का कार्यकाल**

योजना के खंड 9(4) के अधीन निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल 3 साल का होगा और वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

हालांकि, ऐसा निदेशक 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियमित रूप से अपने पद पर नहीं बना रह सकेगा।

शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9 (3बी) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे निदेशक को जो अधिनियम की धारा 9 (3ए) में वर्णित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है उसे अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अंतर्गत पद से हटाने का अधिकार दिया गया है।

c. if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude or

d. if he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

B. In terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BC. No. 46& 47/29.39.001/2007 08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rdMay, 2011, he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

**Composition of the Board of Directors**

Section 9(3)(i) of the ACT provides as under:

Where the capital issued under clause (c ) of sub-section (2B) of Section 3 is:

I. not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director,
II. more than sixteen per cent but not more than thirty two percent of the total paid-up capital, two Directors
III. more than thirty two percent of the total paid-up capital, three Directors

to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

**TENURE OF DIRECTORS**

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Directors shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) of the Act.

### अतिरिक्त चयनित निदेशक की निवृत्ति का ढंग

योजना के खण्ड 4ए के उपबंधों के अनुसार:

''अतिरिक्त निदेशकों की संख्या का निर्धारण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (i) के द्वितीय शर्त के अनुसार किया जाएगा और शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) द्वारा चयनित एसे निदेशकों की संख्या के बराबर संख्या के निदेशक निवृत्त हो जाएंगे और जिन निदेशकों ने सबसे लंबी अवधि तक सेवा की है वे निदेशक सबसे पहले निवृत्त होंगे ।

बशर्ते, यदि दो या उससे अधिक निदेशकों की सेवा अवधि समान है तो उनमें से सबसे अधिक उम्रवाले निदेशक पहले निवृत्त होंगे ।''

### प्रतियोगी शेयरधारकों की सूची

विनियम 64 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शेयरधारकों को चुनाव लडने में मदद करने की दृष्टि से शेयरधारकों की सूची, यानि दि. 24.05.2013 में यथा विनिर्दिष्ट महा प्रबंधक, कार्मिक विभाग, सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल में दि. 03.06.2013 से उपलब्ध होगी । इसकी कीमत हार्ड प्रति के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) जिसे किसी अनुसूचित बैंक से सिंडिकेटबैंक पर आहरित मणिपाल/उडुपि में देय मांग ड्राफ्ट जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है।

### शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्यदिवसों (रविवार और बैंक अवकाश के दिनों को छोडकर) यानी सोमवार से शुक्रवार तक अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक और शनिवार के दिन सुबह 11.00 बजे से मध्याह्न 1.00 तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध है । यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट आउट की जरूरत है तो उसे प्रति 1000 शब्दों या उसके भाग के लिए ₹5/- की दर से पूर्व-भुगतान करने पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

### चुनाव में सहभागिता करना

ऐसे शेयरधारक, जिनके नामों का उल्लेख 24.05.2013 की स्थिति में एन.एस.डी.एल./सी.डी.एस.एल./एस.टी.ए. द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामी रजिस्टर में किया गया हो, वे चुनाव में सहभागिता करने यानी अभ्यर्थियों को नामित करने, चुनाव में लड़ने तथा केन्द्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में वोट डालने के लिए पात्र हैं ।

विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जिसका नाम दि. 24.05.2013 को, यानी आम बैठक की तारीख से पहले निर्दिष्ट तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, यह अपना हाथ उठाकर अपना एक वोट डाल सकता है और मतदान के मामले में उसके पास प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा ।

### MANNER OF RETIREMENT OF EXCESS ELECTED DIRECTOR

Clause 4A of the Scheme provides as under:

"The number of excess directors shall be determined under the second proviso to clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and such number of directors elected by the shareholders (other than the Central Government) equal to the number so determined shall retire, and the order in which the directors shall retire, will begin with the longest serving director;

Provided that, if two or more Directors have served for the same period of time, the older among the said directors shall retire first."

### LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

To enable the Shareholders to contest the election, a complete List of Shareholders as indicated in Regulation 64 of the Regulations, as of the Specified Date i.e., 24.05.2013 will be available at Head Office of the Bank with General Manager, (Personnel) SyndicateBank, Head office, Post Box No.1, Manipal – 576 104, from 03.06.2013 onwards for purchase by shareholders on a pre-payment of ₹ 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) by way of demand draft/pay order of a Scheduled Bank, in favour of 'SyndicateBank' payable at Bangalore.

### INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders is also open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays & Bank holidays) i.e., Monday to Friday between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

### PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL / STA as on 24.05.2013, shall be entitled to participate i.e Nominate, Contest and Vote in election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 24.05.2013, the Specified Date, prior to the date of a general meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him / her.

## चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

### नामांकन की वैधता

निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी प्रत्याशी का नामांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन 65 के विनियम की अधिसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं बीसी सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दि. 1.11.2007 के साथ पठित डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23 मई 2011 तथा इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों के प्रावधान जो अभ्यर्थी के निदेशक के रूप में चयन पर लागू हैं, वे वैध होंगे बशर्ते:

क) वह चुनाव में भाग लेने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख यानी 24.05.2013 कम से कम 100 शेयर रखनेवाला शेयरधारक हो और दि. 25.06.2013 को या उसके बाद भी यानी अपनी पदावधि की समाप्ति तक न्यूनतम 100 शेयर रखता हो।

ख) उसे, 10.06.2013 तक नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 या अधिनियम/योजना/विनियमावली/भा.रि.बैं. की अधिसूचनाओं के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो ।

ग) नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखनेवाले कम-से-कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत् संघठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हो, परन्तु यह कि कोई शेयरधारक, जो एक कम्पनी हो, कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर महा प्रबंधक, (कार्मिक), सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल – 576 104 को प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा ।

घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन में या उस के साथ उम्मीदवार द्वारा नोटिस में प्रस्तुत नामांकन एवं घोषणा पत्र के नमूना फार्म के अनुसार, किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत् हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषण पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खडा होने का इच्छुक है और यह कि उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम या अधिनियम या योजना या विनियम के तहत निदेशक बनने के अयोग्य नहीं ठहराया गया है ।

ङ) उक्त विनियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट और संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार नामांकन फार्म तथा घोषणपत्र (प्रोफार्मा हमारे बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in में उपलब्ध है)

### नामांकन फार्म का प्रस्तुतीकरण

केन्द्र सरकार के अलावा, अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को

## NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

### Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

(a) he is a shareholder holding not less than 100 (One Hundred) shares in the Bank as on 24.05.2013 being the Specified date for participating in the election; and continues to hold a minimum of 100 shares till 25.06.2013 and thereafter till the end of his tenure if he is elected.

(b) as on 10.06.2013 (the last date for receipt of nominations) he is not disqualified to be a Director under the Act/Regulation Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications;

(c) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager (Personnel),Post Box No.1, Manipal– 576 104 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

(d) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a Declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a Director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations.

(e) the nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.syndicatebank.in.

### SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other

चाहिए कि वे

क) विधिवत् भरे गए घेषणा-पत्र

ख) चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन

ग) वैयक्तिक सूचना, घोषणा-पत्र और वचन-पत्र के साथ साथ संगत दस्तावेज, शंसापत्र यानी बायो-डाटा, शैक्षिक अर्हता, अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र इत्यादि को इस सूचना के साथ संलग्न फार्मेट के साथ **एक मुहरबंद लिफाफे में डालकर स्पष्ट अक्षरों में ''शेयरधारक निदेशक के चुनाव से संबंधित फार्म'' लिखकर उसे महा प्रबंधक, कार्मिक, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल-576 104 को वार्षिक आम बैठक के लिए निर्धारित तारीख से चौदह दिन पहले किसी भी तारीख को यानी बैंक के कार्य समय से पहले यानी दि.10.06.2013 को सायं 5.00 बजे के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए** अन्यथा नामांकन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

**नामांकन की जांच**

क) नामांकनों की जांच नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के आगामी प्रथम कार्य दिवस यानि दि 11.06.2013 को की जाएगी और यदि कोई नामांकन मान्य नहीं है तो इसके लिए कारणों को अभिलेखित करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की उचित और उपयुक्त स्थिति का निर्धारण करने के लिए नामांकन पत्र की छानबीन की जाएगी ।

ग) यदि चुनाव हेतु भरी जानेवाली एक रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता हैं तो इस प्रकार से नामित अभ्यर्थी को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा और उसके नाम और पते को निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा । ऐसी स्थिति में, वार्षिक आम बैठक की कार्यसूची में उल्लिखित शेयरधारकों के निदेशक का चयन विषयक मद को वार्षिक आम बैठक में नहीं लिया जाएगा । तथापि, निर्वाचित अभ्यर्थीगण दि. 26 जून, 2013 को अपना-अपना पदभार ग्रहण करेंगे ।

घ) जितनी संख्या में निदेशकों को चुना जाना है, यदि उससे अधिक वैध नामांकन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों के नाम अखबारों में प्रकाशित करवाए जाएँगे तथा अधिक मत प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा और उसके नाम की घोषणा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी एवं इसे अखबारों में प्रकाशित भी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी दिनांक 26 जून, 2013 को कार्य ग्रहण करेंगे।

ङ) यदि कोई विवाद हो तो विनियमावली के विनियम 67 के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा ।

than the Central Government should submit:

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in the formats annexed to the Notice, **in a sealed envelope super scribing "Forms with regard to election of shareholder director" to the General Manager - Personnel, SyndicateBank Head office, Post Box No.1, Manipal – 576 104, together with connected documents, complete in all respects, on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., 5.00 p.m. on 10.06.2013,** failing which, the nominations are liable to be rejected.

**SCRUTINY OF NOMINATIONS**

a) Nominations shall be scrutinized by the Bank on 11.06.2013, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason(s) thereof.

b) Nominations shall also be subjected to scrutiny to determine their 'Fit & Proper Status' by the Nomination Committee of the Board in terms of Reserve Bank of India Notification.

c) If there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled-in by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event the Agenda item relating to election of Shareholder Director will not be taken up at the Annual General Meeting. However, the elected candidate shall assume office only on 26th June, 2013.

d) If valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the names of the candidates shall be published in the newspapers and candidate polling the majority of the votes shall be elected. The name of the elected candidate will be announced by the Chairman & Managing Director and also published in newspapers. The elected candidate will assume office on 26th June, 2013.

e) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

## दि. 25.06.2013 को मतदान की प्रक्रिया

निदेशक के चुनाव को हाथ उठाकर वोट डालने की पद्धति के आधार पर नहीं किया जाएगा, किंतु चुनाव प्रक्रिया में गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाएगा ।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा करने के तुरंत बाद मतदान-पत्र जारी किया जाएगा और वह अपराह्न 2.00 बजे तक जारी रहेगा। पंजीकरण के समय जारी किए गए मतदान-पत्र को काऊँटर पर प्रस्तुत करने पर शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मत पत्र जारी किए जाएंगे । वोटों की संख्या और उनके द्वारा दि. 24.05.2013 तक रखे गए शेयरों की संख्या बराबर होगी ।

शेयरधारकों से अपेक्षा है कि वे मतपत्र में अपनी पसंद के अनुसार तीन अभ्यर्थियों के नामों के सामने (X) की रबड़ की मोहर लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें ।

उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और तद्नंतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी ।

संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का आयोजन बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो एक स्वतंत्र परामर्शदाता है जिनकी नियुक्ति बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु की गयी है और भारत सरकार के नामिती द्वारा चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण किया जाएगा, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे ।

## नामांकन को वापस लेना

यदि कोई अभ्यर्थी नामांकन को वापस लेना चाहता है तो बैंक कारोबार समय की समाप्ति से पहले किसी भी समय या दि. 24.06.2013 को शाम 5.00 बजे से पहले अपना नामांकन वापस ले सकता है ।

## निदेशकों के हित

यदि बैंक के निदेशक चुनाव लड़ते हैं तो यह माना जाएगा कि कारोबार की उपर्युक्त मदों के संबंध में वे उनसे संबद्ध हैं या उनमें उनका हित निहित है। उनपर उक्त मदें लागू होंगी ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते सिंडिकेटबैंक

म. गि. संघवी

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 15.05.2013

**(म गि संघवी)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## POLL PROCESS on 25.06.2013

The Voting for election of Director will not be on the basis of show of hands but shall be done by Poll by means of secret Ballot.

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman& Managing Director and continue upto 2.00 p.m. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/ Proxy holders/ authorized representatives on surrender of Ballot Paper issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 24.05.2013.

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the name of candidate of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box (es).

The counting of votes would be taken up thereafter and result would be announced by the Chairman& Managing Director.

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

## WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on or before 5.00 p.m. on 24.06.2013.

## INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the Election.

By order of the Board of Directors
For SYNDICATEBANK

M G Sanghvi

Place : Manipal
Date : 15.05.2013

**(M G Sanghvi)**
Chairman& Managing Director

## निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल, 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षित तुलनपत्र, 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ व हानि लेखा विवरण सहित बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

## प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

### व्यापक आर्थिक परिदृश्य

### वैश्विक परिप्रेक्ष्य

वैश्विक अर्थ व्यवस्था हलचल से भरी हुई है क्योंकि वैश्विक दृष्टिकोण से यूरो क्षेत्र का जोखिम निरंतर बढ़ता जा रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था के जो ऑकड़ें उपलब्ध हैं वे यह बताते हैं कि सभी बड़े देशों में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कमी है या मंदी की स्थिति है और वित्तीय स्थिति या तो कमजोर है या असुरक्षित है। कमजोर निवेश का माहौल, माँग में कमी, ऋण उठाव में गिरावट, अंतराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में सर्पिल गति से वृद्धि, साथ ही, यूरो क्षेत्र के संकट का अक्षुण्ण बना रहना और भू-राजनीतिक तनावों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कठिनाइयों से उबरने की प्रक्रिया को कठिन बना दिया है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एकाएक राजकोषीय सख्ती के व्यवहार से वैश्विक व्यापार में गिरावट और चलायमान पूँजी प्रवाह से वैश्विक वृद्धि का भविष्य आहत हुआ है। ऐसे वैश्विक असंतुलन ने पूरे विश्व के नीति निर्माताओं को इस बात के लिए बाध्य किया है कि वे एकजुट होकर इस संबंध में ऐसा दृढ़ निर्णय लें कि गिरावट के दलदल में फँसी अर्थव्यवस्था को निम्नतर वृद्धि से निज़ात मिल सके।

आई एम एफ द्वारा अप्रैल 2013 में प्रकाशित विश्व के आर्थिक दृष्टिकोण के मुताबिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 2012 में 3.2% की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2011 के दौरान प्राप्त उपलब्धि 4 प्रतिशत से कम है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दरों में 2011 के 1.6 प्रतिशत की तुलना में 2012 में 1.2. प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ई एम डी ई) में यह गिरावट वर्ष 2011 में 6.4 प्रतिशत थी जो वर्ष 2012 में घटकर 5.1 प्रतिशत हो गई है। यू.के. के जी डी पी में 2011 के 0.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2012 के दौरान 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

### घरेलू विकास

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में देश के सकल घरेलू उत्पाद में काफी कमी आई है। सी एस ओ के अनुमान के अनुसार यह वर्ष 2011-12 के 6.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 के दौरान 5.00 प्रतिशत हो गई है। इसका मुख्य कारण सुस्त औद्योगिक क्रियाकलाप, सेवा क्षेत्रों के विकास में संतुलन, निवेश का रुक जाना, घरेलू उपभोग में कमजोरी और बाह्य मांग में कमी का होना है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में वर्ष 2011-12 के क्रमश: 3.6 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत एवं 8.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान इन क्षेत्रों में क्रमश: 1.8 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अप्रैल-मार्च 2012-13 के दौरान आठ बुनियादी उद्योगों में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि तुलनात्मक दृष्टि से अप्रैल - मार्च 2011-12 में यह

## DIRECTORS' REPORT

The Board is pleased to present the Bank's Directors' Report along with the Audited Balance Sheet as at 31st March 2013 and the Profit & Loss Account statement for the financial year ended 31st March 2013.

## MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

### Macro Economic Scenario

### Global Perspective

The global economy is at the brink of turbulence as euro area continues to pose a large downside risk to the global outlook. Available data on the world economy points to continuing low growth or recession in all the major countries, keeping the global financial condition still fragile and vulnerable. Poor investment climate, subdued demand, slowdown in credit off-takes, spiraling international crude oil prices along with unabated euro zone crisis and geo-political tension has exacerbated the global recovery process. The policies of abrupt fiscal tightening practiced by major economies, decline in global trade and volatile capital flows would further hurt global growth prospects. Such global imbalances have constrained the policy makers across the globe to collectively follow more decisive policy actions, if global economy is to be pulled out from the morass of downward growth spiral.

Global GDP grew by 3.2% in 2012, which is lower than 4.0 per cent recorded in 2011, as per the IMF's World Economic Outlook published in April, 2013. The growth in advanced economies declined from 1.6 per cent in 2011 to 1.2 per cent in 2012, whereas growth in Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) dropped from 6.4 per cent in 2011 to 5.1 per cent in 2012. UK's GDP grew by 0.2 per cent in 2012 as against a growth of 0.9 per cent in 2011.

### Domestic Development

Against this backdrop, country's GDP registered a significant downfall, as per CSO estimate, from 6.2 per cent in 2011-12 to 5.0 per cent in 2012-13, due to sluggish industrial activity, moderation in services sector growth, stalled investment, weakening domestic consumption, and bleak external demand. Agriculture, industry and services sector grew by 1.8 per cent, 3.1 per cent and 6.6 per cent respectively during 2012-13 as against 3.6 per cent, 3.5 per cent and 8.2 per cent respectively registered during 2011-12.

During April-March 2012-13, Eight core Infrastructure industries grew by 2.6 per cent as compared to 5 per cent during April- March 2011-12. The average WPI

वृद्धि 5 प्रतिशत हुई थी। थोक मूल्य सूचकांक (सभी पण्यों में) स्फीती 2011-12 के 8.94 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 के दौरान 7.34 प्रतिशत रही है। ब्रॉड मनी (एम 3) में 2012-13 (मार्च 22, 2013 तक) के दौरान 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमें इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

**बैंकिंग परिदृश्य**

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियाँ 23 मार्च 2012 के ₹ 5909082 करोड़ की तुलना में 22 मार्च 2013 को ₹ 6751422 करोड़ हो गई जिसमें वर्षानुवर्ष की दृष्टि से 14.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वाणिज्यिक बैंकों का ऋण 23 मार्च 2012 के ₹ 4611852 करोड़ की तुलना में 22 मार्च 2013 को ₹ 5262836 करोड़ हो गया और इसमें वर्षानुवर्ष की दृष्टि से 14.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस सी बी) का निवेश ₹ 1737787 करोड़ था जो 22 मार्च 2013 को ₹ 2006038 करोड़ हो गया है और उसमें वर्षानुवर्ष के हिसाब से 15.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

**बाह्य क्षेत्र वृद्धि**

निर्यात का संचयी मूल्य यू एस डालर टर्म के रूप में अप्रैल-मार्च 2011-12 के यू एस डी 305963.92 मिलियन की जगह अप्रैल-मार्च 2012-13 को यू एस डालर टर्म यू एस डी 300570.58 मिलियन हो गया है और उसमें वर्षानुवर्ष की दृष्टि से 1.76 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है जबकि आयातों का संचयी मूल्य डालर के टर्म में अप्रैल-मार्च 2011-12 के दौरान यू एस डी 489319.50 मिलियन था जो अप्रैल मार्च 2012-13 के दौरान यू एस डी 491487.22 मिलियन हो गया है और उनमें वर्षानुवर्ष की दृष्टि से 0.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

तेल के आयात का मूल्य अप्रैल-मार्च 2012-13 के दौरान यू एस डी 169253.0 मिलियन आंका गया जो अप्रैल-मार्च 2011-12 के यू एस डी 154967.5 की तुलना में 9.22 प्रतिशत अधिक है जबकि गैर-तेल आयात का मूल्य अप्रैल-मार्च 2012-13 के दौरान यू एस डी 322234.2 मिलियन था जो अप्रैल-मार्च 2011-12 के यू एस डी 334352.00 मिलियन की तुलना में 3.62 प्रतिशत कम था।

व्यापार घाटे का आकलन अप्रैल-मार्च 2012-13 के लिए अचर टर्म के रूप में यू एस डी 190916.64 मिलियन था जो अप्रैल-मार्च 2011-12 के घाटे यू एस डी 183355.58 मिलियन की तुलना में अधिक था।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ 30 मार्च 2012 के ₹ 15061.3 बिलियन की तुलना में 29 मार्च 2013 को ₹ 15900.6 बिलियन रही। विदेशी मुद्रा आस्तियाँ 30 मार्च 2012 के ₹ 13305.1 बिलियन की तुलना में 29 मार्च 2013 को ₹ 14126.3 बिलियन हो गई।

मार्च 2012 की तुलना में मार्च 2013 को रुपये में जापानी येन के मुकाबले 5.88 प्रतिशत का अधिमूल्यन हुआ जबकि यू एस डालर, पाउंड स्टर्लिंग

inflation (all commodities) stood at 7.34 per cent during 2012-13 as compared to 8.94 per cent reported during 2011-12. Broad money (M3) 2012-13 (up to March 22, 2013) increased by 13.6 per cent as compared to 13.2 per cent during the corresponding period of the last year.

**Banking Scenario**

The aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks stood at ₹ 6751422 crore as at Mar.22, 2013 as compared to ₹5909082 crore as at Mar.23, 2012 recording a y-o-y growth of 14.26 per cent.

The Bank credit of Scheduled Commercial Banks stood at ₹5262836 crore as at Mar.22, 2013 as compared to ₹4611852 crore as at Mar.23, 2012 recording a y-o-y growth of 14.12 per cent.

Scheduled Commercial Banks (SCBs)' Investment in Govt. and other approved securities stood at ₹2006038 crore as at Mar.22, 2013 as compared to ₹1737787 crore registering a growth of 15.44 per cent.

**External Sector Growth**

The cumulative value of Exports for the period April-March 2012-13, in US dollar terms was USD 300570.58 million as against USD 305963.92 million for April-March 2011-12 registering a negative y-o-y growth of 1.76 per cent. Whereas the cumulative value of Imports for the period April-March 2012-13, in US dollar terms was USD 491487.22 million as against USD 489319.50 million for April-March 2011-12 registering a y-o-y growth of 0.44 per cent .

Oil imports during April-March, 2012-13 were valued at USD 169253.0 million which was 9.22 per cent higher than USD 154967.5 million during April-March, 2011-12. While non-oil imports during April-March, 2012-13 were valued at USD 322234.2 million which was 3.62 per cent lower than USD 334352.0 million during April-March, 2011-12.

The trade deficit, in absolute terms, during April-March, 2012-13 was estimated at USD 190916.64 million which was higher than the deficit of USD 183355.58 million recorded during April-March 2011-12.

Foreign exchange reserves stood at ₹15900.6 billion as at March 29, 2013 as compared to ₹15061.3 billion as at March 30, 2012. Foreign Currency Assets stood at ₹14126.3 billion as at March 29, 2013 as compared to ₹13305.1 billion as at March 30, 2012.

The rupee appreciated by 5.88 per cent against Japanese yen, while depreciated by 8.11 per cent against US dollar,

तथा यूरो की तुलना में क्रमश: 8.11 प्रतिशत, 2.97 प्रतिशत और 6.19 प्रतिशत मूल्य ह्रास हुआ।

### वर्ष 2012-13 के लिए कॉरपोरेट थीम

बैंक ने अंग्रेजी भाषा के शब्द 'LEAD' अर्थात् अग्रणी बनने को वर्ष 2012-13 के लिए कारपोरेट थीम के रूप में अपनाया था। अंग्रेजी भाषा के इन चारों अक्षरों का निहितार्थ निम्नलिखित है :

कासा हमारी प्राथमिकता बने

शुल्क आधारित आय एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश

अनर्जक आस्तियों पर जबरदस्त ध्यान केन्द्रित करके उसे कम करना

शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारों के तहत अधिक ऋण वितरण

## वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के निष्पादन की विशिष्टताएं

### पूँजी एवं आरक्षित निधि

31-03-2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹ 3000 करोड़ हो गई तथा प्रदत्त पूँजी ₹ 601.95 करोड़ हो गई (प्रति शेयर ₹10 की दर से 601949955 ईक्विटी शेयर)।

बैंक की प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष वर्षानुवर्ष 17.78 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2011-12 के ₹ 8439.20 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 9939.39 करोड़ हो गए।

### निवल मालियत

बैंक की निवल मालियत (प्रारक्षित निधियों के पुनर्मूल्यन को छोड़कर) 31 मार्च, 2012 के ₹ 7994 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2013 को ₹ 9296 करोड़ हो गई है।

### लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में ₹ 6.70 प्रति शेयर (67 प्रतिशत) का प्रस्ताव रखा है जो ₹ 403.31 करोड़ है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान लाभांश ₹ 3.80 प्रति शेयर (38%) घोषित किया गया था जो कुल ₹ 228.74 करोड़ था। लांभांश वितरण कर ₹ 68.54 करोड़ देय है (पिछले वर्ष ₹ 37.11 करोड़)।

### कारोबार वृद्धि

बैंक का वैश्विक कारोबार, वर्ष 2011-12 के ₹ 283558 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान 18.06 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 334779 करोड़ हो गया है जबकि बैंक के घरेलू कारोबार में 12.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2011-12 के ₹ 258660 से बढकर 2012-13 में ₹ 291337 करोड़ हो गया है।

### जमा संग्रहण

बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ 17.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2011-12के ₹ 157941 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 में ₹ 185356 करोड़ दर्ज की गई। इसी प्रकार, बैंक की घरेलू जमाराशियाँ वर्ष 2011-12 के ₹ 147707 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 में 13.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 167055 करोड़ दर्ज की गई।

2.97 per cent against Pound sterling and 6.19 per cent against Euro in March 2013 over March 2012.

### CORPORATE THEME FOR 2012-13

The Bank had opted "LEAD" as the corporate theme for the financial year 2012-13 which signifies as under:

**L**et CASA be our Priority

**E**ndeavour to increase Fee Based Income & Profitability

**A**ttack and bring down NPA

**D**isburse More Credit under RO/Branch powers

## PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE FINANCIAL YEAR 2012-13

### Capital & Reserves

Bank's authorized share capital stood at ₹3000 crore and the paid-up capital ₹601.95 crore (601949955 equity shares of ₹10 each) during the financial year ended at 31.03.2013.

The Reserves and Surplus of the Bank increased from ₹8439.20 crore in 2011-12 to ₹9939.39 crore in 2012-13 registering a y-o-y growth of 17.78 per cent over the previous year.

### Net worth:

Tangible Net Worth of the Bank (excluding revaluation reserves) improved significantly from ₹7994 crore as at March 31, 2012 to ₹9296 crore as at March 31, 2013.

### Dividend

The Board of Directors of the Bank has proposed a final dividend of ₹6.70 per share (67 per cent), amounting to ₹403.31 crore for the financial year 2012-13 as compared to dividend of ₹3.80 per share (38 per cent) declared during the financial year 2011-12, amounting to ₹228.74 crore. Dividend distribution tax of ₹68.54 crore is payable (previous year ₹37.11 crore).

### Business Growth

The global business of the Bank grew by 18.06 per cent from ₹283558 crore in 2011-12 to ₹334779 crore in 2012-13, whereas, Bank's domestic business rose by 12.63 per cent from ₹258660 crore in 2011-12 to ₹291337 crore in 2012-13.

### Deposit Mobilization

Global deposits of the Bank grew by 17.36 per cent from ₹157941 crore in 2011-12 to ₹185356 crore in 2012-13. Domestic deposits grew by 13.10 per cent from ₹147707 crore in 2011-12 to ₹167055 crore in 2012-13.

### कासा जमाराशियाँ

घरेलू कासा जमाराशियों के अंतर्गत बैंक ने वर्ष 2011-12 के ₹ 46478 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 के दौरान 11.72 प्रतिशत वृद्धि दर्ज़ करते हुए ₹ 51926 करोड़ प्राप्त किए। 31-03-2013 की स्थिति में कुल घरेलू जमाराशि की 31.08 प्रतिशत राशि घरेलू कासा जमाराशि की रही।

### ऋण अभिनियोजन

बैंक का वैश्विक अग्रिम वर्ष 2011-12 के ₹ 125617 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 में 18.95 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 149423 करोड़ दर्ज़ किया गया। घरेलू अग्रिम वर्ष 2011-12 के ₹ 110953 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 में 12.01 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 124282 करोड़ दर्ज़ किया गया। इसी प्रकार, पिछले वर्ष के 79.53 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान वैश्विक ऋण जमा अनुपात 80.61 प्रतिशत रहा।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम वर्ष 2011-12 के ₹ 41383 करोड़ से बढ़कर 2012-13 के दौरान ₹ 46437 करोड़ हो गया जो ए.एन.बी.सी. का 44.62 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 40 प्रतिशत है।

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम वर्ष 2011-12 के ₹ 13585 करोड़ से बढ़कर 2012-13 के दौरान ₹ 16018 करोड़ हो गया जो ए.एन.बी.सी. का 15.39 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 13.50 प्रतिशत है।

एम.एस.एम.ई. अग्रिम, वर्ष 2011-12 के ₹ 14736 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 में 11.48 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 16428 करोड़ दर्ज़ किया गया।

### लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ वर्ष 2011-12 के ₹ 3346.79 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 में 3.07 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 3449.58 करोड़ दर्ज़ किया गया है।

बैंक का निवल लाभ वर्ष 2011-12 के ₹ 1313.39 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 के दौरान 52.61 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 2004.42 करोड़ दर्ज़ किया गया है।

### कर्मचारी उत्पादकता

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी कारोबार ₹10.74 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹12.57 करोड़ दर्ज़ किया गया। प्रति कर्मचारी लाभ भी 31 मार्च, 2012 के ₹5.29 लाख से बढ़कर 31 मार्च, 2013 में ₹8.11 लाख दर्ज़ किया गया।

### आय एवं व्यय

बैंक की कुल आय वर्ष 2011-12 के ₹16344.23 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 के दौरान 11.94 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 18295.04 करोड़ दर्ज़ की गई।

बैंक की ब्याजी आय वर्ष 2011-12 के ₹ 15268.35 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 के दौरान 12.13 प्रतिशत की वृद्धि सहित ₹ 17120.68 करोड़ दर्ज़ की गई।

बैंक की गैर-ब्याजी आय वर्ष 2011-12 के ₹ 1075.88 करोड़ से बढ़कर

### CASA Deposits

Domestic CASA deposits of the Bank increased from ₹46478 crore in 2011-12 to ₹51926 crore in 2012-13, registering a growth of 11.72 per cent. Percentage of domestic CASA to domestic deposits stood at 31.08 per cent as at 31.03.2013.

### Credit Deployment

The Bank's global advances rose to ₹149423 crore in 2012-13 from ₹125617 crore in 2011-12 registering a growth of 18.95 per cent. Domestic advances grew by 12.01 per cent from ₹110953 crore in 2011-12 to ₹124282 crore in 2012-13. The global credit deposit ratio stood at 80.61 per cent in 2012-13 as compared to 79.53 per cent of the last year.

Priority Sector Advances increased from ₹41383 crore in 2011-12 to ₹46437 crore in 2012-13 forming 44.62 per cent of ANBC as against mandatory level of 40 per cent.

Direct Agriculture Advances increased from ₹13585 crore in 2011-12 to ₹16018 crore in 2012-13 forming 15.39 per cent of ANBC as against mandatory level of 13.50 Per cent.

MSME Advances increased from ₹14736 crore in 2011-12 to ₹16428 crore in 2012-13 registering a growth of 11.48 per cent.

### Profitability

The Bank has registered an increase of 3.07 per cent in Operating profit from ₹3346.79 crore in 2011-12 to ₹3449.58 crore in 2012-13.

Net profit of the Bank rose by 52.61 per cent from ₹1313.39 crore in 2011-12 to ₹2004.42 crore in 2012-13.

### Employees' Productivity

Business per employee of the Bank improved from ₹10.74 crore as at March 31, 2012 to ₹12.57 crore as at March 31, 2013. Profit per employee also improved from ₹5.29 lakh as at March 31, 2012 to ₹8.11lakh as at March 31, 2013.

### Income & Expenditure

The Bank's total income rose by 11.94 per cent from ₹16344.23 crore in 2011-12 to ₹18295.04 crore in 2012-13.

The Bank's interest income rose by 12.13 per cent from ₹15268.35 crore in 2011-12 to ₹17120.68 crore in 2012-13.

The non-interest income of the Bank improved by 9.15

वर्ष 2012-13 के दौरान 9.15 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 1174.36 करोड़ हो गई।

बैंक द्वारा दिया गया ब्याज 31.03.2012 के ₹ 10183.32 करोड़ से 14.57 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर 31.03.2013 को ₹ 11666.63 करोड़ हो गया।

बैंक का परिचालन व्यय 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के ₹ 2814.12 करोड़ की तुलना में 12.96 प्रतिशत की वृद्धि सहित 31.03.2013 को ₹ 3178.83 करोड़ हो गया है।

**महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात**

क) आस्तियों पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ है जो वर्ष 2011-12 के 0.81 प्रतिशत के स्थान पर 2012-13 को 1.07 प्रतिशत हो गया है।

ख) बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एन आई एम) वर्ष 2011-12 के 3.43 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012-13 में 3.19 प्रतिशत हो गया है।

ग) अग्रिमों पर अर्जन वर्ष 2011-12 के 10.98 प्रतिशत के स्थान पर वर्ष 2012-13 में 10.51 प्रतिशत हो गया है।

घ) बैंक की जमाराशियों की लागत वर्ष 2011-12 के 6.74 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012-13 को 6.83 प्रतिशत हो गई है।

ङ) बैंक का प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस) 31 मार्च 2012 के ₹ 22.89 से बढ़कर 31 मार्च 2013 की स्थिति में ₹ 33.30 हो गया है।

च) बैंक का प्रतिशेयर बही मूल्य 31 मार्च 2012 के ₹ 150.13 से सुधरकर 31 मार्च 2013 को ₹ 175.12 हो गया है।

छ) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ वर्ष 2011-12 के 0.96 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 के दौरान 0.76 प्रतिशत हो गई हैं।

ज) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक अस्तियों में कमी हुई है जो 2011-12 के 2.53 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में घटकर 1.99 प्रतिशत हो गई है।

झ) बैंक का अनर्जक आस्ति प्रोविजन कवरेज अनुपात 31 मार्च 2012 के 80.06 प्रतिशत से सुधरकर 31 मार्च 2013 को 83.41 प्रतिशत हो गया है।

ञ) बासेल II के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी आर ए आर) वर्ष 2011-12 के 12.24 प्रतिशत से सुधरकर 2012-13 में 12.59 प्रतिशत हो गया है।

ट) ईक्विटी शेयरों पर लाभांश में वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष के 38 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर चालू वर्ष में 67 प्रतिशत हो गया है।

## खुदरा उधार

खुदरा उधार बैंक का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। बाजार की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने रणनीतियों में फेर-बदल करके उत्पादों के स्वरूप को परिवर्तित किया है, बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियमित आधार पर इन्हें कस्टमाइज किया जाता है ताकि पोर्टफोलियों में निरंतर आधार पर अभिवृद्धि होती रहे। चार पहिया वाहनों वाले वाहन ऋण के खंड

per cent from ₹1075.88 crore in 2011-12 to ₹1174.36 crore in 2012-13.

The Interest expenditure of the Bank increased by 14.57 per cent from ₹10183.32 crore as at 31.03.2012 to ₹11666.63 crore as at 31.03.2013.

Operating expenditure of the Bank increased by 12.96 per cent from ₹2814.12 crore as at 31.03.2012 to ₹3178.83 crore as at 31.03.2013.

**Important Financial Ratios**

a. The Return on Assets improved from 0.81 per cent in 2011-12 to 1.07 per cent in 2012-13.

b. The Bank's Net Interest Margin (NIM) stood at 3.19 per cent in 2012-13 as compared to 3.43 per cent in 2011-12.

c. The yield on advances of the Bank stood at 10.51 per cent in 2012-13 as compared to 10.98 per cent in 2011-12.

d. The cost of deposits of the Bank stood at 6.83 per cent in 2012-13 as compared to 6.74 per cent in 2011-12.

e. The Earning per share (EPS) of the Bank improved from ₹22.89 as at March 31, 2012 to ₹33.30 as at March 31, 2013.

f. The Book Value per share of the Bank improved from ₹150.13 as at March 31, 2012 to ₹175.12 as at March 31, 2013.

g. Net NPA percentage to net advances declined from 0.96 per cent in 2011-12 to 0.76 per cent in 2012-13.

h. Gross NPA percentage to Gross Advances declined from 2.53 per cent in 2011-12 to 1.99 per cent in 2012-13.

i. NPA provision coverage ratio of the Bank improved from 80.06 per cent as at March 31, 2012 to 83.41 per cent as at March 31, 2013.

j. The Capital Adequacy Ratio (CRAR) of the Bank, as per Basel II improved from 12.24 per cent in 2011-12 to 12.59 per cent in 2012-13.

k. Dividend on equity shares is increased from 38 per cent of previous year to 67 per cent in current year.

## RETAIL LENDING

Retail lending continues to be the thrust area of the Bank. Keeping in view the market trends, the Bank has redesigned strategies and repositioned products, customizing at periodical intervals according to the changing market requirements thus enabling continuity in the growth of the portfolio. Establishing tie-ups with car/ vehicle manufacturers is one of the strategies adopted

में वृद्धि करने के उद्देश्य से कार विनिर्माताओं के साथ गठजोड़ करने की रणनीति अपनाई गई है।

बैंक ने आवास ऋण, वाहन ऋण और सिंड स्वर्ण योजनाओं के तहत त्यौहार पेशकश योजनाओं की शुरुआत की ताकि इस पोर्टफोलियों में भरपूर कारोबार हो। इस श्रेणी के अंतर्गत ब्याज दरों को घटाया गया और कई लाभ जोड़े गए ताकि इस पोर्टफोलियों के अंतर्गत अग्रिमों में वृद्धि हो। सिंड निवास, सिंडविद्या, सिंड सुपर विद्या, सिंड स्वर्ण, सिंड वाहन, सिंड रेन्ट, सिंडनिवास प्लस और सिंड सरल जैसे चयनित ब्रांडों में गुणवत्तापूर्वक अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में विकास करने हेतु बाजारोन्मुख रणनीति अपनाई गई।

**सिंड निवास: (आवास ऋण योजना)**

सिंड निवास योजना की ब्याज दर को कम करके उसे अधिक आकर्षक बनाया गया है और उसकी अधिकतम चुकौती अवधि को बढाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। ₹ 75.00 लाख तक पहले ब्याज ब्रेकेट पर प्रभार मूल आधार दर पर होगा। ₹ 20.00 लाख और उससे अधिक रकम के ऋणों तथा ₹ 20.00 लाख से कम राशि के ऋणों के लिए आस्ति के मूल्य तक ऋण को बढ़ाकर क्रमश: 80% और 90% कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अधिक कारोबार जुटाने के लिए त्यौहार के अवसर पर विशेष छूट योजना बनाई गई और लागू की गयी।

ऋण की अवधि के दौरान उधारकर्ता का जीवन बीमा करवाने के लिए बैंक ने एक ऐच्छिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है। सी पी सी के निष्पादन को बढाने के लिए सी पी सी में विपणन अधिकारियों, विधि अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दि. 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार आवास ऋण के अंतर्गत कुल बकाया अग्रिम ₹ 13080.15 करोड़ हो गया है।

**सिंड विद्या:**

राजकोषीय वर्ष 2012-13 के दौरान शिक्षा ऋण संविभाग में वृद्धि हुई है जो 31 मार्च 2012 के ₹ 2269.76 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2013 की स्थिति में 11.81 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 2537.75 करोड़ दर्ज किया गया।

I. योजना के अंतर्गत विशेष छूट :

   1. अ.जा/अ.ज.जा की श्रेणी में आनेवाले सभी विद्यार्थी लागू ब्याज दर से 0.50% की रियायत के लिए पात्र हैं।

   2. सभी छात्राएं लागू ब्याज दर से 0.50% की छूट के लिए पात्र हैं।

   3. इसके अतिरिक्त, अ.जा/अ.ज.जा श्रेणी के अंतर्गत आनेवाली छात्राएं उपर्युक्त ब्याज दरों से 0.25% की अतिरिक्त छूट के लिए पात्र हैं। (कुल रियायत 0.75%)

II. यदि अध्ययन और अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज नियमित रूप से अदा किया जाता है, तो ऐसे ऋणों पर 1% ब्याज रियायत दी जाएगी।

for accelerating the vehicle loans under the four-wheeler segment.

Bank has introduced Festival Offer Schemes under Housing Loans portfolio, tied up with reputed car manufacturers for Vehicle Loans, and SyndSwarna to garner substantial business under these segments. Interest rates were slashed along with waiver of processing charges to boost advances under these categories. To achieve qualitative growth under select branded products viz., SyndNivas, SyndVidya, SyndSuperVidya, SyndSwarna, SyndVahan, SyndRent, SyndNivas Plus and SyndSaral, Bank has adopted a focused lending approach coupled with rich marketing strategies.

**SyndNivas: (Housing Loan Scheme)**

SyndNivas scheme is made more attractive with reduction of rate of interest and enhancing the maximum repayment period upto 30 years, the first interest bracket upto ₹75.00 lakh is charged at base rate. Loan to value of asset is enhanced to 80% and 90% respectively for loans of ₹20.00 lacs and above, and below ₹20.00 lacs. In order to garner more business special Festival Offer Schemes were introduced.

The Bank has introduced an optional insurance scheme for Housing loan borrowers for covering the life of borrower during the loan period. Steps are also initiated for posting of Marketing officers, Law Officers in CPCs to speed up sanction and boost the performance of CPCs. Outstanding advances under Housing loans stood at ₹13080.15 crore as at 31st March 2013.

**SyndVidya:**

During the fiscal year 2012-13, Education loan portfolio witnessed increase from ₹2269.76 crore as at 31st March 2012 to ₹2537.75 crore as at 31st March 2013 registering growth of 11.81%

I. Special Concessions under the Scheme:

   1. All students belonging to SC/ST category are eligible for concession of 0.50% on the applicable rates on interest.

   2. All girl students are eligible for concession of 0.50% on the applicable rates of interest.

   3. Additionally, girl students under SC/ST category are eligible for a further concession of 0.25% on the above rates (Total Concession of 0.75%).

II. If Interest during the study and moratorium period is serviced regularly, 1% interest concession shall be extended for such loans.

**सिंडसुपर विद्या:**

यह उन छात्रों के लिए बनाई गई एक विशेष शिक्षा ऋण योजना है जो मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध संस्थानों में तकनीकी, प्रबंधन और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। यह मानक शिक्षा ऋण योजना के दायरे से बाहर है जिसका उद्देश्य, आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.आई.टी. जैसी विशेष प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं में उच्च शिक्षा तथा विदेश में यू.एस.ए., यूके, ऑस्ट्रेलिया, केनाडा, न्यूजीलैण्ड, सिंगापुर और जर्मनी के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कोर्स अर्थात् एम.सी.ए., एम.बी.ए., एम.एस., डॉक्टरेट, डी.एम. आदि को बढ़ावा देना है। ऋण की अधिकतम राशि ₹ 20.00 लाख है जिसकी चुकौती अवधि मानक शिक्षा ऋण नीति के अनुसार है। माता-पिता की गारंटी के अलावा अन्य कोई संपार्श्विक गारंटी नहीं ली जाती। ब्याज दर कम है जो आधार दर+0.50% है। ऋण अवधि के दौरान उधारकर्ता के जीवन सुरक्षा हेतु बैंक ने एक वैकल्पिक बीमा योजना की भी शुरुआत की है।

**सिंड वाहन:**

इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों को दुपहिए/चार पहिए वाले वाहनों की खरीद हेतु वित्त प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत ऑन-रोड-मूल्य पर 95% तक वित्त प्रदान किया जाता है और चुकौती अवधि 48/84 महीने है। विभिन्न आटो उत्पादकों के साथ की गई गठजोड़ व्यवस्था से बैंक को पर्याप्त लाभ हुआ है। दिनांक 31-03-2013 को समाप्त वर्ष के दौरान इसमें 14.63% की वृद्धि दर्ज की गई तथा वर्षांत तक इसकी कुल बकाया राशि ₹ 1176.45 करोड़ थी। आकर्षक शर्तों/रियायतों के साथ विशेष त्यौहार पेशकश दि. 15-09-2012 से कार्यान्वित किया गया और इसे 31-03-2013 तक बढ़ाया गया।

**सिंडस्वर्ण एक्सप्रेस (स्वर्ण ऋण योजना):**

उपभोग/अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए आभूषण की गिरवी पर दिए जानेवाले ऋण सिंडस्वर्ण एक्सप्रेस ऋणों के अंतर्गत आते हैं। सिंडस्वर्ण एक्सप्रेस ऋण के अतंर्गत बकाया राशि 31-03-2013 को ₹ 1473.41 करोड़ तक पहुँच गई है जिसमें वृद्धि की दर 137.53 प्रतिशत रही है जबकि 31-03-2012 को यह रकम ₹ 620.30 करोड़ थी। स्वर्ण ऋण योजना में गति लाने के लिए 109 नए गोल्ड लोन शॉपी खोले गए।

**सिंड रेंट:**

इस योजना के अंतर्गत असली मालिक द्वारा किराये पर दी गई संपत्ति से प्राप्त किराये के प्रति संपत्ति के बंधक पर वित्त प्रदान किया जाता है। इस योजना को पुनर्संशोधित तथा और सरल बनाया गया ताकि यह उत्पाद ग्राहक के लिए और लाभकारी हो।

**सिंड मॉर्टगेज:**

इस योजना का उद्देश्य व्यापारियों की अल्पकालिक आवश्यकताओं और उद्योगों तथा व्यक्तियों की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

## राजकोष और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग

राजकोषीय परिचालनों को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है और राजकोष परिचालन के सुदक्ष प्रबंधन हेतु दिनांक 5 दिसंबर, 2012 को फॉरेक्स और घरेलू राजकोष परिचालनों को संघटित किया गया।

**SyndSuper Vidya:**

It is a special education loan scheme for the students pursuing Technical, Management and higher studies in reputed Premier Institutes. This is outside the purview of the model Education loan scheme with a view to encourage higher studies at specified Premier Educational Institutions like IIT, IIMs, NIITs and post graduate courses abroad in reputed Universities of USA, UK, Australia, Canada, Newzealand, Singapore and Germany i.e.,MCA, MBA, MS, Doctorate, DM etc. Maximum amount of loan is ₹20.00 lacs with the repayment period coinciding with the Model Education Loan policy. There is no collateral taken other than the parents guarantee. Rate of Interest is low at Base Rate + 0.50%. The Bank has also introduced an optional insurance scheme to cover life of borrower during the loan period.

**SyndVahan:**

The scheme envisages financing/purchase of 2 wheeler / 4 wheeler vehicles by individuals with finance upto 95% of on-road-price with 48/84 months repayment period. Tie-up arrangements entered into with various auto manufacturers have paid good dividends to the Bank. The portfolio registered a growth of 14.63% during the year ended 31.03.2013 with an outstanding of ₹1176.45 crore at the year end. Special Festival Offer with attractive factors/concessions are implemented from 15.09.2012 and extended upto 31.03.2013.

**SyndSwarna Express (Gold Loan Scheme):**

Loans granted against pledge of jewellery for consumption /other personal needs are covered under SyndSwarna Express. Outstanding balance under SyndSwarna Express loans has reached ₹1473.41 crore as at 31.03.2013 as against ₹620.30 crore as at 31.03.2012, registering an increase of 137.53 per cent. 109 Gold Loan Shoppes are also opened to give gold loans faster.

**SyndRent:**

This is a scheme for financing against rent receivables from properties let out by owners against mortgage of property. The scheme was revisited and liberalized further to make the product more customer-friendly.

**SyndMortgage:**

The scheme is meant for meeting the short term needs of traders and short term needs of industry and personal needs of individuals.

## TREASURY & INTERNATIONAL BANKING DEPARTMENT

Due importance has been given for treasury operations and efficient management of Treasury functions has integrated Forex and Domestic Treasury operations on 5th December, 2012.

**फॉरेक्स राजकोष**

राजकोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग हमारे बैंक का 'ए' श्रेणी का कार्यालय है जो विदेशी विनिमय स्थिति, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खातों का रख-रखाव करता है। इसके अलावा, राजकोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग हमारी लंदन शाखा के विदेशी मुद्रा कारोबार, समुद्रपारीय कारोबार तथा राजकोष परिचालनों के विकास और अनुवर्ती कार्रवाई की भी निगरानी करता है।

स्पर्धात्मक दर प्रदान करने, हमारी सेवाओं के विपणन के लिए, ग्राहक संबंधों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए और नामोद्दिष्ट शाखाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राजकोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग, मुंबई में स्थित बैंक के केंद्रीकृत डीलिंग रूम को नई दिल्ली में स्थित एक लिंक डीलिंग केंद्र से समर्थन प्रदान किया गया है।

ओवरसीज़ काउंटरपार्टी बैंकों के साथ स्टेट-ऑफ-द-आर्ट वेब प्लेटफार्म का प्रयोग करके वेब आधारित व्यापार करनेवालों में हमारा बैंक प्रथम है। बैंक की 87 नामोद्दिष्ट शाखाएं (श्रेणी बी) हैं, जो संपूर्ण विदेशी विनिमय व्यवहारों को संभालती हैं और 376 नामोद्दिष्ट शाखाएं हैं जो बैंक के एफ सी एन आर कारोबार को संभालती हैं। बैंक की सभी शाखाओं में एन आर ई/एन आर ओ जमाराशियां स्वीकार की जाती हैं।

अंतर-बैंक विदेशी विनिमय लेन-देन का भुगतान यू.एस.डी/आई.एन.आर. में करने के लिए क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी.सी.आई. एल.) का हमारा बैंक सदस्य है। फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट संबंधी अंतर-बैंक यू.एस.डी/आइ.एन.आर. संबंधी व्यापार सेगमेंट के लिए बैंक उन बैंकों में से पहला बैंक है, जो सी.सी.आई.एल. के द्वारा विभिन्न मुद्राओं में लेन-देन हेतु निरंतर संपर्क निपटान (सी.एल.एस.) के साथ कार्य करते हैं। ये दोनों पहल भुगतान जोखिम के मामले से संबंध रखते हैं और भुगतान प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाते हैं। बैंक द्वारा केवल बिलकुल सादा व्युत्पन्न प्रदान किए जाते हैं और कोई जटिल व्युत्पन्न उत्पाद प्रदान नहीं किए जाते हैं। मौजूदा किसी भी व्युत्पन्न कारोबार के संबंध में बैंक के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है।

बैंक द्वारा इंटिग्रेटेड ट्रेज़री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे सीधी प्रक्रिया द्वारा बैंक के घरेलू एवं फॉरेक्स राजकोष, खातों का मिलान, निपटान और कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया जाएगा और शाखाओं से संपर्क हो सकेगा।

मुद्रा-वायदे का व्यापार करने के लिए बैंक तीन विनिमय कंपनियों अर्थात्, एम सी एक्स-एस एक्स, एन एस ई और यू एस ई का व्यापार - सह-समाशोधन सदस्य बन गया है।

बैंक का कुल फॉरेक्स टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 493406.78 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष के लिए ₹ 642,372.84 करोड़ रहा। बैंक का अंतर-बैंक टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 443009.75 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 5966 95.40 करोड़ रहा।

**घरेलू राजकोष**

संतुलित बाज़ार का लाभ उठाते हुए, बैंक ने अपने व्यापार डेस्क को सक्रिय बनाया और ईक्विटी तथा ऋण मार्केट दोनों में कारोबारी लाभ दर्ज किया। बैंक ने गुणवत्तापूर्ण तथा निर्धारित कॉरपोरेट बॉंड और डिबेंचरों, वाणिज्यिक

**Forex Treasury**

T&IBD is the 'A' Category Office in our Bank which maintains Foreign Exchange Position, Nostro and Vostro Accounts. Besides, T&IBD also monitors development and follow up of Foreign Exchange Business, Overseas Business and Treasury Operations of our London Branch.

The Bank's centralized dealing room at T&IBD, Mumbai is supported by one Link Dealing centre at New Delhi to offer competitive rates, to market our services, to develop and maintain customer relationships, and to guide designated branches.

The Bank is one of the first to undertake Web-based trading with Overseas counter party Banks by using state-of-the-art Web platforms. The Bank is having 87 designated Branches (Category B) to handle full-fledged FX transactions and 376 nominated branches to handle the FCNR business of the Bank. NRE/NRO deposits are accepted at all branches of the Bank.

The Bank is a member of Clearing Corporation of India Ltd., (CCIL) for settlement of Inter- Bank Forex Deals in USD/INR & for settlement of Inter-Bank USD/INR deals in the Forex Forward Segment. Further, the Bank is one of the first Banks to participate in Continuous Linked Settlement (CLS) for Cross Currency Deals by CCIL. Both the initiatives address the issue of settlement risk and improve the efficiency of settlement process. The Bank is offering only plain vanilla derivatives and no complex derivative products are offered by the Bank. There is no litigation against the Bank in respect of existing derivative transactions.

The Bank is implementing an Integrated Treasury Management Software which will integrate the Domestic and Forex Treasury, Reconciliation, Settlement and Core Banking platform of the Bank with Straight-through-Process and access to the branches.

The Bank has become Trading-cum-Clearing Member on three exchanges, i.e., MCX-SX, NSE and USE for undertaking trading in Currency Futures.

The total Forex Turnover of the Bank was ₹642372.84 crore for the current financial year, as compared to ₹493406.78 crore for the previous financial year. The Inter-Bank turnover of the Bank was ₹596695.40 crore for the current financial year as compared to ₹ 443009.75 crore for the previous financial year.

**Domestic Treasury**

Taking advantage of the robust market, the Bank activated its trading desk and booked trading profits in both equity and debt market. The bank has also strengthened the

पत्रों, सीडी में निवेश करके गैर-एस एल आर निवेश को भी बढ़ावा दिया है, जिससे निवेश संविभाग की आय में सुधार हुआ है।

बैंक ने, सी बी एल ओ, रेपो और कॉल जैसे विंडोज़ का प्रभावी प्रयोग करने के द्वारा अंतरपणन व्यवहार से भी आय कमाया है। बैंक ने बाज़ार स्थिति और दर पर निर्भर होते हुए, उधार देते और लेते समय, निधि प्रवाह और चलनिधि स्थिति की निरंतर निगरानी करते हुए, इन मुद्रा बाज़ार के जरिए निधियों का अत्यंत दक्षतापूर्वक प्रबंधन किया है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने पूंजी को बढ़ाने, कारोबारी आस्तियों/ऋण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए गौण न्यूनतर टियर II बांडों के लिए ₹ 1000/- करोड़ का उधार लेने में सफलता प्राप्त की है। आगे चलकर, पूंजी में हुई यह वृद्धि बासेल III अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

बैंक का घरेलू निवेश दि. 31-03-2012 के ₹ 40641.46 करोड़ की तुलना में 31-03-2013 को ₹ 45574.21 करोड़ हो गया। निवेश संविभाग से प्राप्त कुल आय (लाभांश और व्यापार लाभ को छोड़कर) वर्ष 2011-12 के ₹ 2782.14 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 को ₹ 3275.43 करोड़ हो गई। एस एल आर प्रतिभूतियों पर बैंक का निवेश ₹ 40185.17 करोड़ हो गया है जो 31-03-2013 को बैंक के कुल निवेशों का 88.16% बनता है।

**निर्यात वित्त**

बैंक द्वारा निर्यात क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु कई उपाय अपनाए गए। सिंड एक्सपोर्ट गोल्ड कार्ड योजना के तहत पात्र निर्यातकों को रियायती और अधिमान्यता शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है और इसके दायरे को और बढ़ाया गया है ताकि और अधिक निर्यातकों को इसमें शामिल किया जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर अत्यंत स्पर्धात्मक ब्याज दरों पर रुपया निर्यात ऋण प्रदान किया गया है। बैंक ने कुछ निर्धारित क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार ब्याज अनुदान योजना उपलब्ध कराके रियायती ब्याज दर का लाभ प्रदान किया है।

**विनिमय कंपनियाँ**

बैंक द्वारा निम्नलिखित दो विनिमय गृहों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया जाता है - मेसर्स नेशनल एक्सचेंज कंपनी, डब्ल्यू.एल.एल., दोहा, कतार और मेसर्स मुसंडम एक्सचेंज, सल्तनत ऑफ ओमॉन। खाड़ी से भारत को बेहतर एवं किफायती निधि अंतरण हेतु बैंक ने अन्य 8 विनिमय गृहों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था कायम की है।

**केंद्रीकृत एनआरआई कक्ष**

हमारे बैंक के एन आर ई संविभाग को विस्तृत करने की दृष्टि से, राजकोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2012 से केंद्रीकृत एन आर आई कक्ष की स्थापना की गई है ताकि दो विनिमय गृहों, यथा, मुसंडम एक्सचेंज और नेशनल एक्सचेंज कंपनी द्वारा एकत्रित किए जानेवाले एन आर ई खातों को तत्काल खोला जा सके। राजकोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग शाखा की तरफ से खाता खोलता है और ग्राहकों को देने हेतु चेकबुक,

non SLR investments by investing in qualitative and rated corporate bonds and debentures, commercial paper, CDs etc, resulting in improved yields on investment portfolio.

The bank has also earned from arbitrage deals, by effectively making use of windows like CBLO, Repo & Call. The bank has managed funds very efficiently by these money market avenues, monitoring continuously the fund flows and the liquidity position, while lending and borrowing, depending on the market conditions and rates.

During the year, the Bank successfully raised ₹1000 crore of subordinated lower tier II bonds to boost capital and pave the way for growth of business assets / credit. Going forward, the capital raised will augment Basel III requirements.

The domestic investments of the bank were at ₹45574.21 crore as on 31.03.2013 as against ₹40641.46 crore as on 31.03.2012. Total income from investment portfolio (excluding dividend & trading profits) was ₹3275.43 crore in the year 2012-13 as against ₹2782.14 crore in the year 2011-12. Bank's investment in SLR securities amounted to ₹40185.17crore, which formed 88.16 % of Bank's aggregate investments as on 31.03.2013. Trading profits for the year was ₹121.31 crore.

**Export Finance**

The Bank has initiated various measures to increase the flow of credit to export sector. The coverage under the SyndExport Gold Card Scheme, a unique scheme for eligible exporters offering concessional and preferential terms, was broadened to include more number of exporters. Rupee export credit was offered at very competitive interest rates within the ceiling prescribed by RBI. The Interest Subvention Scheme, as designed by Reserve Bank of India, has been made available by the Bank to its customers in certain specified sectors, thus passing on the benefits of concessional interest.

**Exchange Companies**

The Bank is successfully managing two Exchange Houses viz., M/s. National Exchange Co., WLL, Doha, Qatar and M/s. Musandam Exchange, Sultanate of Oman. The Bank is also having fruitful Rupee Drawing Arrangements with other 8 Exchange Houses for improved and cost-effective funds transfer to India from Gulf countries.

**Centralised NRI Cell**

With a view to increasing the NRE Portfolio of our Bank, T&IBD has opened the Centralized NRI Cell w.e.f 26th Dec 2012 to enable prompt opening of NRE Accounts canvassed by the 2 Exchange Houses of our Bank, namely, Musandam Exchange and National Exchange Co. T&IBD is opening the account on behalf of the Branch and is dispatching

ए टी एम कार्ड और इंटरनेट आईडी युक्त एन आर ई किट सीधे विनिमय गृहों को प्रेषित करता है।

**समुद्रपारीय परिचालन**

बैंक की समुद्रपारीय उपस्थिति युनाइटेड किंगडम के लंदन में है। यह राजकोष और विदेशी विनिमय डीलिंग परिचालनों के अलावा मुद्रा बाज़ार परिचालनों, निवेशों में सक्रिय है। इस शाखा ने अक्तूबर 2012 के दौरान स्पर्धात्मक दर पर यू एस डी 500 मिलियन की अतिरिक्त एम टी एन निधि के मामले में उधार लेकर अपने दीर्घावधि संसाधनों को और बढ़ाया है। यह शाखा द्विपक्षीय ऋण के अलावा, भारतीय सिंडिकेशनों और ई सी बी पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके साथ, वे भारतीय कार्पोरेट शामिल हैं जो वैश्विक बन रहे हैं, इससे शाखा को कारोबार के नए आयाम मिले हैं। शाखा के पास एक मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली है । शाखा का निरीक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक ने किया है।

शाखा का कुल कारोबार 31 मार्च 2013 को जी बी पी 6188.562 मिलियन (₹43442 करोड़) रहा है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह जी बी पी 3697.586 मिलियन (₹24898 करोड़)था।

**आस्ति गुणवत्ता और अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन**

बैंक ने अनर्जक आस्तियों (एन.पी.ए.) के प्रबंधन को सबसे अधिक महत्व दिया है। अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई और अनर्जक आस्तियों के स्तर को मार्च 2012 के स्तर से कम से कम 15% कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, अनर्जक आस्तियों की नकद वसूली और वर्तमान अनर्जक आस्तियों के स्तरोन्नयन को महत्व दिया गया।

बैंक की वसूली नीति का लक्ष्य समग्र अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन पर केंद्रित है और यह क्षेत्र कार्यकर्ताओं को किसी भी श्रेणी की अनर्जक आस्ति खातों का समाधान करने में मदद करती है।

बैंक ने कृषि ट्रैक्टर ऋणों, संदिग्ध और हानि आस्ति ऋणों के अंतर्गत मार्च 2012 तक ₹ 2,00,000/- एवं उससे कम बही शेषवाले छोटे एन.पी.ए. खातों के अंतर्गत पात्र किसानों और माइक्रो और लघु उधार श्रेणी के अधीन आनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने हेतु विशेष ओ.टी.एस. योजना की शुरूआत की। वर्ष 2012-13 के दौरान अधिकांश एन.पी.ए. किसानों के लाभ के लिए किसानों के सिंड जयकिसान एन.पी.ए. ऋणों को निपटाने हेतु एक विशेष ओ.टी.एस. योजना की शुरूआत की गई।

बैंक ने, वर्ष के दौरान ''मिलना, बात करना, निपटान करना'' दृष्टिकोण को अपनाते हुए शाखाओं में आयोजित ''सिंड अदालतों'' में देय राशियों का निपटान करके बड़ी मात्रा में छोटे-छोटे एन.पी.ए. खातों को कम किया। चार बृहत सिंड अदालतों क्षेत्रीय/क्लस्टर स्तर पर दिनांक 25-09-2012 , 27-11-2012, 12-02-2013 और 11 से 16 मार्च 2013 को आयोजित किए गए और 46561 ओटीएस मामले निपटाए गए और ₹ 139.47 करोड़ की वसूली हुई और पेशकश रकम ₹ 535.44 करोड़ थी।

the NRE kit containing cheque book, ATM card and Internet IDs etc directly to the Exchange Houses for delivery to the customer.

**Overseas Operations**

Bank's overseas presence is in United Kingdom at London. The Branch is active in money market operations, Investments, besides Treasury and Forex dealing operations. The branch has further augmented its long-term resources by raising additional MTN funds of USD 500 Million during October 2012 at a competitive price. The Branch focuses on syndications and ECBs, besides bilateral loans. With Indian Corporates going global, branch finds new opportunities of business. The branch has robust risk-management system. The branch has been inspected by Reserve Bank of India.

The total business of the branch stands at GBP 6188.562 Million (₹43442 crore) as at 31st March 2013 as against GBP 3697.586 Million(₹24898 crore) as at the corresponding period of previous year.

**ASSET QUALITY & MANAGEMENT OF NPAS**

The Bank accorded top most priority to management of Non Performing Assets (NPAs). NPA level management was given priority with focus on reducing NPA level at least by 15% in absolute terms over March 2012 level, maximizing cash recovery of NPAs and upgrading the existing NPAs.

Bank's Recovery Policy is oriented towards addressing the entire gamut of NPA management and enables the field functionaries in resolving any category of non-performing accounts.

Bank has introduced/extended special OTS schemes for considering proposals of farmers eligible under Agricultural Tractor loans, small NPA accounts under doubtful and loss assets category with book balance of ₹ 2,00,000/- & below as at March 2012 and of Micro and Small Enterprises borrowers. A special OTS scheme for settling Synd Jaikisan NPA loans of Farmers was introduced during 2012-13 for the benefit of majority of NPA farmers.

Bank continued to reduce large number of smaller NPA accounts by settling the dues at "Synd Adalats" at all branches throughout the year by meet, talk and settle approach. Four Bruhat Synd Adalat were conducted at regional/cluster level on 25.09.2012, 27.11.2012, 12.02.2013 & 11th to 16th March 2013 and 46561 OTS cases were settled, by recovering a sum of ₹139.47 crore with an offer amount of ₹535.44 crore.

बैंक ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन नोटिस जारी करके और संपत्तियों की जब्ती/नीलामी करवाकर वर्ष 2012-13 के दौरान ₹531.88 करोड़ की राशि वसूल की है। अधिक से अधिक प्रवर्तन एजेंसियों तथा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं को सूची में शामिल करके शाखा स्तर के प्रयासों को समर्थन दिया गया।

वसूली को बढ़ाने हेतु दिनांक 4 जुलाई, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक ''सिंड वसूली अभियान-2013'' नामक विशेष गहन एन.पी.ए. वसूली अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान बैंक ने अहमदाबाद, एरणाकुलम, लखनऊ, पटना, पुणे एवं विशाखपट्टनम में 6 नई आस्ति वसूली प्रबंधन शाखाओं को खोला ताकि डी आर टी मामलों और मुकदमा दायर किए गए खातों पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखी जा सके। ओ टी एस प्रस्तावों के मामले में तुरंत निर्णय लिया जाना सुनिश्चित किया गया।

प्रत्येक क्षेत्र के बड़े एन.पी.ए. की पहचान करके वर्ष की शुरुआत से ही उन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया गया और बहुत अधिक खातों का सफलतापूर्वक समाधान मार्च 2013 से पहले ही कर लिया गया। ₹ 10.00 लाख से कम राशिवाली अत्यधिक विशेष/निगरानी आस्ति/अनर्जक खातोंवाली शाखाओं की सहायता करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर स्थापित नवीन स्ट्रेस्ड टाइनी असेट रिकवरी टीम (स्टार्ट) ने इस संबंध में जोरदार सफलता हासिल की है।

अनर्जक आस्तियों के अंतर्गत ₹ 1440.54 करोड़ की राशि वसूल की गई है जिसमें मूलधन के प्रति ₹ 940.14 करोड़ की वसूली और अप्रभारित ब्याज के प्रति ₹ 497.62 करोड़ है।

### मिड कॉरपोरेट विभाग

मिड कॉरपोरेट्स की बैंकिंग अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु, चुनी गई शाखाओं को मिड कॉरपोरेट शाखाओं के रूप में नामित करने के अलावा बैंक ने कॉरपोरेट कार्यालय/क्षे.का. में एक पृथक शीर्ष की स्थापना करने की आवश्यकता को महसूस किया। यह निर्णय लिया गया कि हमारे बैंक से ₹ 5.00 करोड़ से ₹ 75.00 करोड़ तक की ऋण सीमा उपलब्ध करने वाले उधारकर्ताओं (एन.बी.एफ.सी., इन्फ्रास्ट्रक्चर, सी.आर.ई., एम.एफ.आई. श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले उधारकर्ताओं को छोड़कर) को मिड कॉरपोरेट्स के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाए। इस के लिए कॉरपोरेट कार्यालय में एक पृथक मिड कॉरपोरेट विभाग की स्थापना की गई जिसके प्रमुख महा प्रबंधक हैं।

### ऋण अनुमोदन समिति

बैंक ने ऋण प्रस्तावों तथा ऋण समझौता/बट्टे खाते के समझौते के लिए ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है जहाँ रकम क्रमश: ₹ 250 करोड़ और जहाँ कुल घाटे की रकम ₹ 250 लाख से अधिक नहीं है। कॉरपोरेट कार्यालय में यह समिति अर्थात् टियर। समिति दिनांक 03-03-2012 से कार्य कर रही है।

Bank was able to register a recovery of ₹531.88 crore during the year 2012-13 by issuing notices and taking possession/auctioning of properties under SARFAESI Act 2002. The efforts at branch level were supplemented by empanelling more enforcement agencies and approved valuers.

Special intensive NPA recovery campaign named "Synd Vasuli Abhiyan -1213" was held successfully from 4th July 2012 to 31st March, 2013 for maximizing recovery.

Bank has opened 6 more Asset Recovery Management Branches during the year at Ahmedabad, Ernakulam, Lucknow, Patna, Pune and Vishakapatnam to vigorously follow-up DRT cases and to monitor and supervise suit filed cases effectively. Quick decision- making was ensured at all levels for OTS proposals.

Top NPAs from each Region were identified for giving focused attention in the beginning of the year itself and many accounts were successfully resolved before March 2013. The novel idea of formation of Stressed Tiny Asset Recovery team (START) at all Regional office level for assisting the branches having high concentration of Special Monitoring Assets / Non Performing accounts of below ₹10.00 lakh has made remarkable success in this regard.

The recovery in NPAs amounted to ₹1440.54 crore which includes ₹940.14 crore recovery towards principal and ₹497.62 crore towards uncharged interest.

### MID CORPORATE DEPARTMENT

In order to give focused attention to the banking requirements of Mid Corporates, a need was felt by the Bank to create a separate vertical at CO/RO besides designating identified branches as Mid Corporate Branches. It was decided that borrowers (other than those under categories of NBFC, infrastructure, CRE, MFIs) enjoying credit limits of over ₹5.00 crore up to ₹75.00 crore from our Bank be categorized as Mid Corporates and department functions under a separate General Manager.

### CREDIT APPROVAL COMMITTEE

Bank has constituted a Credit Approval Committee for considering credit proposals and loan compromise/write off upto ₹ 250 crore and where the total sacrifice does not exceed ₹ 250 lakh, respectively. The committee at the Corporate Office level i.e. Tier I Committee is functioning w.e.f. 03.03.2012.

हमारे निदेशक मंडल ने दिनांक 05-05-2012 को संपन्न अपनी बैठक में कॉरपोरेट कार्यालय/राजकोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग में टियर II तथा टियर III ऋण अनुमोदन समितियों और क्षेत्रीय स्तर की ऋण अनुमोदन समितियों के गठन का अनुमोदन किया है। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु द्वितीय स्तर की क्षेत्रीय ऋण अनुमोदन समिति (आर.एल.सी.ए.सी.- II) का भी गठन किया गया है।

**नया कारोबारी समूह (एन बी जी)**

आस्ति की गुणवत्ता बढाने और ग्राहकों को तत्काल उत्तर प्रदान करने हेतु नए करोबारी समूहों का सृजन किया गया ताकि ₹ 10.00 करोड़ और उससे अधिक राशि के नए प्रस्ताओं को जोखिम, एक्सपोजर एवं कीमत निर्धारण के दृष्टिकोण से जाँचा जा सके।

**विपणन वर्टिकल**

बैंकिंग की मूलभूत गतिविधियों से कीमत-लागत अंतर के दबाव को देखते हुए शुल्क आधारित आय को बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई है जो बैंक की आय को बढ़ाने की दृष्टि से मददगार है। शुल्क आधारित आय को बढ़ाने की दृष्टि से बैंक ने कारपोरेट कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग वर्टिकल के निर्माण के लिए कदम उठाए हैं।

**जोखिम प्रबंधन**

**जोखिम प्रबंधन संरचना**

बैंक में जोखिम प्रबंधन से संबंधित कार्रवाई का प्रमुख दायित्व निदेशक मंडल का है। जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी) मंडल की शीर्ष समिति है जो संगठन की जोखिम प्रवृत्ति का निरूपण करती है। बैंक की मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति को ऋण जोखिम के संबंध में ऋण जोखिम प्रबंधन समिति से (सी.आर.एम.सी.) आस्ति देयता प्रबंधन के संबंध में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ.) से और परिचालनगत जोखिम के संबंध में चलनिधि जोखिम एवं परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) से सहयोग मिलता है।

कारपोरेट कार्यालय का जोखिम प्रबंधन विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों के जोखिम प्रबंधन कक्ष के सहयोग से पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

**बासेल II अनुपालन**

बैंक में बासल II मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के नए ढाँचे से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाते हुए पिलर-I की अपेक्षा के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात की गणना की जाती है।

बैंक ने अपनी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आई सी ए ए पी) की नीति को बाजार की वास्तविकताओं तथा आर्थिक वातावरण और नियंत्रक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया है तथा नियमित आधार पर उसे

Our Board of Directors in their meeting held on 05.05.2012 have approved constitution of Tier II and Tier III Credit Approval Committees at Corporate Office/ T&IBD and Regional Level Credit Approval Committees. In order to make the process smooth, Second Level Regional Credit Approval Committee (RLCAC-II) has also been formed.

**NEW BUSINESS GROUP (NBG)**

In a way to improve asset quality and to give customers quick response, New Business Group was created to screen the new proposals for ₹10 crore and above, from risk, exposure and pricing angle.

**MARKETING VERTICAL**

With the compression of spreads from the core activities of banking, the necessity is felt in augmenting fee based income which acts as cushions for Bank's income. In order to have a focused approach to augment fee based income, Bank has initiated steps for creation of a separate vertical at Corporate Office and Regional Offices to accelerate marketing efforts to augment fee based income.

**RISK MANAGEMENT**

**Risk Management Architecture**

The Board of Directors is primarily responsible for the risk management initiatives in the Bank. Risk Management Committee (RMC) of the Board is the Apex Committee defining institution's risk appetite. The RMC of the Board is ably assisted by Credit Risk Management Committee (CRMC) with respect to Credit Risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) with respect to Asset Liability Management & Liquidity Risk and, Operational Risk Management Committee (ORMC) with respect to Operational Risk.

Risk Management Department at Corporate Office oversees the overall implementation of various risk management initiatives across the Bank, with the assistance of Risk Management Cell (RMC) at Regional Offices.

**Basel II Compliance**

The Bank is Basel II norms compliant. The Capital to Risk Weighted Assets Ratio(CRAR) is computed as per Pillar I requirements adhering to RBI guidelines on new Capital Adequacy framework by adopting Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk.

The Bank has a well articulated Internal Capital Adequacy Assessment Process Policy (ICAAP) which is reviewed

चुस्त-दुरुस्त किया जाता है ताकि वह बाजार की वास्तविकताओं और आर्थिक वातावरण के अनुकूल तथा विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप हो। वास्तविक कार्यपालन परिणामों के आधार पर ऋण योजना की समीक्षा हर तिमाही की जाती है और पिलर-I एवं पिलर-II दोनों जोखिमों का निर्धारण किया जाता है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्ट्रेस टेस्टिंग नीति और प्रकटीकरण नीति को अपनाया है ।

बैंक के पास ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए अच्छी तरह से प्रलेखीकृत नीतियां एवं प्रणालियां हैं और उसकी आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है ताकि वह बदलते कारोबार एवं परिवेश के अनुकूल हो सके।

एक वैज्ञानिक निधि अंतरण कीमत प्रणाली के अलावा बैंक राजकोषीय प्रबंधन समाधान और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समाधान को समेकित करके एक ऐसे सॉफ्टवेयर को अपनाने की दिशा में प्रयत्नशील है जिसके माध्यम से बाजार एवं परिचालन जोखिमों की पहचान, आंकने और कम करने की प्रक्रिया की जाएगी।

**आस्ति देयता प्रबंधन**

उच्च प्रबंधन तंत्र के कार्यपालक आस्ति देयता प्रबंधन के सदस्य हैं और वे तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम अंतर/असंतुलन जोखिम, आधार जोखिम, पुनर्मूल्यन जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम तथा ईक्विटी मूल्य जोखिम आदि के प्रबंधन के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं। इसमें जमा राशियों तथा अग्रिमों की उत्पाद कीमत, साथ ही, आस्तियों एवं देयताओं की अपेक्षित परिपक्वता प्रोफाइल भी शामिल है।

एफ.एस.ए. की चलनिधि व्यवस्था के अंतर्गत हमारी लंदन शाखा के लिए वित्तीय सेवा प्राधिकार, यू के के साथ "होल फर्म मॉडिफिकेशन दृष्टिकोण" के लिए बैंक ने लंदन शाखा तथा पूरे बैंक में चलनिधि की प्रभावी निगरानी हेतु एक व्यवस्था तंत्र को अपनाया है।

बैंक ने किसी भी आकस्मिकता के प्रबंधन के लिए एक अच्छी तरह से प्रलेखित आकस्मिक चलनिधि निधीयन योजना तैयार की है। बैंक वर्ष के दौरान अनुकूलतम नकदी का प्रबंधन करने में सक्षम रहा ।

**बासेल III दिशानिदेश**

किसी भी स्त्रोत से उत्पन्न होनेवाले वित्तीय एव आर्थिक दबावों के आघातों को आत्मसात् करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए बासेल III दिशानिदेशों को लागू किया गया ताकि लीवरेज अनुपात के साथ जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षा को समर्थन मिलें जिसमें ऑन एण्ड ऑफ तुलन-पत्र मदों के लिए पूंजी की अपेक्षा और कॉमन ईक्विटी पूँजी के प्रति ध्यान केंद्रित हो।

वर्तमान वर्ष के दौरान, बैंक ने आंतरिक उपचयों को अत्यधिक मात्रा में बढ़ाते हुए कॉमन ईक्विटी टियर I पूँजी को बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं जिससे बैंक ने अपने सी.ई.टी को 8.20 प्रतिशत तक बढ़ाया है।

periodically, so as to be in line with the market realities, economic environment and regulatory requirement. The Capital Plan is reviewed quarterly based on actual working results and to assess both Pillar I and Pillar II Risks.

The Bank has a Board approved Stress Testing Policy and Disclosure policy.

The Bank has a well documented policy and processes for management of Credit, Market and Operational Risks which are periodically reviewed, so as to adapt to the changing business and market environment.

The Bank is in the process of putting in place software based identification, measurement and mitigation of Market and Operation Risk by way of Integrated Treasury Management Solution and Operational Risk Management Solution, apart from a scientific Funds Transfer Pricing Mechanism.

**Asset Liability Management**

The Asset Liability Management Committee consists of members of the Top Management and regularly meets to manage Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Gaps/Mis-match Risk, Basis Risk, Re-pricing Risk, Forex Risk and Equity Price Risk. It includes product pricing for deposits as well as advances and the desired maturity profile of assets and liabilities.

With the Financial Services Authority, UK approving "Whole Firm Modification" approach for our London Branch under the liquidity regime of FSA, the Bank has put in place a mechanism for effective monitoring of liquidity at London Branch and for the Bank as a whole.

The Bank has a well documented Contingency Liquidity Funding Plan for managing any contingency. The Bank could manage its liquidity during the year efficiently.

**Basel III Guidelines**

Basel III guidelines have been introduced with a view to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source, supplementing the Risk-based capital requirement with a Leverage Ratio which require the capital for all on and off balance sheet items and shifting focus towards Common Equity Capital.

During the current year, Bank has taken various measures constantly for improving the Common Equity Tier 1 Capital by maximizing ploughing back of internal accruals which has enabled the bank to improve its CET to 8.20 per cent.

बैंक, भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित पूंजी अपेक्षा अनुपात के तौर पर सुस्थिति में है। बैंक ने, 01.01.2015 की स्थिति को पूंजी की विनियामक आवश्यकताओं और लीवरेज अनुपातों को बनाए रखने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूंजी प्राप्त करने के साथ-साथ बासेल III के अंतर्गत सी.ई.टी., सी आर ए आर एवं लीवरेज अनुपात में वृद्धि करने के लिए सभी उपाय किए हैं और इसके साथ कारोबार में लक्ष्यानुरूप वृद्धि को भी हासिल किया गया है।

### राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने में बैंक के अनुभव के आधार पर और गत्यात्मक आर्थिक विकास, सरकारी निदेश, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और सामाजिक आर्थिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, खास तौर पर, कृषि के लिए ऋण देने पर विशेष ध्यान दिया गया।

वर्ष के दौरान बैंक ने समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए कई रणनीतियाँ बनाई जिनमें ऋण वृद्धि की सातत्यता, आस्ति गुणवत्ता में सुधार, उच्च अर्जन और वैविध्यपूर्ण ऋण संविभागों का अच्छी तरह से रख-रखाव शामिल है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत विकास को बरकरार रखा है और अपनी स्थिति के समेकन और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। कृषि, एस एम ई, शिक्षा, आवास, सूक्ष्म वित्त और अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।

बड़ी संख्या में प्राप्त होनेवाले ऋण आवेदन पत्रों के त्वरित निपटान एवं ऋण संबंधी निर्णय शीघ्र लेने के उद्देश्य से बैंक ने विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र संविभागों के अंतर्गत भावी ग्राहकों को उनकी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु "आन लाइन रिक्वेस्ट" सुविधा लागू की है। भावी ग्राहक बैंक के वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारित फार्मेट में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदकों को विशिष्ट संदर्भ संख्या सहित प्रणाली आधारित अभिस्वीकृति तत्काल उपलब्ध करायी जाती है ताकि वे अपने आवेदनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें।

### प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹ 46437 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 40 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में निवल बैंक ऋण का 44.62 प्रतिशत बनता है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत 25.22 लाख से भी अधिक ग्राहकों को लाभ पहुँचाया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों, कमजोरवर्गों तथा महिला हिताधिकारियों की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से की गई। कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का स्तर ₹ 11918 करोड़ तक पहुँच गया जो निवल बैंक उधार (ए.एन.बी.सी.) का 11.45 प्रतिशत है तथा इस क्षेत्र के लिए निर्धारित अपेक्षा 10 प्रतिशत से अधिक है। महिला ग्राहकों को दिए गए अग्रिम मार्च 2012 के ₹ 7344.10 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 को ₹ 8245 करोड़ हो गए जो 5 प्रतिशत के अधिदेशी मानक की तुलना में ए एन बी सी का 7.92 प्रतिशत बनता है। इसी प्रकार, अल्प संख्यकों को दिए गए ऋण मार्च 2012 के ₹ 6609.08 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 को ₹ 7601 करोड़

Bank is in a comfortable position as per the Capital requirement ratios prescribed by RBI. Bank is taking all steps to improve the CET, CRAR and Leverage Ratio under Basel III including exploring the avenues for raising the Capital in a phased manner to meet the regulatory requirements of Capital and Leverage Ratios as on 01.01.2015, while simultaneously achieving the targeted growth in business.

### NATIONAL PRIORITIES

Based on the Bank's experience in lending to different sectors and keeping in view the dynamics of Economic Growth, Government Directives, National Priorities and Socio-Economic Obligations, thrust was given to Priority Sector lending especially lending to agriculture during the year.

Bank has adopted various strategies during the year to achieve sustainable credit growth, improved asset quality, higher earnings and for maintaining well diversified credit portfolio covering all sections of the society to ensure inclusive growth. The Bank has continued its growth under Priority Sector lending with added thrust on consolidation of its position and focus on asset quality. The focus areas for credit were Agriculture, SMEs, Education, Housing, Micro Finance and other productive sectors of the economy.

For quick credit decision and disposal of large number of credit applications, the bank has introduced the "Online Request" from prospective clients covering credit requirements under various segments of Priority Sector. The prospective clients can access the Bank's website and submit their request for loan through application form prescribed therein. System generated acknowledgement is provided immediately to the applicants with unique reference number which they can use to track their applications.

### Priority Sector Advances

Priority Sector Advances of the Bank reached a level of ₹46437 crore as at March 2013 constituting 44.62 per cent of ANBC against the mandatory level of 40 per cent. The Bank has covered more than 25.22 lakh customers under Priority Sector Advances. Special care was taken to ensure that the credit needs of SC/ST, Minorities, Weaker sections and Women are fully met. Advances to Weaker Sections have reached a level of ₹11918 crore forming 11.45 per cent of ANBC, thereby surpassing the mandatory requirement of 10 per cent. The advances to women customers increased from ₹7344.10 crore as at March 2012 to ₹8245 crore as at March 2013, forming 7.92 per cent of ANBC against the mandatory level of 5 per cent. Similarly, advances to minorities increased from

हो गए जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 16.37 प्रतिशत है जबकि इसके लिए अनिवार्य अपेक्षा 15 प्रतिशत है।

**कृषि एवं अनुषंगी कार्य–कलाप**

मार्च 2013 को कृषि ऋण स्तर ₹ 20156 करोड़ तक पहुँच गया जो अधिदेशात्मक 18 प्रतिशत के मुकाबले ए.एन.बी.सी. का 19.37 प्रतिशत है। प्रत्यक्ष कृषि ऋण ₹ 16018 करोड़ है जो 13.50% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में निवल बैंक ऋण (ए एन बी सी) का 15.39 प्रतिशत बनता है। बैंक ने 16.78 लाख से अधिक ग्राहकों को कृषि अग्रिम प्रदान किए। वर्ष के दौरान कृषि ऋण की विशेष योजना के अंतर्गत ₹ 10773 करोड़ की राशि संवितरित की गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान संवितरित राशि ₹ 10789 करोड़ थी। बैंक ने वर्ष के दौरान अपने ग्रामीण और अर्ध–शहरी शाखाओं के माध्यम से 127220 नये किसानों को अपना ग्राहक बनाया है जिससे प्रति ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखा के लिए औसतन 75 नए किसान जुड गए हैं।

**सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एस के सी सी)**

भा.रि.बैं. के निदेर्शों के अनुसार, बैंक ने सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड (एस के सी सी) योजना के मार्गदर्शी सिद्‌ांतों का संशोधन किया है। संशोधित योजना में निम्नलिखित विषयों को ध्यान में रखा गया है –

- सीमा का निर्धारण पाँच वर्षों के लिए
- चेक बुक और ए टी एम/डेबिट कार्ड (रुपे किसान कार्ड) को जारी करने का प्रावधान ताकि किसान अपने एस के सी सी खातों में अच्छी तरह से लेन–देन कर सकें।

बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान 1.80 लाख नए एस के सी सी कार्ड जारी किए हैं। इस प्रकार अब तक जारी किए गए सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्डों की संचयी कुल संख्या नवीकरणों के अतिरिक्त 14.53 लाख हो गई हैं, जिनके अंतर्गत कुल ऋण सीमा ₹ 9352 करोड़ हैं।

वर्ष के दौरान सिंडकिसान समृद्धि कार्ड योजना के अंतर्गत, बैंक ने 131 कार्ड जारी किए, जिसकी कुल राशि ₹ 1.43 करोड़ है। यह योजना आवश्यकता आधारित अल्पावधि ऋण प्रदान करने के साथ–साथ झंझट रहित निवेश ऋण प्रदान करती है।

**सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं**

बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार जनक योजनाओं के कार्यान्वयन में पूरी तरह से सहभागिता की है। इन योजनाओं के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. और महिला हिताधिकारियों एवं अल्पसंख्यक हिताधिकारियों के चयन पर विशेष जोर दिया गया। वर्ष के दौरान इन योजनाओं अर्थात पी.एम.ई.जी. पी.एस.जी.एस.वाई. तथा एस.जे. एस.आर.वाई. के अंतर्गत संवितरित कुल राशि ₹ 45.11 करोड़ है जिससे 3709 परिवार लाभान्वित हुए। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करते समय अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया।

₹6609.08 crore as at March, 2012 to ₹7601 crore as at March, 2013, forming 16.37 per cent of Priority Sector Advances surpassing the mandatory requirement of 15 per cent.

**Agriculture and allied activities**

Credit to Agricultural Sector reached a level of ₹20156 crore forming 19.37 per cent of ANBC as at March 2013 against the mandatory requirement of 18 per cent. The Direct Agriculture credit being ₹16018 crore constituted 15.39 per cent of ANBC against the mandatory requirement of 13.50 per cent. Bank has covered more than 16.78 lakh customers under agricultural advances. The disbursement under Special Plan for Agricultural Credit during the year amounted to ₹10773 crore against the disbursement of ₹10789 crore during the corresponding period of last year. The Bank brought 127220 new farmers into its fold during the year through Rural and Semi-Urban branches, registering an average of 75 new farmers per Rural and Semi-Urban branch.

**Syndicate Kisan Credit Card Scheme (SKCC)**

As directed by RBI, Bank has revised the guidelines of Syndicate Kisan Credit Card (SKCC) Scheme and the revised scheme envisages the following.

- Fixation of limit for five years.
- Provision for issuance of Cheque book and ATM / Debit Cards (Rupay Kisan Cards) which will enable the farmers to effectively transact their operations in their SKCC accounts.

The Bank has issued 1.80 lakh Syndicate Kisan Credit Cards during the year 2012-13. The cumulative number of Syndicate Kisan Credit Cards issued so far, excluding the renewals, is 14.53 lakh with a total credit limit of ₹9352 crore.

Under Syndicate Kisan Samrudhi Credit Card Scheme, the Bank has issued 131 cards with a credit limit of ₹1.43 crore during the year, which provides hassle free investment credit in addition to need based short-term credit.

**Government Sponsored Schemes**

The Bank continued to participate in poverty alleviation and employment generation schemes sponsored by the Government in full scale. Special emphasis was laid on coverage of SC/ST, Women and Minority beneficiaries under these schemes. The total amount disbursed under these schemes viz. PMEGP, SGSY and SJSRY is ₹45.11 crore benefitting 3709 families during the year. Special thrust was given to extend financial support to SC/ST/OBC and Minorities, while implementing the Govt. sponsored schemes.

**अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिम**

अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, खास तौर पर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने की दृष्टि से इन योजनाओं का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है। बैंक ने अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में अ.जा./अ.ज.जा. को जानकारी देने के लिए विशेष प्रयास किए ताकि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। अ.जा./अ.ज.जा. को दिए गए अग्रिम मार्च 2012 के ₹ 2653.30 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 को ₹ 2946.22 करोड़ हो गए जो वर्ष 2012-13 के दौरान 11.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

**अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम**

बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों और अग्रणी जिला कार्यालयों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के बीच ऋण उत्पादों का प्रचार-प्रसार करवाने हेतु अनेक उपाय किए हैं ताकि वे इनका लाभ ले सकें। अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिम मार्च 2012 के ₹ 6609.08 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 को ₹ 7601 करोड़ हो गए जिसमें वर्ष 2012-13 के दौरान 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराना और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति और सच्चर समिति की सिफारिशों इत्यादि की जानकारी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। वर्ष 2010 के दौरान बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की सुविधा के लिए विशेष ब्याज योजना की शुरुआत की थी और यह वर्ष 2012-13 के दौरान भी जारी है।

**स्व सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को ऋण सुविधा से जोड़ना**

वर्ष 2012-13 के दौरान 26638 स्व सहायता समुहों को ऋण सुविधा से जोडा गया तथा ₹ 709 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गई है। मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार, स्व सहायता समूहों का बकाया अग्रिम ₹ 1382.04 करोड़ बकाया शेष के साथ 92751 खातों में था। बैंक ने वर्ष के दौरान कर्नाटक के बैंकों के बीच स्व.स.स. (एस.एच.जी.) को अधिकतम औसत उधार प्रदान करने हेतु नाबार्ड से राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान 889 संयुक्त देयता समूहों (जे.एल.जी.) को ₹ 9.32 करोड़ के ऋण सहयोग के साथ ऋण संपर्क से जोड़ा गया।

**किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान करने में हुई प्रगति**

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अधीन 7.14 लाख किसानों को ₹ 5798 करोड़ के फसल उत्पादन ऋण प्रदान किए हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने ₹ 54 करोड़ के लिए @ 2% ब्याज अनुदान का लाभ दिया है और ₹ 8 करोड़ के लिए समय पर अदायगी के लिए @ 3% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया है और इस प्रकार से पात्र किसानों को ऋण पर प्रभावी दर 4% हो जाती है।

**सौर ऊर्जा का उपयोग**

सौर ऊर्जा के उन्नयन हेतु बैंक सक्रिय सहभागिता कर रहा है और जलतापन तथा सौर विद्युत प्रणाली के वित्तीयन से संबंधित योजनाओं के लिए वित्तीय

**Advances to SC/ST**

The coverage of SC/ST beneficiaries under various schemes, especially under Govt. Sponsored Schemes is reviewed at regular intervals. Bank has initiated special efforts to create awareness about various schemes of the Bank among SC/STs to motivate them to avail the benefits under these schemes. Advances to SC/ST beneficiaries under Priority Sector, rose from ₹2653.30 crore as at March 2012 to ₹2946.22 crore as at March 2013, registering a growth of 11.04 per cent during the year 2012-13.

**Advances to Minorities**

Bank has taken various measures through Regional Offices and Lead District Offices for popularizing amongst minority communities the various credit products available for their benefit. The advances to Minorities rose from ₹6609.08 crore as at March 2012 to ₹7601 crore as at March 2013, registering a growth of 15 per cent during the year 2012-13. The information pertaining to credit flow to Minority communities and status on implementation of Prime Minister's 15 point programme for Minorities and Sachar Committee recommendations are placed in the Bank's website. Special interest scheme was introduced by the Bank during 2010 for the benefits of Minority Community under Priority Sector lending, and the same is continued during 2012-13.

**Credit linkage of Self Help Groups/Joint Liability Groups**

26638 new Self Help Groups (SHGs) were credit linked with a credit support of ₹709 crore during the year 2012-13. The outstanding advances to SHGs as at March 2013, was 92751 accounts with an outstanding balance of ₹1382.04 crore. During the year, the Bank secured the state level award from NABARD for highest average lending to SHGs among the Banks in Karnataka.

During 2012-13, 889 Joint Liability Groups (JLGs) were credit linked with a credit support of ₹9.32 crore.

**Progress in extending interest subvention benefit to farmers:**

The Bank has extended crop production credit of ₹5798 crore benefitting 7.14 lakh farmers during 2012-13 under interest subvention scheme of the Govt. of India. The bank has extended the interest subvention benefit @2% to the tune of ₹54 crore and ₹8 crore as additional incentive subvention @ 3% for timely payment during 2012-13 and making the eligible farmer derive credit at the effective rate of 4 per cent.

**Harnessing Solar Energy**

The Bank has been actively promoting solar energy application by implementing the schemes for financing Solar Water Heating Systems and Solar Lighting Systems.

सहायता प्रदान कर रहा है। 2012-13 के दौरान बैंक ने सौर आवास विद्युत प्रणालियों की 233 इकाइयों को ₹ 1.30 करोड़ और सौर जल तापन प्रणालियों की 282 इकाइयों को ₹ 1.13 करोड़ का वित्तपोषण किया है।

संचयी तौर पर अब तक बैंक ने सौर आवास विद्युत प्रणालियों की 10973 इकाइयों के लिए ₹ 21.24 करोड़ का वित्तपोषण किया है। मार्च 2013 तक बैंक ने संचयी तौर पर सौर जल तापन प्रणालियों की 35802 इकाइयों के लिए ₹ 101.68 करोड़ का वित्तपोषण किया है।

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनकी 1665 शाखाएं 5 राज्यों के 32 जिलों में फैली हुई हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षे.ग्रा.बैं. प्रमुख कारोबार मानदंडों के मामले में देश के विभिन्न क्षे. ग्रा.बैं. की तुलना में शीर्षपंक्ति में विराजमान हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित इन क्षे.ग्रा.बैं. का कुल कारोबार वर्ष के अंत में ₹ 45,381 करोड़ रहा जो वर्ष के दौरान 18.47 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

क्षे.ग्रा.बैं. की कुल जमाराशियों तथा अग्रिमों में वृद्धि होकर वे क्रमश: ₹ 23890 करोड़ और ₹ 21491 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई हैं जो क्रमश: 16 प्रतिशत और 21.33 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाती हैं। इन क्षे.ग्रा.बैं. का कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹ 18513 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2013 के कुल अग्रिमों का 86.14 प्रतिशत बनता है। उनका कुल कृषि अग्रिम ₹ 14,168 करोड़ तक पहुँच गया जो कुल अग्रिमों का 65.93 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, क्षे.ग्रा.बैं. ने वित्तीय समावेशन वाले गांवों के किसानों को 3.53 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं; जो नियमित ग्राहकों को जारी 12 लाख से भी अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के अतिरिक्त हैं।

भा.रि.बैं. द्वारा क्षे.ग्रा.बैं. के प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन के संबंध में गठित वर्किंग समूह के सुझावों के अनुसार बैंक द्वारा प्रायोजित क्षे.ग्रा.बैं. ने सी.बी.एस. का कार्यान्वयन किया। हमारे द्वारा प्रायोजित सभी क्षे.ग्रा.बैं. में खातों के लिए सिस्टम द्वारा जनरेट एन.पी.ए. लेखा का कार्यान्वयन किया गया है।

**सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एस.आर.डी.टी.)**

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एस.आर.डी.टी.) की स्थापना ग्रामीण गरीबों, खासकर महिलाओं में ग्रामीण उद्यमिता एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2000 में की गई। अब तक बैंक ने ग्रामीण गरीबों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र में कुल 16 सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (सिंड आर.एस.ई.टी.आई.) को स्थापित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 5 सिंड आर सेटी को 'A+' और 6 सिंड आर सेटी को 'A' श्रेणी प्रदान की है। इन संस्थाओं ने वर्ष 2012-13 के दौरान 438 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनसे 14057 व्यक्ति लाभान्वित हुए, जिनमें 9297 महिलाएं थी और 4508 अ.जा./अ.ज.जा. संवर्ग के थे। शुरू से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 96134 है। नियोजन की दर 69 प्रतिशत है।

During 2012-13, the Bank has financed ₹1.30 crore for 233 units of Solar Home Lighting Systems and ₹1.13 crore for 282 units of Solar Water Heating Systems.

Cumulatively so far, the Bank has financed ₹21.24 crore for 10973 units of Solar Home Lighting Systems. The cumulative number of Solar Water Heating Systems financed by the Bank is 35802 units amounting to ₹101.68 crore up to March, 2013.

**Regional Rural Banks**

There are 5 Regional Rural Banks sponsored by our Bank, covering 32 districts in 5 states, with a network of 1665 branches. RRBs sponsored by the Bank are in the top league among various RRBs of the country, in respect of performance under key business parameters. Total business of RRBs sponsored by the Bank stood at ₹45,381 crore, registering an annual growth of 18.47 per cent during the year.

The total deposits and advances of the RRBs reached a level of ₹23,890 crore and ₹21,491 crore, with an annual growth of 16 per cent and 21.33 per cent, respectively. The total Priority Sector Advances stood at ₹18,513 crore constituting 86.14 per cent of total advances as at 31.03.2013. Agricultural advances reached a level of ₹14,168 crore forming 65.93 per cent of total advances. In all, the RRBs have issued fresh 3.53 lakh Kisan Credit Cards to farmers of FI villages, in addition to more than 12 Lakh KCCs to regular customers.

As per the suggestions of the working group constituted by RBI on Technology up gradation of RRBs, the RRBs sponsored by our bank have moved towards implementation of CBS. System generated NPA for accounts are implemented in all RRBs sponsored by us.

**Syndicate Rural Development Trust (SRDT)**

Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established in the year 2000 to promote rural entrepreneurship and self employment among the rural poor, especially women. So far, the Bank has established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (Synd RSETIs) in 5 States and 1 Union Territory for imparting training to rural poor. 5 SyndRSETIs have been graded 'A+' and 6 SyndRSETIs have been graded 'A' by MoRD, Govt. of India. These institutes have conducted 438 training programmes during the year 2012-13, benefitting 14057 persons, of whom 9297 were women and 4508 were from SC / ST category. Total candidates trained since inception is 96134. The settlement rate is 69 per cent.

### ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी)

बैंक ने देशभर में 26 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रुडसेटी) का सह-प्रायोजन किया है। इन संस्थानों ने वर्ष 2012-13 के दौरान 34779 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया। इन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 23660 महिलाएं थी और 12003 अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के थे। शुरू से अबतक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 321265 है। नियोजन की दर 73 प्रतिशत है।

हमारे रुडसेटी मॉडेल को भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रोल मॉडेल के रूप में स्वीकार किया गया है जिसे देश के प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। बेंगलूर में रुडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी के अनुप्रवर्तन कक्ष की स्थापना की गई है जो इन संस्थानों की निगरानी करता है।

### वित्तीय समावेशन संसाधन केन्द्र (एफ.आइ.आर.सी.)

भा.रि.बैं. की सलाह पर हमारे बैंक ने 5 राज्यों में 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्रों (एफ.आइ.आर.सी.) की स्थापना की है। ये संसाधन केंद्र बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं, बैंकिंग सेवाओं तथा इनके उत्पादों, भा.रि.बैं. एवं इनके कार्यो; करेंसी नोटों इत्यादि के प्रदर्शन के माध्यम से सूचना के स्थाई स्टोर हाउस के रूप में कार्य करते हैं।

### अग्रणी बैंक योजना

बैंक के पास लक्षद्वीप के संघशासित क्षेत्र सहित देशभर के 27 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक के सभी अग्रणी जिला कार्यालयों ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन यानी डी.एल.आर.सी. और डी.सी.सी. का आयोजन नियमित रूप से किया है। ऋण आयोजना प्रक्रिया पूर्ण हुई है और भा.रि.बैं. द्वारा प्रवर्तित समय अनुसूची के अनुसार डी.सी.पी. 2013-14 को समयबद्ध रीति से पूरा किया गया। बैंक कर्नाटक राज्य और संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक है और बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया है। कर्नाटक के लिए एस.एल.बी.सी. और लक्षद्वीप के लिए यू.टी.एल.बी.सी. द्वारा अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

### वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

हमारे बैंक को, एफ आई पी के अंतर्गत 31 मार्च 2012 तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2000 से अधिक जनसंख्यावाले 1553 गावों को आबंटित किया गया था। बैंक ने, निर्धारित तारीख से पहले ही इन गांवों में 334 शाखाएं खोलने के जरिए तथा 1219 बी सी एजेंटों को लगाते हुए बैंकिंग सेवाएं प्रदान की है। 31-03-2013 के भीतर 1600-2000 की जनसंख्या श्रेणी वाले गांवों में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक को 496 गांव आबंटित किए गए थे और बैंक ने 514 बी.सी.ए. को लगाकर और 08 शाखाएं/सेटेलाइट कार्यालयों को खोलकर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है।

हमारे बैंक ने वित्तीय समावेशन वाले गांवों में 11.23 लाख सादा खाते (नोफ्रिल खाते) खोले हैं और 2.13 लाख के.सी.सी., 0.42 लाख जी.सी.सी. प्रदान किए हैं और 3.90 लाख स्मार्ट कार्ड/मोबाइल एनेबल्ड खाता जारी किए हैं।

### Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI)

Bank has co-sponsored 26 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across the country. These institutes have trained 34779 candidates during the year 2012-13. Out of these trained candidates 23660 were women and 12003 were from SC/ST category. Total candidates trained since inception is 321265. The settlement rate is 73 per cent.

Our RUDSETI model has been accepted by Govt. of India: Ministry of Rural Development, as a role model to be replicated in each district of the country. A monitoring cell of National Academy of RUDSETIs has been established at Bangalore for monitoring these institutes.

### Financial Inclusion Resource Centres (FIRCs):

Our Bank has set up 21 Financial Inclusion Resource Centres (FIRCs) in 5 States. These FIRCs provide a permanent storehouse of information in the form of Exhibition on various facets of Banking, banking services and its products, RBI and its functions, Currency Notes etc.

### Lead Bank Scheme:

The Bank has been assigned with lead bank responsibilities in 27 districts inclusive of UT of Lakshadweep across the country. All the Lead District Offices of the Bank have conducted the District Level Review Committee (DLRC) meetings and District Consultative Committee (DCC) meetings regularly. The credit planning process was completed and District Credit Plan (DCP) 2013-14 was launched as per time schedule envisaged by RBI. The Bank is also the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in Karnataka and the Union Territory of Lakshadweep and satisfactorily discharged the responsibilities cast on it as the convener of State Level Bankers' Committee. The SLBC for Karnataka and UTLBC for Lakshadweep are implementing the recommendations of the High Level Committee to review the Lead Bank Scheme.

### Financial Inclusion Initiatives

Our bank was allotted 1553 Villages having population of over 2000 for providing banking services by 31st March 2012 under FIP. The Bank has extended banking services to all these villages by opening 334 branches and engaging 1219 BC Agents well before the stipulated date. In addition to this, the Bank was allotted 496 villages in the population category of 1600-2000 for covering these villages with banking outlets before 31.03.2013 and Bank has engaged 514 BCAs and opened 8 Branches / Satellite Offices, thus accomplishing the target given.

Our Bank has 11.23 lakh No Frill Accounts in FI villages and has extended 2.13 lakh KCCs, 0.42 lakh GCCs and issued 3.90 lakh smart cards / mobile enabled accounts.

बैंक ने 2000 से अधिक जनसंख्यावाले गांवों में बीसीए की सेवाओं सहित 936 यूएसबी स्थापित किया है। मूल शाखा से नामित एक अधिकारी पूर्वनिर्धारित निश्चित दिवस पर वीपीएन कनेक्टिविटीवाले लैपटॉप सहित उस यूएसबी शाखा का दौरा करता है ताकि वहाँ के ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

सभी 5 क्षे.ग्रा.बैं. ने 2000 से अधिक जनसंख्या वाले वित्तीय समावेशन के लिए आबंटित 1614 गांवों में 171 शाखाएं खोलकर तथा 1413 बी.सी.ए. को लगाकर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और मोबाईल वैन के द्वारा 30 गांवों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ-साथ, 1600-2000 की जनसंख्या वाले 2346 गांव आबंटित किए गए थे जिनमें क्षे.ग्रा.बैं. ने 32 शाखाएं खोली और 2138 बी.सी.ए. को लगाया।

बैंक ने वित्तीय समावेशन वाले ग्राहकों के लिए मेसर्स बिरला सनलाइफ बीमा कंपनी लि. के साथ गठजोड़ व्यवस्था करके बहुत ही मामूली सिर्फ ₹ 15/- (सेवा कर को जोड़कर) प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर सुरक्षा गारंटी उपलब्ध कराई है। बीमा सुरक्षा ₹ 25000/- तक की सीमा के लिए उपलब्ध है जिसमें नैसर्गिक एवं दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु पर लाभ के साथ-साथ टर्मिनल बीमारियों के संबंध में मिलनेवाले लाभ शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन को सही ढंग से लागू करने के लिए बैंक ने कई तरह के प्रयास किए हैं।

- ✓ **अर्थपूर्ण और परिपूर्ण वित्तीय समावेशन (एम.एच.एफ.आई.):** बैंक चुनिंदा गांवों में कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में जरूरतमंद विकास कार्यक्रमों को लागू कर रहा है ताकि इन गांवों को आदर्श गांवों में बदला जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आनेवाले क्रियाकलापों में स्वसहायता समूह के लिए कार्य रोड का निर्माण, सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, ई-लर्निंग की सुविधा उपलब्ध कराना, गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था करना इत्यादि शामिल हैं।

- ✓ **वित्तीय साक्षरता:** बैंक जे.जे.एफ.एल.सी.सी. ट्रस्ट के द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है जिसके लिए बैंक के अग्रणी जिलों में 26 एफ.एल.सी.सी. और 21 एफ.आई.आर.सी. खोले गए हैं। इन एफ एल सी ने 1757 गाँवों में 7878 साक्षरता शिविरों का आयोजन किया और उनसे 409788 लोग लाभान्वित हुए। बैंक ने और भी कई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए हैं जैसे, कठपुतली नाच और जादू प्रदर्शन द्वारा संदेश प्रचार, क्षेत्रीय भाषाओं में पैम्पलेटों का वितरण, गांवों में प्रमुख स्थानों पर ग्राफिती प्रदर्शन, चुनिंदा गांवों में वित्तीय समावेशन से संबंधित यक्षगान कार्यक्रम, बैंक द्वारा उपलब्ध होनेवाले उत्पादों और सेवाओं को बतानेवाली 'कॉमिक पुस्तकों' का प्रकाशन एवं उनका ग्रामीणों को वितरण इत्यादि शामिल हैं।

**सीधा लाभ अंतरण:** बैंक ने चुने हुए 43 जिलों में सीधे लाभ अंतरण को सहज तरीके से लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं जो 01-01-2013 से प्रभावी है। इसे कार्यान्वित करनेवाले कार्मिकों को सुग्राही बनाने हेतु

The Bank has established 936 USBs in the villages having population of over 2000 which are provided with the services of BCAs. A designated Officer from the Base Branch is visiting the USB on a pre-determined fixed day with laptop having VPN connectivity to facilitate the customer to meet their banking needs.

All the 5 RRBs have opened banking outlets in the 1614 allotted FI villages with over 2000 population by opening 171 branches, engaging 1413 BCs and also by covering 30 villages through mobile vans. Besides this, 2346 villages have been allotted in the population category of 1600-2000 and RRBs have opened 32 branches and engaged 2138 BCAs.

The Bank has entered into an arrangement with M/s Birla Sunlife Insurance Company Ltd for extending risk cover to FI customers at a very nominal premium of ₹15/- p.a. (inclusive of service tax). Insurance cover is provided upto a limit of ₹ 25000/- covering Natural and accidental death besides inbuilt terminal illness benefit.

A number of initiatives have been taken by the Bank to implement FI in its true spirit.

- ✓ **Meaningful & Holistic Financial Inclusion (MHFI):** Bank is implementing need based developmental activities in selected villages as part of 'Corporate Social Responsibility' to transform these villages into model villages. Activities undertaken include construction of SHG Work shed, Toilets in Government schools, Providing drinking water facility, Free health check up camps, providing e-learning aids, Training and capacity building, solar street lighting to the villages, etc

- ✓ **Financial Literacy**: Bank is promoting financial literacy through JJFLCC Trust which has opened 26 Financial Literacy Centres (FLC) and 21 Financial Inclusion Resource Centre (FIRC) in the Lead Districts of the Bank. These FLCs have conducted 7878 Literacy Camps covering 1757 villages benefitting 409788 persons. Bank has also taken up various financial literacy activities, such as, Puppet and Magic shows, Brochures, Pamphlets have been brought out in vernacular languages, Graffiti displayed at prominent places in the villages, Yakshagana programmes organized with FI theme in select villages, brought out 'Comics books' depicting the facilities and services available from the Bank and distributed the same to the villagers.

**Direct Benefit Transfer**: The Bank has taken a number of steps for smooth roll out of Direct Benefit Transfer in the identified 43 districts w.e.f. 01.01.2013. Sensitization

कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए प्रत्येक चिह्नित जिले के लिए विशेष नोडल अधिकारी/कार्यपालक को नामित करना, बी.सी.ए./ए.टी.एम/शाखा आदि की जरूरतों का मूल्यांकन और उनकी जरूरतों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदम इत्यादि शामिल हैं।

सरकारी लाभों को निर्दिष्ट हिताधिकारियों तक निर्बाध रूप से पहुँचाने के लिए इन प्रयासों को एक लंबा रास्ता तय करना होगा। डी.बी.टी. के अंतर्गत, जो हमारे अग्रणी जिला अनंतपुर सहित 43 जिलों में लागू किया गया है, 190610 परिवारों के खाते खोले गए हैं और ₹ 201.79 लाख की रकम उनके खाते में 26 योजनाओं के अंतर्गत जमा की गई हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के लिए पायलट आधार पर कार्यान्वयन हेतु पहचाने गए 43 जिलों में से अनंतपुर जिले में हमारे बैंक ने अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी ली है।

बैंक ने बैंक के प्राधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस क्षेत्र में जिन भूमिकाओं का निर्वाह करना हैं उसके लिए उन्हें सुग्राही बनाने की दिशा में पहल की और इस क्षेत्र में जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके योजनावार लाभार्थियों की कंप्यूटरीकृत सूची प्राप्त की है और उसे योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले बैंकों को उपलब्ध कराया गया है।

### सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र के लिए अग्रिम

बैंक ने जी डी पी, निर्यात एवं रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के योगदान को देखते हुए आर्थिक विकास के क्षेत्र में उनकी भूमिका को पहचाना है। भारत सरकार और भा.रि.बैं. द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को अधिक ऋण प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। 31 मार्च 2013 तक एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को ₹ 16427.78 करोड़ का कुल अग्रिम प्रदान किया गया। मार्च 2013 तक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अग्रिमों का स्तर ₹ 15036.57 करोड़ तक पहुँच गया। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए कुल बकाया अग्रिमों में सूक्ष्म उद्यमों का हिस्सा 65.10 प्रतिशत है जिसे पाने का निर्धारित लक्ष्य मार्च 2013 तक 60 प्रतिशत का था।

एम एस एम ई में ऋणों के विस्तार एवं इस क्षेत्र को विशिष्ट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने अतिरिक्त 21 शाखाओं को एम एस एम ई शाखा के रूप में नामित किया है और इस प्रकार मार्च 2013 तक एम एस एम ई शाखाओं की कुल संख्या 69 हो गई है।

### सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सी.जी.एम.एस.ई.)

₹ 100.00 लाख तक के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना किसी तीसरी पार्टी की गारंटी के संपार्श्विक जमानत रहित ऋण प्रदान करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सी.जी.एम.एस.ई.) के मार्गदर्शी सिद्धांतों का कार्यान्वयन किया है।

programmes for the implementing personnel have been organized. Specific Nodal Officer / Executives have been designated for each of the identified Districts for supervision and monitoring. Assessment of the requirement of BCAs / ATMs /Branch etc., has been made and steps are taken to meet the requiremens.

These initiatives will ensure passing on the Government benefits to the intended beneficiaries seamlessly. Under the DBT, which is being implemented in 43 districts including our Lead District of Anantapur, 190610 accounts of households have been opened and ₹ 201.79 lakhs amount has been credited to their accounts under 26 schemes.

Out of the 43 identified districts for the pilot roll out of DBT scheme, our Bank has Lead Bank responsibility in Anantpur District.

Bank has taken steps to sensitize the Bank officials and the district administration on the roles to be played by them and has closely coordinated with the District Administration in obtaining scheme-wise digitized beneficiaries list under various schemes and made available the same to the implementing Banks.

### ADVANCES TO MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISE (MSME) SECTOR

Bank recognizes the important role of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) in the economic development through their contribution to GDP, exports and employment generation. In tune with the guidelines issued by the Government of India and RBI, the Bank has taken steps for increased flow of credit to MSME sector. Total Advances to MSME sector stood at ₹16427.78 crore as at March 31, 2013. Advances to Micro and Small Enterprises reached a level of ₹15036.57 crore as at March 2013. The total outstanding advances to Micro Enterprises constitute 65.10 per cent of advances to Micro and Small Enterprises Sector against stipulated target of 60.00 per cent to be achieved by March 2013.

In order to expand the credit to MSMEs and provide specialized service to the Sector, Bank has designated additional 21 no. of branches as MSME branches during the year 2012-13 and has 69 number of MSME Branches as on March 2013.

### Credit guarantee fund scheme for Micro and Small Enterprises (CGMSE)

Bank has also implemented Credit Guarantee Fund Trust for Small and Medium Enterprises (CGMSE) guidelines to extend Collateral free loans without third party guarantee to Micro and Small Enterprises up to ₹100.00 lakh.

एम एस ई के लिए संपार्श्विक रहित ऋण उपलब्ध कराने में जोरदार पहल के रूप में ₹ 5.00 लाख तक के ऋणों के मामले में बैंक द्वारा पूरा गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा प्रभार का वहन किया जाता है जो सभी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के ₹ 50.00 लाख तक और इनके मामले में 50% देय शुल्क का वहन भी किया जाता है।

सी जी एम एस ई योजना के अंतर्गत शामिल की गई तीसरी पार्टी की गारंटी के बिना दिए गए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की संख्या मार्च 2012 के 21402 से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 29975 हो गई जिसमें अतिरिक्त 8573 खाते हैं और कुल रकम ₹ 448.74 करोड़ है।

**राजभाषा का कार्यान्वयन**

बैंक द्वारा हिंदी के प्रयोग और प्रोत्साहन को विभिन्न रूपों में निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। यह केवल इसलिए नहीं कि यह भारत सरकार की नीति है बल्कि इसलिए भी कि यह समावेशी बैंकिंग के लिए एक आदर्श एवं जोरदार माध्यम भी है। बैंक ने राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और वर्ष 2012-13 के दौरान इस क्षेत्र में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मार्च 2013 तक की स्थिति के अनुसार, लगभग 99% कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और बैंक ने राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत 1920 शाखाओं/कार्यालयों को अधिसूचित किया है। समीक्षा वर्ष के दौरान हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले कर्मचारी सदस्यों के लिए 54 प्रयोजनमूलक हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

राजभाषा में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए बैंक ने वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूनिकोड के प्रयोग को बढ़ावा दिया है और बैंक के सभी ए टी एम स्क्रीनों में द्विभाषिकता (हिन्दी और अंग्रेजी) का प्रावधान किया गया है। बैंक ने सी बी एस शाखाओं में हिंदी का प्रयोग करने के लिए 'स्क्रिप्ट मैजिक' सॉफ्टवेयर का कारपोरेट लाइसेंस लिया है और 1577 शाखाओं में स्क्रिप्ट मैजिक सॉफ्टवेयर लोड कराए गए हैं। बैंक की कारपोरेट वेबसाईट को यूनिकोड आधारित पूर्ण द्विभाषी बनाया गया है। वेबसाइट में अलग से हिंदी के लिए एक वेब पेज बनाया गया है। तिमाही हिंदी विवरणों को आटोमेटेड डाटा फ्लो के तहत रखा गया है और बैंक के उत्पादों की विशेषताओं को द्विभाषी रूप में वेबसाइट पर डाला गया है।

बैंक ने दिनांक 19.05.2012 को बेंगलूर में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की सफलतापूर्वक मेजबानी की।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और कर्मचारियों को अभिप्रेरित तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बैंक की सभी शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

**शाखाओं का विस्तार**

वर्ष के दौरान बैंक ने 215 नई शाखाएं खोली हैं और 31.03.2013 तक शाखाओं की कुल संख्या (लंदन शाखा को मिलाकर) 2934 हो गई हैं।

As a proactive measure to promote collateral free lending to MSEs, Bank is bearing full Guarantee fee and Annual service fee payable for loans upto ₹5.00 lakh under all government sponsored schemes and 50% of fee payable for all other loans up to ₹50.00 lakh.

The Collateral free loans without third party guarantee granted to Micro and Small Enterprises and covered under CGMSE scheme increased from 21402 as on March 2012 to 29975 as on March 2013 covering additional 8573 accounts amounting to ₹448.74 crore during the year 2012-13.

**IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE**

The Bank has been displaying a strong and abiding commitment to encourage the greater use of Hindi in various forms, not only because it is the policy of the Government of India but also as an ideal and powerful medium of inclusive banking. The Bank made noteworthy progress under the implementation of Official Language and won many prizes at various levels during the year under review. As at 31st March 2013, around 99% of employees have obtained working knowledge of Hindi and the Bank has notified 1920 branches/offices under Rule 10(4) of O. L. Rules, 1976. During the year under review, 54 Functional Hindi Workshops were conducted for those staff members who are having working knowledge in Hindi.

In the sphere of using Information Technology in the Official Language, the Bank has furthered the use of Unicode package for Word Processing and also made bilingual (Hindi & English) provision in all the ATM screens of the Bank. The Bank has taken Corporate License for 'Script Magic' software for usage of Hindi in CBS branches and Script Magic Software is loaded in 1577 branches. The Bank Corporate Website is made fully bilingual with Unicode base. A separate Web Page for hindi has been created in website. Quarterly Hindi Statement is placed under automated data flow and bilingual applications pertaining to products of the bank are loaded on the website.

Official Language Implementation Committee meeting of the Dept. of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India and Reserve Bank of India for Public Sector Banks/Financial Institutions were successfully hosted by the Bank on 19.5.2012.

Committees are constituted in all the branches of the bank to motivate and guide the employees towards effective implementation of Official Language Policy of the Govt. of India.

**EXPANSION OF BRANCH NETWORK**

During the year the Bank has added 215 brick and mortar branches to its network and the total number of branches (including London Branch) stood at 2934 as on 31.3.2013.

खोली गई नई शाखाओं में से 78 शाखाएं कम बैंक सुविधावाले जिलों में हैं और 53 शाखाएं अल्प संख्यक बहुल जिलों में हैं।

भारत के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में बैंक की उपस्थिति को बढ़ाने हेतु गुवाहाटी क्षेत्र में आठ और शाखाएं खोली गई हैं।

घरेलू शाखाओं के अंतर्गत 903 ग्रामीण शाखाएं, 788 अर्धशहरी शाखाएं, 629 शहरी शाखाएं, 613 महानगरीय एवं पोर्ट टाउन शाखाएं हैं। 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार कुल ए टी एम की सं.1306 है।

बैंक का ग्राहक आधार पिछले राजकोषीय वर्ष के 28 मिलियन के स्थान पर 31 मार्च 2013 को बढ़कर 32 मिलियन हो गया है और इसमें 14% की वृद्धि दर्ज की गई है।

**क्षेत्रों का पुनर्गठन**

जून 2012 के अंत तक बैंक में कुल 38 क्षेत्रीय कार्यालय थे, जो 2763 से अधिक शाखाओं का नियंत्रण करते थे जिनमें सेटेलाइट कार्यालय और अत्यंत लघु शाखाएं भी शामिल थी।

व्यवसाय में वृद्धि और कुछ खास क्षेत्रों में शाखाएं अधिक होने के कारण प्रभावकारी नियंत्रण और व्यावसायिक विकास के लिए क्षेत्रों के क्षेत्राधिकारों की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। तदनुसार, दिनांक 01.01.2013 से बेंगलूर, दिल्ली एवं मुंबई क्षेत्रों को दो हिस्सों में विभजित किया गया।

दिल्ली, मुंबई और बेंगलूरु क्षेत्रीय कार्यालयों का विभाजन दो-दो क्षेत्रों में हो जाने से तीन अतिरिक्त क्षेत्र बन गए जिससे क्षेत्रों की कुल संख्या अब 41 हो गई है।

## बुनियादी संरचना सहयोग

**कॉरपोरेट कार्यालय के प्रवेश द्वार का सौन्दर्यीकरण**

बैंक ने कॉरपोरेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग और एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनेल (ए सी पी) का प्रयोग करके उसके सौन्दर्य में अभिवृद्धि की है। बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय के प्रतिष्ठित भवन के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इसके मुख्य द्वार को प्रशस्त किया गया है ताकि इसके परिवेश की खूबसूरती में इजाफ़ा हो सके। पुन:, ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ए टी एम के स्थान को परिवर्तित करके उसे भूतल पर लगाया गया है जहाँ पर्याप्त जगह है और वहाँ तीन ए टी एम लगाए गए हैं, साथ ही, कुछ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

**बैंक परिसरों का बेहतर परिवेश**

कारोबारी विकास हेतु सुंदर वातावरण प्रदान करने एवं ग्राहकों को शाखाओं में लेन-देन करते समय आराम का अनुभव कराने की दृष्टि से शाखाओं/कार्यालयों के परिसरों में सुधार करने हेतु अप्रैल 2012 और जुलाई 2012 के दौरान परिवेश को साफ-सुथरा करने विषयक अभियान चलाया गया। इस परिवेश सुधार अभियान की अवधि के दौरान तकरीबन 2732 शाखाओं/कार्यालयों के परिवेशों में सुधार हुआ है।

The addition of branches includes 78 branches in under banked Districts and 53 branches in minority concentration Districts.

Eight more branches have been opened in the North Eastern Part of India.

The domestic branch network consisted of 903 rural branches, 788 semi-urban branches, 629 urban branches, 613 metro & port town branches. ATMs installed reached to 1306 as at 31.03.2013.

The bank has a customer base of 32 million as at March 31, 2013 as against 28 million at the end of the previous fiscal, registering a growth of 14 per cent.

**RE-ORGANIZATION OF REGIONS**

As at the end of June 2012, the Bank had 38 regions controlling the functions of over 2763 branches including satellite offices and ultra small branches.

Due to increase in business and number of branches under some specific regions, for effective control and business development, further review of the jurisdictions of the regions was necessitated to open scope for increase in business of the Bank and accordingly Bangalore, Delhi and Mumbai regions were bifurcated w.e.f.1.1.2013.

The bifurcation of Delhi, Mumbai and Bangalore Regional Offices into two regions resulted in three additional regions taking the tally of regions to 41 at present.

## INFRASTRUCTURE SUPPORT

**Facade of Corporate Office Building**

Bank has given a new look to the Corporate Office, Bangalore building by giving a face lift and enhancing the front elevation by providing structural glazing and aluminum composite panel (ACP). Further, the entry to the premises has been made wider to improve the overall ambience of the prestigious premises housing the Corporate Office of the Bank. Bank has relocated the ATMs for customers' easy access at ground level having larger space, to accommodate three ATMs adding few more services.

**Better Ambience of Bank Premises**

Ambience Drive was observed during the month of April 2012 and July 2012 to improve the ambience of the branch/office premises for providing a congenial atmosphere for business development as also to make the customers comfortable while transacting their business in the branch. During the ambience drive period, around 2732 branches/ offices have improved the ambience.

परिवेश बेहतर बनाने वाले इस अभियान ने परिसर को साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित करने में बहुत सहयोग दिया है एवं बैंक की छवि में भी सुधार हुआ है। साथ ही, इससे बढ़िया एवं साफ-सुथरे वातावरण में काम करने के लाभों के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता की भावना भी पैदा हुई है।

**सूचना प्रौद्योगिकी**

बैंक अब कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर

**सुपुर्दगी माध्यम**

**ए टी एम नेटवर्क**

दि 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बैंक में 1306 ए टी एम हैं जो देश भर के 729 केंद्रों में स्थित हैं। वीसा और मास्टर कार्ड पेमेंट गेटवे द्वारा बैंक के ग्लोबल-सह-ए टी एम कार्ड के ग्राहकों की संख्या 55.55 लाख है जो विश्वभर के ए.टी.एम. और पी.ओ.एस टर्मिनलों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

**इंटरनेट बैंकिंग**

बैंक में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करनेवालों की संख्या 7.13 लाख है जो मार्च 2012 की स्थिति से 0.78 लाख की वृद्धि दर्शाती है। इंटरनेट सुविधा के माध्यम से अन्य बैंकों के खातों में निधियों के अंतरण हेतु नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (एन.ई.एफ.टी.), रेल टिकट का आरक्षण, युटिलिटी बिलों का भुगतान, विभिन्न प्रकार के करों की अदायगी, वैट आदि सुविधाएं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग वेब पृष्ठ पर हिट्स की संख्या मार्च 2012 के 45.79 लाख से बढ़कर मार्च 2013 को 54.82 लाख हो गई है।

**एस.एम.एस. बैंकिंग**

ग्राहक को उसके खाते में हुए लेन-देन की शीघ्र सूचना देने और साथ ही, उसके खाते की सूचना संदेश आधारित बैंकिंग के माध्यम से प्रदान करने हेतु बैंक ने एस.एम.एस. बैंकिंग की शुरुआत की है। इस सुविधा को अपनानेवाले ग्राहकों की संख्या 31 मार्च 2012 के 383211 से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 628750 हो गई है।

**मोबाइल बैंकिंग**

बैंक ने मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत वर्ष 2011-12 में की, जिसके माध्यम से ग्राहक अपना बैंकिंग लेन-देन मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकते हैं। 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करने वाले ग्राहकों की संख्या 9736 है।

**भारतीय रिज़र्व बैंक की केन्द्रीकृत भुगतान प्रणाली – आर टी जी एस/एन ई एफ टी:**

भारतीय रिज़र्व बैंक की केन्द्रीकृत भुगतान प्रणाली के तहत बैंक द्वारा बैंकों के बीच निधियों के अंतरण के लिए एन ई एफ टी एवं आर टी जी एस सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और ग्राहकों के लिए ₹ 1 लाख तक का विप्रेषण नि:शुल्क है।

The Ambience Drive has contributed to a great extent in maintaining the premises tidy and clutter free. It has also made the staff aware about the advantages of working in a congenial set up besides improving the image of the Bank.

**INFORMATION TECHNOLOGY**

Bank is on the Core Banking Platform.

**DELIVERY CHANNELS:**

**ATM Network:**

The Bank has operationalised 1306 ATMs as at 31.03.2013, spread across 729 centres throughout the country. Bank has issued Global Debit-cum-ATM cards through VISA and Master Card Payment Gateways with a Card-base of over 55.55 lakh for global access to ATMs and POS Terminals.

**Internet Banking:**

Internet banking facility was introduced during the year 2003. The User base now stands at 7.13 lakh as at 31st March 2013, with an increase of 0.78 lakh over March, 2012. Facilities such as National Electronic Funds Transfer (NEFT) for transfer of funds, Railway Ticket Reservation, Utility Bills payments, Payment of various types of Taxes, VAT etc. are being extended through Internet Banking channel. The number of hits on the Bank's Internet Banking webpage, increased from 45.79 lakh in March, 2012 to 54.82 lakh in March 2013. Bank is in the process of implementing a new version of internet banking which provides, among other things, RTGS through internet banking, corporate banking modules, access by any browser etc.

**SMS Banking:**

In order to keep the customer instantly informed of the transactions that went through his/her account, as also to provide information of his/her account through message based banking, Bank has introduced SMS Banking. The number of customers who have availed this facility has grown from 383211 as at 31st March, 2012 to 628750 as at 31st March 2013.

**Mobile Banking:**

The Bank has implemented Mobile Banking Services during the last year 2011-2012, whereby customers can conduct their banking transactions through mobile phones. The number of customers who have availed of Mobile Banking facility as on 31.03.2013 stands at 9736.

**Centralised Payments System of RBI – RTGS/NEFT:**

The Bank is offering NEFT and RTGS, the Fund Transfer facility among the Banks, under the RBI's Centralised Payments System and upto ₹1 lakh remittance it is free of charge to customers.

**बैंक से भा.रि.बैं. को विवरणियों का स्वचालित आंकडा प्रवाह:**

आटोमेटेड डेटा फ्लो (ए डी एफ) समाधान प्राप्त कर लिया गया है। रिपोर्टों के स्रोत सिस्टम से भा.रि.बैं. के एम आई एस सर्वर को विनिर्दिष्ट फार्मेट में रिपोर्टों के स्वचलन के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रगति पर है।

**चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सी टी एस):**

एन सी आर दिल्ली में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सी टी एस) के कार्यान्वयन के बाद चेन्नई में ग्रिड आधारित सी टी एस समाशोधन को कार्यान्वित किया गया है। ग्रिड से संबद्ध सभी शहरों के लिए समाशोधन प्रक्रिया केंद्रीकृत रूप से चेन्नई में होती है। चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलूर, कोयंबतूर, हैदराबाद, एरणाकुलम और मदुरै जैसे केंद्र चेन्नई सी टी एस ग्रिड से संबद्ध हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों के बाकी केंद्र चेन्नई में सदर्न सी टी एस-ग्रिड से संबद्ध किए जा रहे हैं। कॉमन सर्विस ब्यूरो के माध्यम से वेस्टर्न सी टी एस-ग्रिड की मुंबई में शुरूआत की गई है।

**आधार यू आई डी के साथ खाता खोलना:**

यू आई डी ए आई में आधार के सदस्य नए ग्राहक आउट बैंड - न्यू एकाउंट अपलोड इंटरफेस के माध्यम से खाता खोल सकते हैं। यू आई डी ए आई में शामिल आधार संख्या वाले हमारे वर्तमान ग्राहक बैंक के अपने वर्तमान खातों में आधार संख्या को शामिल करवा सकते हैं।

**ग्राहक केंद्रित सू.प्रौ. पहल**

i. **कारोबार प्रक्रिया प्रबंधन केंद्र (बी पी एम सी) (बैक ऑफिस कार्य):** ग्राहकों की सुविधा के लिए और शाखाओं को नेमी कार्यों से मुक्त करने के लिए एक बैंक ऑफिस की स्थापना बेंगलूर में की गई जो शाखाओं के लिए है। खाता खोलना (एक्टिवेशन), पासबुक जारी करना, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा, डेबिट कार्ड जारी करना आदि कार्यों का निर्वाह बी पी एम सी द्वारा किया जा रहा है।

ii. **ई-लाउंन्ज:** ई- लाउंन्ज सुविधा के तहत यह प्रस्ताव है कि कुछ बड़े केंद्रों में एटीएम सुविधा के साथ-साथ सेल्फ सर्विस कस्टमर कियोस्कों की स्थापना की जाएगी जो पासबुक प्रिंटिंग, नकदी की गणना/छाँटना, चेक जमा और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा से युक्त होंगी।

iii. **वैट की अदायगी:** बैंक के इंटरनेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से वैट, एन वी ए टी और वाणिज्यिक कर विभाग के सी एस टी के लिए ई-चुकौती की सुविधा को चालू वर्ष में दिल्ली के लिए कार्यान्वित किया गया।

iv. **प्रधान मंत्री राहत निधि के प्रति अदायगी:** इंटरनेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्रधान मंत्री राहत निधि के लिए ई-अदायगी करने की सुविधा को कार्यान्वित किया गया। इसके लिए साउथ ब्लाक, दिल्ली नोडल शाखा है।

**इंटरनेट पर सेंध लगाने से बचाव:**

बैंक के वेबसाइट के होम पेज में इस बात के लिए निरंतर स्क्रोलिंग की

**Automated Data Flow (ADF) of Returns from Banks to RBI:**

Automated Data Flow (ADF) solution has been procured. Implementation Process is under progress for Automation of Reports from their Source Systems to MIS Server of RBI in the specified format.

**Cheque Truncation System (CTS):**

Further to CTS implemented in NCR, Delhi, Grid-based CTS Clearing has been implemented at Chennai. Clearing process takes place centrally at Chennai, for all the cities linked to the Grid. Centres such as Chandigarh, Kolkata, Bangalore, Coimbatore, Hyderabad, Ernakulam and Madurai are linked to Chennai CTS-Grid. The remaining centres of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal and Orissa States are being linked to Southern CTS-Grid at Chennai. Implementation of Western CTS-Grid at Mumbai through Common Service Bureau is initiated.

**Account Opening with Aadhaar UID:**

New customers, enrolled for Aadhaar number in UIDAI, can open account with the Bank through Outbound-New Account upload Interface. Existing customers, enrolled for Aadhaar number in UIDAI, can update the Aadhaar number in their existing accounts with the Bank.

**CUSTOMER-CENTRIC IT INITIATIVES**

i. **Business Process Management Centre (BPMC) (Back Office function):** As a measure of customer convenience and to relieve the branches from handling routine jobs, a Back Office is established at Bangalore for local Branches. Accounts opening (Activation), issues of Passbook, Internet Banking facility, Issue of Debit Card are being handled by BPMC.

ii. **E-Lounge:** As part of e-Lounge facility, it is proposed to provide Self Service Customer Kiosks with facilities for Passbook Printing, Cash counting/sorting, Cheque Deposit and internet banking, besides ATM at few major centres shortly.

iii. **Payment of VAT:** Facility for e-payment of VAT, NVAT & CST of Commercial Tax Dept. through Internet Banking channel of the Bank implemented for Delhi in current year.

iv. **Payment towards PM Relief Fund:** Facility for e-payment towards Prime Minister's Relief Fund through Internet Banking channel implemented. South Block, Delhi is the Nodal Branch.

**Prevention of Phishing Attacks:**

Bank has placed continuous scrolling in the Home Page of Bank's Website highlighting the message for customers to

सुविधा है जिसमें ग्राहकों को फिशिंग कार्यकलापों से सावधान किया जाता है और ग्राहकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नेट पर कभी भी अपना पासवर्ड या अन्य विवरण न दें क्योंकि बैंक कभी भी ऐसे ब्यौरे की मांग नहीं करता।

बैंक ने मैनेज्ड सिक्यूरिटी सर्विस (एम एस एस) प्रोवाइडर से सातों दिन चौबीसों घंटे के लिए सुरक्षा साधनों और सुरक्षा उपायों के लिए आउट सोर्सिंग व्यवस्था की है। उसी एम एस एस प्रोवाइडर द्वारा बैंक के वेबसाइट की निगरानी भी 24×7 के आधार पर की जाती है।

**डाटा इन्क्रिप्शन मेकेनिजम**

नेट वर्क सुरक्षा में सुधार करने तथा विनियामक निदेशों के अनुपालन हेतु शाखाओं और डीसी/सीआर साइट के बीच सी बी एस आँकड़ों के मूवमेंट के लिए डाटा इन्क्रिप्शन मेकेनिजम की शुरुआत की गई। शाखाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एम एल एल एन लीज्ड लाइन के बैंडविड्थ का अपग्रेडेशन करके पूरे भारत के लिए उसे 128 केबीपीएस किया गया।

**इन्टरप्राइज डाटा वेयर हाउसिंग एंड बिजनेस इंटलिजेन्स (ई डी डब्ल्यु बी आई) प्रोजेक्ट**

ई डी डब्ल्यु बी आई सॉल्यूशन का विचार सेन्ट्रलाइजड एम आई एस डेटा बेस के लिए क्षमता से युक्त समग्र सिंगिल डाटाबेस स्थापित करना है। फिलहाल, यह परियोजना फेज II में है। सिस्टम से 200 से अधिक रिपोर्टें उपलब्ध कराई गई हैं जिनमें एनॉलिटिकल रिपोर्टें भी हैं। पुनः, वर्तमान वर्ष के दौरान ए एम एल एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन समाधान (ओ आर एम एस) के लिए फेज III के तहत ग्राहक संबंध प्रबंधन (सी आर एम) को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। डाटा वेयर हाउस से ऑफ साइट सर्विलेन्स रिपोर्टें उपलब्ध कराई जाती हैं।

**हरित पहल का कार्यान्वयन**

क) बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा कागज रहित अनुपालन को स्वीकार करते हुए कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की है। बैंक ने उन ग्राहकों/निवेशकों को वार्षिक रिपोर्टों की सॉफ्ट प्रतियाँ भेजना शुरू कर दिया है, जिन्होनें बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर (प्रा) लि. के जहाँ अपना ई मेल पता दर्ज करा लिया है। बैंक कागज आधारित अदायगी लिखतों के प्रयोग के बजाय वैकल्पिक माध्यमों का प्रयोग करने को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है।

ख) इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बैठकें एवं विचार-विमर्श हुआ है कि यथासंभव सूचनाओं/ऑकड़ों को सॉफ्ट प्रतियों में रखा जाए।

ग) बैंक ने ई-लाउंन्ज सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल की है अर्थात् बैंकिंग लेन-देन को ई-मोड से करना और यह हरित पहल की दृष्टि से उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

घ) बैंकों द्वारा कॉरपोरेट ई-मेल सुविधा और इन्ट्रा-नेट आधारित आई पी मेसेज प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है और इससे कागज आधारित संप्रेषण पर निर्भरता में कमी आई है।

ङ) बैंक में प्रयोक्ताओं द्वारा मांगी जानेवाली आवधिक तथा तदर्थ रिपोर्टें इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि कागज आधारित रिपोर्टों पर निर्भरता को दूर किया जा सके।

be alert to Phishing activity and requesting customers not to disclose Password or other details through Net as the Bank never asks for such details.

Bank has outsourced the 24X7 monitoring & management of the Security Devices and the security events through the Managed Security Service (MSS) Provider. Bank's Website is also being monitored 24X7 basis by the same MSS Provider.

**Data Encryption Mechanism:**

Data Encryption Mechanism implemented for CBS data movement between Branches and DC/DR Site to improve security in the network and as well as complying with Regulatory guidelines. Bandwidth of Branches using MLLN Leased Lines is upgraded to 128 Kbps across India.

**Enterprise Data Warehousing and Business Intelligence (EDWBI) Project:** The EDWBI Solution envisages establishing a comprehensive single database with the capability for Centralised MIS Database. As of now, the Project is in Phase–II. More than 200 Reports including Analytical Reports have been provided from the system. Further to implementation of Anti-money Laundering Solution (AML) and Operational Risk Management Solution (ORMS), it is proposed to implement Customer Relations Management (CRM) under Phase-III during the current year. Off-Site surveillance reports are provided from Data Warehouse.

**IMPLEMENTATION OF GREEN INITIATIVES**

a) Bank has taken steps towards implementation of "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances through electronic mode. Bank has been sending soft copies of Annual Report to those members / investors who have registered their email IDs with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd., Registrar and Share Transfer Agents of the Bank. Bank is actively encouraging transactions through alternative channel to reduce the usage of paper based payment instruments.

b) Discussions/proceedings of several important meetings are held where the required information/data is kept in the form of soft copies as far as possible.

c) Bank has also initiated steps to provide e-lounge facilities i.e. conduct of banking transactions through e-mode, thus paving way for a greater role towards green initiatives.

d) Bank is using corporate e-mail facility and intra-net based IP messaging system and thus reducing dependency on paper based communication.

e) Various periodical and ad hoc reports required by the users across the Bank are being provided in an electronic form obviating the need for paper based reports.

## मुद्रा प्रबंधन और भा रि बैं की स्वच्छ नोट नीति

भा रि बैं की स्वच्छ नोट नीति के कार्यान्वयन के लिए (करेंसी चेस्टों) मुद्रा तिजोरियों को और ऐसी शाखाओं को जहाँ नकदी प्रवाह अधिक हैं उन्हें हेवी ड्यूटी नोट सार्टिंग मशीनें/डेस्क टॉप नोट सार्टिंग मशीनें प्रदान की गई हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति को कार्यान्वित करने हेतु 32 नकदी प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की गई है। बेहतर नकदी प्रबंधन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की लिंकेज योजना के तहत शाखाओं को अन्य बैंक की मुद्रा तिजोरियों से जोड़ा गया है।

## सी.टी.एस. 2010 मानक चेकों की ओर माइग्रेशन

जनवरी 2011 से ही हमारे बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एस.पी.सी.आई.) के मार्गदर्शन के अनुसार सी.टी.एस. 2010 मानक चेकों का मुद्रण करके सभी शाखाओं को इसका वितरण शुरू कर दिया है ताकि इसे ग्राहकों को जारी किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि मांग ड्राफ्ट भी सी.टी.एस. युक्त हों । सभी शाखाओं में सी.टी.एस. मानक चेकों/मांग ड्राफ्टों का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही, हमारा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 01-07-2013 से प्रभावी सी.टी.एस. 2010 मानक समाशोधन प्रणाली में सुचारू रूप से लेन-देन/माइग्रेशन के लिए तैयार है।

## वर्ष के दौरान समिति का दौरा

राज्य में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु उद्योग पर संसद की स्थायी समिति ने 5 से 6 नवंबर 2012 तक बेंगलूर का दौरा किया।

संघ सरकार जिसमें केन्द्र शासित प्रशासन के अधीन जुड़े कार्यालयों में कार्यरत अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर गठित संसदीय समिति ने दिनांक 6 से 11 फरवरी 2013 तक दौरा किया।

बदलते वैश्विक परिवेश में औद्योगिक नीति की जांच हेतु वाणिज्य पर गठित संसद की स्थायी समिति ने 01 से 02 फरवरी 2013 तक दौरा किया।

## मानव संसाधन विभाग

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक में कुल 26606 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 10394 अधिकारी, 10360 लिपिक और 5852 अधीनस्थ कर्मचारी हैं।

बैंक की मानव संसाधन नीति का सबसे अधिक ध्यान उत्तराधिकार योजना पर है और यह कॉरपोरेट लक्ष्य को पाने के लिए चुनौतीपूर्ण कारोबारी प्रतिस्पर्द्धा का सफलतापूर्वक सामना करने के अनुरूप है।

बैंक ने विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे, वित्त, विपणन, सुरक्षा, विधि एवं राजभाषा में कुशल जनशक्ति के प्रतिष्ठापन हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाई है।

## CURRENCY MANAGEMENT AND RBI CLEAN NOTE POLICY

As compliance to the RBI's Clean Note Policy all the Currency Chests and Branches where cash inflow is heavy, are provided with Heavy Duty Note Sorting Machines/ Desk Top Note Sorting Machines.

32 Cash Processing Centres are established to implement the Clean Note Policy of RBI. Wherever Currency Chests are not there, Branches are linked to Currency Chests of other Banks under RBI Linkage Scheme for better Cash Management.

## Migration towards CTS 2010 Standard Cheques

Our Bank had started printing and supply of CTS 2010 standard cheques as per the guidance note of National Payment Corporation of India (NPCI) to all the Branches, for issuing to the customers, since January 2011. Steps have been initiated to ensure that DDs are also CTS enabled. All Branches are supplied with CTS standard cheques/ DDs. With this, our Bank will be ready for smooth transition/ migration to CTS 2010 Standard clearing system w.e.f. 01.07.2013.

## COMMITTEES VISITED DURING THE YEAR

Parliamentary Standing Committee on Industry between 5th to 6th November 2012 to assess the implementation of Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) in the State.

Parliamentary Standing Committee on welfare of other Backward Classes between 6th to 11th February 2013 to discuss all matters pertaining to the Welfare of the Other Backward Classes which fall within the purview of Union government including the administrations of Union Territories.

Parliamentary Standing Committee on Commerce between 1st & 2nd February, 2013, to examine the Industrial Policy in the Changing Global Scenario.

## HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

The Human Capital of the Bank as on 31.03.2013 was 26606, comprising 10394 Officers, 10360 Clerks and 5852 Sub Staff.

The H R policy of the bank has a strong focus on succession planning and is dovetailed to successfully address competitive business challenges for achieving the corporate objectives.

The Bank had made direct recruitments for inducting skilled manpower in specialized areas like Finance, Marketing, Security, Law and Official Language.

बैंक ने 2012-13 की अवधि के दौरान 4 मुख्य प्रबंधक (विपणन), 54 सनदी लेखाकारों, 2 सुरक्षा अधिकारियों, 9 विधि अधिकारियों, 6 राजभाषा अधिकारियों, 435 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और 893 परिवीक्षाधीन लिपिकों की भर्ती की है।

पदोन्नति का परिष्करण इस तरह से किया गया है कि वह उत्तराधिकार योजना को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट निष्पादकों को पुरस्कृत करे। वर्ष 2012-2013 के दौरान, बैंक ने अधिकारी संवर्ग के विभिन्न वेतनमानों/श्रेणियों में 31 मार्च 2013 तक होनेवाली निर्धारित रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया की शुरुआत की और विभिन्न वेतनमानों में वर्ष 2012-2013 के दौरान 1179 पदोन्नतियाँ की गई।

बैंक नियुक्ति/ पदोन्नतियों में अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./पी.डब्ल्यू.डी. कर्मचारियों के लिए लागू आरक्षणों/रियायतों का सरकार के निर्देशों के अनुसार कड़ाई से पालन करता है।

बैंक में कार्यरत अ.जा./अ.ज.जा. और ओ बी सी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रधान कार्यालय में अलग से अ.जा./अ.ज.जा. और ओ बी सी कक्ष स्थापित किए गए है और वर्तमान में इसके प्रमुख महाप्रबंधक हैं जिन्हें मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ उनकी शिकायतों के निवारण हेतु त्रैमासिक आधार पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। अ.जा./अ.ज.जा. के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों/अधिकारियों का हमारे प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में दौरे के दौरान मुख्य संपर्क अधिकारी के साथ भी हितकर बातें हुई हैं।

वर्ष के दौरान, 678 अ.जा./अ.ज.जा. लिपिक कर्मचारियों और 778 अ.जा./अ.ज.जा. अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वे संबंधित अगले संवर्ग में पदोन्नति हेतु तैयारी कर सकें। कुल 3347 अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों को सिंडिकेटबैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

## प्रशिक्षण और विकास

शीर्ष स्तर पर, सिंडिकेटबैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल तथा बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, एरणाकुलम, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई स्थित सात प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करके बैंक की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान, प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा 278 कार्यक्रमों में 5180 अधिकारियों और 227 कार्यक्रमों में 3946 कामगार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रकार 505 कार्यक्रमों के द्वारा 9126 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इनके अतिरिक्त, 87 कार्यपालकों एवं 221अधिकारियों को बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया जिनका संचालन भारत में स्थित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाता है। पुनः, 6 कार्यपालकों एवं 2 अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

The Bank has recruited 4 Chief Managers (Marketing), 54 Chartered Accountants, 2 Security Officers, 9 Law Officers, 6 Official Language Officers, 435 Probationary Officers and 893 Probationary Clerks during the period 2012-13.

The promotion policy has also been fine-tuned to reward outstanding performers and is in line with the succession planning. During the year 2012-13, Bank had initiated promotion process to fill up the identified vacancies in various scales/grades upto 31.03.2013 and 1179 promotions were made during the year 2012-13 in various scales.

The Bank has been extending applicable reservations/ concessions to SC/ST/OBC/PWD employees in recruitment/ promotions strictly as per Government guidelines.

A separate SC/ST cell and OBC Cell are functioning at Head Office to redress the grievances of SC/ST/OBC employees working in the Bank and are currently headed by General Managers designated as Chief Liaison Officer. Quarterly meetings with the representatives of the SC/ST Welfare Associations were held in compliance to Govt. guidelines to redress their grievances. The Chief Liaison Officer also had fruitful interactions with the members /officials of the National Commission for SC/ST during their visits to our Head Office & Regional Offices.

During the year, 678 SC/ST Clerical employees and 778 SC/ST Officer employees have been imparted Pre-Promotion training to prepare them for promotion to the next respective cadres. In all 3347 SC/ST employees have been given in-house training at SIBM, Manipal and other Staff Training Centres.

## TRAINING AND DEVELOPMENT

Syndicate Institute of Bank Management (SIBM), Manipal at the apex level and the seven Training Centres at Bangalore, Chennai, Delhi, Ernakulam, Hyderabad, Kolkata & Mumbai cater to the training needs of the Bank by conducting various types of training programmes for different cadres of employees.

During the year 2012-13, 278 programmes covering 5180 officers and 227 programmes covering 3946 workmen employees were conducted by the Training System. Thus a total of 9126 employees were trained through 505 programmes. In addition, 87 executives and 221 officers were deputed to external training programmes conducted by training institutes of repute in India. Further, 6 executives and 2 officers were deputed to overseas training programmes.

वर्ष के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के 1791 अधिकारियों और 1556 लिपिकों/अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पुनः, भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के 1456 अधिकारियों और लिपिकों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

**नैगम सामाजिक जिम्मेदारी**

एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक होने के कारण, बैंक ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु विभिन्न नैगम सामाजिक जिम्मेदारियों वाले कार्यकलापों में सक्रिय सहभागिता की है जिसका उद्देश्य आर्थिक परिवर्तन, महिलाओं का विकास और ग्रामीण सुधार है। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में जो कदम उठाए गए,उनमें शामिल हैं, विभिन्न जिलों में समन्वित जन जाति विकास कार्यक्रम में सहयोग; मानसिक दृष्टि से विकलांग बच्चों, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और अनेक प्रकार से विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास ।

**ग्राहक सेवा**

बैंक ने जमाराशियों, ग्राहक शिकायत निवारण, चेक वसूली, सेवा में पाई गई विभिन्न प्रकार की कमियों के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना इत्यादि पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं। उक्त नीतियों को ग्राहकों की सुविधा हेतु बैंक के वेबसाइट पर डाला गया है तथा सभी शाखाओं में भी उपलब्ध हैं ।

बैंक की शिकायत निवारण नीति का उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों को न्यूनतम करना है और इसके लिए समुचित सेवा सुपुर्दगी और समीक्षा प्रणाली निरूपित की गई है ताकि ग्राहकों की शिकायतों एवं तकलीफों का निपटारा तुरंत किया जाना सुनिश्चित हो सके ।

**वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा के संबंध में उठाए गए कदम:**

क) शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार और कर्मचारियों को सुग्राही बनाने हेतु निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित 'ग्राहक सेवा' नीति अपनाई गई है, उदाहरणार्थ, शिष्टाचार, संप्रेषण, दक्षता एवं सम यबद्धता, शाखाओं का सामान्य प्रबंधन, ज्ञान इत्यादि ।

ख) बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बी.सी.एस.बी.आई.) का सदस्य है और ग्राहकों के लिए बैंकिंग की प्रतिबद्धता संहिता और एम.एस.एम.ई. ग्राहकों के लिए संहिता को स्वेच्छा से अपनाया है।

ग) ग्राहकों को बी.सी.एस.बी.आई. कोड के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए, 19.10.2012 को बेंगलूर में और 23.01.2013 एवं 24.01.2013 को मुंबई में बी.सी.एस.बी.आई. अधिकारियों के साथ मिलकर ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया।

घ) दामोदरन समिति की कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत 141 सिफारिशों में से बैंक ने 91 सिफारिशों का कार्यान्वयन किया है और शेष सिफारिशें कार्यान्वयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

During the year 1791 officers & 1556 clerks/ sub staff belonging to SC/ST category were imparted training. Further, out of the above, as per the Government of India guidelines, pre-promotion training was imparted to 1456 SC/ST Officers & Clerks.

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

Being a responsible social citizen, Bank recognizes its responsibility towards society and actively involved itself in various CSR (Corporate Social Responsibility) activities which aimed at economic transformation, women development and rural uplift. Some of the Bank's initiatives in the field of Corporate Social Responsibility taken during the year include assisting integrated tribal development programme of various districts; rehabilitation of children with mental retardation, autism, cerebral palsy & multiple disabilities.

**CUSTOMER SERVICE**

The Bank has Board approved policies on deposits, customer grievance redressal, cheque collection, compensation payable on account of various deficiencies in service etc. These are well displayed on the Bank's website for the convenience of the customers, besides displaying at each branches of the Bank.

The Grievances Redressal Policy of the Bank is meant for minimizing instances of customer complaints and grievances through proper service delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances.

**Customer Service Initiatives taken during the year:**

a) With a view to improving the Customer Service in the branches and sensitize the staff, policy on 'Customer Service' has been adopted based on the following cardinal principles viz., Courtesy, Communication, Efficiency & timeliness, General Management of the branches, knowledge, etc.

b) The Bank is a Member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has voluntarily adopted the Code of Bank's Commitment to Customers and Code to MSME Customers.

c) With a view to educate customers about BCSBI Code provisions, Customer Meet has been organized in association with BCSBI officials at Bangalore on 19.10.2012, and at Mumbai on 23.01.2013 and 24.01.2013.

d) Out of 141 accepted recommendations of Damodaran Committee for implementation, Bank has implemented 91 recommendations and remaining recommendations are under various stages of implementation.

ङ) शाखाएँ, ग्राहक सेवा के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए ग्राहकों एवं वरिष्ठ नागरिक सदस्यों की सहभागिता के साथ मासिक आधार पर ग्राहक सेवा बैठकों का आयोजन करती हैं।

मंडल की ग्राहक सेवा समिति की त्रैमासिक बैठकों के दौरान तथा निदेशक मंडल की अर्धवार्षिक बैठकों में भी ग्राहक सेवा से संबंधित मुददों के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है।

च) ग्राहक सेवा स्तर के बारे में/ग्राहक सेवा पर ग्राहकों की प्रतिसूचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी शाखाओं में एक ही दिन 23.05.2012 को ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय/कॉरपोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यपालकों ने शाखाओं के दौरे किए, अधिक से अधिक ग्राहकों से बातचीत की और उनका फीड बैक प्राप्त किया।

छ) ग्राहकों की सभी शिकायतों/सुझावों पर तत्काल अमल किया गया और समाधान प्रस्तुत किए गए।

**अपने ग्राहक को जानिए/धन शोधन निवारक**

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) मानदंड और धनशोधन निवारक (ए एम एल) उपायों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति उपलब्ध है। खाता खोलते समय ग्राहकों की समुचित पहचान करने के लिए अपेक्षित कार्यविधियों का स्पष्ट उल्लेख इस नीति में किया गया है।

के.वाई.सी./ ए एम एल मानदंडों के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने सी.बी.एस. प्रणाली में के.वाई.सी. समाधान को लागू किया है ताकि नए खातों को खोलते समय के.वाई.सी. मानदंडों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो सके। खाता खोलने से पहले आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची का समेकित रूप से सत्यापन करने हेतु सी.बी.एस. प्रणाली को भी लैस किया गया है।

**नकद प्रबंधन सेवाएँ**

बैंक अपने नैगम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष एवं वेब आधारित नवीनतम प्रौद्योगिकीयुक्त सी.एम.एस. सोल्यूशन प्रदान करता है। बैंक द्वारा नकद प्रबंधन सेवाओं के अंतर्गत ग्राहकों को भुगतान सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

**अवरुद्ध रकम द्वारा समर्थित आवेदन पत्र (आस्बा)**

आस्बा एक सरल, सुरक्षित एवं स्मार्ट माध्यम है जिसके जरिए कंपनियों द्वारा प्रारंभ किए गए पब्लिक इश्यू में आसानी से आवेदन किया जा सकता है। आस्बा का उपयोग प्रारंभिक तथा अनुवर्ती पब्लिक ऑफर, राईट इश्यू, डेट इश्यू और म्यूचुअल फंड में किया जा सकता है।

ग्राहकों से प्राप्त आवेदनों को संभालने के मामले में सेबी द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक "सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स (एस सी एस बी एस)" है। यह सुविधा ग्राहकों को बैंक की हर शाखा द्वारा प्रदान की जाती है।

**नई पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)**

भारत सरकार ने वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से नई पेंशन योजना की शुरुआत की है, इस योजना के तहत विभिन्न

e) Branch Level Customer Service Committees shall discuss matters relating to Customer Service, with the participation of customers and senior citizen members.

The Customer Service related matters are also deliberated during quarterly meeting of Customer Service Committee of the Board and Meeting of Board of Directors at half yearly intervals.

f) Uniform Customer Meet was organized in all branches on 23.05.2012 to ascertain the level of customer service / feedback of customers on Customer Service. Executives from HO/CO/ RO visited and interacted with large number of customers and obtained feedback.

g) All customers' complaints / suggestions are quickly responded/resolved.

**KNOW YOUR CUSTOMER / ANTI MONEY LAUNDERING**

The Bank has a Board approved Policy on Know Your Customer (KYC) norms and Anti Money Laundering (AML) measures. The Policy clearly lays down the customer identification procedures to be adopted for proper identification of customers while opening accounts.

In order to have better compliance of KYC / AML norms, Bank has implemented KYC solution in the CBS system to enable opening of new accounts only with 100 per cent KYC compliance. So also, the CBS system is planned to provide for an integrated checking of Terrorist individuals / entities so that necessary checking is done before opening of accounts.

**CASH MANAGEMENT SERVICES**

The Bank provides an efficient and tailor-made Web based state of the art technology based CMS solution to suit the corporate customer requirements. The Bank is offering Payment services to the Customers under the Cash Management Services.

**Application Supported by Blocked Amount (ASBA)**

ASBA is a simple, safe and smart way for applying in public issues floated by the Companies. ASBA can be used for Initial and Follow-on Public Offers (IPO & FPO), Rights Issues, Debt Issues and Mutual Funds.

The Bank is one of the *'Self Certified SyndicateBanks* (SCSBs)' as per guidelines issued by SEBI, for handling ASBA applications received from customers. This facility is offered to the customers through all branches of the Bank.

**New Pension System (NPS)**

The Bank has been registered with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) as Point

सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उसके लिए बैंक ने प्वाँइंट ऑफ प्रजेन्स (पी ओ पी) के रूप में पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी एफ आर डी एस) के पास पंजीकृत कराया है। बैंक ने 2037 शाखाओं को नई पेंशन प्रणाली के तहत प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स सर्विस प्रोवाइडर (पी ओ पी एस पी) के रूप में पंजीकृत कराया है। असंगठित क्षेत्र में काम करनेवालों के लिए सरकार द्वारा लागू की गई स्वावलंबन योजना, जो एन.पी.एस. का एक घटक है, के अंतर्गत बैंक द्वारा सक्रिय रूप से विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

बैंक को पी.एफ.आर.डी.ए., एन.पी.एस.-लाईट स्कीम के लिए एग्रिगेटर के रूप में नामित किया गया है।

**डी मैट सेवाएँ**

1. बैंक के पास सेबी द्वारा प्रदत्त डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में स्थायी पंजीकरण है।
2. बैंक सी डी एस एल का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है।
3. इस सुविधा से ग्राहक अपने शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख सकते हैं।

**ईक्विटी व्यापार के लिए थ्री-इन-वन-खाता**

1. स्टॉक की ऑन लाइन ट्रेडिंग अत्यंत लोकप्रिय हो गई है। हमारे ग्राहकों को इसके लिए सुविधा प्रदान करने हेतु बैंक ने सिंड-ई-ट्रेड ब्रांड नाम के अंतर्गत थ्री-इन-वन खाते की शुरुआत की है।
2. इस सुविधा के अंतर्गत कासा खाता, डी मैट खाता और ट्रेडिंग खाता आते हैं जिससे हमारे ग्राहक बिना किसी मैनुअल सहयोग के स्ट्रेट-थ्रू प्रक्रिया के माध्यम से शेयरों में ऑन लाइन लेन-देन कर सकते हैं।

**बैंक एश्यूरेन्स**

**साधारण बीमा :**

- बैंक युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी के कॉरपोरेट एजेंट के रूप में साधारण बीमा उत्पादों का संवितरण कर रहा है जिसमें सिंडिकेटबैंक के खाताधारकों के लिए सिंड आरोग्य ग्रूप मेडिक्लेम बीमा सह व्यक्तिगत दुर्घटना रक्षा भी शामिल है।
- बैंक द्वारा युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के टेलर मेड उत्पाद यूनिहोम केयर एवं यूनि स्टडी केयर पालिसी के माध्यम से अपने आवास एवं शिक्षा ऋण ग्राहकों को बीमा रक्षा निरंतर प्रदान की जा रही है।

**जीवन बीमा:**

- जीवन बीमा निगम से प्राप्त की गई ''सिंड सुरक्षा'' ग्रूप इन्श्योरेन्स पालिसी के अंतर्गत बैंक द्वारा वैकल्पिक आधार पर ₹ 1.00 लाख की जीवन बीमा रक्षा और दुर्घटना से मृत्यु होने पर ₹ 2.00 लाख की रक्षा मामूली प्रीमियम पर प्रदान की जा रही है।
- बैंक अपने आवास ऋण तथा शिक्षा ऋण वाले ग्राहकों को वैकल्पिक आधार पर उनकी देयताओं के प्रति बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। यह बीमा सुरक्षा बैंक द्वारा बीमा कंपनियों से ली गई ग्रुप पालिसियों के माध्यम से प्रदान की जाती है जिनकी लागत स्पर्धात्मक दृष्टि से कम है।

of Presence (PoP) for offering the various services under the New Pension System, a scheme introduced by the Government of India, for providing old age income security. The Bank has already registered 2037 branches, under the scope of the NPS as Point of Presence - Service Provider (PoP-SP). The Bank has also been actively participating in offering services under the Swavalamban Yojana Scheme, a component of the NPS, which has been introduced by the government for persons working in the un-organized sector.

The Bank has also been appointed as Aggregator by PFRDA for NPS-Lite scheme.

**DEMAT Services**

1. The Bank is holding permanent registration as Depository Participant, granted by SEBI.
2. Bank is a Depository Participant of CDSL.
3. This facility enables customers to keep their shares/ Capital Market Securities in electronic form.

**THREE-IN-ONE ACCOUNT FOR EQUITY TRADING**

1. Trading in stocks online has gained immense popularity. To facilitate our customers, the Bank is offering Three-in-One account facility under the brand name *'Synd e-trade'*.
2. The facility comprises the CASA account, Demat account and Trading account enabling our customers to trade in shares online through Straight through process (without any manual intervention).

**BANCASSURANCE**

**General Insurance:**

- Bank is distributing General Insurance products as Corporate Agent of United India Insurance Co. including SyndArogya a Group Mediclaim Insurance Cum Personal Accident policy for SyndicateBank Account Holders.
- Bank continues to offer insurance cover for Housing & Education Loan Customers under tailor-made Uni Home Care & Uni Study care policies from United India Insurance Co Ltd.

**Life Insurance**

- Under "SyndSuraksha" group insurance policy taken from LIC of India, Bank offers Life Insurance cover, on optional basis, of ₹1.00 lakh and accidental death cover of ₹2.00 lakh, at nominal premium.
- Bank offers Life Insurance cover to Housing Loan & Education Loan borrowers on optional basis, to cover their liability through group policies obtained from Insurance Companies at competitive low cost.

## कार्ड कारोबार

### क्रेडिट कार्ड उत्पाद:

बैंक ने वीसा इंटरनेशनल के सहयोग से गोल्ड एवं क्लासिक क्रेडिट कार्डों का कारोबार शुरु किया है, जिनका प्रयोग ए.टी.एम., प्वाइंट-ऑफ-सेल्स टर्मिनल्स, इंटरनेट, आई वी आर तथा मेल आर्डरों के लिए किया जा सकता है। ये कार्ड पूरे विश्व भर में वैध हैं तथा विश्व में कहीं भी प्रयोग किए जा सकते हैं।

### डेबिट कार्ड उत्पाद :

1. बैंक वीसा एवं मास्टर (मेस्ट्रो) के एसोसिएशन से ग्लोबल डेबिट-सह-ए टी एम कार्ड जारी कर रहा है।
2. वर्ष के दौरान बैंक ने अपने उच्च मालियत वाले ग्राहकों तथा कृषकों के लिए और दो प्रकार के कार्ड जारी किए। ये निम्नलिखित हैं-
   - क) वीसा इंटरनेशनल के एसोसियेशन के साथ इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड जो ए टी एम तथा मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट दोनों के मामले में उच्च लेन-देन के लिए है।
   - ख) नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एन पी सी आई) के एसोसिएशन के साथ रुपे किसान कार्ड । ये कार्ड घरेलू उपयोग के लिए हैं जिनका परिचालन फिलहाल केवल ए टी एम से ही किया जा सकता है।

## उत्पाद विकास और सेवाएँ

उत्पाद विकास एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है जो बैंक के भावी विकास की संभाव्यताओं को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैंक द्वारा समाज के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए व्यापक रूप से उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं और ग्राहकों की रुचियों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादों एवं सेवाओं में निरंतर सुधार एवं परिष्कार किए जाते हैं। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निम्नांकित नए उत्पादों की शुरुआत की गई।

1. **सिंड नवरत्न बचत बैंक खाता :** यह बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया एक विशिष्ट बचत बैंक खाता है जो विशेष रुप से एम एन सी/ब्लू चिप कंपनियों/प्रतिष्ठित निजी संस्थाओं/सरकारी और अर्ध सरकारी उपक्रमों आदि में काम करनेवाले वेतनभोगी कर्मचरियों के लिए बनाया गया है और इसमें नौ सुविधाएं हैं, जैसे, शून्य शेष सुविधा, तत्काल ग्लोबल डेबिट कार्ड, संयुक्त खाताधारक को एड-ऑन डेबिट कार्ड, एस एम एस बैंकिंग सुविधा, आर टी जी एस/एन ई एफ टी के माध्यम से ₹ 1.00 लाख तक के निधि अंतरण की सुविधा, इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग सुविधा, बिना प्रभार के मांग ड्राफ्ट और भुगतान आदेश जारी करने की सुविधा (छह बार), सममूल्य पर देय चेक सुविधा और अस्थाई ओवरड्राफ्ट सुविधा।
2. **सिंड किसान तत्काल :** यह एक ऐसी विशेष योजना है जो उन एस के सी सी धारक किसानों को अधिकतम ₹ 50,000/- तक तत्काल मध्यावधि ऋण सुविधा प्रदान करती है जिनका पिछला रिकार्ड संतोषजनक रहा है। यह उनकी कृषि, घरेलू एवं सामाजिक दृष्टि से आनेवाली अल्पकालिक ऋण जरूरतों को पूरा करती है।

## CARD BUSINESS

### Credit Card Product:

The Bank in association with VISA International, offers Gold and Classic Credit Cards, which can be used at ATMs, Point-of-Sale terminals, Internet, IVR and for Mail Orders. The cards are valid globally and can be used throughout the world.

### Debit Card Product:

1. The Bank has been issuing Global Debit-cum-ATM cards in association with VISA and Master (Maestro).
2. During the year the Bank has launched two more variants catering to High Net Worth customers and Agriculturists. These variants are as under:-
   - a) International Gold Debit Cards, in association with VISA International, for higher transaction limits both at ATMs and Merchant Establishments.
   - b) Rupay Kisan Cards, in association with National Payment Corporation of India (NPCI). These Cards are meant for domestic use, which can presently be operated in ATMs only.

## PRODUCT DEVELOPMENT AND SERVICES

Product Development is a continuous and an ongoing process which plays a critical role in shaping future growth potential of the Bank. The Bank offers a wide array of products and services for all segment of the society and always endeavored to reposition and reengineer its products & services as per the changing customer choice and preferences. During the year the following new products have been introduced by the Bank:

1. **SyndNavaratna Savings Bank Account:** A unique Savings Bank account specially designed for the salaried class employed with MNCs/Blue chip companies/reputed private organisations / Government and semi-government undertakings has been launched by the Bank offering nine facilities viz. zero balance facility, instant global debit card, Add-on debit card to joint account holder, SMS banking facility, funds transfer facility through RTGS/NEFT up to ₹1.00 lakh, Internet and mobile banking facility, demand draft and pay orders issued without charges (6 instances), payable AT PAR cheque facility and temporary overdraft facility.
2. **Syndkisan Tatkal** : A special scheme to provide instant medium term credit facility up to a maximum of ₹50000/- to farmers holding SKCC with satisfactory past record, to meet the emergency credit needs to tide over the temporary difficulties in Agriculture, Domestic and Social fronts.

3. **सिंडिकेटबैंक रुपे किसान कार्ड :** सिंडिकेट बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एन पी सी आई) के साथ मिलकर उन किसानों को सिंडिकेटबैंक रूपे किसान कार्ड जारी किया है जिन्होंने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध की है। इस कार्ड के माध्यम से ए टी एम से नकदी निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है। रुपे किसान कार्ड द्वारा वैकल्पिक वितरण प्रणालियों के माध्यम से भुगतान साधनों को उपलब्ध कराने के कारण बैंक के वित्तीय सम ावेशन पहलुओं को बल मिला है।

4. **सिंडिकेटबैंक–वीसा इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड:** बैंक ने सिंडिकेटबैंक वीसा इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड का शुभारंभ किया है। यह व्यक्ति विशेषीकृत कार्ड है जो ग्राहकों को उच्चतम दैनंदिन संव्यवहारों के लिए ₹ 25,000/- की नकदी आहरण सीमा और मर्चेंट प्रतिष्ठानों एवं ऑन लाइन शॉपिंग के लिए ₹ 50,000/- की सीमा प्रदान करता है।

**अनुकूल गठजोड़ एवं संयुक्त उद्यम**

1. **म्यूचुअल फंड संवितरण उद्यम :** बैंक अपने ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के उददे्श्य से म्यूचुअल फंड संवितरण व्यवस्था के माध्यम से म्यूचुअल फंड उत्पादों की विस्तृन श्रेणी प्रस्तुत कर रहा है। बैंक ने नौ अग्रणी आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ एम एफ संवितरण व्यवस्था की है, उदाहरणार्थ, 1) रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कं. लिमिटेड 2) बिरला सनलाइफ एसेट मैनेजमेंट कं. लिमिटेड 3) आई डी बी आई एसेट मैनेजमेंट कं. लिमिटेड 4) एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कं. लिमिटेड 5) यू टी आई एसेट मैनेजमेंट कं. लिमिटेड 6) फ्रैंकलिन टेंप्लेटोन एसेट मैनेजमेंट कं. लिमिटेड 7) एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड 8) आई सी आई सी आई प्रुडेन्शियल एसेट मैनेजमेंट कं. लिमिटेड 9) डी एस पी ब्लैक रॉक इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि.। इस प्रकार हमारे ग्राहकों को व्यापक निवेश विकल्प उपलब्ध हो रहा है और हमारे प्रस्तावों का आधार भी व्यापक हो गया है।

2. **मेसर्स पियाजियो वेहिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (पी बी पी एल) के साथ गठजोड़ व्यवस्था :** बैंक ने बेंगलूर में दिनांक 5 दिसंबर 2012 को मेसर्स पियाजियो वेहिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (पी बी पी एल) के साथ एक गठजोड़ व्यवस्था की है और इस प्रकार बैंक अपेक्षित साझेदारी के साथ वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वाहन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

3. **प्रतिष्ठित वाणिज्यिक वाहन निर्माणकर्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन और उसका नवीकरण:** बैंक ने अत्यंत लघु उद्यमों के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित वाणिज्यिक वाहन निर्माणकर्ताओं जैसे, टाटा मोटर्स, टी वी एस मोटर्स, बजाज ऑटो लिमिटेड और फोर्स मोटर्स आदि के साथ अपनी गठजोड़ व्यवस्था का नवीकरण किया है।

4. **मेसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एम एस आई एल) के साथ गठजोड़ व्यवस्था :** बैंक ने सिंडवाहन योजना के अतंर्गत कार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मेसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एम एस आई एल) के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं और इससे बैंक कंपनी के साथ अधिमान वित्तीय साझेदार बन गया है।

3. **SyndicateBank RuPay Kisan Card:** SyndicateBank in association with National Payment Corporation of India (NPCI) had issued SyndicateBank RuPay Kisan Card to farmers who have availed Kisan credit card facility from the bank. The card is enabled for ATM cash withdrawal. The RuPay Kisan Card will give further thrust to the financial inclusion initiatives of the Bank by offering payment solutions through alternate delivery channels.

4. **SyndicateBank-VISA international Gold Debit Card:** Bank has also launched 'SyndicateBank VISA International Gold Debit Card.' These are personalized cards which provide customers with higher daily transactions limits for Cash withdrawal of ₹25,000/- and ₹50,000/- limit for use at Merchant establishments and Online Shopping.

**STRATEGIC ALLIANCE & JOINT VENTURES**

1. **Mutual Fund Distribution Venture**: Bank offers a wide range of Mutual Fund Products as a value added service to its Customers, through the MF distribution arrangement with Nine leading Asset Management Companies Viz., 1) Reliance Asset Management Company Ltd., 2) Birla Sun Life Asset Management Company ltd., 3) IDBI Asset Management Ltd., 4) HDFC Asset Management Company Ltd, 5) UTI Asset Management Company Ltd., 6) Franklin Templeton Asset Management Company Ltd.,7) SBI Funds Management Private Limited, 8) ICICI Prudential Asset Management Company Ltd., 9) DSP BlackRock Investment Managers Pvt. Ltd., thus providing a comprehensive investment option to our customers broad basing our offerings.

2. **Tie-up arrangement with M/s PIAGGIO Vehicles Pvt Ltd. (PVPL)**: SyndicateBank has entered into a Tie-up arrangement with M/s PIAGGIO Vehicles Pvt Ltd (PVPL) in Bangalore, on 5th Dec. 2012 forging thereby strategic partnership for promotion of the Bank's financing for purchase of vehicle for commercial use.

3. **MOUs signed and renewed with reputed Commercial Vehicle Manufacturers:** Bank has also renewed MOUs signed with reputed Commercial Vehicle Manufacturers viz. Tata Motors, TVS Motors, Bajaj Auto Ltd and Force Motors for financing commercial vehicles under Micro and Small Enterprises.

4. **Tie-up arrangement with M/s Maruti Suzuki India Ltd. (MSIL)** Bank has renewed MOU with M/s Maruti Suzuki India Ltd.,for financing cars under SyndVahan Scheme as a preferred financing partner with the company.

### बहुविध लाभ कासा अभियान

बैंक ने देश भर की अपनी शाखाओं में जुलाई 2012 से सितंबर 2012 तक विशेष चालू एवं बचत खाता (कासा) अभियान चलाया जो बहुविध लाभ से युक्त है। इस अभियान का मुख्य उददेश्य व्यक्तिगत और कारोबारी उद्यम दोनों तरह के अधिक से अधिक नए ग्राहकों को अपने बैंक के ग्राहक बनाना और बैंक की कासा जमाराशि में वृद्धि करना था। इस अभियान का विशेष आकर्षण यह था कि इसके माध्यम से बैंक ने अपने बचत बैंक तथा चालू खाताधारक ग्राहकों को बहुविध लाभ (व्यापक पैकेज) प्रस्तुत किए। इसमें तत्काल ग्लोबल डेबिट कार्ड (वीसा/मैस्ट्रो), सिंड सुरक्षा (मामूली प्रीमियम भुगतान करने पर बचत बैंक खातों के लिए बीमा रक्षा), मोबाइल बैंकिंग, एस एम एस बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एन ई एफ टी/आर टी जी एस सुविधा, किसी भी शाखा में बैंकिंग, लचीला खाता (स्वीप इन स्वीप ऑउट) विकल्प रिटेल आउटलेट के लिए पी ओ एस टर्मिनल, ऑन लाइन वैट/बिल भुगतान।

### एम टी एन कार्यक्रम

बैंक ने लंदन शाखा की निधीयन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 12 अक्तूबर 2012 को एम टी एन कार्यक्रम के अंतर्गत अत्यंत स्पर्धात्मक दर पर 500 मिलियन अमरीकी डालर उधार लिए। बैंक द्वारा आयोजित एम टी एन कार्यक्रम काफी सफल रहा और और ईश्यू पाँच गुना ओवर सबस्क्राइब हुआ तथा इसमें ज़बरदस्त सहभागिता हुई।

### अनुपालन विभाग

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति इस बात को स्पष्ट रूप से मानती है कि आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के साथ-साथ अनुपालन कार्य भी अभिशासन का एक अभिन्न अंग है। मुख्य अनुपालन अधिकारी (महा प्रबंधक श्रेणी के) द्वारा संचालित अनुपालन विभाग, बैंक में अनुपालन कार्य का पर्यवेक्षण करता है और अनुपालन जोखिम के प्रबंधन में वरिष्ठ प्रबंध तंत्र की मदद करता है।

उच्च अनुपालन मानकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की निरंतरता की दृष्टि से अनुपालन से संबंधित कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि उसमें और सुधार लाया जा सके। प्रतिवर्ष अनुपालन नीति की समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यकता हो तो प्राप्त अनुभवों और उसकी उपयोगिता के पहलू को ध्यान में रखते हुए उनमें संशोधन भी किए जाते हैं।

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बैंक द्वारा अक्तूबर 2005 से इस अधिनियम के संगत प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के तहत जिन सूचनाओं को प्रकट करना है, वे बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

अधिनियम के अंतर्गत बैंक के लिए अपील प्राधिकारी और विभिन्न स्तरों पर जन सूचना अधिकारी (पी आई ओ) और वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी (ए पी आई ओ) पदनामित किए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को बैंक ने स्पष्ट किया है।

संसदीय समिति के निदेशों के अनुसार बैंक ने शीर्ष स्तर पर एक अनुप्रवर्तन समिति का गठन किया है, जो आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन की

### MULTI BENEFIT CASA CAMPAIGN

Bank has launched a special current account savings account (CASA) campaign with multi-benefits from July 2012 to September 2012 across its branches in the country. The campaign was aimed to bring more new customers, both individuals and business enterprises into the Bank's fold and also to augment CASA deposit of the bank. The special attraction of this campaign was offer of multi-benefits (comprehensive package) to the Current Account & Savings Account customers. These included instant Global Debit Cards (VISA/Maestro), SyndSuraksha (life insurance cover for SB accounts against nominal premium payment), Mobile Banking, SMS banking, Internet Banking, NEFT/RTGS facility, Any Branch Banking Flexi Account (sweep in sweep out) option, POS terminal to Retail outlets, Online VAT/Bill Payments.

### MTN PROGRAMME

The Bank raised USD 500 Million on 12th October 2012 under MTN Programme for funding requirements of London Branch at very competitive rates. The MTN programme organized by the Bank was a success with the issue getting oversubscribed 5 times with strong participation.

### COMPLIANCE DEPARTMENT

Compliance Policy approved by the Board of Directors of the Bank articulates that the compliance function is an integral part of governance along with the internal control and risk management process. The Compliance Department headed by a Chief Compliance Officer (in the rank of General Manager) oversees the compliance functions in the Bank and assists the top management in managing the Compliance Risk.

Continuing with the Bank's commitment to high compliance standards, compliance function is reviewed regularly for making improvements. The compliance policy is reviewed every year and amendments, if necessary are carried out based on the experience gained and utility aspect.

### RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Bank has implemented the relevant provisions of the Act with effect from October 2005. The information related to the Bank as stipulated under the Act is displayed on the Bank's website.

The Appellate Authorities for the Bank under the Act and the Public Information Officers (PIOs) and Alternate Public Information Officers (APIOs) at various levels have been designated. The Bank has clearly spelt out the roles and responsibilities at different levels under the Act.

The Bank has constituted a Monitoring Committee at Apex level to oversee the implementation of the RTI Act. During

निगरानी करती है। वर्ष के दौरान समिति ने बैंक में आर टी आई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा की।

बैंक ने वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों तथा अपीलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान किया है। अधिनियम के प्रारंभ होने से लेकर अभी तक कें.सू.आ. (सी आई सी) ने बैंक के किसी भी जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध कोई भी दंड नहीं लगाए हैं।

**निरीक्षण और लेखा परीक्षा**

बैंक में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा, परोक्ष निगरानी, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, ए एम एल/के वाई सी अनुपालन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्थापित नीतियाँ हैं जिन्हें वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, विभाग ने 13328 लेखा परीक्षाएं (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार) आयोजित की है, उदाहरणार्थ आर बी आई ए, ऋण लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, मुद्रा तिजोरी लेखा परीक्षा, सेवा शाखा लेखा परीक्षा, अनुपालन लेखा परीक्षा और सभी नियंत्रण कार्यालयों एवं विभागों की प्रबंध लेखा परीक्षा की है।

**आंतरिक नियंत्रण और सतर्कता**

प्रबंधन कार्यों का एक महत्वपूर्ण भाग सतर्कता प्रशासन है, जिसका उद्देश्य संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार लाना है।

प्रणालियों तथा कार्यविधियों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शाखाओं में निवारक सतर्कता अध्ययन आयोजित करके, एस आई बी एम तथा बैंक के अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा बड़ी शाखाओं में निवारक सतर्कता समितियों के गठन के द्वारा निवारक सतर्कता पर बल दिया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान 194 शाखाओं में निवारक सतर्कता अभ्यास किए गए और शाखाओं के 261 खातों के मामलों में जिनमें बैंक की 130 शाखाएं शामिल हैं, बैंक को दृष्टिबंधकित मालों का आकस्मिक सत्यापन किया गया।

सम्मिलित सतर्कता उपायों के एक भाग के रूप में 29.10.2012 से 03.11.2012 के बीच बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन जोरदार ढंग से किया गया।

जिन मामलों में धोखाघड़ी के या सतर्कता के पहलू में अनियमितताएँ शामिल थी, उन सभी मामलों की यथाशीघ्र जाँच पड़ताल की गई और अनुशासिक कार्रवाई सुनिश्चित की गयी।

**सुरक्षा**

बैंक का सुरक्षा विभाग सभी शाखाओं, ए टी एम और कार्यालयों को प्रभावी, कारगर तथा प्रगतिपरक बेहतर सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।

वार्षिक सुरक्षा कार्ययोजना के द्वारा सुरक्षा विषय पर मार्गदर्शी सिद्धांतों की जानकारी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को कार्यान्वयन हेतु दी गई है। वर्ष के दौरान शाखाओं, ए टी एम, मुद्रा तिजोरी और प्रशासनिक कार्यालयों की सुरक्षा हेतु भा. रि. बैं. से प्राप्त मार्गदर्शी सिद्धांतों और अनुदेशों का कार्यान्वयन किया गया है।

the year, the Committee has reviewed the effectiveness of implementation of the RTI Act in the Bank.

During the year, the Bank has disposed of all the applications and all appeals received, within the stipulated time. Since the inception of the Act, CIC has not imposed any penalty so far on PIOs of the Bank.

**INSPECTION & AUDIT**

The Bank is having well defined, Board approved policies on Risk Based Internal Audit, Concurrent Audit, Information System Audit, AML/ KYC Compliance and Off-site Monitoring, which are being updated on annual basis. During this financial year, Department has conducted 13328 audits (as on 31.03.2013) viz., RBIA, Credit Audit, Concurrent Audit, Currency Chest Audit, Service Branch Audit, Compliance Audit and Management Audit of all Controlling Offices and Functional Departments.

**INTERNAL CONTROL AND VIGILANCE**

Vigilance administration is a crucial part of the Management function, aimed at improving the efficiency and ethical health of the organization.

Stress is laid on preventive vigilance by initiating preventive vigilance studies at branches, conducting Preventive Vigilance Training Programmes at SIBM & other Training Centres of the Bank and constitution of Preventive Vigilance Committees at the branches with a view to ensure strict adherence to systems and procedures. During the year under review, Preventive Vigilance Exercises were conducted in 194 Branches and Surprise Verification of goods hypothecated to Bank was conducted in 261 accounts covering 130 branches.

Vigilance Awareness Week was observed throughout the Bank from 29.10.2012 to 03.11.2012 in a befitting manner as part of Participative Vigilance measures.

Investigations are conducted expeditiously and disciplinary proceedings are ensured wherever frauds or irregularities with a vigilance angle are involved.

**SECURITY**

The Security Department of the Bank has been making constant efforts to provide effective, efficient and progressively better security solutions to all the branches, ATMs and offices.

The guidelines on security matters are disseminated to Regional Offices for implementation through Annual Security Action Plan. All RBI's guidelines and instructions received during the year for Security of Branches, ATMs, Currency Chests and Administrative Offices have been implemented and complied with.

मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सभी मुद्रा तिजोरियों के संबंध में सुरक्षा लेखा परीक्षा संचालित की गई है। सभी मुद्रा तिजोरियों को सुरक्षा तथा निगरानी उपकरण जैसे सी सी टी वी, ऑटोमेटिक टाइम लॉक, बायो-मैट्रिक एक्सेस कंट्रोल, हॉटलाइन्स, पैसिव इनफ्रा रेड डिवाइस, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम और ऑटो डायलर्स उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक के सभी कैश वैनों को ग्लोबल पोजिशनिंग रेडियो सिस्टम (जी पी आर एस) उपलब्ध कराए गए हैं ताकि मार्गस्थ विप्रेषण का तत्काल पता लगाया जा सके।

शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने हेतु, पहचानी गई 1667 असुरक्षित शाखाओं में सी सी टी वी लगाए गए हैं।

**पुरस्कार**

1. **ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम ओ आर डी), भारत सरकार ने हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्व उद्योग प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटी) को सर्वोत्कृष्ट निष्पादन पुरस्कार प्रदान किया:** दिनांक 28.07.2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित आर सेटी हितधारकों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान श्री जयराम रमेश, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार ने हमारे मणिपाल एवं कुमटा आर सेटी को 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार देश का सर्वोत्कृष्ट तथा द्वितीय सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किए।
2. **संडे स्टैंडर्ड द्वारा सर्वोत्कृष्ट बैंकर पुरस्कार:** वित्तीय समावेशन को कार्यान्वित करने के संबंध में किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न वर्ग के बैंकों में से हमारे बैंक को संडे स्टैंडर्ड द्वारा सर्वोत्कृष्ट बैंकर पुरस्कार प्रदान किया गया।
3. **स्कॉच फाउंडेशन डिजिटल समावेशन पुरस्कार 2012:** कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) तथा आईटी डिजॉस्टर रिकवरी (डी आर) प्रोजक्ट के लिए सिंडिकेटबैंक को स्कॉच फाउंडेशन जिटल इन्क्ल्यूजन अवार्ड 2012 के तहत दिनांक 18.09.2012 को नई दिल्ली में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया जो भारत में किसी संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2012 के दौरान कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और सूचना प्रौद्योगिकी आपदा समुत्थान (डीआर) परियोजना लागू करने वाले भारत के सर्वोच्च 100 आई सी टी परियोजनाओं की श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए सिंडिकेटबैंक को श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
4. **स्कॉच फाउंडेशन का वित्तीय समावेशन पुरस्कार:** बैंक को वर्ष 2012 के दौरान वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रशंसनीय निष्पादन के उपलक्ष्य में मेसर्स स्कॉच ग्रुप द्वारा दिनांक 05.01.2013 को दिल्ली में 'सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट' तथा ट्रॉफी प्रदान करके पुरस्कृत किया गया। भा रि बैं के भूतपूर्व गवर्नर एवं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष डॉ. सी रंगराजन के करकमलों द्वारा पुरस्कार दिया गया।

**सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड**

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 25 जनवरी 2006 को की गई थी, जो सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनी है, जिसकी प्राधिकृत पूंजी ₹ 10 करोड़ और प्रदत्त पूंजी ₹ 25 लाख है। इसका उद्देश्य बैंक को तथा बैंक के ग्राहकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को बैक ऑफिस सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह सब्सिडियरी लाभ देने वाली कंपनी है।

As per Guidelines, Security Audit has been conducted in respect of all Currency Chests. All Currency Chests are provided with security and surveillance equipment like CCTVs, Automatic Time Lock, Biometric Access Control, Hotlines, Passive Infra Red Devices, Automatic Fire Detection & Alarm System and Auto dialers. All the Cash Vans of the Bank have been provided with Global Positioning Radio System (GPRS) to facilitate real time tracking of remittance in transit.

To augment the security arrangements at branches, CCTV has been installed in 1667 identified vulnerable branches.

**Accolades/Awards**

1. **Ministry of Rural Development (MoRD), Govt of India conferred award for best Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) sponsored by the Bank**: Shri Jairam Ramesh, Hon'ble Minister for Rural Development, Govt of India has presented the awards to Our Manipal and Kumta RSETIs which has been adjudged as the Country's best and Second Best RSETIs as on 31.03.2012 during the first national meet of RSETI stake holders held at Vigyan Bhavan, New Delhi on 28.07.2012.
2. **'Best Banker Award' by Sunday Standard:** The Bank has been conferred Best Banker award by Sunday Standard amongst large category Banks based on field level survey of implementation of financial inclusion.
3. **SKOCH Foundation's Digital Inclusion Awards 2012**: Gold award has been conferred to SyndicateBank at SKOCH Foundation's Digital Inclusion Awards 2012, for Business Continuity Plan (BCP) and IT Disaster Recovery (DR) Project, the highest Independent honour in India, at a colourful function on 18/09/2012 at New Delhi. A Certificate of Merit was also awarded to SyndicateBank for Business Continuity Plan (BCP) & IT Disaster Recovery (DR) Project for being rated amongst the TOP 100 ICT projects in India during 2012.
4. **SKOCH Foundation's Financial Inclusion Awards**: The Bank was also awarded 'Certificate of Merit' and trophy for the meritorious performance under Financial Inclusion during 2012 by M/s Skoch Group at New Delhi on 05.01.2013. The Award is presented by Dr. C Rangarajan, former Governor, RBI and presently Chairman, PM's Economic Advisory Council.

**SYNDBANK SERVICES LTD**

SyndBank Services Limited (SBSL) was incorporated under the Companies Act 1956 on 25.01.2006, as a wholly owned subsidiary of SyndicateBank, with an Authorized Capital of ₹10 crore and paid up capital of ₹25 lakh to extend back-office services to SyndicateBank, its clients and other financial Institutions. The subsidiary is a profit making company.

**निदेशक मंडल में परिवर्तन:**

i. श्री.आनंद.के. पंडित को दिनांक 18.07.2012 से बैंक के शेयरधारक निदेशक रूप में निर्वाचित किया गया।
ii. सुश्री.जसलीन सूरी को दिनांक 18.07.2012 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया।
iii. श्री.सी.आर. नसीर अहमद को दिनांक 01.02.2013 से बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
iv. श्री ए आर नागप्पन और श्री भूपिंदर सिंह सूरी, दोनों, शेयर धारक निदेशक 26.06.2012 को सेवानिवृत्त हो गए। निदेशक मंडल इन दोनों सेवा निवृत्त निदेशकों द्वारा दिए गए बहमूल्य योगदान की तहेदिल से प्रशंसा करता है।

**निदेशकों की जिम्मेदारी से संबंधित विवरण**

दि. 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष से संबंधित वार्षिक लेखों को तैयार करते समय निदेशक मंडल निम्नवत् पुष्टि करते हैं :

कि वार्षिक लेखा तैयार करते समय प्रायोज्य लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और महत्वपूर्ण मुद्दें यदि कोई हों, पर उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

कि लेखाकरण नीतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और उनका निरंतर प्रयोग किया गया है।

समुचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किया गया है ताकि वह वित्तीय वर्ष के अंत को बैंक के कारोबार तथा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष से संबंधित बैंक के लाभ व हानि पर एक सत्य एवं सही चित्र दर्शा सके।

कि बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य प्रकार की विसंगतियों को रोकने तथा पता लगाने के लिए उन्होंने भारत में बैंकों पर लागू होनेवाली विधि संबंधी उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव करने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

कि वार्षिक लेखों को "निरंतर आधार" पर तैयार किया गया है।

**आभार**

निदेशक मंडल आम जनता, अपने मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारी सदस्यों से प्राप्त निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए उनके योगदान को प्रसन्नतापूर्वक अभिलेखित करता है। निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा भारत में और भारत से बाहर के संपर्कियों के प्रति भी समय-समय पर दिए गए उनके बहमूल्य एवं समय पर दिए गए मार्गदर्शन व समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(म.गि.संघवी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 18.05.2013

**CHANGES IN THE BOARD:**

i. Shri Anand K.Pandit elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 18.07.2012.
ii. Ms. Jasleenn Suri elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 18.07.2012.
iii. Shri C.R.Naseer Ahamed was appointed as Director of the Bank w.e.f. 01.02.2013.
iv. Shri A R Ngappan and Shri Bhupinder Singh Suri, both, Shareholder Directors retired on 26.06.2012. The Board of Directors places on record their sincere appreciation for the valuable contribution made by the outgoing Directors.

**DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT**

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2013, confirm the following:

That the applicable accounting standards have been followed in the preparation of annual accounts alongwith proper explanation relating to making departures;

That the accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;

That reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at the end of financial year and of the profit or loss of the Bank for the year ended March 31, 2013;

That proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

That the annual accounts have been prepared on a 'going concern' basis.

**ACKNOWLEDGEMENT**

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the public, valuable customers, shareholders and staff members for their continued support and patronage. The Board is also indebted to the Ministry of Finance, Government of India; RBI; SEBI and other regulatory authorities, various Financial Institutions, Banks and Correspondents in India and abroad for their unflinching and valuable support and guidance from time to time.

For and on behalf of the Board of Directors.

**(M G Sanghvi)**
Chairman & Managing Director

Place : Manipal
Date : 18.05.2013

# नैगम अभिशासन रिपोर्ट

1. बैंक का उद्देश्य हर भारतीय की चाहत का बैंक बनना, विश्व स्तर पर पसंदीदा बैंकिंग भागीदार बनना, कारोबार में निरंतर वृद्धि हासिल करना, मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम ताल-मेल बिठाते हुए समावेशी विकास एवं उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना है ।

2. बैंक का नैगम अभिशासन दर्शन उसके संचलन के संबंध में उसकी नैतिक कार्यप्रणाली के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता तथा शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के प्रयास के साथ जुड़ा हुआ है।

3. बैंक उच्च प्रकटीकरण मानकों तथा पारदर्शिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. बैंक सभी क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है।

5. बैंक ने अपने सभी कार्यक्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने नैगम दर्शन का मनसा, वाचा, कर्मणा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नैगम अभिशासन की एक प्रभावी एवं पारदर्शी प्रणाली बनाई है, जो व्यावसायिक निदेशक मंडल द्वारा संचालित है।

6. शानदार इतिहास की पृष्ठभूमि पर एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में विश्वास हासिल करते हुए बैंक में लेखांकन एवं सामान्य अभिशासन में अत्यंत ऊंचे स्तर के नैतिक मानदंड अपनाए गए हैं।

7. बैंक अपने लिए संपत्ति और संसाधनों को जुटाने, उनका संरक्षण करने तथा उनकी वृद्धि करने के लिए और अपने निष्पादन को ठीक समय पर तथा पारदर्शी ढंग से रिपोर्ट करने के संबंध में अपने सभी निवेशकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है।

8. बैंक में एक सुपरिभाषित नीति संहिता है, जो सेबी दिशा निदेशों के अंतर्गत निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होती है।

**नैगम अभिशासन के मामले में नैगम कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) द्वारा की गयी पर्यावरण संरक्षण पहल:**

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिशा-निदेशों के अनुसार उन सदस्यों को, जिन्होनें बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मे. कार्वी कंप्यूटर शेयर (प्रा.) लि., के यहाँ अपना ई-मेल आई डी पंजीकृत किया है, उन्हें सेवा संबंधी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजना है। वर्ष 2012-2013 के वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर उपलब्ध होगी।

जिन्होनें अपना ई-मेल पता बैंक के यहाँ पंजीकृत नहीं करवाया है उन्हें वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013 की हार्ड प्रति भेजी जाएगी।

**निदेशक मंडल:**

निदेशक मंडल, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और केन्द्र सरकार के राजपत्र अधिसूचना संदर्भ सं. एफ. 4/1/94 बी.ओ.आई. (1) दिनांक 3.4.1995 के अनुसार गठित किया गया है जिसका संशोधन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के जरिए किया गया है।

संप्रति, मंडल में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 पूर्णकालिक निदेशक यानी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 2 कार्यपालक निदेशक, एक सरकार द्वारा नामित निदेशक, भा.रि.बैं. द्वारा नामित 1 निदेशक, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित एक कामगार कर्मचारी निदेशक और एक अधिकारी कर्मचारी निदेशक, एक सनदी लेखाकार निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित 3 अन्य निदेशक चयनित शेयरधारक निदेशक हैं। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर अन्य सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक मंडल की अध्यक्षता करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक - सं। मंडल की अध्यक्षता करते हैं। बैंक का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश, कारोबार एवं कार्यों का प्रबन्धन निदेशक मंडल में निहित है।

# REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1) The bank aims to be a bank of choice of every Indian and a preferred partner globally, to achieve consistent growth in business, to endeavour for inclusive development and to ensure service excellence through effective harnessing of human capital and technology.

2) The Bank's Corporate Governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value.

3) The Bank is committed to following high disclosure standards and transparency.

4) The Bank has been scrupulously ensuring compliance with norms laid down by regulatory authorities in all areas.

5) To ensure that the corporate philosophy of the Bank is practiced in letter and spirit in all the functional areas of the Bank for fulfilling the mission adopted, the Bank has an effective and transparent system of Corporate Governance driven by a professional Board.

6) Conscious of the trust enjoyed by it as a public Institution with a proud history, the Bank maintains high ethical standards in accounting and general governance.

7) The Bank recognizes its accountability to all stakeholders for creating, protecting and enhancing wealth and resources for the Bank and reporting to them on its performance in a timely and transparent manner.

8) The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct, which is applicable to all the members of the Board and Senior Management in line with the SEBI Guidelines.

**Green Initiatives in the Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)**

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs regarding service of documents by e-mode, soft copies of Annual Report 2012-2013 of the Bank will be sent to those members, who have registered their email IDs with M/s. Karvy Computershare (P.) Ltd., Registrar and Share Transfer Agents of the Bank. Soft copy of Annual Report 2012-2013 will be placed on the website of the Bank www.syndicatebank.in.

Hard copies of Annual Report 2012-2013 will be sent to the members who have not registered his/her e-mail address with the Bank.

**BOARD OF DIRECTORS**

The Board has been constituted in accordance with section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as per the Central Government Gazette Notification No. F 4/1/94-BO.I(1) dated 03.04.1995 as amended vide Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006.

Presently, the Board comprises of 3 whole time Directors, the Chairman & Managing Director and the 2 Executive Directors, appointed by Central Government, 1 Government Nominee Director, 1 RBI Nominee Director, 1 Workmen Employee Director, 1 Officer Employee Director, 1 Chartered Accountant Director, 3 Directors nominated by the Central Government and 2 elected Shareholder Directors. All the Directors of the Bank, except the Chairman & Managing Director and Executive Directors are non-Executive Directors. The Chairman & Managing Director, in his absence the Executive Director No.1, presides over the Board meetings. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank are vested with the Board of Directors.

बैंक के निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन एवं श्रेणी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | शैक्षणिक योग्यता | निदेशक पद का संवर्ग | धारा 9(3) की उप धारा के अंतर्गत | कार्यग्रहण की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री म. गि. संघवी | बी.कॉम., एल.एल.बी., एफ.सी.ए., सी.ए.आई.आई.बी. | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | खंड (ए) | 01.03.2012 |
| 2. | श्री रवि चटर्जी | बी.टेक. | कार्यपालक निदेशक | खंड (ए) | 01.09.2010 |
| 3. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | एम.एस.सी., एम.बी.ए., सी.ए.आई.आई.बी., सी.आर.बी., आई.आई.बी.एफ. के सदस्य | कार्यपालक निदेशक | खंड (ए) | 24.08.2011 |
| 4. | श्री एच. प्रदीप राव | एम.बी.ए., एम.ए., सी.आई.ए. (प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक) | भारत सरकार के नामिती निदेशक (केन्द्र सरकार के प्राधिकारी) | खंड (बी) | 10.05.2010 |
| 5. | श्री ए. एस. राव | बी.कॉम., एम.बी.ए., सी.ए.आई.आई.बी. भाग-I | भा.रि.बैं. के नामिती निदेशक | खंड (सी) | 30.07.2010 |
| 6. | श्री नरेंद्र एल. दवे | बी.कॉम., एल.एल.बी. (सामान्य) | कामगार कर्मचारी निदेशक | खंड (ई) | 31.08.2010 |
| 7. | श्री दिनकर एस. पूंजा | बी.एफ.एस.सी. | अधिकारी कर्मचारी निदेशक | खंड (एफ) | 12.07.2010 |
| 8. | श्री दिलीप कुमार सक्सेना | बी.कॉम., एफ.सी.ए. | भारत सरकार के नामिती निदेशक | खंड (जी) | 22.07.2011 |
| 9. | श्री जगदीश राज श्रीमाली | बी.ए. | भारत सरकार के नामिती निदेशक | खंड (एच) | 29.07.2011 |
| 10. | श्री रमेश एल. अडिगे | एम.बी.ए. और मार्केटिंग में विशेषज्ञता बी.ई. (ऑनर्स) | भारत सरकार के नामिती निदेशक | खंड (एच) | 09.12.2011 |
| 11. | श्री सी. आर. नसीर अहमद | बी.ए. | भारत सरकार के नामिती निदेशक | खंड (एच) | 01.02.2013 |
| 12. | श्री आनंद के. पंडित | बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन) | शेयरधारक निदेशक | खंड (आई) | 18.07.2012 |
| 13. | सुश्री जसलीन सूरी | बी.कॉम., एम.बी.ए. मार्केटिंग एवं फायनेंस में विशिष्टता सहित, बीमा एवं जोखिम प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा | शेयरधारक निदेशक | खंड (आई) | 18.07.2012 |

जिन निदेशकों ने बोर्ड में 2012-13 के दौरान कार्यग्रहण किया है, उनका संक्षिप्त बायो-डेटा निम्नलिखित है:

**श्री आनंद के पंडित:**

श्री आनंद के पंडित, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में स्नातक इंजीनियर तथा एक सफल उद्यमी हैं। वे सामाजिक कल्याण गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं तथा कम उम्र में बड़ी सफलताएं पाई हैं। वे एक व्यापक पर्यटक एवं विभिन्न विधाओं की पुस्तकों के सुधी पाठक भी हैं। उन्होंने भारत एवं विदेशों की नामी संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं में भाग लिया है । भू-संपदा, मेहमानबाजी, फिल्म फायनेंसिंग तथा पूंजी बाज़ार निवेश के कारोबार से जुड़े लोटस समूह के अध्यक्ष हैं।

इससे पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में भारत सरकार के नामिती निदेशक तथा शेयरधारक निदेशक रह चुके हैं।

**सुश्री जसलीन सूरी:**

सुश्री जसलीन सूरी ने नोएडा स्थित एमिटी बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग एवं फायनेंस की विशेषज्ञता सहित एम.बी.ए. किया है । उन्होंने नई दिल्ली के बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नॉलॉजी से बीमा एवं जोखिम प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एण्ड मॅरी कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री प्राप्त की है ।

The present composition and category of the Board of Directors of the Bank are furnished below:

| Sl. No. | Name of the Director | Qualifications | Category of Directorship | Under sub-section of Section 9 (3) | Date of assuming office |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri M. G. Sanghvi | B.Com., LLB, FCA, CAIIB | Chairman & Managing Director | Clause (a) | 01.03.2012 |
| 2. | Shri Ravi Chatterjee | B.Tech. | Executive Director | Clause (a) | 01.09.2010 |
| 3. | Shri M. Anjaneya Prasad | M.Sc., MBA, CAIIB, CRB, Fellow of IIBF | Executive Director | Clause (a) | 24.08.2011 |
| 4. | Shri H. Pradeep Rao | MBA, MA, CIA (Certified Internal Auditor) | Govt. Nominee Director (Official of Central Government) | Clause (b) | 10.05.2010 |
| 5. | Shri A.S. Rao | B.Com., MBA, CAIIB Part I | RBI Nominee Director (Official of RBI) | Clause (c) | 30.07.2010 |
| 6. | Shri Narendra L. Dave | B.Com., LLB (Gen) | Workmen Employee Director | Clause (e) | 31.08.2010 |
| 7. | Shri Dinkar S. Punja | B.FSc. | Officer Employee Director | Clause (f) | 12.07.2010 |
| 8. | Shri Dilip Kumar Saxena | B.Com., FCA | GoI Nominee Director | Clause (g) | 22.07.2011 |
| 9. | Shri Jagdish Raj Shrimali | B.A. | GoI Nominee Director | Clause (h) | 29.07.2011 |
| 10. | Shri Ramesh L. Adige | MBA with specialization in Marketing, BE (Hons) | GoI Nominee Director | Clause (h) | 09.12.2011 |
| 11. | Shri C. R. Naseer Ahamed | B.A. | GoI Nominee Director | Clause (h) | 01.02.2013 |
| 12. | Shri Anand K. Pandit | B.E. (Electronics & Communications) | Shareholder Director | Clause (i) | 18.07.2012 |
| 13. | Ms. Jasleenn Suri | B.Com., MBA with specialization in Marketing & Finance, PG Dip. in Insurance & Risk Mgt. | Shareholder Director | Clause (i) | 18.07.2012 |

A brief bio-data of directors who joined the Board in 2012-13 is given here below:

**Shri Anand K. Pandit**

Shri Anand K. Pandit is B. E. in Electronics and Communication, a successful entrepreneur. He is active in undertaking social welfare activities and tasted success at a very young age. He is an extensive traveler and a constant reader of diverse subjects. He has participated in conferences, seminars, workshops, conducted by reputed institutions in India and abroad. He is the Chairman of Lotus Group, which has business interests in Real Estate, Hospitality, Film financing and Capital Market investments.

Earlier, he served as a Government Nominee Director and shareholder Director in a Public Sector Bank.

**Ms. Jasleenn Suri**

Ms. Jasleenn Suri is Masters in Business Administration with specialization in Marketing & Finance from Amity Business School, Noida. She holds a Post Graduate Diploma in Insurance & Risk Management from Birla Institute of Management Technology, New Delhi and a Bachelor in Commerce from Jesus and Mary College, Delhi University.

उन्होंने खुदरा, निवेश बैंकिंग, भू-संपदा, पेट्रोलियम उत्पाद आदि क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य करने का 15 वर्षों का अनुभव हासिल किया है। वह बीपीसीएल के न्यु जेनरेशन रिटेल आउटलेट तथा ''इन एण्ह आउट'' ब्रांड वाले सुविधाजनक स्टोर पद्धति की आयोजना एवं कार्यान्वयन से जुड़ी रही है।

उन्हें वर्ष 2000 के लिए ''काउंसिल फॉर फेयर बिज़नेस प्रैक्टिस'' द्वारा ''सर जमनालाल बजाज उचित व्यवहार पुरस्कार'' से नवाज़ा गया।

**श्री सी. आर. नसीर अहमद:**

श्री सी. आर. नसीर अहमद कर्नाटक के दावणगिरि से जुड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका उद्देश्य है, उपेक्षित वर्ग को ऊपर उठाना तथा बैंकिंग समस्याओं से निजात दिलाना। हर व्यक्ति की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना तथा जिम्मेदारीपूर्ण ढंग में उस पर शीघ्र निर्णय लेने की जन्मजात क्षमता उनके अंदर है।

उन्होंने दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों का व्यापक भ्रमण किया है तथा देश की आर्थिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करते हुए एक जीवंत एवं समर्थ अर्थव्यवस्था कायम करने का बीड़ा उठाया है।

उन्हें कर्नाटक राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा विभिन्न समितियों/मंडलों के लिए नामित किया गया है।

**निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन:**

निदेशक मंडल की बैठक राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के अनुसार सामान्यतः एक वर्ष में कम से कम 6 बार और एक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2012-2013 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में 10 बैठकें आयोजित कीं ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | 13.06.2012 | 04.07.2012 | 16.07.2012 | 30.07.2012 |
| 08.09.2012 | 22.10.2012 | 20.12.2012 | 23.01.2013 | 06.03.2013 |

निदेशक मंडल की बैठकों में मंडल के सदस्यों की पिछली वार्षिक आम बैठक, बैंक के मंडल की अन्य समितियों में उनकी सदस्यता तथा अन्य कंपनियों में निदेशकों के रूप में उनकी साझेदारी इत्यादि के पूर्ण ब्यौरे निम्नवत् हैं :

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति | | निदेशक मंडल की अन्य समितियों की सदस्यता | अन्य कंपनियों में निदेशक पद* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | निदेशक मंडल की बैठकें | पिछला ए.जी.एम. 17.07.2012 | | |
| 1. | श्री म.गि. संघवी | 10/10 | उ | एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफसी, सीएससी, डीपीसी, आईटीएससी, एचआरसी, सीपीबीए, सीएमआर | 1 |
| 2. | श्री रवि चटर्जी | 10/10 | उ | एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एसआईजीसी, एससीएमएफसी, सीएससी, एसटीसी, आईटीएससी, एचआरसी, सीपीबीए, सीएमआर | 1 |
| 3. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | 10/10 | उ | एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एसआईजीसी, एससीएमएफसी, सीएससी, एसटीसी, आईटीएससी, एचआरसी, सीपीबीए, सीएमआर | 1 |
| 4. | श्री एच. प्रदीप राव | 8/10 | अनु | एसीबी, डीपीसी, सीएससी, आरसी, एनसी, सीपीबीए, सीएमआर | 1 |
| 5. | श्री ए. एस. राव | 8/10 | उ | एमसीबी, एसीबी, डीपीसी, आरसी, सीपीबीए | - |
| 6. | श्री नरेन्द्र एल. दवे | 9/10 | उ | आरएमसी, सीएससी, एसआईजीसी, एचआरसी | - |
| 7. | श्री दिनकर एस. पूंजा | 10/10 | उ | आईटीएससी, एससीएमएफसी, एचआरसी | - |
| 8. | श्री दिलीप कुमार सक्सेना | 10/10 | उ | एमसीबी, एसीबी, सीएससी, आरसी | - |
| 9. | श्री जगदीश राज श्रीमाली | 10/10 | उ | एमसीबी, एसीबी, एनसी, सीपीबीए | - |

She possesses diversified exposure of over 15 years in varied sectors spanning across Retail, Investment Banking, Real Estate, Petroleum Products etc. She was associated with planning and implementation of the BPCL's - New Generation Retail Outlet & concept of convenience stores under the Brand Name "In & Out".

She was awarded "Sir Jamna Lal Bajaj Uchit Vyavahar Puraskar" by "Council for Fair Business Practices" for the year 2000.

**Shri C. R. Naseer Ahamed:**

Shri C. R. Naseer Ahamed, a Social worker hailing from Davangere, Karnataka. He possesses poised attitude for upliftment of the underprivileged and is having keen insight into the banking problems. He has got innate ability to take quick and reasonably precise decisions and a patient listener to each and every individual. He travelled extensively including remote rural areas and possesses the first hand knowledge of the economic situation prevailing in the country and the tasks ahead to make the economy vibrant and resilient.

He has been nominated by Karnataka State Government and Government of India as a member in various committees/ Boards.

**CONDUCT OF BOARD MEETINGS:**

The Meetings of the Board shall ordinarily be held at least 6 times in a year and at least once in a quarter in accordance with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. During the year 2012-2013 the Board held 10 meetings on the following dates:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | 13.06.2012 | 04.07.2012 | 16.07.2012 | 30.07.2012 |
| 08.09.2012 | 22.10.2012 | 20.12.2012 | 23.01.2013 | 06.03.2013 |

The details of the Board members at the Board meetings and last AGM, their membership in other Committees of the Board of the Bank and their association with other Companies as Directors are given below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance | | Membership in other Committees of the Board | Directorship in other Companies* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Board | Last AGM 17.07.2012 | | |
| 1. | Shri M. G. Sanghvi | 10/10 | P | MCB, RMC, SCMFC, CSC, DPC, ITSC, HRC, CPBA, CMR | 1 |
| 2. | Shri Ravi Chatterjee | 10/10 | P | MCB, ACB, RMC, SIGC, SCMFC, CSC, STC, ITSC, HRC, CPBA, CMR | 1 |
| 3. | Shri M. Anjaneya Prasad | 10/10 | P | MCB, ACB, RMC, SIGC, SCMFC, CSC, STC, ITSC, HRC, CPBA, CMR | 1 |
| 4. | Shri H. Pradeep Rao | 8/10 | A | ACB, DPC, CSC, RC, NC, CPBA, CMR | 1 |
| 5. | Shri A. S. Rao | 8/10 | P | MCB, ACB, DPC, RC, CPBA | – |
| 6. | Shri Narendra L. Dave | 9/10 | P | RMC, CSC, SIGC, HRC | – |
| 7. | Shri Dinkar S. Punja | 10/10 | P | ITSC, SCMFC, HRC | – |
| 8. | Shri Dilip Kumar Saxena | 10/10 | P | MCB, ACB, CSC, RC | – |
| 9. | Shri Jagdish Raj Shrimali | 10/10 | P | MCB, ACB, NC, CPBA | – |

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति | | निदेशक मंडल की अन्य समितियों की सदस्यता | अन्य कंपनियों में निदेशक पद* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | निदेशक मंडल की बैठकें | पिछला ए.जी.एम. 17.07.2012 | | |
| 10. | श्री रमेश एल. अडिगे | 10/10 | उ | एमसीबी, एसटीसी, एनसी, सीपीबीए | 3 |
| 11. | श्री एआर नागप्पन (दि. 26.06.2012 तक) | 2/2 | – | आरएमसी, सीएससी, एचआरसी, एसआईजीसी, सीपीबीए | 1 |
| 12. | श्री भूपिंदर सिंह सूरी (दि. 26.06.2012 तक) | 2/2 | – | एमसीबी, एसटीसी, सीपीबीए | 3 |
| 13. | श्री आनंद के पंडित (दि. 18.07.2012 से) | 3/6 | – | एमसीबी, एसटीसी, आरसी, एसआईजीसी | |
| 14. | सुश्री जसलीन सूरी (दि. 18.07.2012 से) | 6/6 | – | आरएमसी, आईटीसी, एससीएमएफसी, एचआरसी | |
| 15. | श्री सी आर नसीर अहमद (दि. 01.02.2013 से) | 1/1 | – | – | |

* कंपनी अधिनियम, 2000 की धारा 275 के अनुसार

| | | | |
|---|---|---|---|
| उ | – उपस्थित | अ | – अनुपस्थित |
| एमसीबी | – मंडल की प्रबंधन समिति | एसीबी | – मंडल की लेखा परीक्षा समिति |
| डीपीसी | – विभागीय पदोन्नति समिति | आरएमसी | – जोखिम प्रबंधन समिति |
| एसआईजीसी | – शेयरधारकों /निवेशकों की शिकायत समिति | एनसी | – नामांकन समिति |
| एससीएमएफएफसी | – कपटपूर्ण मामलों की जांच एवं अनुवर्तन के लिए विशेष समिति | आरसी | – पारिश्रमिक समिति |
| सीएससी | – ग्राहक सेवा समिति | एसटीसी | – शेयर अंतरण समिति |
| आईटीएससी | – सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति | एचआरसी | – मानव संसाधन समिति |
| सीएमआर | – वसूली अनुप्रवर्तन समिति | सीपीबीए | – पारा बैंकिंग कार्यकलापों की समिति |

**मंडल की प्रबंधन समिति:**

मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी) का गठन भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.4/1/86/बी.ओ.आई. (1) दिनांक 11.7.1986 के अनुसार की गई और भारत सरकार द्वारा उनके परिपत्र सं.एफ.सं.4/1/94 - बीओआई (i) दिनांक 10.11.1995 के जरिए सूचित किए गए अनुसार उसका पुनर्गठन किया गया । पुन:, भारत सरकार ने भा.रि.बैं. के साथ परामर्श करके योजना 1970 में संशोधन किया जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) योजना, 2007 कहा गया और जिसे दि. 8.3.2007 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए। प्रबंध समिति ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने, ऋणों का समझौता/निपटान, बट्टे खाते डाले गए प्रस्ताव, पूंजीगत और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसर और भवनों का अधिग्रहण और किराये पर देना, दावा/अपील दायर करना, निवेश, अंशदान अन्य मामले जो बोर्ड द्वारा समिति को सौंपे जाते हैं, के संबंध में सभी अधिकारों का प्रयोग करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 18 बैठकें आयोजित की गईं:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | 26.05.2012 | 13.06.2012 | 27.06.2012 | 16.07.2012 | 30.07.2012 |
| 27.08.2012 | 08.09.2012 | 22.09.2012 | 22.10.2012 | 17.11.2012 | 08.12.2012 |
| 20.12.2012 | 22.01.2013 | 26.02.2013 | 06.03.2013 | 20.03.2013 | 29.03.2013 |

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance | | Membership in other Committees of the Board | Directorship in other Companies* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Board | Last AGM 17.07.2012 | | |
| 10. | Shri Ramesh L. Adige | 10/10 | P | MCB, STC, NC, CPBA | 3 |
| 11. | Shri AR Nagappan (Upto 26.06.2012) | 2/2 | – | RMC, CSC, HRC, SIGC, CPBA | 1 |
| 12. | Shri Bhupinder Singh Suri (Upto 26.06.2012) | 2/2 | – | MCB, STC, CPBA | 3 |
| 13. | Shri Anand K. Pandit (From 18.07.2012) | 3/6 | – | MCB, STC, RC, SIGC | |
| 14. | Ms. Jasleenn Suri (From 18.07.2012) | 6/6 | – | RMC, ITC, SCMFC, HRC | |
| 15. | Shri C R Naseer Ahamed (From 01.02.2013) | 1/1 | – | – | |

* As per section 275 of Companies Act, 2000

P – Present
MCB – Management Committee of the Board
DPC – Department Promotion Committee
SIGC – Shareholders'/Investors' Grievance Committee
SCMFC – Special Committee for Monitoring & Follow up of Fraud Cases
CSC – Customer Service Committee
ITSC – Information Technology Strategy Committee
CMR – Committee for Monitoring Recovery

A – Absent
ACB – Audit Committee of the Board
RMC – Risk Management Committee
NC – Nomination Committee
RC – Remuneration Committee
STC – Share Transfer Committee
HRC – Human Resource Committee
CPBA – Committee on Para Banking Activities

**MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD:**

The Management Committee of the Board was constituted in terms of Govt. of India Notification No. F 4/1/86.BO.I (I) dated 11.07.1986 and was reconstituted as advised by Govt. of India vide their Notification No. F No. 4/1/94-BO.I(i) dated 10.11.1995. Further Government of India after consultation with the RBI made the Scheme to amend the 'Scheme 1970' called Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme 2007, read with corrigendum dated 08.03.2007. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of sanctioning of credit proposals, compromise settlement of loans, write off proposals, approval of capital & revenue expenditure, acquisition & hiring of premises, filing suits/appeals, investments, donations and any other matter referred to / delegated to the Committee by the Board.

The Committee met 18 times during the year on the following dates:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | 26.05.2012 | 13.06.2012 | 27.06.2012 | 16.07.2012 | 30.07.2012 |
| 27.08.2012 | 08.09.2012 | 22.09.2012 | 22.10.2012 | 17.11.2012 | 08.12.2012 |
| 20.12.2012 | 22.01.2013 | 26.02.2013 | 06.03.2013 | 20.03.2013 | 29.03.2013 |

मंडल की प्रबंध समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री म. गि. संघवी | 18/18 |
| 2. | श्री रवि चटर्जी | 18/18 |
| 3. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | 17/18 |
| 4. | श्री ए. एस. राव | 17/18 |
| 5. | श्री नरेन्द्र एल. दवे (दि. 30.01.2013 तक) | 7/8 |
| 6. | श्री दिनकर एस. पूंजा (दि. 30.01.2013 तक) | 8/8 |
| 7. | श्री दिलीप कुमार सक्सेना | 18/18 |
| 8. | श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 01.04.2012 से 30.07.2012 तक तथा 31.03.2013 से) | 7/7 |
| 9. | श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 01.04.2012 से 30.07.2012 तक तथा 31.01.2013 से) | 6/7 |
| 10. | श्री भूपिंदर सिंह सूरी (दि. 26.06.2012 तक) | 2/3 |
| 11. | श्री आनंद के पंडित (दि. 31.01.2013 से) | 2/4 |
| 12. | सुश्री जसलीन सूरी (दि. 18.07.2012 से 30.01.2013 तक) | 8/8 |

**मंडल की लेखा-परीक्षा समिति:**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया, जो बैंक में संपूर्ण लेखा परीक्षा परिचालन हेतु निदेश देने के साथ-साथ उस निगरानी भी करती है, जिसमें संगठन, परिचालनकरण ए.एफ.आई. की समीक्षा और अनुपालन, लेखा परीक्षित गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अनुमोदन और आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा पर अनुप्रवर्तन तथा भा.रि.बैं. द्वारा निरीक्षण आदि कार्यों को करती है । मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक की आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की समीक्षा करती है। यह विशिष्ट और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक श्रेणी निर्धारित शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 8 बैठकें आयोजित की गईं:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | 16.07.2012 | 30.07.2012 | 08.09.2012 |
| 22.10.2012 | 21.12.2012 | 23.01.2013 | 06.03.2013 |

मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री दिलीप कुमार सक्सेना | 8/8 |
| 2. | श्री रवि चटर्जी | 8/8 |
| 3. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | 8/8 |
| 4. | श्री एच. प्रदीप राव | 6/8 |
| 5. | श्री ए. एस. राव | 7/8 |
| 6. | श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 31.07.2012 से) | 5/5 |
| 7. | श्री भूपिंदर सिंह सूरी (दि. 26.06.2012 तक) | 1/1 |

**जोखिम प्रबंधन समिति:**

भा.रि.बैं. के निदेशानुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में सही ढ़ंग से जोखिम प्रबंधन पद्धति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए ''जोखिम प्रबंधन समिति'' का गठन किया है।

The members of the Management Committee of the Board and their attendance at the meetings are given below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri M. G. Sanghvi | 18/18 |
| 2. | Shri Ravi Chatterjee | 18/18 |
| 3. | Shri M. Anjaneya Prasad | 17/18 |
| 4. | Shri A. S. Rao | 17/18 |
| 5. | Shri Narendra L. Dave (upto 30.01.2013) | 7/8 |
| 6. | Shri Dinkar S. Punja (upto 30.01.2013) | 8/8 |
| 7. | Shri Dilip Kumar Saxena | 18/18 |
| 8. | Shri Jagdish Raj Shrimali (from 01.04.2012 till 30.07.2012 and from 31.01.2013) | 7/7 |
| 9. | Shri Ramesh L. Adige (from 01.04.2012 till 30.07.2012 and from 31.01.2013) | 6/7 |
| 10. | Shri Bhupinder Singh Suri (upto 26.06.2012) | 2/3 |
| 11. | Shri Anand K. Pandit (from 31.01.2013) | 2/4 |
| 12. | Ms. Jasleenn Suri (from 18.07.2012 till 30.01.2013) | 8/8 |

**AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD:**

The Audit Committee of the Board was constituted as per the instructions/guidelines issued by Reserve Bank of India to provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank which includes the organising, operationalising and quality of Internal Audit and Inspection within the Bank and follow up of the statutory/external Audit of the Bank and Inspection of RBI. The ACB reviews the internal Inspection/Audit function in the Bank. It also reviews the inspection reports of specialized and exceptionally large branches and also branches with unsatisfactory ratings.

The Committee met 8 times during the year on the following dates:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | 16.07.2012 | 30.07.2012 | 08.09.2012 |
| 22.10.2012 | 21.12.2012 | 23.01.2013 | 06.03.2013 |

The details with regard to the members of the Audit Committee of the Board and their attendance at the meetings are as given below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri Dilip Kumar Saxena | 8/8 |
| 2. | Shri Ravi Chatterjee | 8/8 |
| 3. | Shri M. Anjaneya Prasad | 8/8 |
| 4. | Shri H. Pradeep Rao | 6/8 |
| 5. | Shri A. S. Rao | 7/8 |
| 6. | Shri Jagdish Raj Shrimali (from 31.07.2012) | 5/5 |
| 7. | Shri Bhupinder Singh Suri (upto 26.06.2012) | 1/1 |

**RISK MANAGEMENT COMMITTEE:**

In terms of RBI direction, the Board of Directors of the Bank constituted "Risk Management Committee" of the Board for successful implementation of proper Risk Management Systems in the Bank.

वर्ष के दौरान समिति की 5 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

| | | |
|---|---|---|
| 26.05.2012 | 04.07.2012 | 08.09.2012 |
| 20.12.2012 | 06.03.2013 | |

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत है :

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री म.गि. संघवी | 5/5 |
| 2. | श्री रवि चटर्जी | 5/5 |
| 3. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | 5/5 |
| 4. | श्री नरेंद्र एल. दवे (दि. 31.01.2013 से) | 1/1 |
| 5. | श्री दिनकर एस. पूंजा (दि. 30.01.2013 तक) | 2/2 |
| 6. | श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 30.07.2012 तक) | 1/1 |
| 7. | श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 30.01.2013 तक) | 2/2 |
| 8. | सुश्री जसलीन सूरी (दि. 31.01.2013 से) | 1/1 |
| 9. | श्री एआर नागप्पन (दि. 26.06.2012 तक) | 1/1 |

**धोखाधड़ी मामलों की मॉनीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति:**

भा.रि.बैं. के परिपत्र सं.डी.बी.एस.एफ.जी.वी.(एफ) सं.1004/23-04-01ए/2003-2004 दिनांक 14.01.2004 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने ₹ 1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के ''कपटपूर्ण मामलों की मॉनीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति'' का गठन किया।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13-06-2012 | 16-07-2012 | 08-09-2012 | 20-12-2012 |

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत हैं।

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री म. गि. संघवी | 4/4 |
| 2. | श्री रवि चटर्जी | 4/4 |
| 3. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | 4/4 |
| 4. | श्री एच. प्रदीप राव (दि. 30.07.2012 तक) | 1/2 |
| 5. | श्री नरेन्द्र एल. दवे (दि. 30.07.2012 तक) | 2/2 |
| 6. | श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 31.07.2012 से 30.01.2013 तक) | 2/2 |
| 7. | श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 31.07.2012 से 30.01.2013 तक) | 2/2 |
| 8. | श्री दिनकर एस. पूंजा (दि. 31.01.2013 से) | – |
| 9. | सुश्री जसलीन सूरी (दि. 31.01.2013 से) | – |

**शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति:**

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के उप खण्ड VI सी के अनुसार बैंक के निदेशक मण्डल ने ''शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति'' विशिष्ट रूप से शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतें जैसे शेयरों का अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, लाभांशों की अप्राप्ति आदि को दूर करने के लिए गठित की गई हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित दो बैठकें आयोजित की गईं:

| | |
|---|---|
| 13.06.2012 | 20.12.2012 |

During the year the Committee held 5 meetings on the following dates:

| | | |
|---|---|---|
| 26.05.2012 | 04.07.2012 | 08.09.2012 |
| 20.12.2012 | 06.03.2013 | |

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished here below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri M. G. Sanghvi | 5/5 |
| 2. | Shri Ravi Chatterjee | 5/5 |
| 3. | Shri M. Anjaneya Prasad | 5/5 |
| 4. | Shri Narendra L. Dave (from 31.01.2013) | 1/1 |
| 5. | Shri Dinkar S. Punja (upto 30.01.2013) | 2/2 |
| 6. | Shri Dilip Kumar Saxena (upto 30.07.2012) | 1/1 |
| 7. | Shri Ramesh L. Adige (upto 30.01.2013) | 2/2 |
| 8. | Ms. Jasleenn Suri (from 31.01.2013) | 1/1 |
| 9. | Shri AR Nagappan (upto26.06.2012) | 1/1 |

**SPECIAL COMMITTEE FOR MONITORING AND FOLLOW UP OF FRAUD CASES:**

In terms of RBI Circular No. DBS.FGV(F) No. 1004/23.04.01A/2003-2004 dated 14.01.2004, the Board of Directors of the Bank constituted "Special Committee for Monitoring and Follow up of Fraud Cases" involving amount of ₹ 1 crore and above.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.06.2012 | 16.07.2012 | 08.09.2012 | 20.12.2012 |

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished here below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri M. G. Sanghvi | 4/4 |
| 2. | Shri Ravi Chatterjee | 4/4 |
| 3. | Shri M. Anjaneya Prasad | 4/4 |
| 4. | Shri H. Pradeep Rao ( upto 30.07.2012) | 1/2 |
| 5. | Shri Narendra L. Dave (upto 30.07.2012) | 2/2 |
| 6. | Shri Dilip Kumar Saxena (from 31.07.2012 till 30.01.2013) | 2/2 |
| 7. | Shri Ramesh L. Adige (from 31.07.2012 till 30.01.2013) | 2/2 |
| 8. | Shri Dinkar S. Punja (from 31.01.2013) | – |
| 9. | Ms. Jasleenn Suri (from 31.01.2013) | – |

**SHAREHOLDERS'/INVESTORS' GRIEVANCE COMMITTEE:**

In terms of Sub-clause VI C of clause 49 of the Listing Agreement, the Board of Directors of the Bank constituted "Shareholders'/Investors' Grievance Committee" of the Board, specifically to look into redressing shareholder and investor complaints/grievances like transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of dividend warrants etc.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

| | |
|---|---|
| 13.06.2012 | 20.12.2012 |

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री रवि चटर्जी | 2/2 |
| 2. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | 2/2 |
| 3. | श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 31.07.2012 से 30.01.2013 तक) | 1/1 |
| 4. | श्री दिनकर एस. पूंजा (दि. 17.07.2012 तक) | 1/1 |
| 5. | सुश्री जसलीन सूरी (दि. 18.07.2012 से 30.01.2013 तक) | 1/1 |
| 6. | श्री एआर नागप्पन (दि. 26.06.2012 तक) | 1/1 |
| 7. | श्री नरेन्द्र एल. दवे (दि. 31.01.2013 से) | – |
| 8. | श्री आनंद के पंडित (दि. 31.01.2013 से) | – |

वर्ष 2012-13 के दौरान, बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों से 2437 शिकायतें/प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 2429 शिकायतों/प्रश्नों का निवारण कर दिया गया। दि. 31.01.2013 की स्थिति में 8 शिकायतें लंबित थी जिन्हे 01.04.2013 को निपटा दिया गया। कोई भी शिकायत एक माह में ज्यादा लंबित नही रहीं। 31.03.2013 की स्थिति में कोई भी शेयर स्थानांतरण हेतु लंबित नहीं है।

**अनुपालन अधिकारी:**

सूचीकरण करार के खण्ड 47 के अनुसार श्री आर. रवि बैंक के कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्स्चेंजों के पास सूचीकरण करार, कंपनी के रजिस्ट्रार, नैगम कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य से तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया का अनुप्रवर्तन इत्यादि के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

**ग्राहक सेवा समिति:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डी.ओ.डी.बी.ओ.डी. सं. एल.ई.जी. 96/09.07.007/2004-05, दि. 17.08.2004 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार करने हेतु निदेशक मण्डल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है।

वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

| | | |
|---|---|---|
| 13.06.2012 | 22.10.2012 | 20.12.2012 |

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री म.गि. संघवी | 3/3 |
| 2. | श्री रवि चटर्जी | 3/3 |
| 3. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | 3/3 |
| 4. | श्री नरेन्द्र एल. दवे (दि. 30.07.2012 तक) | 1/1 |
| 5. | श्री दिनकर एस. पूंजा (दि. 31.07.2012 से 30.01.2013 तक) | 2/2 |
| 6. | श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 30.07.2012 तक) | 1/1 |
| 7. | श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 31.07.2012 से 30.01.2013 तक) | 2/2 |
| 8. | सुश्री जसलीन सूरी (दि. 31.07.2012 से 30.01.2013 तक) | 2/2 |
| 9. | श्री एच. प्रदीप राव (दि. 31.01.2013 से) | – |
| 10. | श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 31.01.2013 से) | – |
| 11. | श्री एआर नागप्पन (दि. 26.06.2012 तक) | 1/1 |

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished here below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri Ravi Chatterjee | 2/2 |
| 2. | Shri M. Anjaneya Prasad | 2/2 |
| 3. | Shri Jagdish Raj Shrimali (from 31.07.2012 till 30.01.2013) | 1/1 |
| 4. | Shri Dinkar S. Punja (upto 17.07.2012) | 1/1 |
| 5. | Ms. Jasleenn Suri (from 18.07.2012 till 30.01.2013) | 1/1 |
| 6. | Shri AR Nagappan (upto26.06.2012) | 1/1 |
| 7. | Shri Narendra L. Dave (from 31.01.2013) | – |
| 8. | Shri Anand K. Pandit (from 31.01.2013) | – |

During the year 2012-13, 2437 complaints/grievances/queries were received from the Shareholders/Investors of the Bank and out of them, 2429 complaints/grievances/queries have been resolved/attended to 8 complaints, which were pending as on 31.03.2013, were resolved on 01.04.2013. None of the above complaints were pending for more than one month. There were no shares pending for transfer as at 31.03.2013.

**COMPLIANCE OFFICER**

In terms of Clause 47 of the Listing Agreement, Sri R. Ravi, Company Secretary of the Bank is functioning as the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs and for monitoring the share transfer process etc.

**CUSTOMER SERVICE COMMITTEE:**

In terms of RBI DBOD letter No. Leg 96/09.07.007/2004-05 dated 17.08.2004, "Customer Service Committee" of the Board was constituted to bring improvement in the quality of customer service in the Bank.

During the year the Committee held 3 meetings on the following dates:

| | | |
|---|---|---|
| 13.06.2012 | 22.10.2012 | 20.12.2012 |

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished here below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri M. G. Sanghvi | 3/3 |
| 2. | Shri Ravi Chatterjee | 3/3 |
| 3. | Shri M. Anjaneya Prasad | 3/3 |
| 4. | Shri Narendra L. Dave (upto 30.07.2012) | 1/1 |
| 5. | Shri Dinkar S. Punja (from 31.07.2012 till 30.01.2013) | 2/2 |
| 6. | Shri Jagdish Raj Shrimali (upto 30.07.2012) | 1/1 |
| 7. | Shri Ramesh L. Adige (from 31.07.2012 till 30.01.2013) | 2/2 |
| 8. | Ms. Jasleenn Suri (from 31.07.2012 till 30.01.2013) | 2/2 |
| 9. | Shri H. Pradeep Rao (from 31.01.2013) | – |
| 10. | Shri Dilip Kumar Saxena (from 31.01.2013) | – |
| 11. | Shri AR Nagappan (upto 26.06.2012) | 1/1 |

**पारिश्रमिक समिति:**

भारत सरकार के पत्रांक एफ सं. 20/1/2005 – बी.ओ. 1 दिनांक 9.3.2007 में दी गई शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जो भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की एक उपसमिति है।

वर्ष के दौरान समिति ने दि. 13.06.2012 को एक बैठक आयोजित की ।

समिति के सदस्यों तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री एच. प्रदीप राव | 1/1 |
| 2. | श्री ए. एस. राव | 1/1 |
| 3. | श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 30.07.2012 तक) | 1/1 |
| 4. | श्री रमेश एल अडिगे (दि. 30.07.2012 तक) | 1/1 |
| 5. | श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 31.07.2012 तक) | – |
| 6. | श्री आनंद के पंडित (दि. 31.07.2012 से) | – |

**सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति:**

एक बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड की एक उप समिति गठित की गई है जो प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समुचित अनुप्रवर्तन का कार्य करती है।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26.05.2012 | 04.07.2012 | 22.10.2012 | 20.12.2012 |

समिति के सदस्यों तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री म.गि. संघवी | 2/2 |
| 2. | श्री रवि चटर्जी | 4/4 |
| 3. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | 4/4 |
| 4. | श्री एच. प्रदीप राव (दि. 30.07.2012 तक) | 0/2 |
| 5. | श्री नरेन्द्र एल. दवे (दि. 30.01.2013 तक) | 2/2 |
| 6. | श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 30.07.2012 तक) | 2/2 |
| 7. | श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 30.07.2012 तक) | 2/2 |
| 8. | श्री आनंद के. पंडित (दि. 31.07.2012 से 30.01.2013 तक) | 1/2 |
| 9. | सुश्री जसलीन सूरी (दि. 31.01.2013 से) | – |
| 10. | श्री दिनकर एस. पूंजा (दि. 31.01.2013 तक) | – |

**शेयर अंतरण समिति:**

सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया ।

उक्त समिति शेयरों का अंतरण, अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों का हस्तांतरण और नामों को हटाना तथा शेयरों का पुन: कागज़ीकरण तथा उससे संबंधित अन्य मुद्दों की निगरानी करती हैं और उनका अनुमोदन करती हैं ।

वर्ष के दौरान समिति की 1 बैठक दि. 21.12.2012 को आयोजित की गईं।

**REMUNERATION COMMITTEE:**

In terms of Government of India letter F.No. 20/1/2005-BO.1 dated 09.03.2007, Remuneration Committee was constituted - a sub Committee of the Board to evaluate the performance of CMD and EDs as per the Government of India guidelines.

During the year the Committee met once on 13.06.2012.

The members of the Committee and their attendance at the meetings is furnished here below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri H. Pradeep Rao | 1/1 |
| 2. | Shri A. S. Rao | 1/1 |
| 3. | Shri Jagdish Raj Shrimali (upto 30.07.2012) | 1/1 |
| 4. | Shri Ramesh L. Adige (upto 30.07.2012) | 1/1 |
| 5. | Shri Dilip Kumar Saxena (from 31.07.2012) | – |
| 6. | Shri Anand K. Pandit (from 31.07.2012) | – |

**INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE:**

A Committee of the Board was constituted in the meeting to have proper monitoring system in place to evaluate and ensure that the projects are progressing as planned.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26.05.2012 | 04.07.2012 | 22.10.2012 | 20.12.2012 |

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri M. G. Sanghvi | 2/2 |
| 2. | Shri Ravi Chatterjee | 4/4 |
| 3. | Shri M. Anjaneya Prasad | 4/4 |
| 4. | Shri H. Pradeep Rao (upto 30.07.2012) | 0/2 |
| 5. | Shri Narendra L. Dave (upto 30.01.2013) | 2/2 |
| 6. | Shri Dilip Kumar Saxena (upto 30.07.2012) | 2/2 |
| 7. | Shri Ramesh L. Adige (upto 30.07.2012) | 2/2 |
| 8. | Shri Anand K. Pandit (from 31.07.2012 till 30.01.2013) | 1/2 |
| 9. | Ms. Jasleenn Suri (from 31.01.2013) | – |
| 10. | Shri Dinkar S. Punja (from 31.01.2013) | – |

**SHARE TRANSFER COMMITTEE:**

In accordance with the SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998, Share Transfer Committee has been constituted.

The Committee monitors and approves share transfers, issue of duplicate share certificates, transmission, transposition and deletion of names and re-materialisation of shares and matters relating thereto.

During the year the committee held one meeting on 21.12.2012.

इसके अलावा, परिचालन द्वारा 20 बैठकें आयोजित की गयी और अधिदेशी मानदण्डों का पालन किया गया है ।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री रवि चटर्जी | 1/1 |
| 2. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | 1/1 |
| 3. | श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 30.01.2013 तक) | 1/1 |
| 4. | सुश्री जसलीन सूरी (दि. 31.01.2013 तक) | 1/1 |
| 5. | श्री आनंद के. पंडित (दि. 31.01.2013 से) | – |
| 6. | श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 31.01.2013 से) | – |

**नामांकन समिति:**

भा.रि.बैं. के पत्र डी.बी.ओ.डी. सं.बी.सी. 47/29.39.001/2007-2008 दि. 01-11-2007 के अनुसार निदेशक मंडल ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, 2006 में यथा संशोधित, की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निदेशक के रूप में चयन किए जानेवाले व्यक्ति की ''उपयुक्त तथा उचित'' स्थिति का निर्धारण करने के लिए सम्यक् तत्परतावाली प्रक्रिया शुरू करने हेतु ''नामांकन समिति'' का गठन किया है।

भा.रि.बैं. ने निदेश दिया है कि ''उपयुक्त और उचित'' मानदंड को चयनित निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) – वर्तमान और भावी दोनों पर लागू किया जाए । शेयरधारक निदेशकके चुनाव के लिए नामांकित उम्मीदवारों के उचित स्थिति के निर्धारण हेतु समिति की एक बैठक दि. 05-07-2012 को आयोजित की गई।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री एच. प्रदीप राव | 1/1 |
| 2. | श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 30.07.2012 तक) | 1/1 |
| 3. | श्री जगदीश राज श्रीमाली | 1/1 |
| 4. | श्री रमेश एल.अडिगे (दि. 30.07.2012 से) | – |

**एच. आर. समिति:**

बैंक में एच. आर. प्रणाली/प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए दि. 30-10-2009 को मंडल की एच. आर. समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 1 बैठक निम्नलिखित तारीख को आयोजित की गयी।

| |
|---|
| 06.03.2013 |

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री म.गि. संघवी | 1/1 |
| 2. | श्री रवि चटर्जी | 1/1 |
| 3. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | 1/1 |
| 4. | श्री नरेन्द्र एल. दवे | 1/1 |
| 5. | श्री दिनकर एस. पूंजा | 1/1 |
| 6. | श्री रमेश एल.अडिगे (दि. 31.01.2013 से) | 1/1 |
| 7. | सुश्री जसलीन सूरी (31.01.2013 से) | 1/1 |

Besides, 20 meetings of the committee were held by circulation and the mandatory norms were followed.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meeting are given below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri Ravi Chatterjee | 1/1 |
| 2. | Shri M. Anjaneya Prasad | 1/1 |
| 3. | Shri Jagdish Raj Shrimali (till 30.01.2013) | 1/1 |
| 4. | Ms. Jasleenn Suri (till 30.01.2013) | 1/1 |
| 5. | Shri Anand K. Pandit (from 31.01.2013 ) | – |
| 6. | Shri Ramesh L. Adige (from 31.01.2013) | – |

**NOMINATION COMMITTEE:**

In terms of the RBI letter DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, the Board of Directors constituted "Nomination Committee" to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing/the persons to be elected as a director under Sec. 9 (3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended in 2006.

RBI has directed that the "Fit and Proper" Criteria as of now, be made applicable to the elected Directors (Shareholder Directors) - both present and future. The Committee met once on 05.07.2012 to determine the "fit & proper" of the candidates, who filed their nomination for election of shareholder directors.

The particulars with regard to the members of the committee and their attendance at the meetings are given below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri H. Pradeep Rao | 1/1 |
| 2. | Shri Dilip Kumar Saxena (upto 30.07.2012) | 1/1 |
| 3. | Shri Jagdish Raj Shrimali | 1/1 |
| 4. | Shri Ramesh L. Adige (from 30.07.2012) | – |

**H.R. COMMITTEE:**

H.R. Committee of the Board was constituted on 30.10.2009 for the review of H.R. Systems/practices in the Bank.

During the year the Committee held 1 meeting on the following date:

| |
|---|
| 06.03.2013 |

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri M. G. Sanghvi | 1/1 |
| 2. | Shri Ravi Chatterjee | 1/1 |
| 3. | Shri M. Anjaneya Prasad | 1/1 |
| 4. | Shri Narendra L. Dave | 1/1 |
| 5. | Shri Dinkar S. Punja | 1/1 |
| 6. | Shri Ramesh L. Adige (from 31.01.2013) | 1/1 |
| 7. | Ms. Jasleenn Suri ((from 31.01.2013) | 1/1 |

**पारा बैंकिंग कार्यकलापों की समिति:**

वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गयी :

| | |
|---|---|
| 16.07.2012 | 06.03.2013 |

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री म.गि. संघवी | 1/1 |
| 2. | श्री रवि चटर्जी | 2/2 |
| 3. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | 2/2 |
| 4. | श्री एच. प्रदीप राव (दि. 31.01.2013 से) | 1/2 |
| 5. | श्री ए. एस. राव | 2/2 |
| 6. | श्री दिनकर एस. पूंजा (दि. 30.01.2013 तक) | 1/1 |
| 7. | श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 30.01.2013 तक) | 1/1 |
| 8. | श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 31.01.2013 से) | 1/1 |

**बोर्ड की वसूली निगरानी समिति:**

भारत सरकार के निदेशानुसार वसूली की प्रगति पर नियमित निगरानी रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान इस समिति की दो बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई:

| | |
|---|---|
| 23.01.2013 | 06.03.2013 |

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नलिखित है:

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | उपस्थिति |
|---|---|---|
| 1. | श्री म.गि. संघवी | 2/2 |
| 2. | श्री रवि चटर्जी | 2/2 |
| 3. | श्री एम. आंजनेय प्रसाद | 2/2 |
| 4. | श्री एच.प्रदीप राव | 2/2 |

**ऋण अनुमोदन समिति:**

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (राजपत्रित अधिसूचना दि. 05.12.2011 के तहत शामिल) के खंड 13 ए के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। किसी व्यक्ति/कंपनी या एक ही समूह के सभी उधारकर्ताओं/कंपनियों को प्रस्तावित एक्सपोज़र सहित कुल एक्सपोज़र के तहत इस समिति को बोर्ड द्वारा ₹ 250.00 करोड़ तक के अधिकार दिए गए हैं।

समिति के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्य हैं:

(क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - समिति के अध्यक्ष

(ख) कार्यपालक निदेशक

(ग) महा प्रबंधक (ऋण)

(घ) महाप्रबंधक (लेखा)

(ङ) महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)

वर्ष के दौरान समिति की 38 बैठकें सपन्न हुईं।

**COMMITTEE ON PARA BANKING ACTIVITIES:**

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

| | |
|---|---|
| 16.07.2012 | 06.03.2013 |

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri M. G. Sanghvi | 1/1 |
| 2. | Shri Ravi Chatterjee | 2/2 |
| 3. | Shri M. Anjaneya Prasad | 2/2 |
| 4. | Shri H. Pradeep Rao (from 31.01.2013) | 1/2 |
| 5. | Shri A. S. Rao | 2/2 |
| 6. | Shri Dinkar S. Punja (upto 30.01.2013) | 1/1 |
| 7. | Shri Dilip Kumar Saxena (upto 30.01.2013) | 1/1 |
| 8. | Shri Jagdish Raj Shrimali (from 31.01.2013) | 1/1 |

**COMMITTEE FOR MONITORING RECOVERY:**

The Committee was constituted in terms of Government of India Guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

| | |
|---|---|
| 23.01.2013 | 06.03.2013 |

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

| Sl. No. | Name of the Director | Attendance |
|---|---|---|
| 1. | Shri M. G. Sanghvi | 2/2 |
| 2. | Shri Ravi Chatterjee | 2/2 |
| 3. | Shri M. Anjaneya Prasad | 2/2 |
| 4. | Shri H. Pradeep Rao | 2/2 |

**CREDIT APPROVAL COMMITTEE:**

The Credit Approval Committee was constituted in terms of Clause 13A of Nationalized Banks' (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (inserted vide Gazette Notification dated 05.12.2011). The Committee exercises such powers of the Board subject to total exposure including proposed exposure to an individual/company or to all the borrowers/companies in the same group not exceeding ₹ 250.00 Crore.

The Committee consist of the following members:

(a) Chairman and Managing Director – Chairman of the Committee
(b) Executive Directors
(c) General Manager (Credit)
(d) General Manager (Accounts)
(e) General Manager (Risk Management)

During the year, the Committee met 38 times.

**बोर्ड में परिवर्तन:**

1. श्री आनंद के पंडित बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में दि. 18.07.2012 से चयनित हुए।
2. सुश्री जमलीन सूरी बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में दि. 18.07.2012 से चयनित हुई।
3. श्री सी. आर. नसीर अहमद बैंक के निदेशक के रूप में दि. 01.02.2013 को शामिल हुए ।

**निदेशकों का पारिश्रमिक:**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक द्वारा बैठक शुल्क, बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय और विराम खर्च के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक गैर-सरकारी निदेशकों को अदा नहीं किया जाता है।

**बैठक शुल्क:**

भारतसरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के संदर्भ सं. 15/1/2011/बी.ओ.आइ. दि. 18.10.2011 के अनुसार गैरसरकारी निदेशक प्रत्येक मंडल बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹ 10,000/- तथा मंडल की किसी भी समिति में उपस्थित होने के लिए प्रति बैठक के लिए ₹ 5,000/- के बैठक शुल्क के लिए पात्र हैं जो दि. 18.10.2011 से लागू है।

(दि. 01.04.2012 से दि. 31.03.2013 तक की अवधि के दौरान निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क के विवरण:

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | बैठक शुल्क ₹ |
|---|---|---|
| 1. | श्री नरेन्द्र एल. दवे | 1,55,000 |
| 2. | श्री दिनकर एस. पूंजा | 1,75,000 |
| 3. | श्री दिलीप कुमार सक्सेना | 2,70,000 |
| 4. | श्री जगदीश राज श्रीमाली | 1,85,000 |
| 5. | श्री रमेश एल. अडिगे | 1,80,000 |
| 6. | श्री सी आर नसीर अहमद | 10,000 |
| 7. | श्री आनंद के पंडित | – |
| 8. | सुश्री जसलीन सूरी | 1,25,000 |
| 9. | श्री एआर नागप्पन | 35,000 |
| 10. | श्री भूपिन्दर सिंह सूरी | 35,000 |

**आचार संहिता**

मंडल ने अपने सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए आचार संहिता का अनुमोदन किया। इसे बैंक के वेबसाइट अर्थात् www.syndicatebank.in. पर **''शेयरहोल्डर इन्फार्मेशन''** के अधीन लगाया गया है।

मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग ने संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया।

**निवेशकों की शिकायत**

निवेशकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए हमारे बैंक ने एक **ई-मेल आई.डी.** खोल रखा है - **"syndinvest@syndicatebank.co.in"**, जिससे बैंक ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर सकेगा ।

**दि. 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण**

| निदेशक का नाम | धारित शेयरों की संख्या |
|---|---|
| श्री एच. प्रदीप राव | शून्य |
| श्री ए. एस. राव | शून्य |
| श्री नरेंद्र एल. दवे | शून्य |
| श्री दिनकर एस. पूंजा | 4 |
| श्री दिलीप कुमार सक्सेना | शून्य |

**CHANGES IN THE BOARD:**

1. Shri Anand K. Pandit elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 18.07.2012.
2. Ms. Jasleenn Suri elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 18.07.2012.
3. Shri C. R. Naseer Ahamed joined the Bank as Director w.e.f. 01.02.2013.

**REMUNERATION OF DIRECTORS:**

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. As per the guidelines of Government of India, the Bank does not pay any remuneration to the non-official Directors of the Bank apart from sitting fees, travelling expenses and halting expenses for attending meetings.

**SITTING FEES:**

Sitting fees is to be paid to the non-official Directors at the rate of ₹10,000/- and ₹ 5,000/- per meeting for attending Board and other Committee meetings respectively, in terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, New Delhi Ref. No. 15/1/2011-BO.I dated 18.10.2011, effective from 18.10.2011.

Details of Sitting Fees paid to Directors during the period from 01.04.2012 to 31.03.2013:

| Sl. No. | Name of the Director | Sitting Fees (₹) |
|---|---|---|
| 1. | Shri Narendra L. Dave | 1,55,000 |
| 2. | Shri Dinkar S. Punja | 1,75,000 |
| 3. | Shri Dilip Kumar Saxena | 2,70,000 |
| 4. | Shri Jagdish Raj Shrimali | 1,85,000 |
| 5. | Shri Ramesh L. Adige | 1,80,000 |
| 6. | Shri C. R. Naseer Ahamed | 10,000 |
| 7. | Shri Anand K. Pandit | – |
| 8. | Ms. Jasleenn Suri | 1,25,000 |
| 9. | Shri AR Nagappan | 35,000 |
| 10. | Shri Bhupinder Singh Suri | 35,000 |

**Code of Conduct**

The Board has approved the Code of Conduct for all Board members and Senior Management of the Bank. The same is also placed on the Bank's website i.e., www.syndicatebank.in under **"shareholders information".**

All Board members and Senior Management Personnel have affirmed compliance to the code.

**Investor Grievance:**

As part of the initiative to provide enhanced levels of service to the investors, our Bank has designated an **e-mail ID "syndinvest@syndicatebank.co.in"** exclusively for the purpose of receiving /addressing complaints and to enable the Bank to attend to such complaints on priority.

**Details of shareholding of Non-executive Directors as on 31.03.2013**

| Name of the Director | Number of shares held |
|---|---|
| Shri H. Pradeep Rao | Nil |
| Shri A. S. Rao | Nil |
| Shri Narendra L. Dave | Nil |
| Shri Dinkar S. Punja | 4 |

| निदेशक का नाम | धारित शेयरों की संख्या |
|---|---|
| श्री जगदीश राज श्रीमाली | शून्य |
| श्री रमेश एल. अडिगे | शून्य |
| श्री सी आर नसीर अहमद | शून्य |
| सुश्री जसलीन सूरी | 100 |
| श्री आनंद के पंडित | 301 |

**अधिदेशात्मक/गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन:**

बैंक ने, सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है। शेयर बाजार के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड सं. 49 के अनुसार अपेक्षित सभी अधिदेशात्मक आवश्यकताओं का पालन किया है।

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की प्रमात्रा निम्न प्रस्तुत है:

| आवश्यकताएँ | अनुपालन |
|---|---|
| बैंक से अपेक्षित है कि वे अपनी ओर से और शेयर धारकों की ओर से तयशुदा शर्तों के साथ, पेंशन के अधिकारों और प्रतिपूर्ति भुगतान सहित कार्यपालक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर बैंक की नीति निर्धारित करने हेतु एक पारिश्रमिक समिति का गठन करें। | भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक(कों) की प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। |
| **चेतावनी सूचक नीति**<br>बैंक में अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या बैंक की आचरण संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में संबंधित प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु बैंक कर्मचारियों के लिए एक प्रणाली लागू करें और कर्मचारियों को उत्पीडन से बचाव के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करें। | बैंक समय-समय पर अपने परिपत्रों के माध्यम से यह दोहरा रहा है कि कर्मचारी सदस्य शिकायतों/सुझावों के रूप में संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना को उचित माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। वर्ष के दौरान परिपत्र के माध्यम से चेतावनी सूचक नीति पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए।<br>अत्यावश्यक/आपत्काल के मामले में उसे सीधे समुचित प्राधिकारी को संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी सदस्य विचलनों को लिखित रूप में और विधिवत हस्ताक्षर करके प्रबंधन के ध्यान में ला सकते हैं जिनको रोकना/परिशोधित करना संगठन के हित की दृष्टि में आवश्यक है। |
| डाक द्वारा मतदान | कारोबार लेनदेन के लिए डाक द्वारा मतदान करने के लिए कोई विशेष संकल्प की आवश्यकता नहीं है। |
| वित्तीय निष्पादन की अर्ध वार्षिक घोषणा तथा पिछले 6 महीने से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित किया जाए। | इन्हें बैंक के वेबसाइट में अपलोड किया गया है। |
| लेखा परीक्षा अर्हताएं - कंपनी अनर्हक वित्तीय विवरण प्रणाली अपना सकता है। | बैंक द्वारा इस आवश्यकता का पालन किया गया है। |
| बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण - कंपनी अपने बोर्ड सदस्यों को कंपनी के कारोबार मॉडेल तथा कारोबार की जोखिम प्रोफाइल के संबंध में प्रशिक्षण दे सकती हैं जिनके अंतर्गत मंडल के सदस्यों को अपने दायित्व तथा कर्तव्य के निर्वाह में सुविधा होगी। | बैंक अपने निदेशकों को भरपूर प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। वर्ष के दौरान 7 निदेशकों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की है। |

| Name of the Director | Number of shares held |
|---|---|
| Shri Dilip Kumar Saxena | Nil |
| Shri Jagdish Raj Shrimali | Nil |
| Shri Ramesh L. Adige | Nil |
| Shri Naseer Ahmad | Nil |
| Ms. Jasleenn Suri | 100 |
| Shri Anand K. Pandit | 301 |

**Compliance to mandatory / non-mandatory requirements**

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in clause 49 of the Listing agreement entered into with the Stock Exchanges.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under:

| Requirement | Compliance |
|---|---|
| The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment | Remuneration Committee of the Board has been constituted to determine the incentive payments to Chairman and Managing Director/ Executive Directors in terms of the Government of India guidelines |
| **Whistle Blower Policy**<br>The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees | The Bank has reiterated time and again through internal circulars that staff members can address genuine information of significant value to the organization in the form of complaints / suggestions/grievances through proper channel. Guidelines on whistle blower policy were also issued during the year by way of circular.<br><br>In case of urgency/exigency, it can be addressed directly to the appropriate authority without any reservation or fear. Staff members can, thus effectively perform the role of a genuine "Whistle Blower" in bringing to the notice of the management, in writing duly signed, any deviation which is not in the interest of the organization and needs to be checked/rectified. |
| Postal Ballot | The business transacted did not require any special resolution to be put through postal ballot. |
| A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant event in the last six months may be sent to each shareholder | It has been uploaded on the website of the Bank. |
| Audit qualifications – Company may move towards a regime of unqualified financial statements | The Bank is taking steps to comply with this requirement. |
| Training of Board Members – Company may train its Board members in the business model of the company as well as the risk profile of the business parameters of the company, their responsibilities as directors, and the best ways to discharge them. | The Bank is providing ample training opportunities to its directors to enable them to discharge their duties effectively. During the year 7 directors attended various training programmes. |

| आवश्यकताएँ | अनुपालन |
|---|---|
| गैर कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किसी समकक्ष समूह द्वारा करवाया जाए, जिसमें सभी निदेशक शामिल हों और समकक्ष समूह के मूल्यांकन को गैर कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों को बढ़ाने/उसे जारी रखने की प्रणाली के रूप अपनाया जाए। | भारतीय रिज़र्व बैंक के दि.01.11.2007 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शेयर धारक निदेशकों का वार्षिक आधार पर चयन करते समय और बैंक बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त और उचित स्थिति का पालन किया जाता है। |

**कंपनी की शेयर पूंजी**

बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़ है जो प्रत्येक ₹ 10 के 300 करोड़ ईक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित है। दि. 31-03-2013 की स्थिति में बैंक की प्रदत्त पूँजी ₹ 601.95 करोड़ है।

**आम बैठकें:**

i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 क (2) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को गत 31 मार्च तक के तुलन-पत्र, बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखों द्वारा व्याप्त की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र तथा खातों के बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने, अनुमोदन करने और अंगीकार करने का हक होगा।

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं।

| आम बैठक का स्वरूप | दिनांक | समय | स्थान |
|---|---|---|---|
| ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक | 25.06.2010 | प्रात: 11.30 बजे | सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल |
| बारहवीं वार्षिक आम बैठक | 25.06.2011 | प्रात: 11.30 बजे | सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल |
| तेरहवीं वार्षिक आम बैठक | 17.07.2012 | प्रात: 11.00 बजे | सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल |

दि. 17.07.2012 को संपन्न शेयर धारकों की तेरहवीं वार्षिक आम बैठक में सुश्री जसलीन सूरी तथा श्री आनंद के. पंडित को शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित किया गया।

ii) शेयरधारकों की पिछली तीन असाधारण आम बैठकों (ई.जी.एम.) के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं:

| दिन एवं दिनांक | समय | स्थान | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| शुक्रवार, जून 23, 2006 | प्रात: 10.00 बजे | सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल | 3 शेयरधारक निदेशकों का चुनाव |
| शनिवार, मार्च 19, 2011 | प्रात: 11.30 बजे | सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल | भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयरों का आबंटन |
| गुरुवार, मार्च 22, 2012 | प्रात: 11.30 बजे | सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल | भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान्य आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन |

**प्रकटीकरण:**

बैंक का नियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 द्वारा किया जाता है। सेबी ने स्पष्ट किया है कि वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जो कंपनियां नहीं है, परंतु वे अन्य संविधि के अंतर्गत निगमित निकाय (यानी,

| Requirement | Compliance |
|---|---|
| The performance evaluation of non-executive directors could be done by a peer group comprising the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated; and Peer Group evaluation could be the mechanism to determine whether to exceed/continue the terms of appointment of non-executive directors | As per RBI guidelines dated 01.11.2007, a fit and proper status is being looked into by the Nomination Committee of the Board of the Bank at the time of election of the Shareholder Directors and on annual basis. |

**Share Capital of the Company**

The Authorized Capital of the Bank is ₹.3,000 crore, divided into 300 crore of equity shares of ₹.10/- each. The Paid Capital of the Bank stood at ₹.601.95 Crore as on 31.03.2013.

**GENERAL BODY MEETINGS:**

I) In accordance with the provisions under Section 10A(2) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the shareholders of our Bank present at an Annual General Meeting shall be entitled to discuss, approve and adopt the Balance Sheet and Profit and Loss account of the Bank made up to the previous 31st day of March, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the BalanceSheet and accounts.

The details of the last three Annual General Meetings of the Bank are furnished here below:

| Nature of General Meeting | Date | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Eleventh Annual General Meeting | 25.06.2010 | 11.30 a.m. | SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal |
| Twelfth Annual General Meeting | 25.06.2011 | 11.30 a.m. | SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal |
| Thirteenth Annual General Meeting | 17.07.2012 | 11.00 a.m. | SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal |

At Thirteenth Annual General Meeting of the Shareholders held on 17.07.2012, Shri Anand K. Pandit and Ms. Jasleenn Suri were elected as shareholder directors.

ii) The details of the last three Extraordinary General Meetings (EGM) of shareholders are as follows:

| Day & Date | Time | Venue | Purpose |
|---|---|---|---|
| Friday June 23, 2006 | 10.00 a.m. | SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal | Election of 3 shareholder directors |
| Saturday March 19, 2011 | 11.30 a.m. | SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal | Allotment of equity shares on preferential basis to Government of India |
| Thursday, March 22, 2012 | 11.30 a.m. | SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal | Allotment of equity shares on preferential basis to Government of India and LIC of India |

**DISCLOSURES:**

The Bank is governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि) हैं तो सूचीकरण करार का खण्ड सं. 49 उस सीमा तक लागू नहीं होगा जब तक वे अपने संबंधित संविधि तथा संगत विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का उलंघन नहीं करते हैं।

i) **निदेशकों का पारिश्रमिक**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक(कों) के पारिश्रमिक का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है । बैंक द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है:

मंडल बैठक के लिए : ₹ 10,000/- प्रति बैठक

समिति की बैठक के लिए : ₹ 5,000/- प्रति बैठक

ii) **महत्वपूर्ण लेन-देन और आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण**

बैंक ने अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार से भिन्न अपने किसी भी प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, अपनी सहायक संस्थाओं या रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों पर विरोध होने की संभावना हो । वर्ष के दौरान गैर कार्यपालक निदेशक (कों) साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है ।

बैंक की यह सुस्थापित पद्धति है कि जब निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के संबंध में बैठक में चर्चा होती है तो वे निदेशक मंडल या अन्य उप-समितियों के विचार-विमर्श में सहभागिता नहीं करते हैं ।

iii) **सार्वजनिक निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि की प्राप्य राशि:**

बैंक ने दि. 28.12.2012 को टियर II पूंजी वृद्धि करके ₹ 1000/- करोड़, अरक्षित गैर-परिवर्तनीय अधीनस्थ लोअर टियर II बांड के ज़रिए एकत्र किया।

उक्त इश्यू दि. 28.12.2012 को खुला तथा बंद की गई जिसमें पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ। बांड की कीमत, 9.00% वार्षिक देय की दर से लगाई गई।

निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मज़बूत बनाने हेतु टियर-I और टियर-II पूंजी जुटाना तथा बैंक के दीर्घावधि संसाधनों में सुधार करना है और उसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया है।

दि. 18.10.2010 को जारी परिपत्र के तहत बैंक ने दि. 12.10.2012 को यूएसडी 1000 एमआईओ आकार के बैंक एम टी एन कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय एवं अंतिम शेयर श्रेणी के रूप में यूएसडी 500 Mio किया।

iv) बैंक के संगत पार्टी लेन-देनों का प्रकटीकरण दि. 31.03.2013 के तुलन पत्र की लेखा संबंधी टिप्पणी में किया गया है ।

v) बैंक ने जब से शेयरों को सूचीबद्ध किया है तब से पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का पालन किया है ।

vi) दि. 31 मार्च, 2013 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले में शेयर बाज़ार या सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की आलोचना की गयी है ।

vii) बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की है और पात्र शेयरधारकों को सांविधिक समय सीमा के भीतर लाभांश का भुगतान कर दिया है ।

viii) सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अंतर्गत सी.ई.ओ. और सी.एफ.ओ. के प्रमाणपत्रों को बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

ix) सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसार लेखा परीक्षकों से वर्ष 2012-2013 के लिए बैंक ने नैगम अभिशासन से संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

x) शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खण्ड 47 (सी) के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ अंतरण, संप्रेषण, उप-विभाजन, समेकन, नवीकरण और ईक्विटी शेयरों का विनिमय के संबंध में व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद से हर छह महीने में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया । उक्त प्रमाणपत्रों को उसके जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर बी.एस.ई. और एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया और उसे निदेशक मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया ।

xi) सेबी परिपत्र सं. डी. एण्ड सी.सी./एफ.आइ.टी.टी.सी./सी.आइ.आर. 16 दि. 31.12.2002 के अनुसार बैंक ने दोनों निक्षेपगारों यानी एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. के साथ कुल स्वीकृत पूंजी तथा बैंक की कुल निर्गत और सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के उद्देश्य हेतु और सेबी के निदेशों के अंतर्गत आनेवाले अन्य मामलों में एक व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद द्वारा त्रैमासिक आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा करवायी । इस संबंध में निर्गत रिपोर्ट को दि. 05.05.2012, 16.07.2012, 22.10.2012 और 11.01.2013 को तिमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बी.एस.ई. तथा एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है ।

entities which are not companies, but body corporate (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies, etc.) incorporated under other statutes, clause 49 of the listing agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

i. **Remuneration of Directors**

The Remuneration of the Chairman and Managing Director and Executive Director(s) is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the Independent Directors excepting sitting fees, which is as under:

For Board Meeting : ₹ 10,000/- per meeting

For Committee Meeting : ₹ 5,000/- per meeting

ii. **Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship**

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director(s) vis-à-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii. **Proceeds from public issues, preferential issues, Bonds, etc.**

Bank has on 28.12.2012 raised Tier II Capital to the extent of ₹1000.00 Crore (Rupees one thousand Crore) through issue of Unsecured Non-Convertible Sub-ordinated Lower Tier II Bonds. The issue opened and closed on 28.12.2012 and was fully subscribed. The bond was priced at 9.00% p.a. payable annually.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier – I Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long term resources of the Bank and same were utilized for the said purpose.

Bank also raised USD 500.00 Mio, the second and final tranche under the Bank's MTN Programme Size of USD 1000 Mio, on 12.10.2012, in terms of the offering circular dated 18.10.2010. The funds were raised with the purpose of funding of overseas operation of London Branch of the Bank.

iv. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2013.

v. The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares.

vi. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority on any matter related to Capital Markets during the last 3 years ended 31st March, 2013.

vii. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.

viii. The Certificate of CEO and CFO under Clause 49 of the Listing Agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this Report.

ix. In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, a certificate has been obtained from the Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2012-2013 and the same is annexed to this Report.

x. As required under Clause 47(C) of the Listing Agreements entered into with the stock exchanges, a certificate is obtained every six months from a practicing Company Secretary viz. M/s. K. K. Rao and Associates, Hyderabad, with regard to inter-alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are forwarded to BSE and NSE, within 30 days of issuance and also placed before the Board of Directors.

xi. In terms of SEBI's Circular No. D & CC/FITTC/CIR-16 dated 31.12.2002, a Secretarial Audit is conducted on a quarterly basis by a Practicing Company Secretary, viz. M/s. K. K. Rao and Associates, Hyderabad, for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both depositories i.e. NSDL and CDSL and the total Issued and Listed Capital of SyndicateBank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI. Reports issued in this regard were placed before the Board of Directors of the Bank on 05.05.2012, 16.07.2012, 22.10.2012 and 11.01.2013, respectively and forwarded within 30 days from the end of the quarter to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed.

**संप्रेषण माध्यम:**

बैंक के परिचालन तथा वित्तीय निष्पादन से संबंधित जानकारी, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है, जिसमें नैगम अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे, नकदी उपलब्धता विवरण इत्यादि शामिल होते हैं । इसके अलावा, शेयरधारकों को बैंक के निष्पादन/वित्तीय परिणामों की सूचना समाचार पत्रों, बैंक के वेबसाइट (www.syndicatebank.in) तथा स्टॉक एक्स्चेंजों की सूचना के ज़रिए भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक के त्रैमासिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों को सामान्य तौर पर राष्ट्रीय अंग्रेज़ी समाचार पत्र जैसे, इकॉनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्र, उदयवाणी में भी प्रकाशित किया जाता है ।

वर्ष के दौरान, बैंक के त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को अन्य समाचार पत्रों के अलावा निम्नलिखित समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया :

| अवधि | समाचार पत्र का नाम | | प्रकाशन की तारीख |
|---|---|---|---|
| | अंग्रेजी | कन्नड | |
| मार्च 2012 को समाप्त वर्ष | इकॉनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, फायनांशियल एक्सप्रेस | उदयवाणी | 07.05.2012 |
| जून 2012 को समाप्त तिमाही | इकॉनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड | उदयवाणी | 31.07.2012 |
| सितंबर 2012 को समाप्त अर्ध-वर्ष | फायनांशियल एक्सप्रेस, मिंट, इकॉनॉमिक टाइम्स | विजयवाणी | 23.10.2012 |
| दिसंबर 2012 को समाप्त तिमाही | बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकॉनॉमिक टाइम्स, फायनांशियल एक्सप्रेस, डीएनए | उदयवाणी | 24.01.2013 |

सूचीकरण करार के खण्ड 41 की शर्तों के अनुसार, वित्तीय परिणाम और संवेदनशील कीमत की जानकारी स्टॉक एक्स्चेंजों को प्रस्तुत की जाती है ।

**शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी:**

**चौदहवीं वार्षिक आम बैठक एवं वित्तीय कैलेण्डर:**

बैंक के शेयरधारकों की तेरहवीं वार्षिक आम बैठक सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल – 576 104 में मंगलवार, दिनांक 25 जून, 2013 को प्रात: 11.00 बजे होगी और वर्ष 2013-2014 के लिए बैंक का वित्तीय कैलेण्डर निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | कार्यकलाप का स्वरूप | तारीख |
|---|---|---|
| 1. | 31.03.2013 के वार्षिक वित्तीय लेखों का बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदन एवं अंतिम लाभांश की सिफारिश करना | 02.05.2013 |
| 2. | वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण | 29.05.2013 से 31.05.2013 तक |
| 3. | बही बंदी | 18.06.2013 से 25.06.2013 तक |
| 4. | प्रॉक्सी फार्मों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख | 20.06.2013 |
| 5. | चौदहवीं वार्षिक आम बैठक | 25.06.2013 |
| 6. | प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन | तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर |

**सूचीकरण**

बैंक के शेयरों का निम्नलिखित स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीकरण किया गया है ।

| क्र.सं. | एक्स्चेंज का नाम | स्क्रिप कूट |
|---|---|---|
| क. | नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड<br>''एक्स्चेंज प्लाज़ा''<br>बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स<br>बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 | – |
| ख. | बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड<br>फिरोज जीजीभाई टॉवर्स<br>दलाल स्ट्रीट<br>मुंबई - 400 001 | 532276 |

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा बैंक को आबंटित आइ.एस.आइ.एन. कूट आइ.एन.ई. 667ए 01018 है ।
दि. 31.3.2013 तक का वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नियत तारीखों के भीतर संबंधित स्टॉक एक्स्चेंजों को कर दिया गया है।

**MEANS OF COMMUNICATION:**

The information about the operations and financial performance of the Bank is mainly provided through the Annual Report of the Bank, which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors' Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of the Bank's performance/ financial results on a regular basis through news papers and Website of the Bank (www.syndicatebank.in), besides Notice to Stock Exchanges. Further, the quarterly / half-yearly financial results are published in the National English newspapers like Economic Times, Business Line, Business Standard, etc., and in the Regional newspaper, Udayavani.

During the year, the quarterly/half yearly/annual results of the bank were published in the following newspapers in addition to other newspapers:

| Period | Name of the Daily | | Date of Publication |
|---|---|---|---|
| | English | Kannada | |
| Year ended March 2012 | Economic Times, Business Line, Business Standard, Financial Express | Udayavani | 07.05.2012 |
| Quarter ended June 2012 | Economic Times, Business Standard | Udayavani | 31.07.2012 |
| Half year ended September 2012 | Financial Express, Mint, Economic Times | Vijayavani | 23.10.2012 |
| Quarter ended December 2012 | Business Line, Business Standard, Economic Times, Financial Express, DNA | Udayavani | 24.01.2013 |

In terms of clause 41 of the Listing Agreement, the Financial Results and the price sensitive information(s) are furnished to stock exchanges.

**GENERAL INFORMATION TO SHAREHOLDERS:**

**Fourteenth Annual General Meeting and the Financial Calendar:**

The Fourteenth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104, on Tuesday, the 25.06.2013. at 11.00 a.m. and Financial Calendar of the Bank for the year 2013-2014 is as follows:

| Sl. No. | Nature of Activity | Date |
|---|---|---|
| 1. | Board Meeting to approve Annual Financial Accounts as at 31.03.2013 and recommending Dividend, etc. | 02.05.2013 |
| 2. | Mailing of Annual Reports | 29.05.2013 to 31.05.2013 |
| 3. | Book Closure | 18.06.2013 to 25.06.2013 |
| 4. | Last date for receipt of Proxy Forms | 20.06.2013 |
| 5. | Fourteenth Annual General Meeting | 25.06.2013 |
| 6. | Publication of un-audited financial results for the first 3 quarters | Within 45 days from the end of the quarter |

**Listing:**

The shares of the Bank are listed at the following Stock Exchanges :

| Sl. No. | Name of the Exchange | Scrip Code |
|---|---|---|
| a | National Stock Exchange of India Ltd.<br>"Exchange Plaza"<br>Bandra-Kurla Complex<br>Bandra (E), Mumbai – 400 051 | ----------- |
| b. | BSE Ltd.<br>Phiroze Jeejeebhoy Towers<br>Dalal Street, Mumbai – 400 001 | 532276 |

The ISIN Code allotted by National Securities Depositories Limited for the Bank is INE667A01018.

The Annual Listing fees upto 31.03.2013 have been paid to both the Stock exchanges within the prescribed due dates.

**शेयर बाजार आंकड़े:**

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इण्डिया के साथ किये गए शेयर लेन-देन की प्रमात्रा एवं मासिक उच्च तथा निम्न भाव दर निम्नानुसार हैं :

| वर्ष-मास | बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड | | | नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्च (₹) | निम्न (₹) | लेन-देन की प्रमात्रा (सं) | उच्च (₹) | निम्न (₹) | लेन-देन की प्रमात्रा (सं) |
| अप्रैल - 2012 | 115.45 | 98.05 | 10,80,550 | 115.35 | 96.50 | 95,96,917 |
| मई - 2012 | 106.25 | 84.05 | 13,92,032 | 106.30 | 84.10 | 1,33,54,051 |
| जून - 2012 | 108.00 | 86.25 | 14,59,020 | 107.40 | 86.60 | 1,17,27,827 |
| जुलाई - 2012 | 118.05 | 91.10 | 14,34,385 | 111.00 | 91.05 | 1,08,25,085 |
| अगस्त - 2012 | 99.85 | 90.00 | 7,31,921 | 100.05 | 91.00 | 59,21,148 |
| सितंबर - 2012 | 110.40 | 92.20 | 19,73,714 | 110.30 | 92.00 | 1,45,34,228 |
| अक्तूबर - 2012 | 125.90 | 108.50 | 32,48,023 | 125.90 | 108.05 | 2,79,35,685 |
| नवंबर - 2012 | 128.60 | 115.15 | 13,43,627 | 128.45 | 115.30 | 1,14,30,825 |
| दिसंबर - 2012 | 136.50 | 123.45 | 20,72,878 | 137.45 | 123.25 | 1,45,84,039 |
| जनवरी - 2013 | 145.20 | 128.05 | 1,02,21,283 | 145.20 | 128.10 | 6,13,03,907 |
| फरवरी - 2013 | 135.90 | 115.55 | 16,76,429 | 135.90 | 115.60 | 2,34,62,142 |
| मार्च - 2013 | 125.80 | 104.60 | 17,95,212 | 125.90 | 105.05 | 2,18,49,104 |

**बीएसई बैंकेक्स एवं निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का निष्पादन निम्नवत् हैं।**

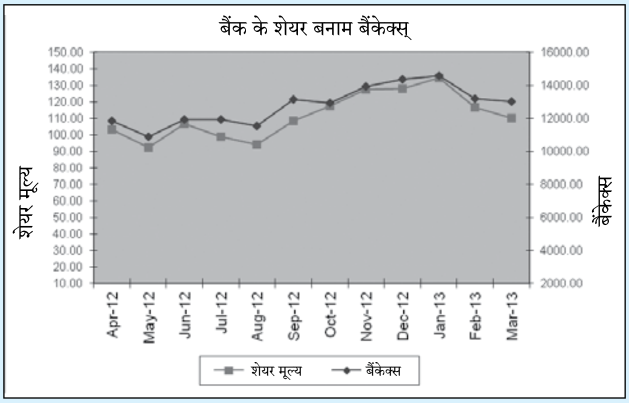


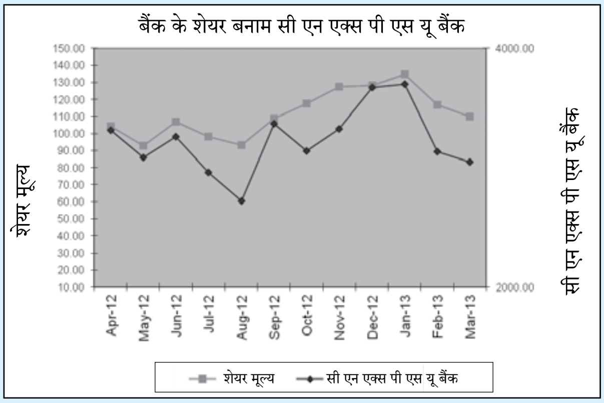


**शेयर अंतरण प्रणाली, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट**

क) **कागज़ी शेयर**

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कागज़ी शेयरों का अंतरण रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास दर्ज करने की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर प्रभावी हैं । बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों के प्रभावी अंतरण हेतु बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसकी नियमित अन्तरालों में बैठक होती हैं ।

बैंक ने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अपने रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है । रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ताओं के कार्यालय द्वारा शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं सभी अन्य निवेशकों संबंधी कार्यकलाप देखे जाते हैं और संसाधित किए जाते हैं ।

## STOCK MARKET DATA

The monthly high & low quotations and the quantity of Shares traded on Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) during the Financial Year 2012-2013 is as follows:

| Year-Month | BSE | | | NSE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | High (₹) | Low (₹) | Traded Quantity (Nos) | High (₹) | Low (₹) | Traded Quantity (Nos) |
| 2012 - April | 115.45 | 98.05 | 10,80,550 | 115.35 | 96.50 | 95,96,917 |
| 2012 - May | 106.25 | 84.05 | 13,92,032 | 106.30 | 84.10 | 1,33,54,051 |
| 2012 – June | 108.00 | 86.25 | 14,59,020 | 107.40 | 86.60 | 1,17,27,827 |
| 2012 – July | 118.05 | 91.10 | 14,34,385 | 111.00 | 91.05 | 1,08,25,085 |
| 2012 – Aug | 99.85 | 90.00 | 7,31,921 | 100.05 | 91.00 | 59,21,148 |
| 2012 - Sept | 110.40 | 92.20 | 19,73,714 | 110.30 | 92.00 | 1,45,34,228 |
| 2012 – Oct | 125.90 | 108.50 | 32,48,023 | 125.90 | 108.05 | 2,79,35,685 |
| 2012 – Nov | 128.60 | 115.15 | 13,43,627 | 128.45 | 115.30 | 1,14,30,825 |
| 2012 – Dec | 136.50 | 123.45 | 20,72,878 | 137.45 | 123.25 | 1,45,84,039 |
| 2013 – Jan | 145.20 | 128.05 | 1,02,21,283 | 145.20 | 128.10 | 6,13,03,907 |
| 2013 – Feb | 135.90 | 115.55 | 16,76,429 | 135.90 | 115.60 | 2,34,62,142 |
| 2013 – Mar | 125.80 | 104.60 | 17,95,212 | 125.90 | 105.05 | 2,18,49,104 |

**Performance of the Bank's Share Price vis-à-vis BSE Bankex and CNS PSU Bank are as under:**

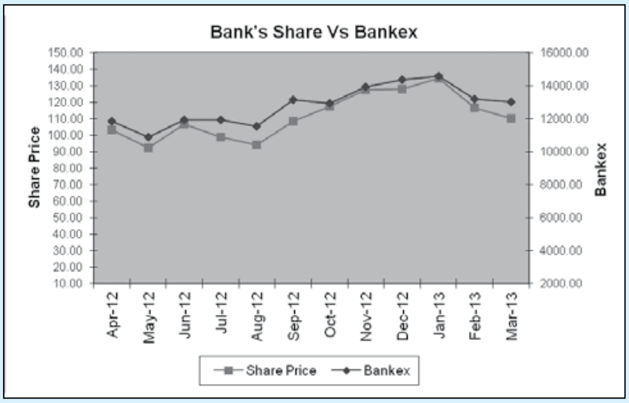


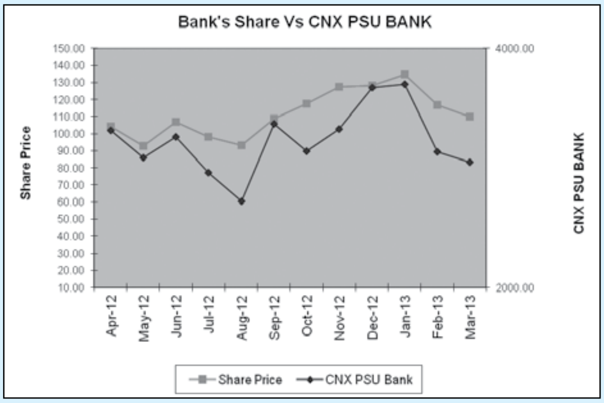


## SHARE TRANSFER SYSTEM, REGISTRAR AND TRANSFER AGENTS

### (a) Physical Shares

The Bank ensures that all transfers of physical shares are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment with the Registrar and Share Transfer Agents. The Board has constituted Share Transfer Committee, which meets at regular intervals for effecting transfer of shares issued by the Bank.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad as its Registrars and Share Transfer Agents. Share transfers, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office

शेयरधारक, अंतरण पत्र एवं कोई अन्य दस्तावेज, परिवाद तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ताओं को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
प्लाट नंबर 17 से 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081
दूरभाष : 040 44655000-विस्तार 116 या 040 44655116 (सीधा)
फैक्स : 040-23420814

ख) **बेकागज़ी शेयर**

बैंक के शेयरों का लेन-देन नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज आफ इण्डिया लिमिटेड के पास अनिवार्य रूप से आइ एस आइ एन कूट आइ एन ई 667A01018 और बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लि. के पास स्क्रिप कूट सं. 532276 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड (सीएसडीएल) बैंक के शेयरों को बेकागज़ीकृत रूप में रखनेवाले निक्षेपागार हैं।

दि. 31.03.2013 तक, बैंक के कुल शेयर होल्डिंग के 96.02% को बेकागज़ीकृत किया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा 398285671 ईक्विटी शेयर के रूप में रखी गयी संपूर्ण शेयर पूंजी का हिस्सा कुल प्रदत्त पूंजी का 66.17% है जो बेकागजीकृत फार्म में है।

**दि. 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा बेकाज़ी रूप में और कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के विवरण:**

| | शेयरधारकों की संख्या | प्रतिशत | शेयरों की संख्या | शेयर होल्डिंग की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| **क. कागज़ी** | 1,15,750 | 48.28 | 2,39,58,150 | 3.98 |
| **ख. बेकागज़ी** | | | | |
| • एन.एस.डी.एल. | 96,966 | 40.45 | 17,29,62,743 | 28.73 |
| • सी.डी.एस.एल. | 27,031 | 11.27 | 40,50,29,062 | 67.29 |
| **कुल** | **2,39,744** | **100.00** | **60,19,49,955** | **100.00** |

**शेयरधारण का पैटर्न**

31.03.2013 को **सिंडिकेटबैंक** का शेयरधारण पैटर्न (ईक्विटी शेयर पूंजी) निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | श्रेणी | धारित शेयरों की संख्या | शेयरधारण का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| ए. | **प्रवर्तक का धारण** | | |
| 1 | **प्रवर्तक** | | |
| | भारत सरकार | 398285671 | 66.17 |
| | विदेशी प्रवर्तक | कुछ नहीं | |
| 2 | **सहमति से कार्य करनेवाले व्यक्ति** | कुछ नहीं | |
| | **कुल** | **398285671** | **66.17** |
| बी. | **गैर-प्रवर्तक धारण** | | |
| 3 | **संस्थागत निवेशक** | | |
| क. | म्यूच्युअल फंड्स एवं यू.टी.आई. | 3011262 | 0.50 |
| ख. | बैंकों, वित्तीय संस्थाएँ | 1204945 | 0.20 |
| ग. | बीमा कंपनियाँ | 91601030 | 15.22 |

of the Registrar and Share Transfer Agents. Shareholders can lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints with the Registrars and Transfer agents at the following address:

M/s. Karvy ComputerShare (P) Ltd.
UNIT: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24
Vithalrao Nagar, Madhapur
HYDERABAD – 500 081
Phone No. 040 44655000 – Extn: 116 or 040 44655116 (D)
Fax No. 040 23420814

**(b) Shares in demat form**

The Bank's shares are traded compulsorily in demat mode under ISIN Code INE667A01018 with National Stock Exchange of India Ltd. and Scrip Code No. 532276 with Bombay Stock Exchange Ltd. The National Securities Depository Ltd., (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) are the depositories holding the Bank's share in demat mode.

As on 31.03.2013, 96.02% of the total shareholding of the Bank has been dematerialized and the entire share capital held by the Central Government i.e. 39,82,85,671 equity shares constituting 66.17% of the total paid-up capital is in dematerialized form.

**Particulars of shares in Demat and Physical form held by the Shareholders as on 31.03.2013 are as under:**

| | No. of Shareholders | % to total | No. of Shares | % to total |
|---|---|---|---|---|
| **A. PHYSICAL** | 1,15,750 | 48.28 | 2,39,58,150 | 3.98 |
| **B. DEMAT** | | | | |
| • NSDL | 96,966 | 40.45 | 17,29,62,743 | 28.73 |
| • CDSL | 27,031 | 11.27 | 40,50,29,062 | 67.29 |
| **TOTAL** | **2,39,747** | **100.00** | **60,19,49,955** | **100.00** |

**Shareholding Pattern**

The shareholding pattern (equity share capital) as on 31.03.2013 is as follows:

| Sl. No. | Category | No. of Shares held | Percentage of shareholding |
|---|---|---|---|
| A | **Promoter's Holding** | | |
| 1 | Promoters | | |
| | Government of India | 398285671 | 66.17 |
| | Foreign promoters | NIL | |
| 2 | Persons acting in concert | NIL | |
| | **Total** | **398285671** | **66.17** |
| B | **Non – Promoter Holding** | | |
| 3 | Institutional Investor | | |
| a | Mutual Funds and UTI | 3011262 | 0.50 |
| b | Banks, Financial Institutions | 1204945 | 0.20 |
| c | Insurance Companies | 91601030 | 15.22 |

| क्र. सं. | श्रेणी | धारित शेयरों की संख्या | शेयरधारण का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| घ. | एफ.आइ.आइ. (विदेशी संस्थागत निवेशक) | 38017596 | 6.32 |
| ङ. | अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक | 375000 | 0.06 |
| | **उप–जोड़** | **134209833** | **22.30** |
| 4 | **अन्य** | | |
| क. | निजी नैगम निकाय | 11725471 | 1.95 |
| ख. | भारतीय जनता | 56263901 | 9.33 |
| ग. | एनआरआइ/ओसीबी | 947296 | 0.16 |
| घ. | अन्य | 577783 | 0.10 |
| | **उप–जोड़** | **69454451** | **11.53** |
| | **गैर–प्रवर्तक धारण की जोड** | **203664284** | **33.83** |
| | **कुल जोड़** | **601949955** | **100.00** |

दि. 31.03.2013 को 1% से अधिक शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

| श्रेणी | शेयरधारकों के नाम | धारित शेयरों की संख्या | शेयरधारण का % |
|---|---|---|---|
| **प्रायोजक** | **भारत का राष्ट्रपति, भारत सरकार**<br>निदेशक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) संसद मार्ग, नई दिल्ली | **398285671** | **66.17** |
| **बीमा कंपनियां** | **भारतीय जीवन बीमा निगम** | **68115181** | **11.32** |
| | **एच.डी.एफ.सी. स्टैंडर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड** | **18727691** | **3.11** |
| | **कुल** | **48,51,28,543** | **80.60** |

**दि. 31.03.2013 की स्थिति में शेयर वितरण पैटर्न**

| क्र.सं. | नाममात्र मूल्य के शेयरधारण (रुपये) | शेयरधारकों की संख्या | कुल की प्रतिशतता | शेयरों की सं. | रकम (₹) | कुल की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 तक | 31,033 | 12.94 | 8,26,547 | 82,65,470 | 0.14 |
| 2 | 501 - 1000 | 90,458 | 37.73 | 89,33,139 | 8,93,31,390 | 1.48 |
| 3 | 1001 - 2000 | 53,539 | 22.33 | 98,66,079 | 9,86,60,790 | 1.64 |
| 4 | 2001 - 3000 | 18,464 | 7.70 | 52,26,579 | 5,22,65,790 | 0.87 |
| 5 | 3001 - 4000 | 26,518 | 11.06 | 1,05,00,051 | 10,50,00,510 | 1.74 |
| 6 | 4001 - 5000 | 6,595 | 2.75 | 31,47,763 | 3,14,77,630 | 0.52 |
| 7 | 5001 - 10000 | 8,971 | 3.74 | 68,89,426 | 6,88,94,260 | 1.14 |
| 8 | 10001 -50000 | 3,550 | 1.48 | 70,10,000 | 7,01,00,000 | 1.16 |
| 9 | 50001 -100000 | 247 | 0.10 | 18,40,866 | 1,84,08,660 | 0.31 |
| 10 | 100001 और अधिक | 382 | 0.16 | 54,77,09,505 | 547,70,95,050 | 90.99 |
| | कुल | **2,53,526** | **100.00** | **60,19,49,955** | **601,94,99,550** | **100.00** |

| Sl. No. | Category | No. of Shares held | Percentage of shareholding |
|---|---|---|---|
| d. | FII's | 38017596 | 6.32 |
| e. | Qualified Foreign Investor | 375000 | 0.06 |
| | **Sub Total** | **134209833** | **22.30** |
| 4 | Others | | |
| a | Private Corporate Bodies | 11725471 | 1.95 |
| b | Indian Public | 56203901 | 9.33 |
| c | NRIs/OCBs | 947296 | 0.16 |
| d | Any Others | 577783 | 0.10 |
| | **Sub Total** | **69454451** | **11.53** |
| | **Total Non-Promoters Holding** | **203664284** | **33.83** |
| | **Grand Total** | **601949955** | **100.00** |

**Details of shareholding of more than 1% of the paid up share capital as on 31.03.2013**

| Category | Name of the Shareholder | No. of Shares | % of shareholding |
|---|---|---|---|
| Promoters | **President of India, Government of India**<br>The Director, Ministry of Finance<br>Department of Economic Affairs<br>(Banking Division)<br>Sansad Marg, New Delhi | **39,82,85,671** | **66.17** |
| Insurance | **Life Insurance Corporation of India** | **6,81,15, 181** | **11.32** |
| | **HDFC Standard Life Insurance Company Ltd.** | **1,87,27,691** | **3.11** |
| | **Total** | **48,51,28,543** | **80.60** |

**Distribution Pattern as on 31.03.2013**

| Sl. No. | Shareholding of Nominal Value of (₹) | No. of Shareholders | %age of Total | No. of Shares | Amount (₹) | %age to Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Upto 500 | 31,033 | 12.94 | 8,26,547 | 82,65,470 | 0.14 |
| 2. | 501 - 1000 | 90,458 | 37.73 | 89,33,139 | 8,93,31,390 | 1.48 |
| 3. | 1001 - 2000 | 53,539 | 22.33 | 98,66,079 | 9,86,60,790 | 1.64 |
| 4. | 2001 - 3000 | 18,464 | 7.70 | 52,26,579 | 5,22,65,790 | 0.87 |
| 5. | 3001 - 4000 | 26,518 | 11.06 | 1,05,00,051 | 10,50,00,510 | 1.74 |
| 6. | 4001 - 5000 | 6,595 | 2.75 | 31,47,763 | 3,14,77,630 | 0.52 |
| 7. | 5001 - 10000 | 8,971 | 3.74 | 68,89,426 | 6,88,94,260 | 1.14 |
| 8. | 10001 - 50000 | 3,550 | 1.48 | 70,10,000 | 7,01,00,000 | 1.16 |
| 9. | 50001 - 100000 | 247 | 0.10 | 18,40,866 | 1,84,08,660 | 0.31 |
| 10. | 100001 and above | 382 | 0.16 | 54,77,09,505 | 547,70,95,050 | 90.99 |
| | **Total** | **2,53,526** | **100.00** | **60,19,49,955** | **601,94,99,550** | **100.00** |

**दि. 31.03.2013 तक शेयरधारकों का भौगोलिक फैलाव**

| स्थान | कागज़ी | | | बेकागजी | | | कुल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरधारकों की सं. | शेयरधारण की सं. | शेयरधारण की प्रतिशतता | शेयरधारकों की सं. | शेयरधारण की सं. | शेयरधारण की प्रतिशतता | शेयरधारकों की सं. | शेयरधारण की सं. | शेयरधारण की प्रतिशतता |
| दिल्ली | 7394 | 1986201 | 0.33 | 9943 | 401679510 | 66.73 | 17137 | 403665711 | 67.06 |
| -भारत सरकार | - | - | - | 1 | 398285671 | 66.17 | 1 | 398285671 | 66.17 |
| - अन्य | 7394 | 1986201 | 0.33 | 9942 | 3393839 | 0.56 | 17136 | 5380040 | 0.89 |
| बेंगलूर | 11154 | 2328171 | 0.39 | 11113 | 2987577 | 0.50 | 22267 | 5315748 | 0.88 |
| चेन्नई | 3698 | 746300 | 0.12 | 6223 | 2134963 | 0.35 | 9921 | 2881263 | 0.48 |
| हैदराबाद | 4173 | 904300 | 0.15 | 4946 | 1582510 | 0.26 | 9119 | 2486810 | 0.41 |
| कोलकाता | 1524 | 379901 | 0.06 | 3724 | 7483114 | 1.24 | 5248 | 7863015 | 1.31 |
| मंगलूर | 1718 | 365925 | 0.06 | 2255 | 754565 | 0.13 | 3973 | 1120490 | 0.19 |
| मुंबई | 4386 | 1066112 | 0.18 | 13296 | 141603419 | 23.52 | 17682 | 142669531 | 23.70 |
| उडुपि | 1849 | 372300 | 0.06 | 1726 | 578727 | 0.10 | 3575 | 951027 | 0.16 |
| अन्य स्थान | 79854 | 15808940 | 2.63 | 70771 | 19187420 | 3.19 | 150625 | 34996360 | 5.81 |
| **कुल** | **115750** | **23958150** | **3.98** | **123997** | **577991805** | **96.02** | **239747** | **601949944** | **100.00** |

**स्थायी खाता संख्या (पैन)**

सेबी के निदेशों और सूचीकरण करार में किए गए संशोधन के अनुसार कागजी शेयरों के निम्नलिखित लेन-देनों के लिए अंतरिती/अंतरितियों द्वारा पैन कार्ड की साक्ष्यांकित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है:

- शेयरों का अंतरण
- दिवंगत शेयरधारकों के नाम को हटाना
- विधिक वारिस के नाम पर शेयरों को अंतरित करना
- शेयरों का क्रम परिवर्तन - यदि नामों के क्रम में परिवर्तन हो
- पते में हुए परिवर्तन को नोट करने
- ई. सी. एस. अधिदेश नोट करने

**नामांकन सुविधा**

बैंक का प्रत्येक शेयरधारक किसी भी समय निर्धारित ढंग से किसी एक व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् बैंक में धारित शेयर प्रदान किए जा सकें । जहाँ शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हैं तो संयुक्त धारक मिलकर नियत तरीके से एक व्यक्ति को नामित करें जिसे सभी संयुक्त धारियों की मृत्यु के संदर्भ में बैंक शेयरों के सभी हक प्रदान किए जाएं।

तदनुसार, कागज़ी रूप से शेयरों को रखनेवाले शेयरधारी बैंक के साथ या रजिस्ट्रार और बैंक के अंतरण अभिकर्ताओं के साथ विधिवत् भरे गए फार्म 2बी (संलग्न) दायर करके नामांकन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । बेकागज़ीकृत शेयरों के संदर्भ में नामांकन निक्षेपण सहभागी द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

**अदावी लाभांश**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 जो दि. 16.10.2006 से लागू हुआ, के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 में एक नयी धारा 10 बी. शामिल की गयी है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i. यदि कोई शेयरधारक लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर लाभांश का नकदीकरण/दावा नहीं करता है तो बैंक के चालू खाते में पड़ी ऐसी रकम को ''वर्ष ...... के लिए सिंडिकेटबैंक के अप्रदत्त लाभांश'' नामक एक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।

**Geographical Spread of Shareholders as on 31.03.2013**

| Places | PHYSICAL | | | DEMAT | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. of Share-holders | No. of Shares | % holding | No. of share-holders | No. of Shares | % holding | No. of share-holders | No. of Shares | % holding |
| Delhi | 7394 | 1986201 | 0.33 | 9943 | 401679510 | 66.73 | 17137 | 403665711 | 67.06 |
| - GOI | – | – | – | 1 | 398285671 | 66.17 | 1 | 398285671 | 66.17 |
| - Others | 7394 | 1986201 | 0.33 | 9942 | 3393839 | 0.56 | 17136 | 5380040 | 0.89 |
| Bangalore | 11154 | 2328171 | 0.39 | 11113 | 2987577 | 0.50 | 22267 | 5315748 | 0.88 |
| Chennai | 3698 | 746300 | 0.12 | 6223 | 2134963 | 0.35 | 9921 | 2881263 | 0.48 |
| Hyderabad | 4173 | 904300 | 0.15 | 4946 | 1582510 | 0.26 | 9119 | 2486810 | 0.41 |
| Kolkata | 1524 | 379901 | 0.06 | 3724 | 7483114 | 1.24 | 5248 | 7863015 | 1.31 |
| Mangalore | 1718 | 365925 | 0.06 | 2255 | 754565 | 0.13 | 3973 | 1120490 | 0.19 |
| Mumbai | 4386 | 1066112 | 0.18 | 13296 | 141603419 | 23.52 | 17682 | 142669531 | 23.70 |
| Udupi | 1849 | 372300 | 0.06 | 1726 | 578727 | 0.10 | 3575 | 951027 | 0.16 |
| Others | 79854 | 15808940 | 2.63 | 70771 | 19187420 | 3.19 | 150625 | 34996360 | 5.81 |
| **TOTAL** | **115750** | **23958150** | **3.98** | **123997** | **577991805** | **96.02** | **239747** | **601949944** | **100.00** |

**PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN)**

As per SEBI directive and amendment to the Listing Agreement, submission of attested copy of PAN card by the Transferee/s, is made mandatory for the following type of transactions of physical shares:

- Transfer of Shares
- Deletion of name of the deceased shareholder/s.
- Transmission of shares to the legal heir/s
- Transposition of shares – when there is a change in the order of names;
- For noting Change of Address
- For noting ECS Mandate

**NOMINATION FACILITY**

Every shareholder of the Bank may, at any time, nominate, in the prescribed manner, a person to whom his / her shares in the Bank shall vest in the event of his / her death. Where more than one person holds the shares jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares of the Bank shall vest, in the event of death of all the joint holders.

Accordingly, the shareholders holding the shares in physical form can avail the nomination facility by filing Form 2B (annexed) with the Bank or with the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank. In case of dematerialised holdings, nomination may be done as per the procedure prescribed by Depository Participant.

**UNCLAIMED DIVIDEND**

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new Section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

i. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of SyndicateBank for the year ..........."

ii. ''अप्रदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित धन राशि जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती है तो, उक्त धनराशि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को सिंडिकेटबैंक अप्रदत्त लाभांश खाते में जमा किया गया है। अतएव, ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहनेवाली ऐसी धनराशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते तथा आई.ई.पी.एफ. को अंतरित करने हेतु निर्दिष्ट तारीख के ब्यौरे निम्नवत् हैं।

| क्र. सं. | अदत्त लाभांश के ब्यौरे | चालू खाता सं. | घोषणा की तारीख | दि. 31.03.2013 तक की शेष राशि (₹) | आई.ई.पी. एफ. को अंतरित करने हेतु निर्दिष्ट तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लाभांश 1999-2000 | 0400.101.7950 | 25.05.2000 | 25,20,067 | 16.10.2013 |
| 2 | लाभांश 2000-2001 | 0400.101.8668 | 02.07.2001 | 51,30,221 | 16.10.2013 |
| 3 | लाभांश 2001-2002 | 3008.101.2122 | 30.05.2002 | 58,24,199 | 16.10.2013 |
| 4 | लाभांश 2002-2003 | 3008.101.2174 | 11.06.2003 | 76,18,598 | 16.10.2013 |
| 5 | अंतरिम लाभांश 2003-2004 | 3008.101.2214 | 10.12.2003 | 57,33,025 | 16.10.2013 |
| 6 | अंतिम लाभांश 2003-2004 | 3008.101.2239 | 11.06.2004 | 53,59,504 | 16.10.2013 |
| 7 | अंतरिम लाभांश 2004-2005 | 3008.101.4886 | 31.03.2005 | 33,98,038 | 16.10.2013 |
| 8 | अंतिम लाभांश 2004-2005 | 3008.101.4959 | 07.06.2005 | 69,29,316 | 16.10.2013 |
| 9 | अंतरिम लाभांश 2005-2006 | 3008.101.5371 | 16.02.2006 | 73,58,714 | 16.10.2013 |
| 10 | अंतिम लाभांश 2005-2006 | 3008.101.5739 | 20.07.2006 | 53,52,160 | 16.10.2013 |
| 11 | अंतरिम लाभांश 2006-2007 | 3008.101.6093 | 20.12.2006 | 70,79,881 | 20.01.2013 |
| 12 | अंतिम लाभांश 2006-2007 | 3008.101.6672 | 16.07.2007 | 72,37,100 | 16.07.2014 |
| 13 | अंतरिम लाभांश 2007-2008 | 3008.101.7530 | 11.04.2008 | 91,36,580 | 11.04.2015 |
| 14 | अंतिम लाभांश 2007-2008 | 3008.101.7839 | 18.07.2008 | 78,51,970 | 18.07.2015 |
| 15 | अंतरिम लाभांश 2008-2009 | 3008.101.8078 | 29.04.2009 | 1,01,13,360 | 29.04.2016 |
| 16 | अंतिम लाभांश 2008-2009 | 3008.101.8160 | 21.07.2009 | 1,05,23,722 | 21.07.2016 |
| 17 | लाभांश 2009-2010 | 3008.101.8416 | 06.07.2010 | 1,99,50,894 | 06.07.2017 |
| 18 | लाभांश 2010-2011 | 3008.101.8720 | 07.07.2011 | 261,60,140 | 07.07.2018 |
| 19 | लाभांश 2011-2012 | 3008.101.9176 | 27.07.2012 | 3,22,27,919 | 17.08.2019 |

जिन शेयरधारकों ने बैंक के लाभांश वारंटों को न भुनाया हो, उनसे अनुरोध है कि वे सहायता के लिए बैंक के निवेशक संपर्क केन्द्र,कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूर से संपर्क करें।

**बकाया जी.डी.आर./ए.डी.आर. या अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और ईक्विटी पर संभाव्य प्रभाव:**

बैंक ने कोई जी.डी.आर./ए.डी.आर./वारंट या अन्य परिवर्तनीय लिखतों को जारी नहीं किया है।

**बंध पत्र**

जो इक्विटी में परिवर्तनीय नहीं है, उसे पूँजी वृद्धि के उद्देश्य से बैंक ने असुरक्षित एवं प्रतिदेय बांड को बढ़ाया । दि. 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया रहनेवाले ऐसे बंधपत्रों के विवरण निम्नलिखित हैं:

ii. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend accounts of SyndicateBank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund.

The Details of Unpaid Dividend accounts of the Bank and the due date for transfer to IEPF are as under:

| Sl. No. | Details of Unpaid Dividend | Current Account No. | Date of Declaration | Balance as on 31.03.2013 (₹) | Due date of transfer to IEPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dividend 1999-2000 | 0400.101.7950 | 25.05.2000 | 25,20,067 | 16.10.2013 |
| 2. | Dividend 2000-2001 | 0400.101.8668 | 02.07.2001 | 51,30,221 | 16.10.2013 |
| 3. | Dividend 2001-2002 | 3008.101.2122 | 30.05.2002 | 58,24,199 | 16.10.2013 |
| 4. | Dividend 2002-2003 | 3008.101.2174 | 11.06.2003 | 76,18,598 | 16.10.2013 |
| 5. | Interim Dividend 2003-2004 | 3008.101.2214 | 10.12.2003 | 57,33,025 | 16.10.2013 |
| 6. | Final Dividend 2003-2004 | 3008.101.2239 | 11.06.2004 | 53,59,504 | 16.10.2013 |
| 7. | Interim Dividend 2004-2005 | 3008.101.4886 | 31.03.2005 | 33,98,038 | 16.10.2013 |
| 8. | Final Dividend 2004-2005 | 3008.101.4959 | 07.06.2005 | 69,29,316 | 16.10.2013 |
| 9. | Interim Dividend 2005-2006 | 3008.101.5371 | 16.02.2006 | 73,58,714 | 16.10.2013 |
| 10. | Final Dividend 2005-2006 | 3008.101.5739 | 20.07.2006 | 53,52,160 | 16.10.2013 |
| 11. | Interim Dividend 2006-2007 | 3008.101.6093 | 20.12.2006 | 70,79,881 | 20.01.2013 |
| 12. | Final Dividend 2006-2007 | 3008.101.6672 | 16.07.2007 | 72,37,100 | 16.07.2014 |
| 13. | Interim Dividend 2007-2008 | 3008.101.7530 | 11.04.2008 | 91,36,580 | 11.04.2015 |
| 14. | Final Dividend 2007-2008 | 3008.101.7839 | 18.07.2008 | 78,51,970 | 18.07.2015 |
| 15. | Interim Dividend 2008-2009 | 3008.101.8078 | 29.04.2009 | 1,01,13,360 | 29.04.2016 |
| 16. | Final Dividend 2008-2009 | 3008.101.8160 | 21.07.2009 | 1,05,23,722 | 21.07.2016 |
| 17. | Dividend 2009-2010 | 3008.101.8416 | 06.07.2010 | 1,99,50,894 | 06.07.2017 |
| 18. | Dividend 2010-2011 | 3008.101.8720 | 07.07.2011 | 261,60,140 | 07.07.2018 |
| 19. | Dividend 2011-2012 | 3008.101.9176 | 27.07.2012 | 3,22,27,919 | 17.08.2019 |

Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants, are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance.

**Outstanding GDRs/ADRs or any Convertible Instruments, Conversion Date and likely impact on Equity:**

The Bank has not issued any GDRs/ ADRs / warrants or any convertible instruments.

**Bonds**

Bank has raised unsecured, redeemable bonds in order to augment capital, which are not convertible to equity. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2013 are as follows:

| शृंखला | आबंटन की तारीख | रकम करोड़ (रुपयों में) | अवधि (महीने में) | कूपन % (प्र.व.) | मोचन की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| शृंखला V - टियर II | 26.03.2004 | 125.00 | 120 | 6.00% प्र.व. | 26.03.2014 |
| शृंखला VI - टियर II | 29.09.2004 | 200.00 | 116 | 6.90% प्र.व. | 29.05.2014 |
| शृंखला VII - टियर II | 20.12.2004 | 100.00 | 120 | 7.50% प्र.व. | 20.12.2014 |
| शृंखला VIII - टियर II | 20.06.2005 | 500.00 | 118 | 7.40% प्र.व. | 20.04.2015 |
| शृंखला IX - टियर II | 15.12.2005 | 500.00 | 112 | 7.60% प्र.व. | 15.04.2015 |
| अपर टियर II शृंखला I | 27.07.2006 | 619.60 | 180 | 9.35% प्र.व. | 27.07.2021 |
| अपर टियर II शृंखला II | 28.02.2007 | 200.10 | 180 | 9.30% प्र.व. | 28.02.2022 |
| आई.पी.डी.आई.* टियर I शृंखला I | 25.03.2008 | 240.00 | 140 | 9.90% प्र.व. | 31.12.2019 |
| लोअर* टियर II शृंखला X | 26.12.2008 | 300.00 | 120 | 8.60% प्र.व. | 26.12.2018 |
| आई.पी.डी.आई.* टियर I | 12.01.2009 | 339.00 | 120 | 9.40% प्र.व. | 30.12.2019 |
| आई.पी.डी.आई.* टियर I | 15.06.2009 | 200.00 | 120 | 8.49% प्र.व. | 15.06.2019 |
| आई.पी.डी.आई.* टियर I | 29.06.2009 | 194.00 | 126 | 8.90% प्र.व. | 31.12.2020 |
| आई.पी.डी.आई.* टियर I | 31.12.2012 | 1000.00 | 120 | 9.00% प्र.व. | 31.12.2012 |
| | **कुल** | **3517.70** | | | |

*आई.पी.डी.आई.– नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत

**नोट:** यदि आबंटन की तारीख से 10 वें वर्ष के अंत तक मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो 0.50% प्र.व. की निर्धारित कूपन–दर आगे की अवधि के लिए देय होगी।

दि. 18.10.2010 को जारी परिपत्र के तहत बैंक ने यूएसडी 1000 मिलियन आकार के बैंक एम टी एन कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय एवं अंतिम शेयर श्रेणी के रूप में यूएसडी 500 मिलियन एकत्र किया। इश्यू संबंधी ब्योरे निम्नवत हैं:

| | |
|---|---|
| रकम | यू एस डी 500.00 मिलियन |
| नोट की स्थिति | वरिष्ठ |
| उद्देश्य | लंदन शाखा के समुद्रपारीय परिचालन का निधीयन |
| ब्याज | 4.125 % अर्धवार्षिक देय प्रति वर्ष निश्चित दर |
| इश्यू की तारीख | 12 अक्तूबर 2012 |
| परिपक्वता तिथि | 12 अप्रैल 2018 |
| अवधि | 5½ वर्ष |

**अदावी शेयर**

''सेबी'' द्वारा प्रवर्तित सूचीकरण करार के खण्ड 5 ए के अनुसार तथा उनके परिपत्र सं- सेबी/सी.एफ.डी./डी.आई.एल./एल.ए./1/2009/24/04 दि. 24.04.2009 के अनुसार बैंक अदावी शेयरों को किसी एक निक्षेपागार सहभागी के पास जारीकर्ता द्वारा खोले गए डीमैट उचंत खाते में जमा किया जाए।

बैंक एफ.पी.ओ. के अदावी शेयरों के संबंध में एक एस्क्रो खाता रखता है। दि. 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार उक्त खाते के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

| **निक्षेपागार सहभागी का नाम** | **सिंडिकेटबैंक** |
|---|---|
| डी.पी.आई.डी./सी.एल.आई.डी. | 1305060000006734 |
| नाम | सिंडिकेटबैंक – अदावी उचंत खाता–डीमैट शेयर |
| निक्षेपागार सहभागी का पता | सिंडिकेटबैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद – 500 034 |

| Series | Date of Allotment | Size (₹. in Crore) | Tenor (in months) | Coupon (% p.a.) | Redemption date |
|---|---|---|---|---|---|
| Series V – Tier II | 26.03.2004 | 125.00 | 120 | 6.00 | 26.03.2014 |
| Series VI – Tier II | 29.09.2004 | 200.00 | 116 | 6.90 | 29.05.2014 |
| Series VII – Tier II | 20.12.2004 | 100.00 | 120 | 7.50 | 20.12.2014 |
| Series VIII – Tier II | 20.06.2005 | 500.00 | 118 | 7.40 | 20.04.2015 |
| Series IX – Tier II | 15.12.2005 | 500.00 | 112 | 7.60 | 15.04.2015 |
| Upper Tier II Series I | 27.07.2006 | 619.60 | 180 | 9.35 | 27.07.2021 |
| Upper Tier II Series II | 28.02.2007 | 200.10 | 180 | 9.30 | 28.02.2022 |
| IPDI * Tier I Series I | 25.03.2008 | 240.00 | 140 | 9.90 | 31.12.2019 |
| Lower Tier II Series X | 26.12.2008 | 300.00 | 120 | 8.60 | 26.12.2018 |
| IPDI* Tier I | 12.01.2009 | 339.00 | 120 | 9.40 | 30.12.2019 |
| IPDI* Tier I | 15.06.2009 | 200.00 | 120 | 8.49 | 15.06.2019 |
| IPDI* Tier I | 29.06.2009 | 194.00 | 126 | 8.90 | 31.12.2020 |
| IPDI* Tier I | 3112.2012 | 1000.00 | 120 | 9.00 | 3112.2012 |
| | **Total** | **4517.70** | | | |

* IPDI – Innovative Perpetual Debt Instruments

**Note:** Step-up Coupon Rate of 0.50% p.a. is payable for further life, if Call Option is not exercised at the end of 10th year from the date of allotment.

Bank also raised USD 500.00 Mio, the second and final tranche under the Bank's MTN Programme Size of USD 1000 Mio in terms of the offering circular dated 18.10.2010.

The details of the issue are as under:

| | |
|---|---|
| Amount | USD 500.00 Mio |
| Status of the Note | Senior |
| Purpose | Funding of overseas operation of London Branch |
| Interest | 4.125% Fixed rate per annum payable semi-annually |
| Issue Date | 12th October 2012 |
| Maturity date | 12th April 2018 |
| Tenor | 5 ½ years |

**Unclaimed Shares**

In terms of Clause 5A of the Listing Agreement introduced by SEBI, vide their Circular no. SEBI/CFD/DIL/LA/1/2009/24/04 dated 24.04.2009, the unclaimed shares of the Bank in respect of Demat Shares shall be credited to a demat Suspense account opened by the issuer with one of the depository participants.

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares of FPO as per following details as on 31.03.2013:

| Name of the Depository Participant | SyndicateBank |
|---|---|
| DPID/CLID | 1305060000006734 |
| Name | SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Demat Shares |
| Address of the Depository Participant | SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad 500 034 |

बैंक के अदावी शेयरों (सूची बंध) के विवरण निम्नवत् है:

| विवरण | मामलों की सं. | शेयरों की सं. |
|---|---|---|
| 1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानी दि. 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या | 122 | 23,030 |
| 2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2012-13 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है | 5 | 1,023 |
| 3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनके मामले में वर्ष 2012-13 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है। | 5 | 1,023 |
| 4. वर्ष के अंत में यानी दि. 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या | 117 | 22,007 |

बैंक के अदावी शेयरों (कागजी) के विवरण निम्नवत् है:

| विवरण | मामलों की सं. | शेयरों की सं. |
|---|---|---|
| 1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानी दि. 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या | 553 | 1,01,150 |
| 2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2012-13 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है | 10 | 2,750 |
| 3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष 2012-13 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है। | 10 | 2,750 |
| 4. वर्ष के अंत में यानी दि. 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या | 543 | 98,400 |

दि. 31.03.2013 की स्थिति में बैंक कागजी रूप में रखे गए अदावी शेयरों के संबंध में निम्नलिखित एस्क्रो खाता रखता है :

| **निक्षेपागार सहभागी का नाम** | **सिंडिकेटबैंक** |
|---|---|
| डी.पी.आई.डी./सी.एल.आई.डी. | 1305060000006721 |
| नाम | सिंडिकेटबैंक - अदावी उचंत खाता-कागजी शेयर |
| निक्षेपागार सहभागी का पता | सिंडिकेटबैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद - 500 034 |

**सेबी विनियमन 2002 (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) का अनुपालन**

उक्त विनियमावली के अनुसार बैंक ने प्रतिभूतियों के लेन देन हेतु पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार को रोकने हेतु आचार संहिता निरूपित की है। इन विनियमों की शर्तों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म तैयार किए गए हैं । पुन:, बैंक के निदेशकों और पदनामित कर्मचारियों दारा बैंक शेयरों के लेन-देन हेतु ट्रेडिंग विंडो को निम्नलिखित विवरण के अनुसार बंद कर दिया गया है:

| **ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की तारीख** | **बंद करने का उद्देश्य** |
|---|---|
| दि. 25.04.2012 से 06.05.2012 तक | 31 मार्च 2012 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा |
| दि. 21.07.2012 से 31.07.2012 तक | 30 जून 2012 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा |
| दि. 12.10.2012 से 23.10.2012 तक | 30 सितंबर 2012 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा |
| दि. 13.01.2013 से 24.01.2013 तक | 31 दिसंबर 2012 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा |

**टेक ओवर संहिता**

बैंक ने समय समय पर संशोधित सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेक ओवर) विनियमावली 2011 के प्रावधानों का पालन किया है।

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Demat) are as under:

| Particulars | No. of Cases | No. of Shares |
|---|---|---|
| 1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2012 | 122 | 23,030 |
| 2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2012-2013 | 5 | 1,023 |
| 3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2012-2013 | 5 | 1,023 |
| 4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2013 | 117 | 22,007 |

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Physical) are as under:

| Particulars | No. of Cases | No. of Shares |
|---|---|---|
| 1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2012 | 553 | 1,01,150 |
| 2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2012-2013 | 10 | 2,750 |
| 3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2012-2013 | 10 | 2,750 |
| 4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2013 | 543 | 98,400 |

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares issued in physical form as per following details as on 31.03.2013:

| Name of the Depository Participant | SyndicateBank |
|---|---|
| DPID/CLID | 1305060000006721 |
| Name | SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares |
| Address of the Depository Participant | SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad – 500 034 |

## COMPLIANCE WITH SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 2002

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these regulations. Further, the trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

| Dates of closure of Trading Window | Purpose of Closure |
|---|---|
| From 25/04/2012 to 06/05/2012 | Declaration of Annual Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2012 |
| From 21/07/2012 to 31/07/2012 | Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th June 2012 |
| From 12/10/2012 to 23/10/2012 | Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th September 2012 |
| From 13/01/2013 to 24/01/2013 | Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 31st December 2012 |

## Takeover Code

The Bank has complied with the applicable provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended, from time to time.

## नैगम अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

(सूचीकरण करार के खण्ड 49(vii) की शर्तों के अनुसार)

सेवा में,
बैंक के सभी शेयरधारक

हमने दि. 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए, सिंडिकेटबैंक द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीकरण करारों के संगत खण्डों में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है ।

नैगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है । हमारी जाँच, नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी । यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है न ही उसकी राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा दस्तावेजों और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर यह हमारी राय है कि बैंक ने, स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया है ।

1. निदेशक मंडल – गठन और क्षतिपूर्ति, समिति में निदेशकों की सदस्यता, निदेशक मंडल की बैठक और आचार संहिता (प्रारूपण बैंक के वेबसाइट में प्रस्तुत करना)
2. लेखा परीक्षा समिति – गठन, अधिकार, बैठक, भूमिका सूचना की समीक्षा इत्यादि
3. सहायक कंपनियाँ
4. प्रकटीकरण
   - क) संगत पार्टी लेन-देन का आधार
   - ख) लेखाकरण प्रक्रिया
   - ग) जोखिम प्रबंधन
   - घ) सार्वजनिक निगम की प्राप्य राशियों की उपयोगिता
   - ङ) निदेशकों का पारिश्रमिक इत्यादि
   - च) प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण
   - छ) निदेशकों के बीच अपेक्षा संबंध
5. वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. का प्रमाणीकरण
6. वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट

हम यह कहना चाहते हैं कि शेयरधारकों तथा निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है ।

हम आगे कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का आश्वासन देता है न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके सहारे प्रबंधक वर्ग ने बैंक का कारोबार संभाला है ।

कृते **शंभु एन डे एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
ह/
**(एस. एन. मित्रा)**
साझेदार
सदस्यता सं. 011678

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 02.05.2013

---

## निदेशक मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणीकरण

(सूचीकरण करार के खण्ड 49 (v) के अंतर्गत)

दिनांक : 29.04.2013

मैं प्रमाणित करता हूँ:

क. मैंने वर्ष 2012-2013 के वित्तीय विवरणों और नकदी उपलब्धता विवरण की समीक्षा की है और कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:
- इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या इसमें ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
- ये विवरण बैंक के कारोबार की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें वर्तमान लेखा मानदण्डों, प्रायोज्य विधियों तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है ।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम बैंक में आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसका निर्वहण करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और कि हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिपालन की विसंगतियों, यदि कोई हो, जिसकी हम भली भांति जानकारी रखते हैं, और इन विसंगतियों का परिशोधन करने के लिए उठाए गए या उठाए जानेवाले कदमों को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है ।

घ. हमने लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी है:
- वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण के मामलों में वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन
- वर्ष 2012-13 के दौरान लेखाकरण नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और
- हमारे ध्यान में लाए गए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले और उनमें प्रबंधक वर्ग या किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय रिपोर्ट में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पर पड़ता है ।

स्थान: बेंगलूर

ह/
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

---

## निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा बैंक की आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा

एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है कि बैंक ने अपने मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कर्मचारियों के लिए दि. 22.09.2005 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता को अपनाया है जिसका कार्यान्वयन दि. 01.10.2005 से हुआ है और आचार संहिता को बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए, पुन: अब यह पुष्टि की जाती है कि मंडल के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों ने दि. 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

ह/-
**(म. गि. संघवी)**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 29.04.2013

## AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(In terms of Clause 49 (vii) of the Listing Agreement)

To

All the Shareholders of the Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by SyndicateBank for the year ended 31.3.2013 as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements with the Stock Exchanges detailed as under:

1) Board of Directors – composition, compensation, Membership of Directors in committees, Board Meetings and Code of Conduct (drafting and placing on the website of the Bank)
2) Audit Committee – Composition, Powers, meetings, role review of information, etc.
3) Subsidiary Companies
4) Disclosures:
   a) Basis of related party transactions
   b) Accounting treatment
   c) Risk Management
   d) Utilisation of public issue proceeds
   e) Remuneration of Directors
   f) Management Discussion and Analysis
   g) Relationships between directors inter-se, etc.
5) CEO/ CFO Certification with respect to review of financial statements
6) Report on Corporate Governance in Annual Report etc.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per records maintained by the shareholders and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

FOR SAMBHU N DE & CO
Chartered Accountants
Sd/-
(S N Mittra)
Partner
Membership No. 011678

Place : BANGALORE
Date : 02.05.2013

---

## CEO/CFO CERTIFICATION TO THE BOARD

(Under Clause 49(V) of Listing Agreement)

Date: 29.04.2013

I/We Certify that –

a. I/We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year 2012-2013 and that to the best of our knowledge and belief:
   - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
   - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations;
b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2012-2013 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct;
c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of the internal control, if any, of which we are aware of and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee –
   - Significant changes in internal control over the financial reporting during the year 2012-2013;
   - Significant changes in accounting policies during the year 2012-13 and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
   - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over the financial reporting.

Place: BENGALURU

Sd/-
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Sd/-
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

---

## DECLARATION REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT OF THE BANK BY BOARD MEMBER AND SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

It is hereby confirmed that the Bank has on 22.09.2005 adopted the Code of Conduct for the Board Members and Senior Management Personnel as laid down by SEBI, for implementation with effect from 01.10.2005 and the said Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

In pursuance of the above, it is now further confirmed that the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the aforesaid Code of Conduct of the Bank for the year ended 31.03.2013.

Sd/-
(M G SANGHVI)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Bangalore
Date : 29.04.2013

## बासेल II प्रकटीकरण – मार्च 2013

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और विनियामक निदेशों के अनुरूप निरंतर स्तरोन्नत और कारगर बना रहा है । बैंक के कारोबार की समग्र संवृद्धि और विकास में जोखिम प्रबंधन के महत्व को स्वीकारते हुए एक संपूर्ण जोखिम प्रबंधन ढाँचा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत जोखिमों की पहचान, निर्धारण, अनुप्रवर्तन, कम करने और उनपर नियंत्रण करने हेतु प्रभावी जोखिम अभिशासन ढांचा, प्रणालियां, नीतियां और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में नये ढांचे के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रकटीकरणों का उल्लेख किया गया है । निम्नलिखित प्रकटीकरण इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैं:

**लागू करने की व्याप्ति**

**गुणात्मक प्रकटीकरण**

| | |
|---|---|
| क) समूह के उस शीर्ष बैंक का नाम जिसके लिए ढाँचा लागू होता है। | **सिंडिकेटबैंक** |
| ख) लेखाकरण और विनियमन प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की रूपरेखा, समूह के भीतर के संघटनों के विवरण के साथ। | लागू नहीं |

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

| | |
|---|---|
| ग) सभी सहायक संस्थाओं की पूँजी की सकल राशि की कमी जो समेकन में शामिल नहीं की गई है, अर्थात् जिनकी कटौती की गई है और ऐसी सहायक संस्थाओं के नाम। | लागू नहीं |
| घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के हितों की कुल रकम (उदा: चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है उनका नाम, उनके संस्थापन या निवेश का देश, इनमें स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न है तो मतदान अधिकार का अनुपात। इसके अतिरिक्त, कटौती करने के बजाय इस उपाय को अपनाने से विनियामक पूँजी पर पड़नेवाले परिमाणात्मक प्रभाव भी दर्शाएं। | लागू नहीं |

### पूँजीगत ढाँचा

**गुणात्मक प्रकटीकरण**

क) सभी पूँजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताओं की शर्तों एवं नियमों से संबंधित संक्षिप्त सूचना, खासकर उन पूंजीगत लिखतों के मामले में जो टियर-I या टियर-II में शामिल करने हेतु पात्र हैं ।

## BASEL II DISCLOSURES – MARCH 2013

Bank is continuously upgrading and fine-tuning the Risk Management Systems in tune with Best practices and Regulatory directions. Recognizing the importance of risk management in the overall growth and development of bank's business, a holistic view of risk management framework has been designed by putting in place an effective risk governance structure, systems, policies and procedures for identification, assessment, monitoring, mitigation and control of risks.

The guidelines issued by Reserve Bank of India, prescribe a series of disclosures in connection with the implementation of the new framework. The following disclosures made are intended to achieve these objectives:

**Scope of application**

**Qualitative Disclosures**

| | |
|---|---|
| a) Name of the top Bank in the group to which the framework applies | **SyndicateBank** |
| b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with brief description of the entities within the group | Not Applicable |

**Quantitative Disclosures**

| | |
|---|---|
| c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries. | Not Applicable |
| d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction. | Not applicable |

### Capital structure

**Qualitative Disclosures**

a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in Upper Tier II.

बैंक के टियर-I पूँजी में शेयर पूँजी, निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ और बैंक द्वारा अर्जित निवल लाभ से विनियोजित कुछ विशिष्ट प्रारक्षित निधियाँ आती हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार आइपीडीआइ को भी टियर I पूँजी के रूप में परिकलित किया गया है ।

टियर-II पूँजी में पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों की कुछ प्रतिशतता, जोखिम प्रावधान, जिन्हें टियर-II और अपर टियर-II बांड से नहीं घटाया गया है, शामिल हैं । इन बांडों की शर्तें एवं नियम और उन्हें पूँजी निधियों के रूप में संगणित करने के सिद्धांत भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियम के अनुसार हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने ₹ 1000 करोड़ का लोअर टियर II बंधपत्र जुटाया है ।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण** (₹ करोड में)

| | |
|---|---|
| ख) निम्नलिखित के प्रकटीकरण के साथ टियर-I पूँजी की रकम | **10040.06** |
| • प्रदत्त शेयर पूँजी | 601.95 |
| • प्रारक्षित निधियाँ | 8681.79 |
| • नवोन्मेषी लिखतें | 773.00 |
| • अन्य पूँजी लिखतें | 0.00 |
| • टियर I पूँजी से कटौती की गई रकम, सहयोगी संस्थाओं में ईक्विटी निवेश (50%) | 16.68 |
| ग) टियर-II पूँजी की कुल रकम (टियर-II पूँजी से कटौती निवल) | **4063.29** |
| घ) ऋण पूँजी लिखतें, जो अपर टियर 2 में कटौती पूँजी में शामिल करने के लिए पात्र हैं | |
| बकाया कुल रकम | 819.70 |
| उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम | – |
| पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम | 819.70 |
| ङ) गौण ऋण, जो लोवर टियर-2 पूँजी में शामिल करने | |
| के लिए पात्र है –बकाया कुल रकम | 2925.00 |
| उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम | 1000.00 |
| पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम | 1960.00 |
| च) पूँजी से की गई अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हों, सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश (50%) | 16.67 |
| छ) कुल पात्र पूँजी | **14103.35** |

**पूँजी पर्याप्तता**

**गुणात्मक प्रकटीकरण**

क) वर्तमान और भविष्य के कार्यकलापों को समर्थन प्रदान करने हेतु अपनी पूँजी पर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के संबंध में संक्षिप्त विचार विमर्श:

i) बैंक ने 20% की अनुमानित ऋण संवृद्धि के आधार पर 12.60% के सी.आर.ए.आर. का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण अगले चार वर्षों के दौरान 8% के टियर 1 सी.आर.ए.आर. के साथ 12% का सी.आर.ए.आर. रखने का लक्ष्य रखा गया है ।

ii) कारोबार ढांचा और अनुमानित संवृद्धि पर विचार करते हुए निम्नलिखित के संदर्भ में पूंजी का निर्धारण किया गया है

The Tier I capital of the Bank mainly consists of Share capital, free Reserves and certain specific reserves appropriated from the net profit earned by the bank. Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) is also reckoned as Tier I Capital as per the RBI norms.

Tier II Capital consists of certain percentage of revaluation reserves, risk provision which are not netted off, Tier II and Upper Tier II Bonds. The terms and conditions of these bonds and the principles of reckoning them as capital funds are guided by RBI regulation.

During the FY 2012-13, Bank has raised Rs.1000 crore lower Tier II bonds.

**Quantitative Disclosures** (₹ crore)

| | | |
|---|---|---|
| b) | The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of | **10040.06** |
| | • Paid-up share capital | 601.95 |
| | • Reserves | 8681.79 |
| | • Innovative instruments | 773.00 |
| | • Other capital instruments | 0.00 |
| | • Amounts deducted from Tier 1 capital, Equity investments in Associates (50%) | 16.68 |
| c) | The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital) | **4063.29** |
| d) | Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital | |
| | Total amount outstanding | 819.70 |
| | Of which amount raised during the current year | – |
| | Amount eligible to be reckoned as capital funds | 819.70 |
| e) | Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital | |
| | Total amount outstanding | 2925.00 |
| | Of which amount raised during the current year | 1000.00 |
| | Amount eligible to be reckoned as capital funds | 1960.00 |
| f) | Other deductions from capital, if any. Equity investments in Associates (50%) | 16.67 |
| g) | Total eligible capital | **14103.35** |

**Capital Adequacy**

**Qualitative disclosures**

(a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

i) Bank has targeted a CRAR of 12.60% based on a projected credit growth of 20%. On account of International presence, maintenance of CRAR of 12% with Tier I CRAR of 8% is envisaged during the next four years.

ii) Considering the business profile and the projected growth, capital is assessed with reference to

**पिलर I जोखिम, यानी,**

1. ऋण जोखिम –मानकीकृत दृष्टिकोण
2. बाजार जोखिम –मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण
3. परिचालन जोखिम –मूल सूचक दृष्टिकोण और

**पिलर II जोखिम, यानी,**

4. संकेंद्रण जोखिम
5. चलनिधि जोखिम
6. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम
7. अवशिष्ट जोखिम
8. प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
9. रणनीति संबंधी जोखिम
10. अर्जन संबंधी जोखिम
11. पूंजीगत जोखिम

iii) बैंक, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम की धारित आस्ति में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण करता है। भावी कार्यकलापों से संबंधित पूंजी पर्याप्तता के मामले में बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित आइ.सी.ए.ए.पी. प्रलेख (बासेल II ढांचे के पिलर 2 के अंतर्गत आवश्यकताओं से संबंधित भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) के अनुसार अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कारोबार योजना की आवधिक समीक्षा करके पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है। इसके अतिरिक्त, टियर I और टियर II पूंजी जुटाने के लिए बैंक के लिए उपलब्ध हेडरूम भविष्य के कार्यकलापों के प्रति अतिरिक्त सी.आर.ए.आर. की पूर्ति हेतु पूंजी विन्यास के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रदान करेगा।

बोर्ड को आवधिक रूप से कारोबार नीतियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर कारोबार आधारित पूँजी योजना और पूँजी अपेक्षाओं से अवगत कराया गया है।

बासेल–II ढांचे के अंतर्गत पूंजी के परिकलन के उद्देश्य से बैंक ने अपने सभी कारपोरेट आस्ति वर्ग और उन अन्य आस्ति वर्गों से खातावार ब्यौरे प्राप्त किए हैं जिनकी लेखा परीक्षा की गयी है ।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

**ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षाएं** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| संविभाग जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन हैं | 9058.75 |
| प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर | शून्य |

**ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षाएं:**
**मानकीकृत दृष्टिकोण** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| ब्याज दर जोखिम | 267.22 |
| ईक्विटी जोखिम | 91.90 |
| विदेशी मुद्रा जोखिम | 5.40 |

**घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षा**

**मूल सूचक दृष्टिकोण** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार पूँजी अपेक्षा | 662.14 |

**Pillar I risks** namely,

1. Credit Risk – Standardized approach
2. Market risk –Standardized duration approach
3. Operational Risk- Basic Indicator Approach and

**Pillar II risks** namely,

4. Concentration Risk
5. Liquidity Risk
6. Interest rate risk in banking book
7. Residual Risk
8. Reputation Risk
9. Strategic Risk
10. Earnings Risk
11. Capital Risk

iii) The Bank assesses the capital requirement keeping in view the anticipated growth in weighted assets of credit risk, market risk and operational risk. As regards the adequacy of capital to support the future activities, the Bank has drawn an assessment of capital requirement through periodical review of the business plan with the trends in the economy, as a part of the ICAAP document (in line with RBI guidelines on requirements under Pillar 2 of Basel II framework), duly approved by the Board. The surplus CRAR shall act as a cushion to support the future activities. Moreover, the headroom available for the Bank for mobilizing Tier 1 and Tier 2 capital shall additionally support capital structure to meet the required CRAR against future activities.

The Board is periodically apprised of the capital driven business plan and capital requirement, based on business strategies and future plans.

For the purpose of computation of capital under Basel II framework, bank collects account wise details of all its corporate asset class and data on other asset classes which are subjected to the audit process.

**Quantitative Disclosures:**

**b) Capital Requirements for Credit Risk** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Portfolios subjected to standardized approach | 9058.75 |
| Securitization Exposures | NIL |

**c) Capital requirements for Market Risk:**
**Standardized Duration Approach:** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Interest rate risk | 267.22 |
| Equity position risk | 91.90 |
| Foreign exchange risk | 5.40 |

**d) Capital Requirement for Operational Risk**
**Basic Indicator Approach** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Capital Requirement as per Basic Indicator Approach | 662.14 |

**ङ) बैंक के लिए कुल पूँजी अनुपात**

| | |
|---|---|
| नये पूँजी पर्याप्तता ढाँचे के अनुसार जोखिमभारित आस्तियों की तुलना में कुल पूँजी का अनुपात | 12.59 |
| बासेल-II के अनुसार जोखिमभारित आस्तियों की तुलना में टियर-I पूँजी का अनुपात | 8.96 |
| बासेल-I मानदण्डों के अनुसार जोखिमभारित आस्तियों की तुलना में कुल पूँजी का अनुपात | 11.12 |
| बासेल-I के अनुसार जोखिमभारित आस्तियों की तुलना में टियर-I पूँजी का अनुपात | 7.91 |

**अपेक्षित पूँजी पर विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| पुनरीक्षित ढाँचे के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूँजी | 10085.41 |
| ऋण और बाजार जोखिम के लिए बासेल-I ढाँचे के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूँजी (बासेल 1 का 80%) | 9155.30 |
| विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा-उपरोक्त में से अधिकतम | 10085.41 |

**ऋण जोखिम – सामान्य प्रकटीकरण**

**क) गुणात्मक प्रकटीकरण:**

बैंक द्वारा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानदंडों के लिए खातों के वर्गीकरण तथा लेखाकरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त परिभाषा का अनुसरण किया जाता है:

इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित ऋण/अग्रिम अनर्जक आस्ति माने जाते हैं:

1. मीयादी ऋणों के मामले में जहाँ ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो ।
2. ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण के मामले में जहाँ खाता 90 दिन से अधिक अवधि से अनियमित हो ।
3. खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिन से अधिक अवधि से अतिदेय हो ।
4. अल्पावधि के लिए फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त दो फसली मौसमों से अतिदेय हो ।
5. लंबी अवधि के फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त एक फसली मौसम से अतिदेय हो ।
6. अन्य खातों के मामलों में, कोई भी प्राप्य राशि, जो 90 दिनों की अवधि से ज्यादा दिनों से अतिदेय हो ।

**बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर विचार विमर्श:**

सामान्य कारोबार के दौरान बैंकिंग कारोबार में जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ तो बैंकिंग कारोबार में स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हैं और कुछ अप्रत्याशित आर्थिक एवं परिस्थितिजन्य कारणों से पैदा होती हैं । ऋण जोखिम-प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जोखिमों को कम करना और स्वीकार्य मानदण्डों के भीतर ऋण जोखिम को अपनाकर तथा रख रखाव करके बैंक की जोखिम समायोजित प्रतिलाभ की दर में वृद्धि करना है। इस प्रकार की जोखिमों तथा अनिश्चितताओं के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए किसी बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली समग्र प्रक्रिया को ही जोखिम-प्रबंधन कहते हैं। जोखिम-प्रबंधन प्रक्रिया के ज़रिए बैंक के पास जोखिमों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण के वैज्ञानिक साधन

**(e) Total Capital Ratio for the Bank**

| | |
|---|---|
| Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per New Capital Adequacy Framework | 12.59 |
| Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel -II | 8.96 |
| Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio - as per Basel I norms | 11.12 |
| Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel -I | 7.91 |

**Prudential floor on capital required** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Minimum capital required as per the revised framework | 10085.41 |
| Minimum capital required as per Basel I framework for credit and market risk. (80% of Basel I) | 9155.30 |
| Prudential floor- Higher of the above | 10085.41 |

**Credit Risk – General Disclosures**

**a) Qualitative Disclosures:**

Bank follows RBI definition of default for classifying and accounting for income recognition, asset classification and provisioning norms:

Non-Performing asset is defined as a loan/advance where

1. Interest and/or Instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of term loan.
2. The account remains out of order for 90 days in respect of an overdraft/cash credit.
3. Bill remains overdue for a period of more then 90 days in the case of bills purchased and discounted.
4. A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons.
5. A loan granted for long duration crops is treated as NPA, if the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season.
6. Any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

**Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy:**

The business of banking is exposed to Credit Risk in the normal course of business owing to various economic and environmental factors, some of them inherent to the banking business and others are unforeseen and unexpected. The objective of credit risk management is to minimize the risks and maximize the bank's risk adjusted rate of return by assuming and maintaining the credit exposure within the acceptable parameters. Risk management is the comprehensive process adopted by a bank to minimize adverse effects of such risks and uncertainties. Through the process of risk management the bank equips itself with tools and systems capable of assessing, monitoring and controlling risk exposures in a

एवं पद्धतियाँ उपलब्ध होती हैं । ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है । निदेशक मंडल की उप समिति के रूप में जोखिम-प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जिसके प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं । यह समिति ऋण जोखिम सहित विभिन्न प्रकार की जोखिमों के मामले में संयोजित जोखिम-प्रबंधन की नीति और रणनीतियाँ बनाती है। एक और ऋण जोखिम-प्रबंधन समिति है, यह शीर्ष स्तर की कार्यपालक समिति है, जो ऋण जोखिम नीति और रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है ।

बैंक ने भा.रि.बैं. की नई पूंजी पर्याप्तता ढ़ाचे के अनुसार सी.आर.ए.आर. के परिकलन हेतु ऋण जोखिम भारित आस्तियों के परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है।

बैंक की सुविस्तृत ऋण और ऋण जोखिम नीतियां हैं, जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित हैं। इन नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और व्यष्टि एवं समष्टि आर्थिक विकास, विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों, सरकार की नीतियों और बैंक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अद्यतन बनाया जाता है।

बैंक में एक सुनियोजित और मानकीकृत ऋण अनुमोदन प्रक्रिया और श्रेणी निर्धारण मॉडेल है जो बासेल-II के अनुकूल है। साख श्रेणी निर्धारण/स्कोरिंग फ्रेमवर्क की मदद से बैंक आस्ति संविभाग के श्रेणी निर्धारण को सुनिश्चित करता है। ₹5 करोड़ और/या ₹50 करोड़ और उससे अधिक वार्षिक पण्यावर्तवाले ऋणों के संबंध में पूर्व-मंजूरी श्रेणी निर्धारण आबंटित करने तथा उसके पुष्टीकरण के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली भी तैयार की गयी है। ऋण मंजूरी और समीक्षा प्रक्रिया के कार्यों को अलग-अलग कर दिया गया है। ऋण जोखिम को कम करने के लिए नैगम कार्यलय/क्षे.का. में ऋण समितियाँ गठित की गयी हैं, जो सभी दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करती हैं और मंजूरी हेतु उसे संबंधित मंजूरीदाता प्राधिकारी को अग्रेषित करती हैं। ऋण निर्णय और कीमत निर्धारण को उधारकर्ता श्रेणी निर्धारण के साथ संबद्ध किया गया है।

बैंक पूंजीगत आबंटन को इष्टतम रखने के उद्देश्य से अपने कार्पोरेटों के ऋणों के श्रेणीनिर्धारण को किसी बाहरी श्रेणीनिर्धारण एजेंसी द्वारा करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

संविभाग जोखिम जिसे संकेंद्रण जोखिम के रूप में प्रकट किया जाता है उसे प्रत्येक उधारकर्ता/समूह, उद्योगवार/क्षेत्रवार सीमाएं निर्धारित करके कम किया जाता है और आवधिक अंतरालों पर उसकी समीक्षा की जाती है। बैंक में एक ऐसी प्रणाली है जो बड़े और बेजमानती ऋणों की निगरानी करती है और वह संवेदनशील क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों की समय-समय पर समीक्षा करती हैं।

बड़े उधार खातों को दिए गए ऋणों की नियमित रूप से निगरानी करने और ऋण संविभाग की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कॉर्पोरेट कार्यालय में एक अलग ऋण निगरानी कक्ष खोला गया है, जो मंजूरी पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी कार्य संभालता है।

बैंक ने अभिनिर्धारित खातों तथा पुन: संरचित खातों की निगरानी के लिए एक विशेष निगरानी खाता विभाग खोला है, जो समयोचित कार्रवाई करता है और खाते को एन.पी.ए. बनने से रोकता है। इसी प्रकार, प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा निगरानी करने के लिए क्षे.का. स्तर पर भी कक्ष खोले गए हैं।

scientific manner. Bank has an effective governance structure for managing credit risk. Risk Management Committee, a sub-committee of the Board headed by the Chairman and Managing Director devises the policy and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the bank including credit risk. The Credit Risk Management Committee, apex level executive committee responsible for implementation of the credit risk policies and strategies.

Bank has adopted standardized approach to arrive at credit risk weighted assets for computing CRAR, as required under the New Capital Adequacy Framework (NCAF) of RBI.

Bank has a well articulated Credit and Credit Risk Policies, duly approved by the Board. The policies are regularly reviewed and updated to take care of micro and macro economic developments, regulatory guidelines, Government policies and Bank's specific requirements.

Bank has a structured and standardised Credit Approval Process and Rating Model which is Basel II compliant. The credit rating/scoring framework enables the Bank to ensure that the asset portfolio is rated. An independent system of pre-sanction rating, allotment and confirmation, covering exposures of ₹ 5 crore and/or having annual turnover of ₹ 50 crore and above has also been put in place. The functions of Credit Sanctions and Review Process have been segregated. Bank has constituted Credit Approval Committee at Corporate office as per the directions of Ministry of Finance, Government of India. To mitigate Credit Risk, Credit Committees have been constituted at Corporate/Regional Offices to evaluate credit proposals from all angles and recommend for sanction to the sanctioning authority. Credit decisions and pricing are linked to borrower rating.

Bank is also encouraging its corporate constituents to get their exposures rated by approved external rating agencies, with a view to optimize capital allocation.

Portfolio risk which manifests as concentration risk is addressed by limiting the size of exposures to individual borrowers/group, fixing industry/sector-wise limits which are reviewed at periodic intervals. Bank has also a system of monitoring its substantial and unsecured exposures and undertakes periodic review of sensitive sector advances.

With a view to monitor bank's exposure to large borrowal accounts on regular basis and to ensure quality of the credit portfolio, a separate Credit Monitoring Cell has been formed at Corporate Office exclusively to attend to post sanction follow-up and monitoring.

Bank has also put in place a Special Monitoring Accounts Department to exclusively monitor identified accounts and those accounts restructured, to take timely action and avoid slippages. Similar Cells function at Regional Offices for effective follow-up and monitoring.

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

**ख) कुल सकल ऋण निवेश** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण | 149422.74 |
| गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण | 14033.70 |

**ग) ऋण प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| **समुद्रपारीय:** | |
| निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण | 25140.25 |
| गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण | 29.84 |
| **घरेलू:** | |
| निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण | 124282.49 |
| गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण | 14003.86 |

**घ) उद्योग वार निवेश (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों)**

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | उद्योग | ऋण निधि आधारित | ऋण गैर निधि आधारित | निवेश | कुल निवेश |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | इन्फ्रास्ट्रक्चर | 17002.60 | 1455.48 | 45.62 | 18503.70 |
| 2. | पेट्रोलियम | 2680.42 | 1405.67 | 25.50 | 4111.59 |
| 3. | सभी इंजीनियरिंग | 1327.26 | 3094.21 | 69.15 | 4490.62 |
| 4. | लोहा और इस्पात | 4902.29 | 251.24 | 107.75 | 5261.28 |
| 5. | रासायनिक रंग एवं पेंट | 2345.04 | 895.16 | 46.40 | 3286.60 |
| 6. | निर्माण | 1594.99 | 1855.37 | 22.00 | 3472.36 |
| 7. | कपडा उद्योग | 2182.68 | 130.74 | 17.26 | 2330.68 |
| 8. | रत्न और आभूषण | 624.69 | 515.60 | – | 1140.29 |
| 9. | सिमेंट और सिमेंट उत्पाद | 957.80 | 20.90 | 31.02 | 1009.72 |

औद्योगिक क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों में से बैंक द्वारा संरचना हेतु प्रदत्त ऋणों (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों) का प्रतिशत बैंक द्वारा प्रदत्त सकल निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित ऋणों की तुलना में 13.35% है ।

**Quantitative Disclosures:**

**(b) Total Gross Credit Exposures:** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Fund based credit exposures | 149422.74 |
| Non-fund based credit exposures | 14033.70 |

**(c) Geographic distribution of credit exposures:**

(₹ crore)

| | |
|---|---|
| **Overseas:** | |
| Fund based credit exposures | 25140.25 |
| Non-fund based credit exposures | 29.84 |
| **Domestic:** | |
| Fund based credit exposures | 124282.49 |
| Non-fund based credit exposures | 14003.86 |

**(d) Industry-Wise distribution of exposures (Both fund based and non-fund based)** (₹ crore)

| Sl. No | Industry | Credit Fund Based | Credit Non Fund Based | Invest-ment | Total Exposure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infrastructure | 17002.60 | 1455.48 | 45.62 | 18503.70 |
| 2 | Petroleum | 2680.42 | 1405.67 | 25.50 | 4111.59 |
| 3 | All Engineering | 1327.26 | 3094.21 | 69.15 | 4490.62 |
| 4 | Iron and Steel | 4902.29 | 251.24 | 107.75 | 5261.28 |
| 5 | Chemicals Dyes & Paints | 2345.04 | 895.16 | 46.40 | 3286.60 |
| 6 | Construction | 1594.99 | 1855.37 | 22.00 | 3472.36 |
| 7 | Textiles | 2182.68 | 130.74 | 17.26 | 2330.68 |
| 8 | Gems and Jewellery | 624.69 | 515.60 | – | 1140.29 |
| 9 | Cement & Cement Products | 957.80 | 20.90 | 31.02 | 1009.72 |

Among industrial exposures, bank's exposure to infrastructure (fund based and non fund based) is 13.35% of gross fund based and non fund based credit exposure of the bank.

**ङ) आस्तियों और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वतावार विश्लेषण/(e) Residual maturity-wise breakdown of assets & liabilities**

**ऋण एवं अग्रिम, निवेश, जमाराशी एवं उधार के परिपक्वता स्वरूप (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न परिपक्वता अवधि के अंतर्गत)/ The maturity pattern of Loans & Advances, Investments, Deposits and Borrowings (under various maturity buckets prescribed by the Reserve Bank of India)**

(₹ करोड़ में/₹ crore)

| As on 31.03.2013 की स्थिति | 1 दिन 1 day | 2-7 दिन 2 to 7 days | 8-14 दिन 8 to 14 days | 15-28 दिन 15 to 28 days | 29 दिन से 3 महीने तक 29 days to 3 mths | 3 महीने से अधिक और 6 महीने तक Over 3 mths to 6 mths | 6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 mths to 1 year | 1 वर्ष से 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 years | 3 वर्ष से 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 years | 5 वर्ष से अधिक Over 5 years | कुल Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i) जमाराशि Deposits | 923.76 | 7291.29 | 6441.50 | 6410.88 | 29662.17 | 28443.51 | 31901.22 | 65661.37 | 6435.44 | 2184.75 | 185355.89 |
| ii) अग्रिम Advances | 2692.20 | 5102.06 | 2600.23 | 2871.94 | 20168.29 | 10189.58 | 17523.09 | 49644.84 | 13302.88 | 23473.92 | 147569.02 |
| iii) निवेश Investments | 0.00 | 111.64 | 24.65 | 202.07 | 1240.04 | 1323.31 | 1959.30 | 5068.76 | 9054.34 | 26663.55 | 45647.66 |
| iv) उधार राशियाँ Borrowings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.43 | 1080.74 | 509.67 | 344.23 | 1691.29 | 3525.82 | 5580.60 | 12813.79 |
| v) विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets | 114.40 | 4729.86 | 2177.28 | 2479.39 | 7733.43 | 5082.15 | 2836.62 | 415.49 | 452.97 | 297.52 | 26319.09 |
| vi) विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities | 6.33 | 2455.68 | 987.68 | 3133.82 | 7620.59 | 3241.40 | 1702.62 | 401.06 | 3128.34 | 2714.67 | 25392.18 |

**नोट:** उपर्युक्त मद सं. 5 एवं 6 को उपर्युक्त मद सं. 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है।

**Note:** Item No. 5 & 6 above are included in respective heads in item no. 1 to 4 above.

च) **अनर्जक आस्तियों की राशि** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| अवमानक | 2110.66 |
| संदिग्ध 1 | 581.37 |
| संदिग्ध 2 | 224.05 |
| संदिग्ध 3 | 45.34 |
| हानि आस्तियाँ | 17.08 |

छ) **निवल अनर्जक आस्तियाँ** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| 31.03.2013 को निवल अनर्जक आस्तियाँ | 1124.77 |

ज) **अनर्जक आस्ति अनुपात** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ | 1.99% |
| निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ | 0.76% |

झ) **अनर्जक आस्तियों (सकल) में बदलाव** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| अथशेष | 3182.70 |
| परिवर्धन | 2142.04 |
| कटौती | 2346.24 |
| इति शेष | 2978.50 |

ञ) **अनर्जक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| अथ शेष | 1931.27 |
| वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान | 1135.44 |
| बट्टे खाते डालना/ अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन | 1291.06 |
| इति शेष | 1775.65 |

ट) **अनर्जक निवेशों की रकम** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| अनर्जक निवेशों की रकम | 51.05 |

ठ) **अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान की राशि** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान | 40.12 |

ड) **निवेशों में होने वाले मूल्यह्रास हेतु रखे गए प्रावधानों में बदलाव** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| अथ शेष | 29.96 |
| वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान | 5.88 |
| बट्टा खाते डालना/ अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन | 29.96 |
| इति शेष | 5.88 |

**मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन लाए गए निवेश संविभाग पर प्रकटीकरण**

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

बैंक ने, मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट जोखिम भार लागू करते हुए अपने निवेश संविभाग पर ऋण जोखिम पूंजी का परिकलन किया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने, नैगम निवेश संविभाग के लिए अधिमान्य जोखिम भार लागू करने हेतु बाह्य श्रेणी निर्धारण की पहचान की है । बाहरी श्रेणी निर्धारण

**(f) Amount of NPAs** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Substandard | 2110.66 |
| Doubtful 1 | 581.37 |
| Doubtful 2 | 224.05 |
| Doubtful 3 | 45.34 |
| Loss Assets | 17.08 |

**(g) Net NPAs** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Net NPAs as on 31.03.2013 | 1124.77 |

**(h) NPA Ratios:**

| | |
|---|---|
| Gross NPAs to Gross Advances | 1.99% |
| Net NPAs to Net Advances | 0.76% |

**(i) Movement of NPAs (Gross)** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Opening Balance | 3182.70 |
| Additions | 2142.04 |
| Reduction | 2346.24 |
| Closing Balance | 2978.50 |

**(j) Movement of Provisions for NPAs** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Opening Balance | 1931.27 |
| Provisions made during the year | 1135.44 |
| Write off/Write-back of excess provisions | 1291.06 |
| Closing Balance | 1775.65 |

**(k) Amount of non-performing investments:** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Amount of non-performing investments | 51.05 |

**(l) Amount of provisions held for non-performing investments:** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Provisions held for non-performing investments | 40.12 |

**(m) Movement of provisions for depreciation of investments:** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Opening Balance | 29.96 |
| Provisions made during the year | 5.88 |
| Write-off/Write-back of excess provisions | 29.96 |
| Closing Balance | 5.88 |

**Disclosures on portfolios subjected to standardized approach**

**Qualitative Disclosure**

Bank has computed credit risk capital on all its portfolios by applying risk weights as prescribed by Reserve Bank of India for Standardised Approach. Reserve Bank of India has recognized external ratings for application of preferential risk weight for corporate exposures. For the

को लागू करने के उद्देश्य से, भा.रि.बैं. ने निम्नलिखित बाह्य साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी की पहचान की है:

1. क्रेडिट रेटिंग एण्ड इनफारमेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया (क्रिसिल)
2. इनवेस्टमेंट इनफारमेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईक्रा)
3. क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
4. इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
5. ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6. एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया (स्मेरा)

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध बाहरी श्रेणी निर्धारणों का उपयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित परिकलन प्रक्रिया के माध्यम से अधिमान्य जोखिम भार लागू करने हेतु किया गया है:

- दीर्घावधि और अल्पावधि बैंक ऋण के श्रेणी निर्धारण का उपयोग क्रमश: बैंक के दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों के लिए किया जाता है।
- जहाँ जारीकर्ता का श्रेणी निर्धारण तय किया गया है, वहाँ उसी श्रेणी निर्धारण को बैंक के निवेश के लिए उपयोग किया जाएगा ।
- बाहरी सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण का उपयोग तभी किया जाएगा जब हमारे निवेश अधिक होते हैं या बाहरी श्रेणी निर्धारण के कारण होते हैं ।
- अल्पावधि श्रेणी निर्धारण निर्गम विशिष्ट होते हैं और उनका उपयोग दीर्घावधि निवेशों के परिकलन के लिए नहीं किया जाता है । फिर भी, जहाँ–कहीं गैर श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों पर अल्पावधि श्रेणी निर्धारण लागू किया जाता है, वहाँ संगत अल्पावधि निवेशों पर ऐसा जोखिम भार लागू किया जाएगा जो काऊँटरपार्टी के श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों के लिए लागू होनेवाले जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊँचा होगा ।
- बाहरी एजेंसियों द्वारा निर्धारित बंध पत्र/डिबेंचर की अवधि को श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा प्रतिसंदाय हेतु गणना में ली गयी कुल अवधि के अनुसार बैंक के निवेश के अवशिष्ट परिपक्वता के परिकलन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण:**

**मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम को कम करने के बाद की निवेश की रकम:**

(₹ करोड़ में)

| जोखिम भार वर्ग | ऋण जोखिम को कम करने के बाद ऋण | ऋण जोखिम को कम करने के बाद बाहरी श्रेणी निर्धारित ऋण | गैर श्रेणी निर्धारित |
|---|---|---|---|
| **अग्रिम** | | | |
| 100% से कम जोखिम भार | 89186.26 | 33770.78 | 55415.48 |
| 100% जोखिम भार | 31216.38 | 20648.35 | 10568.03 |
| 100% से अधिक जोखिम भार | 15492.03 | 7228.34 | 8263.69 |
| कटौती | | | |
| **निवेश** | | | |
| 100% से कम जोखिम भार | 37417.66 | 0.00 | 37417.66 |
| 100% जोखिम भार | 72.06 | 0.00 | 72.06 |
| 100% से अधिक जोखिम भार | 42.87 | 0.00 | 42.87 |
| कटौती | | | |

purpose of application of external credit ratings, rating by the following recognized external credit rating agencies are used:

1. Credit Rating and Information Services of India Ltd. (CRISIL)
2. Investment Information and Credit Rating Agency of India Ltd. (ICRA)
3. Credit Analysis and Research Ltd. (CARE)
4. India Ratings and Research Pvt Ltd.
5. Brickworks Ratings India Private Ltd.
6. SME Rating Agency of India (SMERA)

The external ratings available in the public domain were utilized for application of preferential risk weights through the mapping process defined by Reserve Bank of India:

- Long Term and Short Term Bank Loan ratings are used for Bank's Long and Short term exposures respectively.
- Where issuer rating is assigned, same is used for Bank's exposure.
- External public ratings are used only when our exposures are senior or pari-passu to the external ratings.
- Short term ratings are issue specific and are not used for mapping long term exposures. However, wherever short term ratings are applied to unrated short term exposures, the relevant short term exposure attracts a risk weight of atleast one level higher than the risk weight applicable to the rated short term of the counterparty.
- The tenor of the bond/debenture rated by external rating agencies is taken for mapping residual maturity with Bank's exposure as per the total period considered by the rating agencies for repayment.

**Quantitative Disclosures:**

**Exposure amounts after risk mitigation subject to standardized approach:**

(₹ crore)

| Risk weight category | Exposure after Credit Risk Mitigation | Externally Rated Exposure after Credit Risk Mitigation | Unrated |
|---|---|---|---|
| **Advances** | | | |
| Below 100% Risk Weight | 89186.26 | 33770.78 | 55415.48 |
| 100% Risk Weight | 31216.38 | 20648.35 | 10568.03 |
| More than 100% Risk Weight | 15492.03 | 7228.34 | 8263.69 |
| Deducted | | | |
| **Investments** | | | |
| Below 100% Risk Weight | 37417.66 | 0.00 | 37417.66 |
| 100% Risk Weight | 72.06 | 0.00 | 72.06 |
| More than 100% Risk Weight | 42.87 | 0.00 | 42.87 |
| Deducted | | | |

**ऋण जोखिम को कम करना**

उधारकताओं की ऋण जोखिम को कम करने के लिए बैंक की ऋण जोखिम नीति में निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ शामिल की गयी हैं ।

1. नकदी, जमाराशि सहित,
2. सोना
3. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
4. घोषित अभ्यर्पण मूल्य सहित ऐसी बीमा कंपनी की जीवन बीमा पालिसियाँ जो आइ.आर.डी.ए. द्वारा नियंत्रित हो ।
5. नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ
6. सूचीबद्ध कंपनियों की ईक्विटी
7. म्यूच्युअल फंड की यूनिटें
8. भूमि और भवन
9. कच्चा माल/बिक्री माल/उत्पाद और अन्य वस्तुएँ
10. बही ऋण और प्राप्य राशियां
11. चल संपत्तियाँ जैसे, मशीनें, वाहन इत्यादि
12. माल पर हक दस्तावेज

बासेल-II समझौते के अंतर्गत ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, संपार्श्विक प्रतिभूतियों, जैसे भू-संपत्ति, स्टॉक, मशीन इत्यादि को मान्यता नहीं दी जाती है । नये ढांचे में केवल नकदी प्रतिभूति को मान्यता दी जाएगी जिन्हें ''पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति'' कहा जाता है । बैंक ने बासेल-II के अंतर्गत ऋण जोखिम को कम करने के उद्देश्य से केवल निम्नलिखित पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की है।

1. बैंक की अपनी जमाराशियाँ सहित नकद
2. सोना
3. के.वी.पी. और एन.एस.सी. (अवरुद्धता अवधि के बिना)
4. जीवन बीमा पालिसी

जोखिम भारित आस्तियों का परिकलन करने से पहले और बाजार के उतार-चढ़ाव की वजह से संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति समायोजन करने के बाद संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य को निवेश के मूल्य के प्रति समायोजित करने के लिए अनुमति दी जाएगी। जमाराशियों द्वारा रक्षित निवेशों से भिन्न अन्य निवेशों के मामले में जहाँ परिपक्वता बेमेल है वहाँ जोखिम परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है ।

आभूषण ऋणों के मामले में बैंक मूल्यों की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मार्जिन रखता है । अत: प्रतिभूति का समायोजन करने के बाद भी, सोने के मूल्य पूरी ऋण राशि का समंजन करता है । के.वी.पी. और एन.एस.सी. के मामले में जोखिम को कम करने हेतु केवल उन संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की जाएगी जिनकी तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी हो चुकी हो ।

विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने ऋण संरक्षण के पहचान हेतु केवल निम्नलिखित पात्र गारंटीकर्ताओं की पहचान की है:

**Credit Risk Mitigation**

Bank's credit risk policy recognizes the following collaterals for mitigation of credit risk in borrowers:

1. Cash, including deposits
2. Gold
3. Securities issued by Central and State Governments, KVPs, NSCs
4. Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by IRDA
5. Corporate Debt Securities
6. Equities of listed Corporates
7. Units of mutual funds
8. Land and Building
9. Raw materials/stock in trade/produce and other goods
10. Book debts and receivables
11. Movable assets such as machineries, automobiles etc.
12. Documents of title to goods

Standardised Approach for Credit Risk under Basel-II Accord does not recognize collaterals like landed property, Stock, machinery etc. The New Framework recognizes only cash collaterals, which are termed as "Eligible Financial Collaterals". The following eligible financial collaterals are recognized by the bank for credit risk mitigation purposes for Basel II:

1. Cash including bank's own deposits
2. Gold
3. KVPs & NSCs (without Lock in Period)
4. Life Insurance Policy

The value of the collateral is permitted to be offset against the value of the exposures before computing the Risk-Weighted Assets, after adjusting for possible future fluctuations in the value of collateral caused by market movements. In respect of exposures other than those covered by deposits, wherever there is maturity mismatch, risk mitigation has not been considered.

In case of jewel loans, bank is taking sufficient margin to take care of volatility in value. Hence, even after adjusting for haircut, value of gold will off-set the exposures. In case of KVPs & NSCs, only those which have completed three years (lock in period) have been recognized for mitigation.

In line with regulatory guidelines, Bank has recognized only the following eligible guarantors for recognition of credit protection:

- केन्द्र सरकार
- राज्य सरकार
- सी.जी.टी.एम.एस.ई. और
- ई.सी.जी.सी.

गारंटीकृत अंश का परिकलन, गारंटर को भा.रि.बैं. द्वारा प्रदान किए गए जोखिम भार के आधार पर किया जाता है ।

बैंक ने, पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में अपनी ही जमाराशियों तथा एन.एस.सी./के.वी.पी. को लिया है । इसलिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के भीतर कोई बाजार या ऋण संकेद्रीकरण नहीं है।

**मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रतिभूतिकरण का प्रकटीकरण**

लागू नहीं, क्योंकि बैंक प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप नहीं करता है ।

**व्यापार बही में बाज़ार जोखिम**

**गुणात्मक प्रकटीकरण**

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति है जो विभिन्न बाजार सेगमेंटों में निवेश और परिचालनों के संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों, वित्तीय सीमाओं, परिपक्वता सीमाओं, प्रवेश स्तर पर श्रेणीनिर्धारणों से संबद्ध है । उक्त नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ बाजार जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में संविभाग से संबंधित विभिन्न सीमाएं जैसे जारीकर्तावार सीमाएं, अवधि आधारित सीमाएं, एकल पार्टी निवेश सीमाएं, उद्योगवार निवेश सीमाएं, संशोधित अवधि आधारित सीमाएं इत्यादि शामिल हैं । व्यापार के लिए धारित संविभाग (एच.एफ.टी.) हेतु जोखिम मूल्य (वी.ए.आर.) आधारित सीमा भी निर्दिष्ट की गयी है ।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| ब्याज दर जोखिम | 267.22 |
| ईक्विटी स्थिति जोखिम | 91.90 |
| विदेशी विनिमय जोखिम | 5.40 |

**परिचालन जोखिम**

**गुणात्मक प्रकटीकरण:**

बैंक के पास एक सुविस्तृत अनुदेश पुस्तिका है जिसमें उसके कारोबार के संपूर्ण विवरण दिए गए हैं । बैंक के आंतरिक और बाहरी गतिविधियों से संबंधित जानकारी/सूचनाओं को परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर इन अनुदेश पुस्तिकाओं में शामिल किया जाता है। बैंक के सभी प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में शाखाओं को विस्तृत जांच सूचियाँ उपलब्ध कराई गयी है । बैंक ने परिचालन जोखिम को नियंत्रित करने/रोकने के लिए विभिन्न नीतियाँ अपनाई है। जिसमें आर.सी.एस.ए., के आर.आई. और एल.डी.एम. पर अन्य नीतियां भी शामिल है। बैंक ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है तथा के.वाइ.सी. और ए.एम.एल. नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए के.वाई.सी. और ए.एम.एल. नीति अपनाई है । बैंक ने संवेदनशील लेन-देन पर नियमित आधार पर निगरानी रखने के लिए प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में परोक्ष निगरानी कक्ष स्थापित किए हैं, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं ।

- Central Government,
- State Government,
- CGTMSE and
- ECGC.

The guaranteed portion is assigned the risk weight of the guarantor as prescribed by RBI.

As the bank has taken its own deposits and NSCs/KVPs as eligible collaterals, there are no market or credit concentrations within collaterals.

**Securitization Disclosure for standardized approach**

Not Applicable since bank does not undertake securitization activity

**Market Risk in Trading Book**

**Qualitative Disclosures:**

The Bank has a board approved investment policy which articulates various guidelines, financial benchmarks, maturity limits, entry level ratings for investment and operations in various market segments. The policy consists, inter alia, various limits like issuer wise limits, duration limits, single party exposure limits, industry wise exposure limits, modified duration based limits etc., for the portfolio as a part of market risk management. A value at Risk (VaR) based limit is also stipulated for Held for Trading Portfolio (HFT).

**Quantitative disclosures:** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Interest rate risk | 267.22 |
| Equity position risk | 91.90 |
| Foreign exchange risk | 5.40 |

**Operational Risk**

**Qualitative Disclosures:**

Bank has well laid down manual of instructions covering the entire gamut of its business. These manuals are periodically supplemented with circulars to update the information with developments internal and external to the bank. Detailed checklists are provided to branches on all major products and services. Bank has a well developed Operational risk management framework which includes operational management policy as parent policy and other policies on RCSA, KRI and LDM. In addition to this, bank has put in place Fraud Risk Management Policy, KYC and AML policies to prevent KYC and AML violations. Bank had created off-site monitoring cells at head office and regional offices to monitor sensitive transactions on a regular basis to serve as an early warning system.

बैंक ने प्राप्त अनुभव के आधार पर कारोबार निरंतरता योजना को संशोधित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कारोबार निरंतरता के समाधान हेतु एक नियर साइट और एक फार साइट के रूप में विस्तृत डिसॉस्टर रिकवरी प्लान अपनाया गया है। सूचना प्रणाली सुरक्षा के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उसकी छेद्यता और भेद्यता का परीक्षण किया जाता है।

बैंक ने परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी का निर्धारण करने हेतु बुनियादी सूचक दृष्टिकोण अपनाया है। नये पूँजी पर्याप्तता मानदण्डों के अनुसार, बैंक के परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार को भा.रि.बैं. की परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों की तुलना में धनात्मक वार्षिक औसत सकल आय के 15% पर निर्धारित किया गया है।

बैंक ओ.आर.एम.एस. के कार्यान्वयन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, इससे हानि आंकड़ों की तत्काल रिपोर्टिंग, कारोबार में रुकावट इत्यादि के मामले में मदद मिलेगी। ताकि, वीएआर मोड्यूल के जरिए पूँजी का परिकलन ओ आर एम एस साफ्टवेयर के माध्यम से किया जा सकता है।

मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंक ने बिजिनेस लाइन मैपिंग शुरू की है। प्रारंभिक उपायों के रूप में विभिन्न कारोबार व्यवस्थाओं के संबंध में आय का निर्धारण कार्य प्रगति पर है।

### बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

**गुणात्मक प्रकटीकरण**

क) बैंक, जोखिम पर अर्जन (ई.ए.आर.) मॉड्युल के जरिए समय-समय पर आइ.आर.आर.बी.बी. की निगरानी करता है। इसके अलावा बैंक ने ई.ए.आर. हेतु एक वर्ष के लिए छूट सीमा के रूप में या पिछले वर्ष के एन.आई.आई. का 15% इनमें से जो भी कम हो ₹ 500 करोड़ की सहनीय सीमा निर्धारित की है जो दर में 100 बीपीएस परिवर्तन के लिए है। ई.ए.आर. का परिकलन करते समय यह माना गया है कि फ्लोटिंग ऋण का 3 माह में पुनर्मूल्यन हो जाएगा।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

ख) मुद्रा के उतार-चढ़ाव (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है) के कारण आई.आर.आर.बी.बी. के आंकने के लिए प्रबंधन की पद्धति के अनुसार ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी दर शॉक के लिए अर्जन और आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संगत उपाय) में वृद्धि (गिरावट) हेतु परिमाणात्मक प्रकटीकरण को अपनाया गया है।

संपूर्ण तुलन-पत्र के लिए परिकलित ई.ए.आर. के अनुसार एक वर्ष का ई.ए.आर. ₹470.67 करोड़ है; जिससे ब्याज दर में 1% का परिवर्तन हो सकता है। यह बैंक द्वारा निर्धारित ₹ 500 करोड़ या पिछले वर्ष के एन.आई.आई. का 15%, इनमें से जो भी कम हो, की छूट सीमा के भीतर है।

Bank has revised the Business Continuity plan on the basis of experience gained. A detailed disaster recovery plan has been put in place, one near site and one far site is maintained to address IT related business continuity. Information security is managed through information security policy. Periodical vulnerability and penetration testing are conducted to ensure integrity of the information system security.

Bank has adopted Basic Indicator approach to assess the capital under operational risk. In terms of new capital adequacy norms, Banks' operational risk capital charge has been assessed at 15% of positive annual average Gross Income over the previous three years as defined by RBI.

Bank is in the process of finalizing implementation of ORMS which will take care of issues like real time reporting of loss data, business disruption etc. so that Capital Computation through VaR module can be made through ORMS software.

For facilitating moving towards the Standardized Approach, bank has undertaken the process of Business Line Mapping. As an initial measure, the mapping of income to various business lines is under process.

### Interest rate risk in banking book

**Qualitative disclosures**

a) Bank is monitoring the IRRBB through Earning at Risk (EaR) module periodically. Bank has also fixed a limit of ₹500 crore or 15% of previous years NII whichever is higher as the tolerance limit for one year horizon for a 100 bps change in Rate. While calculating the EaR, it is assumed that the floating loans will be repriced within 3 months.

**Quantitative disclosures**

b) The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover).

As per the EaR arrived for the entire Balance sheet, the same is at ₹ 470.67 crore for one year with an expected change in interest rate by 1%. This is within the tolerance of ₹ 500 crore or 15%, of previous years NII whichever is higher fixed by the bank.

# स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

**वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट**

1. हमनें 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार सिंडिकेटबैंक के समेकित संलग्न वित्तीय विवरण तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च 2013 की स्थिति में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी उपलब्धता विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का लेखा-परीक्षित किया। इन वित्तीय विवरणियों के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा-परीक्षक 20 शाखाओं तथा 41 क्षेत्रीय कार्यालयों के विवरण शामिल हैं, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1258 शाखाओं की रिपोर्ट हैं, तथा विदेशी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित एक विदेशी शाखा की रिपोर्ट भी शामिल है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षण की जानेवाली शाखाएँ तथा अन्य लेखा परीक्षकों का चयन, बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निदेशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ व हानि विवरण में वैसी 1620 शाखाओं के विवरण शामिल हैं जिनका लेखा परीक्षण अभी नहीं किया गया है। इन लेखा-अपरीक्षित शाखाओं के लेखा में 9.49 प्रतिशत अग्रिम, 24.37 प्रतिशत जमाराशियाँ, 8.08 प्रतिशत ब्याजी आय तथा 23.96 प्रतिशत ब्याजी व्यय शामिल हैं।

**वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व**

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व के अंतर्गत, वित्तीय विवरण की तैयारी से संबंधित उसकी संरचना, कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण कायम रखना शामिल है जो कि इस बात से परे है कि यदि गलत विवरण तैयार हुआ है तो उसका कारण जालसाजी या भूल, हो सकता है।

**लेखा परीक्षकों का दायित्व**

3. हमारा दायित्व है कि अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करना। हमने, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानक के अनुसार लेखा-परीक्षण किया है। उस मानदंडों के अनुसार हम आवश्यक योजना बनाते हैं तथा लेखा परीक्षण करते समय पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करते हैं कि संबंधित वित्तीय विवरण गलत विवरणों के आधार पर तैयार नहीं किया गया है।

4. लेखा परीक्षण के अंतर्गत रकम तथा वित्तीय विवरणों के स्पष्टीकरण से संबंधित लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें यह भी शामिल है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय गलत तरीके से विवरण प्रस्तुत तो नहीं किया गया है जो भले ही धोखा धडीवश हो या भूलवश, और इन बातों से संबंधित जोखिमों का भी निर्धारण

# INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India

**Report on the Financial Statements**

1. We have audited the accompanying financial statements of SyndicateBank as at 31st March 2013, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2013, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the Year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and 41 Regional Offices audited by us, 1258 branches audited by branch auditors and 1 foreign branch audited by overseas auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the statement of Profit and Loss are the returns from 1,620 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.49 percent of advances, 24.37 percent of deposits, 8.08 percent of interest income and 23.96 percent of interest expenses.

**Management's Responsibility for the Financial Statements**

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditors' Responsibility**

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the

करना पड़ता है। इस प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक, बैंक से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तथा वित्तीय विवरणों के सही ढंग से प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित ढंग से लेखा परीक्षण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सके। अपनाई गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलनों की उपयुक्तता और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी लेखा परीक्षण में शामिल है।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखा परीक्षण साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वे हमारे लेखा परीक्षण राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

**विषयवस्तु का महत्व**

6. हम अपनी राय देने से पूर्व निम्नलिखित मदों पर ध्यानाकर्षण चाहेंगे :

क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जेबी के अनुसरण में पूर्व के वर्षों के लेखा में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) संबंधी अनुसूची 18 के नोट सं. 8(क) के तहत ₹ 573.59 करोड़ जमा है जिसे भविष्य में बैंक की लाभप्रदता तथा करयोग्य स्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है।

ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को पेंशन देने हेतु पुन: विकल्प देने तथा ग्रेच्यूटी (उपदान) सीमा बढ़ाने के संबंध (प्रुडेंशियल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट) में ''कर्मचारी लाभ'' पर लेखा मानदंड 15 के प्रावधानों को लागू करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं. डी बी ओ डी. बी पी बी सी/80/21.04.018/2010-11 के तहत प्राप्त छूट के अनुसरण में पेंशन तथा बैंक की ग्रेच्युइटी देयता को अनुसूची 18 स्थित नोट सं. 9 (iv) के अनुसार स्थगित किया गया है जो ₹ 290.76 करोड़ है।

**राय**

7. हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की लेखा बहियों में दर्शाए गए अनुसार:

i) सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र पूर्ण और सही है तथा उसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है एवं उसे इस प्रकार उचित तरीके से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।

ii) सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकार नीतियों और उनकी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा उस लेखे से संबंधित लाभ को लेखाकरण वर्ष का सही शेष दर्शाता है।

iii) नकदी उपलब्धता विवरण अपनी वर्ष समाप्ति तिथि की स्थिति में सत्य एवं उचित विवरण दर्शाता है।

financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Emphasis of Matter**

6. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

a. Note no. 8 (a) in Schedule 18 regarding recognition of Minimum Alternate Tax (MAT) credit of ₹ 573.59 Crores of earlier years in these accounts in accordance with Sec 115JB of the Income Tax Act, 1961 considering the utilization of the credit as per future profitability and taxable position of the Bank.

b. Note No. 9 (iv) in Schedule 18 regarding deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹ 290.76 Crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India from application of the provisions of Accounting Standard 15 on "Employee Benefits" vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.

**Opinion**

7. In our opinion, as shown by books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2013 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

**अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :**

8. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म क्रमश: ''ए'' और ''बी'' में तैयार किए गए हैं।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 में उपदर्शित लेखा-परीक्षा की मर्यादा के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।

   ख) बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।

   ग) बैंक की शाखाओं और उसके कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

10. हमारी राय में तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानदंडों के अनुरूप हैं।

कृते **ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*

**(के एन गुप्ता)**
*साझेदार*
सदस्यता सं.: 009169
एफ आर एन: 000038एन

कृते **चंडोक एंड गुलियानी**
*सनदी लेखाकार*

**(वी के लल्ला)**
*साझेदार*
सदस्यता सं.: 080847
एफ आर एन: 001199एन

कृते **जे एन शर्मा एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*

**(कुणाल शर्मा)**
*साझेदार*
सदस्यता सं.: 405919
एफ आर एन: 000833सी

कृते **रमणलाल जी शाह एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*

**(विवेक एस शाह)**
*साझेदार*
सदस्यता सं.: 112269
एफ आर एन: 108517डब्ल्यू

कृते **शंभु एन डे एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*

**(एस एन मित्रा)**
*साझेदार*
सदस्यता सं.: 011678
एफ आर एन: 307055ई

कृते **के एन गोयल एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*

**(के एन गोयल)**
*साझेदार*
सदस्यता सं.: 011939
एफ आर एन: 001084एन

स्थान : बेंगलूर
तारीख : 02.05.2013

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements:**

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   b. The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

   c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For **Thakur Vaidyanath Aiyar & Co**
*Chartered Accountants*

**K N Gupta**
*Partner*
Membership No. 009169
FRN : 000038N

For **Chandiok & Guliani**
*Chartered Accountants*

**V K Lalla**
*Partner*
Membership No. 080847
FRN : 001199N

For **J N Sharma & Co**
*Chartered Accountants*

**Kunal Sharma**
*Partner*
Membership No. 405919
FRN : 000833C

For **Ramanlal G Shah & Co**
*Chartered Accountants*

**Vivek S Shah**
*Partner*
Membership No. 112269
FRN : 108517W

For **Sambhu N De & Co**
*Chartered Accountants*

**S N Mittra**
*Partner*
Membership No. 011678
FRN : 307055E

For **K N Goyal & Co**
*Chartered Accountants*

**K N Goyal**
*Partner*
Membership No. 011939
FRN : 001084N

Place : Bangalore
Date : 02.05.2013

## तुलन–पत्र BALANCE SHEET

# 31 मार्च, 2013 का तुलन–पत्र
# BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2013

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| पूंजी और देयताएँ<br>CAPITAL & LIABILITIES | अनुसूची सं.<br>Schedule No. | As at<br>दि. 31.03.2013 को | As at<br>दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| **पूंजी/Capital** | 1 | **601 95 00** | 601 95 00 |
| आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus | 2 | **9939 39 17** | 8439 20 35 |
| जमाराशियाँ/Deposits | 3 | **185355 88 68** | 157941 05 68 |
| उधार/Borrowings | 4 | **12813 79 54** | 10589 90 63 |
| अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions | 5 | **6411 30 12** | 4895 95 09 |
| **योग/TOTAL** | | **215122 32 51** | 182468 06 75 |
| **आस्तियाँ/ASSETS** | | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ<br>Cash and Balances with Reserve Bank of India | 6 | **8095 31 40** | 8808 62 77 |
| बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर देय राशि<br>Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 7 | **8488 93 22** | 5075 64 06 |
| निवेश/Investments | 8 | **45647 65 80** | 40815 06 08 |
| अग्रिम/Advances | 9 | **147569 01 81** | 123620 17 74 |
| अचल आस्तियाँ/Fixed Assets | 10 | **1433 95 89** | 1351 59 05 |
| अन्य आस्तियाँ/Other Assets | 11 | **3887 44 39** | 2796 97 05 |
| **योग/TOTAL** | | **215122 32 51** | 182468 06 75 |
| आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities | 12 | **82345 28 08** | 55595 14 94 |
| वसूली के लिए बिल/Bills for Collection | | **3416 81 59** | 3126 91 72 |
| महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies | 17 | | |
| लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts | 18 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **एम आंजनेय प्रसाद**<br>*कार्यपालक निदेशक* | **रवि चटर्जी**<br>*कार्यपालक निदेशक* | **म गि संघवी**<br>*अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक* | **M Anjaneya Prasad**<br>*Executive Director* | **Ravi Chatterjee**<br>*Executive Director* | **M G Sanghvi**<br>*Chairman & Managing Director* |
| **एच प्रदीप राव**<br>*निदेशक* | **ए एस राव**<br>*निदेशक* | **नरेंद्र एल दवे**<br>*निदेशक* | **H Pradeep Rao**<br>*Director* | **A S Rao**<br>*Director* | **Narendra L Dave**<br>*Director* |
| **दिनकर एस पूंजा**<br>*निदेशक* | **डी के सक्सेना**<br>*निदेशक* | **जे आर श्रीमाली**<br>*निदेशक* | **Dinkar S Punja**<br>*Director* | **D K Saxena**<br>*Director* | **J R Shrimali**<br>*Director* |
| **रमेश एल अडिगे**<br>*निदेशक* | **सी आर नसीर अहमद**<br>*निदेशक* | **आनंद के पंडित**<br>*निदेशक* | **Ramesh L Adige**<br>*Director* | **C R Naseer Ahamed**<br>*Director* | **Anand K Pandit**<br>*Director* |
| **जसलीन सूरी**<br>*निदेशक* | **आई पी नागराज राव**<br>*उप महा प्रबंधक* | **आर रामलिंगम**<br>*मुख्य प्रबंधक* | **Jasleenn Suri**<br>*Director* | **I P Nagaraja Rao**<br>*Dy. General Manager* | **R Ramalingam**<br>*Chief Manager* |

स्थान : बेंगलूर
तारीख : 02.05.2013

Place : Bangalore
Date : 02.05.2013

## लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT

# 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
# PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(₹ हज़ारों में/₹ in thousands)

| | | अनुसूची सं. Schedule No. | Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2013 को | Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| I. | **आय/INCOME** | | | |
| | अर्जित ब्याज/Interest Earned | 13 | **17120 68 80** | 15268 35 21 |
| | अन्य आय/Other Income | 14 | **1174 35 71** | 1075 87 97 |
| | **योग/TOTAL** | | **18295 04 51** | 16344 23 18 |
| II. | **व्यय/EXPENDITURE** | | | |
| | व्ययगत ब्याज/Interest Expended | 15 | **11666 63 11** | 10183 31 73 |
| | परिचालन व्यय/Operating Expenses | 16 | **3178 82 86** | 2814 11 78 |
| | प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies | | **1445 16 36** | 2033 40 24 |
| | **योग/TOTAL** | | **16290 62 33** | 15030 83 75 |
| III. | **लाभ/हानि/PROFIT / LOSS** | | | |
| | वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the year | | **2004 42 18** | 1313 39 43 |
| | आगे लाया गया लाभ/हानि/Profit / (Loss) brought forward | | **0** | 0 |
| | **योग/TOTAL** | | **2004 42 18** | 1313 39 43 |
| IV. | **विनियोजन/APPROPRIATIONS** | | | |
| A | सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve | | **501 10 55** | 328 34 86 |
| B | राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserve | | **811 86 02** | 518 91 35 |
| C | आरक्षित पूंजी/Capital Reserve | | **2 40 67** | 3 28 37 |
| D | सामान्य आरक्षित/General Reserve | | **0** | 0 |
| E | निवेश आरक्षित निधि खाता/Investment Reserve Account | | **12 20 10** | 0 |
| F | आयकर अधिनियम 1961, धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि Special Reserves u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act 1961 | | **205 00 00** | 197 00 00 |
| G | प्रस्तावित अंतिम लाभांश (सी वाई 67%; पी वाई 38%)/Proposed Final Dividend (CY 67%; PY 38%) | | **403 30 65** | 228 74 10 |
| H | लाभांश पर कर/Tax on Dividend | | **68 54 19** | 37 10 75 |
| I | तुलन-पत्र को अग्रेनीत शेषराशि/Balance carried over to the Balance Sheet | | **0** | 0 |
| | **योग/TOTAL** | | **2004 42 18** | 1313 39 43 |
| | प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्यवाले)/ Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10 each) | | **33.30** | 22.89 |
| | महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies | 17 | | |
| | लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts | 18 | | |

| | | |
|---|---|---|
| कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* | कृते चंडोक एंड गुलियानी *सनदी लेखाकार* | कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* |
| (के एन गुप्ता) *साझेदार* सदस्यता सं.: 009169 एफ आर एन: 000038एन | (वी के लल्ला) *साझेदार* सदस्यता सं.: 080847 एफ आर एन: 001199एन | (कुणाल शर्मा) *साझेदार* सदस्यता सं.: 405919 एफ आर एन: 000833सी |
| कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* | कृते शंभु एन डे एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* | कृते के एन गोयल एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* |
| (विवेक एस शाह) *साझेदार* सदस्यता सं.: 112269 एफ आर एन: 108517डब्ल्यू | (एस एन मित्रा) *साझेदार* सदस्यता सं.: 011678 एफ आर एन: 307055ई | (के एन गोयल) *साझेदार* सदस्यता सं.: 011939 एफ आर एन: 001084एन |

| | | |
|---|---|---|
| For **Thakur Vaidyanath Aiyar & Co** *Chartered Accountants* | For **Chandiok & Guliani** *Chartered Accountants* | For **J N Sharma & Co** *Chartered Accountants* |
| **(K N Gupta)** *Partner* Membership No. 009169 FRN : 000038N | **(V K Lalla)** *Partner* Membership No. 080847 FRN : 001199N | **(Kunal Sharma)** *Partner* Membership No. 405919 FRN : 000833C |
| For **Ramanlal G Shah & Co** *Chartered Accountants* | For **Sambhu N De & Co** *Chartered Accountants* | For **K N Goyal & Co** *Chartered Accountants* |
| **(Vivek S Shah)** *Partner* Membership No. 112269 FRN : 108517W | **(S N Mittra)** *Partner* Membership No. 011678 FRN : 307055E | **(K N Goyal)** *Partner* Membership No. 011939 FRN : 001084N |

# अनुसूचियाँ SCHEDULES

## अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE-1 : CAPITAL

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| | **प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each** | **3000 00 00** | 3000 00 00 |
| I. | **निर्गत, अभिदत्त मांगी गई और प्रदत्त पूँजी** ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED & PAID UP CAPITAL | | |
| | अथशेष/Opening Balance | **601 95 00** | 573 28 57 |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | **0** | 28 66 43 |
| | | **601 95 00** | 601 95 00 |
| | a) केंद्रीय सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 39,82,85,671 (पिछले वर्ष ) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 39,82,85,671 (Previous Year 39,82,85,671) Equity Shares of ₹ 10/- each. | **398 28 57** | 398 28 57 |
| | b) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/ Held by Public and Others 20,36,64,284 (पिछले वर्ष 20,36,64,284) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/20,36,64,284 (Previous Year 20,36,64,284) Equity Shares of ₹ 10/- each. | **203 66 43** | 203 66 43 |
| II. | बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.) Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS) | **0** | 0 |
| | **योग/TOTAL** | **601 95 00** | 601 95 00 |

## अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

| | | As at दि. 31.03.2013 को | | As at दि. 31.03.2012 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | **सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | **2073 31 55** | | 1744 96 69 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | **501 10 55** | **2574 42 10** | 328 34 86 | 2073 31 55 |
| II. | **आरक्षित पूंजी/Capital Reserve** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | **136 07 91** | | 132 79 54 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | **2 40 67** | **138 48 58** | 3 28 37 | 136 07 91 |
| III. | **शेयर प्रीमियम/Share Premium** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | **1080 22 11** | | 781 68 26 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | **0** | **1080 22 11** | 298 53 85 | 1080 22 11 |
| IV. | **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | **1005 41 15** | | 393 89 65 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | **1 31 77** | | 644 07 28 | |
| | | **1006 72 92** | | 1037 96 93 | |
| | वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year | **30 97 56** | **975 75 36** | 32 55 78 | 1005 41 15 |
| V. | **सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | **581 16 40** | | 581 16 40 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | **0** | **581 16 40** | 0 | 581 16 40 |
| VI. | **निवेश आरक्षित निधि खाता/Investment Reserve Account** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | **0** | | 0 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | **12 20 10** | **12 20 10** | 0 | 0 |
| VII. | **राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and Other Reserves** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | **3011 80 02** | | 2492 88 79 | |
| | जोडें : लाभ व हानि लेखे से शेष का अंतरण Add: Transfer of Balance from Profit and Loss Account | **811 86 02** | | 518 91 35 | |
| | घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती/Less: Transfers during the year | **1** | **3823 66 03** | 12 | 3011 80 02 |
| VIII. | **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | **4 21 21** | | 16 14 | |
| | जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year | **-2 72 72** | **1 48 49** | 4 05 07 | 4 21 21 |
| IX. | **आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट प्रारक्षित निधि/Special Reserve (u/s 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | **547 00 00** | | 350 00 00 | |
| | जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year | **205 00 00** | **752 00 00** | 197 00 00 | 547 00 00 |
| X. | **लाभ-हानि लेखे में शेष/Balance in Profit and Loss Account** | | **0** | | 0 |
| | **योग/TOTAL** | | **9939 39 17** | | 8439 20 35 |

## अनुसूचियाँ SCHEDULES

### अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| क./A.I. **मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits** | | |
| i) बैंकों से/ From Banks | **65 84 68** | 53 90 54 |
| ii) अन्यों से/ From Others | **13870 64 29** | 12167 47 84 |
| II. **बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits** | **38017 47 32** | 34295 91 35 |
| III. **सावधि जमाराशियाँ/ Term Deposits** | | |
| i) बैंकों से/From Banks | **23830 14 06** | 16665 38 99 |
| ii) अन्यों से/ From Others | **109571 78 33** | 94758 36 96 |
| **योग (क)/TOTAL A (I+II+III)** | **185355 88 68** | 157941 05 68 |
| ख./B.i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India | **167054 59 85** | 147707 48 48 |
| ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India | **18301 28 83** | 10233 57 20 |
| **योग/TOTAL** | **185355 88 68** | 157941 05 68 |

### अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. **भारत में उधार/Borrowings in India** | | |
| a. भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India | **0** | 0 |
| b. अन्य बैंक/Other Banks | **817 61 03** | 771 82 05 |
| c. अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies | **1721 32 87** | 2520 27 73 |
| d. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आइ.पी.डी.आइ.) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) | **773 00 00** | 773 00 00 |
| e. बंधपत्र/डिबेंचरों के रूप में जारी किए गए सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत Hybrid debt capital instruments issued as bonds /debentures | **0** | 0 |
| f. प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (पी.सी.पी.एस.) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) | **0** | 0 |
| g. प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) | **0** | 0 |
| h. प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आर.सी.पी.एस.) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS) | **0** | 0 |
| i. गौण ऋण/Subordinated Debt | **3744 70 00** | 2744 70 00 |
| **योग/TOTAL** | **7056 63 90** | 6809 79 78 |
| II. **भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India** | **5757 15 64** | 3780 10 85 |
| **योग/TOTAL (I + II)** | **12813 79 54** | 10589 90 63 |

### अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
### SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. देय बिल/Bills Payable | **819 05 98** | 547 30 70 |
| II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net) | **14 32 76** | 52 36 16 |
| III. उपचित ब्याज/Interest Accrued | **779 54 68** | 993 87 00 |
| IV. मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets | **807 30 60** | 683 24 89 |
| V. अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions) | **3991 06 10** | 2619 16 34 |
| **योग/TOTAL** | **6411 30 12** | 4895 95 09 |

## अनुसूचियाँ SCHEDULES

### अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
### SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes) | **385 42 75** | 302 75 47 |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India | | |
| चालू खाते में/In Current Account | **7709 88 65** | 8505 87 30 |
| अन्य खातों में/In Other Accounts | **0** | 0 |
| **योग/TOTAL** | **8095 31 40** | 8808 62 77 |

### अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
### SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. **भारत में/In India** | | |
| i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks | | |
| क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts | **69 45 99** | 58 19 99 |
| ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts | **2643 02 20** | 2439 28 25 |
| ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice | | |
| क)/a) बैंकों के पास/with banks | **5400 00 00** | 1500 00 00 |
| ख)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with other institutions | **0** | 0 |
| **योग/Total** | **8112 48 19** | 3997 48 24 |
| II. **भारत के बाहर/Outside India** | | |
| क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts | **7 31 23** | 162 40 82 |
| ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts | **369 13 80** | 915 75 00 |
| ग)/c) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice | **0** | 0 |
| **योग/Total** | **376 45 03** | 1078 15 82 |
| **योग/TOTAL (I + II)** | **8488 93 22** | 5075 64 06 |

### अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. **भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)** | **45574 21 34** | 40641 46 32 |
| घटाएं: मूल्यहास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI | **42 92 28** | 42 30 48 |
| **योग/Total** | **45531 29 06** | 40599 15 84 |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities | **40166 18 56** | 36500 52 43 |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other approved securities | **18 96 01** | 25 71 35 |
| शेयर/Shares | **323 55 93** | 303 33 02 |
| डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds | **1901 84 11** | 1802 46 52 |
| अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and / or Associates | **33 59 83** | 33 59 83 |
| अन्य/Others | **3087 14 62** | 1933 52 69 |
| **योग/ TOTAL** | **45531 29 06** | 40599 15 84 |
| II. **भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments outside India (Gross)** | **119 45 09** | 244 08 86 |
| घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation | **3 08 35** | 28 18 62 |
| शुद्ध निवेश/Net Investments | **116 36 74** | 215 90 24 |
| **योग/TOTAL (I+II)** | **45647 65 80** | 40815 06 08 |

| अनुसूचियाँ | SCHEDULES |
|---|---|

## अनुसूची – 9: अग्रिम/SCHEDULE – 9: ADVANCES

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | | | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| क./A. | i) | खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted | **1270 53 48** | 1285 99 09 |
| | ii) | ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Loans, Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand | **29555 58 74** | 23522 90 17 |
| | iii) | मीयादी ऋण/Term Loans | **116742 89 59** | 98811 28 48 |
| | | **योग/Total** | **147569 01 81** | 123620 17 74 |
| ख./B. | i) | मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/Secured by tangible assets | **101363 49 80** | 83118 04 34 |
| | ii) | बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees | **21448 54 72** | 13119 19 11 |
| | iii) | अरक्षित/Unsecured | **24756 97 29** | 27382 94 29 |
| | | **योग/Total** | **147569 01 81** | 123620 17 74 |
| ग./C. | I) | **भारत में अग्रिम/Advances in India** | | |
| | | i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector | **39303 95 17** | 36421 10 86 |
| | | ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector | **10137 64 25** | 9709 32 92 |
| | | iii) बैंक/Banks | **4223 32 85** | 3105 87 55 |
| | | iv) अन्य/Others | **68804 46 97** | 59750 86 99 |
| | | **योग/Total** | **122469 39 24** | 108987 18 32 |
| | II) | **भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside India** | | |
| | | i) बैंकों से देय/Due from Banks | **17130 38 42** | 8355 27 96 |
| | | ii) अन्यों से देय/Due from others | | |
| | | क)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/ Bills Purchased and Discounted | **223 27 09** | 161 31 88 |
| | | ख)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans | **6032 56 38** | 4919 32 94 |
| | | ग)/c) अन्य/Others | **1713 40 68** | 1197 06 64 |
| | | **योग/Total** | **25099 62 57** | 14632 99 42 |
| | | **योग ग (I + II)/TOTAL C (I + II)** | **147569 01 81** | 123620 17 74 |

## अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

| | | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| I. | **परिसर/Premises** | | |
| | पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर/At cost/revaluation as on 31st March of preceding year | **1206 16 26** | 557 89 69 |
| | जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन ₹ 1.32 करोड़ के पुनर्मूल्यन (पिछले वर्ष ₹ 6.44 करोड़) के सहित Add: Additions during the year including Revaluation of ₹ 1.32 Crores (Previous Year ₹ 644.07 Crores) | **14 48 27** | 648 71 94 |
| | घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year | **5 01 77** | 45 37 |
| | | **1215 62 76** | 1206 16 26 |
| | घटाएं: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date | **143 15 41** | 111 41 62 |
| | **योग/Total** | **1072 47 35** | 1094 74 64 |
| II. | **प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress** | **26 57 83** | 23 74 17 |
| III. | **अन्य अचल आस्तियाँ/Other Fixed Assets** | | |
| | पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/ At cost as on 31st March of preceding year | **869 14 20** | 789 87 38 |
| | जोडिए: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year | **204 65 32** | 107 21 53 |
| | घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year | **34 09 92** | 27 94 71 |
| | | **1039 69 60** | 869 14 20 |
| | घटाएं: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date | **704 78 89** | 636 03 96 |
| | **योग/Total** | **334 90 71** | 233 10 24 |
| | **योग/TOTAL (I+II+III)** | **1433 95 89** | 1351 59 05 |

## अनुसूचियाँ SCHEDULES

### अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net) | **0** | 0 |
| II. उपचित ब्याज/Interest accrued | **1040 31 24** | 878 89 24 |
| III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions) | **702 34 15** | 1300 39 17 |
| IV. लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps | **10 71 16** | 13 46 07 |
| V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation) | **3 51** | 3 65 |
| VI. अन्य/Others | **2134 04 33** | 604 18 92 |
| **योग/TOTAL** | **3887 44 39** | 2796 97 05 |

### अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the bank not acknowledged as debts | **94 78 42** | 87 49 75 |
| II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/venture fund | **58 13 63** | 58 38 16 |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts | **56952 50 04** | 37059 42 45 |
| IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantee given on behalf of constituents | | |
| क)/a) भारत में/In India | **9817 94 28** | 8360 97 56 |
| ख)/b) भारत के बाहर/Outside India | **26 54** | 83 22 |
| V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations | **4252 32 80** | 3406 94 75 |
| VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which bank is contingently liable | | |
| i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रा-वधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts not provided for | **9 26 56** | 22 78 10 |
| ii) अन्य/Others | **11160 05 81** | 6598 30 95 |
| **योग/TOTAL** | **82345 28 08** | 55595 14 94 |

### अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

| | Year ended दि. 31.03.2013 को | Year ended दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills | **13524 47 26** | 12371 28 20 |
| II. निवेशों पर आय/Income on investments | **3231 15 12** | 2735 99 77 |
| III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds | **287 02 31** | 150 71 56 |
| IV. अन्य/Others | **78 04 11** | 10 35 68 |
| **योग/TOTAL** | **17120 68 80** | 15268 35 21 |

## अनुसूचियाँ SCHEDULES

### अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | | **Year ended दि. 31.03.2013 को** | Year ended दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| I. | कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage | **546 38 79** | 551 39 70 |
| II. | विनिधानों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of investments | **125 18 41** | 88 77 60 |
| | घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of investments | **0** | 0 |
| III. | जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of land, buildings & other assets | **77 26** | 52 84 |
| | घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of land, buildings & other assets | **- 77 36** | - 71 49 |
| IV. | विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions | **81 47 18** | 191 50 33 |
| | घटाएँ: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/Less: Loss on Exchange Transactions | **- 2 99** | -74 94 71 |
| V. | लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of dividend | **5 88 48** | 6 03 82 |
| VI. | विविध आय/Miscellaneous Income | **415 45 94** | 313 29 88 |
| | **योग/TOTAL** | **1174 35 71** | 1075 87 97 |

### अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

| | | **Year ended दि. 31.03.2013 को** | Year ended दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| I. | जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits | **10753 34 77** | 9326 26 18 |
| II. | भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank borrowings | **76 08 79** | 80 18 88 |
| III. | अन्य/Others | **837 19 55** | 776 86 67 |
| | **योग/TOTAL** | **11666 63 11** | 10183 31 73 |

### अनुसूची – 16: परिचालन व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

| | | **Year ended दि. 31.03.2013 को** | Year ended दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| I. | कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and provisions for employees | **2179 21 07** | 1891 49 96 |
| II. | किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting | **190 12 22** | 167 46 41 |
| III. | मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery | **22 32 15** | 15 56 18 |
| IV. | विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity | **19 54 18** | 14 61 89 |
| V. | बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property | **100 65 93** | 66 03 94 |
| VI. | निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses | **99 63** | 85 41 |
| VII. | लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors) | **20 06 27** | 23 61 43 |
| VIII. | विधि प्रभार/Law Charges | **6 93 61** | 6 72 98 |
| IX. | डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc. | **32 91 03** | 28 69 45 |
| X. | मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance | **74 80 87** | 94 56 85 |
| XI. | बीमा/Insurance | **138 20 42** | 125 13 85 |
| XII. | अन्य व्यय/Other Expenditure | **393 05 48** | 379 33 43 |
| | **योग/TOTAL** | **3178 82 86** | 2814 11 78 |

## अनुसूची – 17
## महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 2012-2013

**1. लेखाकरण प्रथा**

संलग्न वित्तीय विवरण 'लाभकारी कारोबार वाला संस्थान सिद्धांत' का पालन करते हुए सामान्यतः परंपरागत लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये अन्यथा सूचित मामलों को छोड़कर सांविधिक उपबंधों भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा प्रचलित लेखाकरण मानकों और क्रियाविधियों के अनुसार हैं।

**2. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन**

2.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों को अपनाया गया है ।

2.2 फॉरेक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन-देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर.) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है. जबकि सभी फॉरेक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।

2.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/ हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है ।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विनिर्दिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है ।

2.5 गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

2.6 बैंक की विदेशी शाखा को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

क) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों, को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया।

ख) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया ।

ग) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में जमा किया गया।

**3. निवेश**

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

I. परिपक्वता तक धारित
II. विक्रय के लिए उपलब्ध
III. व्यापार के लिए धारित

प्रत्येक वर्ग को पुन: निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

क) सरकारी प्रतिभूतियां
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग) शेयर
घ) डिबेंचर और बंध पत्र
ङ) अनुषंगी
च) अन्य

## SCHEDULE – 17
## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: 2012 - 2013

**1. ACCOUNTING CONVENTIONS**

The accompanying financial statements are prepared following the 'Going Concern' concept on historical cost basis and conform to the statutory provisions including the RBI guidelines and the applicable accounting standards and prevailing practices of the countries concerned, except wherever otherwise stated.

**2. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE**

2.1 Exchange rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.

2.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying weekly average rate (WAR), whereas all forex assets are recorded at on going market rates.

2.3 All the monetary assets and liabilities are reported at the end of the year at closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.

2.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities".

2.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Forward Contracts, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at the closing exchange rates.

2.6 Foreign Branch of the Bank is classified as "Non-Integral Foreign Operation"

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.

b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign operation.

**3. INVESTMENTS**

3.1 In accordance with RBI guidelines, investments in India are classified into:

I. Held to Maturity
II. Available for Sale
III. Held for Trading

Each category is further classified into:

a) Government Securities
b) Other Approved Securities
c) Shares
d) Debentures and Bonds
e) Subsidiaries
f) Others

3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।

3.2.1 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है ।

3.2.2 विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण लागत या बाज़ार मूल्य इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का समुच्चयन श्रेणीवार किया जाता है । शुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

3.2.3 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए -

i) लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है, जहाँ कहीं लागू होता हो।

ii) बाज़ार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाजार/भाव, एस.जी.एल. खाता लेन-देन, भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और तदनुसार :

क) सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण,एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आई. की कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाई.टी.एम.)दरों के आधार पर, भा.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाएगा।

ख) डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आई./एफ.आई.एम.एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत - लागत अंतर के साथ वाई.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।

ग) तिजोरी बिल, आर.आई.डी.एफ., वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है ।

घ) अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाई.टी.एम. आधार पर किया जाएगा।

ङ) ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर किया जाता है और जहाँ शेयर एक्सचेंज में भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य (‘पुनर्मूल्यन रिज़र्व’ यदि कोई है, उस पर ध्यान दिए बिना) पर किया जाता है या ₹ 1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाएगा, जहाँ अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं हैं ।

च) क्षे.ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है (यानी बही मूल्य) ।

छ) प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आर.सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित गैर एस.एल.आर. लिखतों में किए गए निदेश पर लागू होनेवाले मानदण्डों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है।

3.2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.

3.2.1 Investments under ‘Held to Maturity’ are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at premium in which case the premium is amortised over the remaining period of maturity using Straight Line Method.

3.2.2 Investments held under ‘Available for Sale’ and ‘Held for Trading’ categories are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scripts are valued and depreciation/appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.

3.2.3 For the purpose of valuation –

I. Cost refers to actual cost of acquisition / carrying cost, wherever applicable.

II. Market value refers to latest available price from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI / FIMMDA / PDAI; and accordingly:

a) Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of prices / Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA / PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.

b) Debentures / Bonds are valued on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI / FIMMDA.

c) Treasury Bills, Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at cost.

d) Preference Shares are valued on YTM basis.

e) Equity Shares are valued at last traded prices and where the shares are not quoted on stock exchanges, the unquoted shares are valued at breakup value (without considering ‘revaluation reserves’, if any) as per the latest available balance sheet or at ₹ 1 per company, where latest balance sheet is not available.

f) Investment in RRBs is valued at carrying cost ( i.e. book value).

g) Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC) / Reconstruction Company (RC) are valued / classified as per the norms applicable to investment in Non SLR instruments as prescribed by RBI from time to time.

ज) जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने 18 महीने से अनधिक पुराने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया गया।

झ) म्यूच्युअल फंड में इकाइयों का मूल्य निर्धारण पुनः खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है ।

3.2.4 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आई.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधानों के आधार पर किया गया है। अनुत्पादक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया है।

3.3 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अनुलाभ, यदि कोई हो, लाभ और हानि लेखे के जरिए पूंजी रिज़र्व को लाया जाता है (करों और सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली रकम को घटाकर)।

3.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण इस तरह से अंतरित प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करने के पश्चात किया जाता है ।

3.5 विदेशी शाखा में अस्थिर दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोटवाले निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है। इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया गया है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में प्रभार अंकित किया गया है।

3.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है । प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाएगा।

3.7 रेपो के अंतर्गत भा.रि.बैं. से प्राप्त निधियों और रिवर्स रेपो के अंतर्गत विनियोजित निधियों का लेखाकरण क्रमशः उधार और वित्तीयन के रूप में किया गया है ।

**4. व्युत्पन्न**

4.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

4.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाएगा।

4.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनको उचित मूल्य पर आंका जाएगा।

4.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाएगा ।

4.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाएगा।

h) Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.

i) Units in mutual fund are valued at repurchase price or Net Asset Value, whichever is lower.

3.2.4 Investments are also categorised based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3.3. Gain, if any, on sale / disposal of securities in the Held to Maturity category is taken to Capital Reserve through the Profit and Loss Account (Net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

3.4. Transfer of securities from one category to another is effected after providing for depreciation, if any, on the securities so transferred.

3.5 Floating / Fixed Rate Note and Credit Linked Note, investments at Foreign Branch are classified as 'Available For Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

3.6 Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage / commission / stamp duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expense.

3.7 Availment of funds from RBI under Repo and deployment of funds under Reverse Repo are accounted as borrowing and lending respectively.

**4. DERIVATIVES**

4.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.

4.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

4.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

4.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted on interest accrual basis.

4.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at fortnightly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

4.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाएगा और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाएगा। मितीकाटे को अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा/और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोजित किया जाएगा।

**5. अग्रिम**

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक कड़ा हो, के अनुसार किया जाता है।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है। 'आस्ति वसूली कंपनी (यों)' को बेचे गए आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान को 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' में शामिल किया गया है।

**6. परिसर और अन्य अचल आस्तियां**

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है। परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

6.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

6.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान अन्यथा उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है:

| क) परिसर: | दरें |
|---|---|
| i) बैंक के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए) | 5 % |
| ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय<br>– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है<br>– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है | <br>10%<br>पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित |

| ख) अन्य आस्तियाँ: | दरें |
|---|---|
| i) फर्नीचर | 10 % |
| ii) उपस्कर, टाईपराईटर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस., जनरेटर आदि | 15 % |
| iii) वाहन | 20 % |
| iv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण | 40 % |
| v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति) | 33.33% |

4.6 Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transactions and profit is recognised on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss account on maturity.

**5. ADVANCES**

5.1 Advances are classified into Performing and Non Performing Assets and provisions for loan losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

5.2 Advances are stated net of provisions made for Non Performing Assets except general provisions for Standard Advances. Provision held for assets sold to 'Assets Recovery Company (ies)' have been included in 'Other Liabilities and Provisions'.

**6. PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS**

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and / or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

6.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

| (A) PREMISES: | Rates |
|---|---|
| i) Bank owned (freehold / leasehold) | 5 % |
| ii) Capital Expenditure on premises taken on lease<br>– where lease period is not specified<br>– where lease period is specified | <br>10 %<br>Amortised over the residual period of lease. |

| (B) OTHER ASSETS: | Rates |
|---|---|
| i) Furniture | 10 % |
| ii) Fixtures, typewriters, other equipments, UPS, generators, etc. | 15 % |
| iii) Vehicles | 20 % |
| iv) Electronic equipments | 40 % |
| v) Computers and Operating Software (Straight Line Method) | 33.33% |

6.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए किया जाता है सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन साफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यहास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है। उनका निपटान किए जाने वाले वर्ष में आस्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं किया गया है।

**7. सेवानिवृत्ति लाभ**

7.1 कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

7.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

7.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपचय आधार पर उपलब्ध कराया जाता हैं।

**8. राजस्व का निर्धारण**

क) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय और दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

ख) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

ग) परिपक्व जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कारपोरेट कार्यालय में प्रावधान किया गया है ।

घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ङ) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

च) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

**9. आय पर कर**

9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

6.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

**7. RETIREMENT BENEFITS**

7.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.

7.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.

7.3 Liability towards leave encashment is provided for on accrual basis as per actuarial valuation.

**8. REVENUE RECOGNITION**

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees / commission on transactions with Mutual Funds, income on non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills / tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on matured deposits is accounted for at the time of renewal. However provision for interest on matured deposits is made at Corporate Office as per the RBI guidelines.

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

**9. TAXES ON INCOME**

9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets / Liabilities in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

**10. देश जोखिम प्रबंधन**

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार देश जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

**11. स्वर्ण मुद्राओं का मूल्यांकन**

आयातित स्वर्ण मुद्राओं का स्टॉक यदि कोई है तो उसका मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम है उसके अनुसार किया जाता है।

तथापि, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान स्वर्णमुद्राओं का कोई क्रय या विक्रय नहीं किया गया। फलस्वरूप 31-03-2013 को स्वर्ण मुद्राओं का कोई स्टाक नहीं था।

**12. आस्तियों की हानि**

आंतरिक/बाहय तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन पत्र के दिनांक पर आस्तियों की रखाव की रकम का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि की पहचान उसी समय हो जाती है जब किसी आस्ति की रखाव की रकम उसकी वसूली योग्य रकम से अधिक हो जाती है।

**13. निवल लाभ**

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

–आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
–अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
–मानक आस्तियों के प्रावधान
–निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
–आकस्मिकताओं को अंतरण
–अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधानें

**14. प्रति शेयर अर्जन**

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया होनेवाले डाइल्युटिव संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग करने के द्वारा परिकलित की गई है।

**10. COUNTRY RISK MANAGEMENT**

The Bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines.

**11. VALUATION OF GOLD COINS**

Stock of imported gold coins, if any, is valued at cost or market price, whichever is lower.

However, there was no Purchase and Sale of gold coins during the financial year 2012 – 13. As a result, there was no stock of gold coins as on 31-03-2013.

**12. IMPAIRMENT OF ASSETS**

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal / external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

**13. NET PROFIT**

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions & Contingencies":

– Provision for Income Tax and Wealth Tax
– Provision / Write off of Non-Performing Advances and Investments
– Provision on Standard Assets
– Adjustment for appreciation / depreciation on Investments
– Transfer to Contingencies
– Other usual and necessary provisions.

**14. EARNINGS PER SHARE**

Earnings Per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

## अनुसूची –18 लेखा संबंधी टिप्पणियाँ –2012-2013

### 1. पूंजी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| i) जोखिम भारित आस्ति (सी आर ए आर) की तुलना में पूँजी का अनुपात (%) बासेल – II | **12.59** | 12.24 |
| ii) सी.आर.ए.आर. टियर I की पूंजी (%) | **8.96** | 8.94 |
| iii) सी.आर.ए.आर. टियर II की पूंजी (%) | **3.63** | 3.30 |
| iv) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता | **66.17** | 66.17 |
| v) टियर II की पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण राशि | **1,000.00** | 0.00 |
| vi) आई.पी.डी.आई. निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि | **0.00** | 0.00 |
| vii) अप्पर टियर II लिखत निर्गम द्वारा जुटाई गयी राशि | **0.00** | 0.00 |

**नोट:** बासेल–I मानदण्डों के अनुसार, दि. 31.03.2013 को बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.12% और दि.31.03.2012 को 10.81% था ।

### 2. निवेश

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2013 | 31.03.2012 |
|---|---|---|
| (1) **निवेश का मूल्य** | | |
| (i) निवेश का सकल मूल्य | | |
| (क) भारत में | **45,574.21** | 40,641.46 |
| (ख) भारत के बाहर | **119.45** | 244.09 |
| (ii) मूल्यह्रास और एन.पी.ए. के लिए प्रावधान | | |
| (क) भारत में | **42.92** | 42.30 |
| (ख) भारत के बाहर | **3.08** | 28.19 |
| (iii) निवेश का निवल मूल्य | | |
| (क) भारत में | **45,531.29** | 40,599.16 |
| (ख) भारत के बाहर | **116.37** | 215.90 |
| (2) **निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन** | | |
| (i) प्रारंभिक शेषराशि | **70.49** | 43.03 |
| (ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | **27.90** | 27.46 |
| (iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन | **52.37** | 0.00 |
| (iv) इतिशेष | **46.00** | **70.49** |

### 2.1 रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | दि.31-03-2013 को इतिशेष |
|---|---|---|---|---|
| रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ | | | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 210 | 3,728 | 1,066 | 0 |
| (ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (iii) सी आर ओ एम एस उधार | 0 | 0 | 0 | 0 |
| रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ | | | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 420 | 5,670 | 54 | 5,670 |
| (ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (iii) सी आर ओ एम एस उधार | 1,260 | 1,260 | 3 | 0 |

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है यानि उधार देते समय गिरवी रखे गए/प्राप्त प्रतिभूतियों का मूल्य उधार की राशि का 105% होगा ।

### 2.2. गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

*i) दि. 31-03-2013 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना* (₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | जारीकर्ता | रकम | प्राइवेट नियोजन की मात्रा | ''निम्न निवेश श्रेणी'' प्रतिभूतियों की मात्रा | अनिर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा | ''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों की मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (i) | सा.क्षे.उ. | 40.81 | 26.35 | -- | 0.63 | 0.63 |
| (ii) | वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित) | 991.49 | 991.49 | -- | 1.13 | 1.13 |
| (iii) | बैंक | 670.23 | 563.00 | -- | -- | -- |
| (iv) | निजी कंपनी | 671.37 | 659.15 | 52.22 | 1.78 | 54.00 |
| (v) | सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम | 33.60 | 33.60 | -- | -- | -- |
| (vi) | अन्य | 3,100.99 | 3,100.99 | -- | -- | -- |
| (vii) | मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान | 46.00 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | कुल* | **5,462.51** | **5,374.61** | **52.22** | **3.54** | **55.76** |

## SCHEDULE – 18 NOTES ON ACCOUNTS: 2012-2013

### 1. CAPITAL

(₹ crore)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| i) Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) Basel II **(%)** | **12.59** | 12.24 |
| ii) CRAR - Tier I Capital (%) | **8.96** | 8.94 |
| iii) CRAR - Tier II Capital (%) | **3.63** | 3.30 |
| iv) Percentage of the shareholding of the Government of India | **66.17** | 66.17 |
| v) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital | **1,000.00** | 0.00 |
| vi) Amount raised by issue of IPDI | **0.00** | 0.00 |
| vii) Amount raised by issue of Upper Tier – II instruments | **0.00** | 0.00 |

**Note:** The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31-03-2013 as per Basel - I norms is 11.12% and as on 31-03-2012 was 10.81%.

### 2. INVESTMENTS

(₹ crore)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| **(1) Value of Investments** | | |
| (i) Gross Value of Investments | | |
| (a) In India | **45,574.21** | 40,641.46 |
| (b) Outside India | **119.45** | 244.09 |
| (ii) Provisions for Depreciation and NPA | | |
| (a) In India | **42.92** | 42.30 |
| (b) Outside India | **3.08** | 28.19 |
| (iii) Net Value of Investments | | |
| (a) In India | **45,531.29** | 40,599.16 |
| (b) Outside India. | **116.37** | 215.90 |
| **(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments** | | |
| (i) Opening balance | **70.49** | 43.03 |
| (ii) Add: Provisions made during the year | **27.90** | 27.46 |
| (iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year | **52.37** | 0.00 |
| (iv) Closing balance | **46.00** | 70.49 |

### 2.1 Repo Transactions (in face value terms)

(₹ crore)

| Particulars | Minimum outstanding during the year | Maximum outstanding during the year | Daily Avg. outstanding during the year | Closing Balance as on 31.03.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Securities sold under Repo | | | | |
| (i) Govt. Securities | 210 | 3,728 | 1,066 | 0 |
| (ii) Corporate Debt Securities | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (iii) CROMS Borrowing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Securities purchased under Reverse Repo | | | | |
| (i) Govt. Securities | 420 | 5,670 | 54 | 5,670 |
| (ii) Corporate Debt Securities | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (iii) CROMS Lending | 1,260 | 1,260 | 3 | 0 |

The above figures are inclusive of margin i.e. while borrowing / lending the value of the securities pledged / received will be 105% of the amount borrowed / lent.

### 2.2 Non-SLR Investment Portfolio

**i) Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.2013**

(₹ crore)

| Sl. No. | Issuer | Amount | Extent of Private Placement | Extent of "Below Investment Grade" Securities | Extent of "Unrated" Securities | Extent of "Unlisted" Securities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (i) | PSUs | 40.81 | 26.35 | -- | 0.63 | 0.63 |
| (ii) | Financial Institutions (incl. NBFCs) | 991.49 | 991.49 | -- | 1.13 | 1.13 |
| (iii) | Banks | 670.23 | 563.00 | -- | -- | -- |
| (iv) | Private Corporates | 671.37 | 659.15 | 52.22 | 1.78 | 54.00 |
| (v) | Subsidiaries / Joint Ventures | 33.60 | 33.60 | -- | -- | -- |
| (vi) | Others | 3,100.99 | 3,100.99 | -- | -- | -- |
| (vii) | Provision held towards depreciation | 46.00 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | TOTAL * | **5,462.51** | **5,374.61** | **52.22** | **3.54** | **55.76** |

**नोट:** (1) *स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन शामिल किए गए कुल निवेश के साथ होना चाहिए:

(क) शेयर (ख) डिबेंचर और बंधपत्र
(ग) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम (घ) अन्य

(2) कॉलम 4,5,6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

***ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश*** (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2013 | | | 31.03.2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | देशी | लंदन | कुल | देशी | लंदन | कुल |
| प्रारंभिक शेष | 15.37 | 25.44 | 40.81 | 14.88 | 22.30 | 37.18 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन 01 अप्रैल से | 23.74 | – | 23.74 | 0.49 | 3.14* | 3.63 |
| वर्ष के दौरान कटौती | 0.37 | 13.22 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इति शेष | 38.74 | 12.22 | 50.96 | 15.37 | 25.44* | 40.81 |
| रखे गए कुल प्रावधान | 38.76 | 1.36 | 40.12 | 15.00 | 25.44 | 40.44 |

**नोट:** *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण यू.एस. डॉलर/आई.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

अनर्जक एफ सी सी बी का अंकित मूल्य यू एस डी 0.250 मिलियन डॉलर है जिसमें 31-03-2013 को 0.250 मिलियन डॉलर का प्रावधान किया गया ।

***iii) एच.टी.एम. श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण***

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**3. व्युत्पन्न**

**3.अ. वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ विदेशी मुद्रा की अदला-बदली**

- **वायदा दर करार और ब्याज दर अदली-बदली**

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | मदें | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|---|
| i) | अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन | **8,054.26** | 4,157.43 |
| ii) | यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, होने वाली हानि | **256.83** | 147.84 |
| iii) | अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति | **0.00** | 0.00 |
| iv) | अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण | **0.00** | 0.00 |
| v) | अदला-बदली बही का उचित मूल्य | **130.95** | 113.58 |

**नोट:** सभी वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली बैंक के तुलन-पत्र की कमियों की प्रतिरक्षा हेतु किया है। वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने यू एस डी 500.00 मिलियन डॉलर के स्थिर ब्याज दर एम टी एन फंड को बढ़ाया है। स्थिर ब्याज दर देयता को एक समान परिपक्वता वाली ब्याज दर की अदला-बदली करके अस्थिर दरों में बदला गया है।

- ***मुद्रा अदला-बदली*** (₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | मदें | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|---|
| i) | अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन | **187.20** | 233.99 |
| ii) | यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती हैं तो, उठाई जाने वाली हानि | **26.94** | 25.73 |
| iii) | अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति | **0.00** | 0.00 |
| iv) | अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण | **0.00** | 0.00 |
| v) | अदला-बदली बही का उचित मूल्य | **1.33** | 0.20 |

1. हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ऋण और प्रतिस्थापन जोखिम भी शामिल हैं ।
2. अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदल-बदली पर प्राप्य या देय निवल एम.टी.एम. से संबद्ध है ।

**Note:** (1) * Total under column 3 should tally with the total Investments included under the following categories in schedule 8 to the Balance Sheet.:

(a) Shares (b) Debentures and Bonds
(c) Subsidiaries /Joint Ventures (d) Others

(2) Amount reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

**ii) Non performing Non-SLR Investments** (₹ crore)

| Particulars | 31.03.2013 | | | 31.03.2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Domestic | London | Total | Domestic | London | Total |
| Opening balance | 15.37 | 25.44 | 40.81 | 14.88 | 22.30 | 37.18 |
| Additions during the year since 1st April | 23.74 | – | 23.74 | 0.49 | 3.14* | 3.63 |
| Reduction during the above period | 0.37 | 13.22 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Closing balance | 38.74 | 12.22 | 50.96 | 15.37 | 25.44* | 40.81 |
| Total provisions held | 38.76 | 1.36 | 40.12 | 15.00 | 25.44 | 40.44 |

**Note:** *Appreciation / Reduction in rupee valuation of Investments is due to fluctuation in USD/INR rates.

Face Value of non performing FCCB's USD 0.250 Mio on which provision of USD 0.250 Mio was made as on 31-03-2013.

**iii) Sale and transfer to / from HTM category**

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category (excluding exempted category) at the beginning of the year as per RBI guidelines.

**3. DERIVATIVES**

**3. A Forward Rate Agreements / Interest Rate Swap / Cross Currency Swaps**

- **Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps**

(₹ crore)

| Sl. No. | Items | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|---|
| i) | The notional principal of swap agreements | **8,054.26** | 4,157.43 |
| ii) | Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements | **256.83** | 147.84 |
| iii) | Collateral required by the bank upon entering into swaps | **0.00** | 0.00 |
| iv) | Concentration of credit risk arising from the swaps | **0.00** | 0.00 |
| v) | The fair value of the swap book | **130.95** | 113.58 |

**Note:** All Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps undertaken are against Banks to hedge Balance Sheet gaps. During the financial year, Bank has raised the Fixed Interest rate MTN fund of USD 500.00 Mio. The fixed interest rate liability was converted into Floating rates by entering into Interest Rate Swaps of matching maturity.

- **Currency Swaps** (₹ crore)

| Sl. No. | Items | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|---|
| i) | The notional principal of the swap agreements | **187.20** | 233.99 |
| ii) | Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements | **26.94** | 25.73 |
| iii) | Collateral required by the bank upon entering the swap | **0.00** | 0.00 |
| iv) | Concentration of credit risk arising from the swaps | **0.00** | 0.00 |
| v) | The fair value of the swap book | **1.33** | 0.20 |

(1) Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Credit and Replacement Risk.

(2) Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or Payable on the above Swaps.

3. वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला-बदली (आई.आर.एस.) को अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है । मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैंक-टु-बैंक आधार पर कवर किया गया है ।

4. इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन काउंटर पार्टियों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है ।

5. व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2012-13 के प्रस्तुत हैं ।

**3.आ. विनिमय व्यापारिक ब्याज दर व्युत्पन्न**

**मुद्रा वायदे:**

बैंक तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है।

**ब्याज दर वायदा:**

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है।

| क्रम सं. | विवरण | ₹ करोडों में |
|---|---|---|
| i) | वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)<br>क)<br>ख)<br>ग) | शून्य |
| ii) | दि. 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)<br>क)<br>ख)<br>ग) | |
| iii) | बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो 'अत्यंत प्रभावकारी' नहीं है । (लिखतवार)<br>क)<br>ख)<br>ग) | |
| iv) | विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार मूल्य और 'अत्यंत प्रभावकारी' नहीं है। (लिखतवार)<br>क)<br>ख)<br>ग) | |

**3. इ. व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण**

***(क) गुणात्मक प्रकटीकरण***

- व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर काउंटर पार्टियों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार भी करता है।
- पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01 - सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- मुद्रा वायदे से बैंक के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है ।
- वर्ष के दौरान बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया ।
- मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को करेंसी स्वैप में शामिल किया गया। इस

(3) Forward Rate Agreements (FRAs) and Interest Rate Swaps (IRS) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing asset and liability mismatches. Currency swap has been undertaken with customers for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.

(4) These derivative transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters / limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

(5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 – Significant Accounting Policies 2012 - 2013.

**3.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives**

**Currency Futures:**

The Bank undertakes proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges. There are no outstanding contracts under Currency future as at 31-03-2013.

**Interest Rate Future:**

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

| Sl. No. | Particulars | (₹ crore) |
|---|---|---|
| i) | Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)<br>a)<br>b)<br>c) | **NIL** |
| ii) | Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on 31st March 2013 (instrument-wise)<br>a)<br>b)<br>c) | |
| iii) | Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)<br>a)<br>b)<br>c) | |
| iv) | Mark-to-market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)<br>a)<br>b)<br>c) | |

**3.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives**

**a) Qualitative Disclosure**

- The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on the Exchanges.
- Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- Currency futures have no credit risk for the Bank, as the Exchanges guarantee the payment.
- During the year Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for Hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- Cross Currency swaps are undertaken for both principal and

प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।

- विदेशी मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें किसी कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन शामिल किए गए हैं।
- केवल उन गैर-बैंक प्रति पार्टी के लिए करेंसी स्वैप लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- बैंक ने व्युत्पन्न से जुडी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई.एस. को अपनाया है ।
- बैंक में काऊँटर पार्टियों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली है ।
- व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सी ई एम) के आधार पर की जा रही है।
- ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करने, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करने और सी.सी.आई.एल./सी.एल.एस. के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करने के द्वारा की जाती है ।
- काऊंटर पार्टी बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- बैंक के पास सम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है ।
- ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन और अनुप्रवर्तन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार काउँटर पार्टी बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आंकन करता है।
- संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा के भीतर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, उसे उचित मूल्य पर आंका जाएगा।
- लेन-देन को बैक टू बैक आधार पर प्रदान की जाती है और बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की जोखिम की प्रतिरक्षा पर किए गए लेन-देनों का मूल्यन ।
- खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर किया जाएगा । परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाएगा । बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा ।
- प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है ।
- उन निवल निधीकृत देशी ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि बैंक की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है ।
- विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- 89.87% व्युत्पन्न, शेष परिपक्वता की एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.

- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- Currency swaps are undertaken for non-bank counter party with ratings SYND 01 to 04 only.
- The bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Credit Exposure Method (CEM).
- Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- The transactions with our Counter-Party Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- The Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Bank has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counter party banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to-market losses.
- Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the bank's assets.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- 89.87% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

ख) दि. 31.03.2012 को मात्रात्मक निवेश

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | विवरण | मुद्रा व्युत्पन्न | ब्याज दर व्युत्पन्न |
|---|---|---|---|
| 1. | **व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)** | | |
| | क) प्रतिरक्षा के लिए | 187.20 | 8,054.26 |
| | ख) व्यापार के लिए | शून्य | शून्य |
| 2. | **बाजार स्थितियों को अंकित** | | |
| | क) आस्तियाँ (+) | 8.22 | 137.93 |
| | ख) देयताएँ (-) | (-) 6.89 | (-) 6.97 |
| **3.** | **ऋण विनिवेश** | **26.94** | **256.83** |
| 4. | **ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवी 01)** | | |
| | क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्नों पर | (-) 4.90 | (-) 209.75 |
| | ख) व्यापार व्युत्पन्नों पर | शून्य | शून्य |
| 5. | **वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम** | | |
| | क) प्रतिरक्षा पर | | |
| | न्यूनतम | – | – |
| | अधिकतम | – | – |
| | ख) व्यापार पर | | |
| | न्यूनतम | शून्य | शून्य |
| | अधिकतम | शून्य | शून्य |

**ग) देश जोखिम प्रबंधन**

बैंक ने दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों को दिए गए अपनी निवल विधिकृत ऋणों का विश्लेषण किया और ऐसे ऋणों की प्रतिशतता बैंक की कुल आस्तियों के 1% से भीतर ही है ।

**4. आस्ति गुणवत्ता**

***क) अनर्जक आस्ति*** (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| **(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)** | **0.76%** | 0.96% |
| **(ii) (सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन** | | |
| क) प्रारंभिक शेष राशि | **3,182.70** | 2,598.97 |
| ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ) | **2,142.04** | 3,156.28 |
| ग) वर्ष के दौरान कटौती | **2,346.24** | 2,572.55 |
| घ) इतिशेष | **2,978.50** | 3,182.70 |
| **(iii) निवल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन** | | |
| क) प्रारंभिक शेषराशि | **1,185.43** | 1,030.84 |
| ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन | **1,006.61** | 1,755.23 |
| ग) वर्ष के दौरान कटौती | **1,067.27** | 1,600.64 |
| घ) इतिशेष | **1,124.77** | 1,185.43 |
| **(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को छोड़कर)** | | |
| क) प्रारंभिक शेषराशि | **1,931.27** | 1,501.33 |
| ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | **1,135.44** | 1,399.75 |
| ग) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन | **1,291.06** | 969.81 |
| घ) इतिशेष | **1,775.65** | 1,931.27 |

**b) Quantitative Disclosures as on 31-03-2013.**

(₹ crore)

| Sl. No. | Particulars | Currency Derivatives | Interest Rate Derivatives |
|---|---|---|---|
| 1 | **Derivatives (Notional Principal Amount)** | | |
| | a) For Hedging | 187.20 | 8,054.26 |
| | b) For Trading | NIL | NIL |
| 2 | **Marked To Market Positions** | | |
| | a) Asset (+) | 8.22 | 137.93 |
| | b) Liability (-) | (-) 6.89 | (-) 6.97 |
| 3 | **Credit Exposure** | **26.94** | **256.83** |
| 4 | **Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)** | | |
| | a) On Hedging Derivatives | (-) 4.90 | (-) 209.75 |
| | b) On Trading Derivatives | NIL | NIL |
| 5 | **Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during year** | | |
| | a) On Hedging | | |
| | Minimum | -- | -- |
| | Maximum | -- | -- |
| | b) On Trading | | |
| | Minimum | NIL | NIL |
| | Maximum | NIL | NIL |

**c) Country Risk Management**

The Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31-03-2013 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Bank.

**4. ASSET QUALITY**

**a) Non-Performing Assets** (₹ crore)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| **(i) Net NPA to Net Advances** | **0.76%** | 0.96% |
| **(ii) Movement of NPAs (Gross)** | | |
| a. Opening balance | **3,182.70** | 2,598.97 |
| b. Additions (Fresh NPAs ) during the year | **2,142.04** | 3,156.28 |
| c. Reductions during the year | **2,346.24** | 2,572.55 |
| d. Closing balance | **2,978.50** | 3,182.70 |
| **(iii) Movement of Net NPAs** | | |
| a. Opening balance | **1,185.43** | 1,030.84 |
| b. Additions during the year | **1,006.61** | 1,755.23 |
| c. Reductions during the year | **1,067.27** | 1,600.64 |
| d. Closing balance | **1,124.77** | 1,185.43 |
| **(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)** | | |
| a. Opening balance | **1,931.27** | 1,501.33 |
| b. Provisions made during the year | **1,135.44** | 1,399.75 |
| c. Write Off / Write Back of Excess Provisions | **1,291.06** | 969.81 |
| d. Closing balance | **1,775.65** | 1,931.27 |

ख/b) वर्ष 2012-13 के दौरान पुनर्संरचित खातों के प्रकटीकरण/**Details of Accounts Restructured during the Year 2012-13.** (₹ करोड़/₹ crore)

| दि. 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खातों के प्रकटीकरण/DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS- AS ON 31.03.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सीडीआर तंत्र के अंतर्गत UNDER CDR MECHANISM | | | | | एस एम ई के अंतर्गत UNDER SME | | | | | अन्य OTHERS | | | | | कुल TOTAL | | | | |
| | | एसटीडी STD | उप एसटीडी SUB STD | डी.ए DA | हानि LOSS | कुल TOTAL | एसटीडी STD | उप एसटीडी SUB STD | डी.ए DA | हानि LOSS | कुल TOTAL | एसटीडी STD | उप एसटीडी SUB STD | डी.ए DA | हानि LOSS | कुल TOTAL | एसटीडी STD | उप एसटीडी SUB STD | डी.ए DA | हानि LOSS | कुल TOTAL |
| दि. 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 01.04.2012 | उधारकर्ताओं की संख्या NO OF BORROWER | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2819 | 492 | 814 | 0 | 4125 | 133798 | 3370 | 4661 | 0 | 141829 | 136631 | 3862 | 5477 | 0 | 145970 |
| | बकाया राशि/AMT O/S | 654.90 | 0 | 23.1 | 0 | 677.99 | 987.01 | 42.39 | 138.6 | 0 | 1168 | 4378.1 | 173.82 | 503.45 | 0 | 5055.39 | 6020 | 216.21 | 665.15 | 0 | 6901 |
| | प्रावधान/PROVISION | 59.96 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 9.37 | 0.76 | 1.47 | 0 | 11.6 | 132.44 | 3.43 | 5.2 | 0 | 141.07 | 202 | 4.19 | 6.67 | 0 | 213 |
| वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year | उधारकर्ताओं की संख्या NO OF BORROWER | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 379 | 15 | 2 | 0 | 396 | 39974 | 413 | 87 | 39 | 40513 | 40368 | 428.00 | 89.00 | 39.00 | 40924 |
| | बकाया राशि/AMT O/S | 2226.44 | 0 | 0 | 0 | 2226.44 | 502.87 | 3.19 | 0.07 | 0 | 506.13 | 2887.7 | 21.86 | 5.39 | 0.17 | 2915.11 | 5617 | 25.05 | 5.46 | 0.17 | 5648 |
| | प्रावधान/PROVISION | 193.94 | 0 | 0 | 0 | 193.94 | 130.02 | 0.56 | 0 | 0 | 130.58 | 151.18 | 0.33 | 0.08 | 0 | 151.59 | 475 | 0.89 | 0.08 | 0.00 | 476 |
| वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया गया।/ Restructured standard advances which cease to attarct higher provisioning and / or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY | उधारकर्ताओं की संख्या NO OF BORROWER | 4 | | | | 4.00 | 746 | | | | 746 | 26430 | | | | 26430 | 27180 | | | | 27180 |
| | बकाया राशि/AMT O/S | 197.64 | | | | 197.64 | 117.63 | | | | 117.63 | 1110.4 | | | | 1110.38 | 1426 | | | | 1426 |
| | प्रावधान/PROVISION | 4.56 | | | | 4.56 | 5.89 | | | | 5.89 | 36.16 | | | | 36.16 | 47 | | | | 47 |
| वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट/downgradations of restructured accounts during the year | उधारकर्ताओं की संख्या NO OF BORROWER | | 1 | – | | 1 | 0.00 | 238 | 5 | | 243 | 0 | 3925 | 14 | 0 | 3939 | 0 | 4164 | 19 | 0 | 4183 |
| | बकाया राशि/AMT O/S | | 18.08 | | | 18.08 | | 19.97 | 0.90 | 0 | 20.87 | 0.00 | 181.44 | 0.66 | 0.00 | 182.10 | 0.00 | 219.49 | 1.56 | 0.00 | 221 |
| | प्रावधान/PROVISION | – | 0 | – | | 0.00 | | 1.12 | 0.04 | 0 | 1.16 | 0.00 | 5.11 | 0.02 | 0.00 | 5.13 | 0 | 6.23 | 0.06 | 0.00 | 6 |
| वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेख/WRITTEN- OFF restructured accounts during the year | उधारकर्ताओं की संख्या NO OF BORROWER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | बकाया राशि/AMT O/S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्रावधान/PROVISION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते* Restructured accounts as on 31.03.2013 * | उधारकर्ताओं की संख्या NO OF BORROWER | 22 | 1 | 3 | 0 | 26 | 390 | 181 | 419 | 18 | 1008 | 126925 | 5831 | 5274 | 474 | 138504 | 127337 | 6013 | 5696 | 492 | 139538 |
| | बकाया राशि/AMT O/S | 2470.36 | 6.77 | 66.2 | 0 | 2543.32 | 1349.87 | 34.66 | 45.05 | 0.9 | 1430.4 | 4368.93 | 202.05 | 574.32 | 6.77 | 5152.07 | 8189.16 | 243.48 | 685.56 | 7.62 | 9125.80 |
| | प्रावधान/PROVISION | 218.14 | 0 | 1.83 | 0 | 219.97 | 51.74 | 1.6 | 1.31 | 0 | 54.65 | 269.28 | 8.45 | 11.55 | 0.00 | 289.28 | 539.68 | 9.53 | 14.69 | 0 | 563.90 |

* पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान या जोखिम भारांक (यदि लागू हो) नहीं है उनके आँकड़ों को हटाकर। तथापि, दि. 31-03-2013 की स्थिति के अनुसार इन खातों को भी दिखाया गया है।

* Excluding the figures of standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). However, the Provisions as on 31-03-2013 has been shown including these accounts.

**नोट/ Note:** मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेड को संस्वीकृत कुल ₹1,100.00 करोड़ को अल्पावधि मीयादी ऋण/मीयादी ऋण के वित्तीय पुन:संरचना पैकेज के अनुसार ऋणों की पुन:संरचना की वजह से उचित मूल्य में हुए ह्रास की राशि ₹110.35 करोड़ है। उचित मूल्य में हुए ह्रास की राशि के लिए किए जाने वाले प्रावधान को 8 तिमाहियों में परिशोधित करने के लिए भा.रि.बैं. ने बैंकों को अनुमति प्रदान की है। तद्नुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 66.98 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया है। अनुवर्ती तिमाहियों में प्रावधान की जानेवाली शेष राशि ₹ 27.39 करोड़ है I/As per the financial restructuring package of short term loans / term loans aggregating to ₹ 1,100.00 crore sanctioned to M/s. Air India Limited, the diminution in fair value (DMV) on account of restructuring of debts is ₹ 110.35 crore. Reserve Bank of India permitted Banks to amortize the provision required for diminution in the fair value of advances over 8 quarters. Accordingly, the total provision made during the current financial year is ₹ 66.98 crore. The balance amount to be provided in subsequent quarters works out to ₹ 27.39 crore.

***ग) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण***

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| (i) खातों की संख्या | शून्य | शून्य |
| (ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर) | शून्य | शून्य |
| (iii) कुल प्रतिलाभ | शून्य | शून्य |
| (iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिलाभ | शून्य | शून्य |
| (v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि | शून्य | शून्य |

**c) Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction**

(₹ crore)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| (i) No. of accounts | NIL | NIL |
| (ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company / Reconstruction Company | NIL | NIL |
| (iii) Aggregate consideration | NIL | NIL |
| (iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | NIL | NIL |
| (v) Aggregate gain / loss over net book value. | NIL | NIL |

*घ) खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण*

अ) खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| 1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं. | शून्य | शून्य |
| (ख) कुल शेष | शून्य | शून्य |
| 2. (क) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित की सं. | शून्य | शून्य |
| (ख) कुल शेष | शून्य | शून्य |

आ) बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| 1. बेची गई खातों की सं. | शून्य | शून्य |
| 2. कुल शेष | शून्य | शून्य |
| 3. प्राप्त कुल प्रतिलाभ | शून्य | शून्य |

*ङ) मानक आस्तियों पर प्रावधान* (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान | 407.93 | 262.81 |

बैंक ने पुन: संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत दबावग्रस्त मानक आस्तियों के संबंध में विवेकपूर्ण प्रावधान के अंतर्गत मानक आस्ति हेतु ₹ 41.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 137.06 करोड़) का अतिरिक्त प्रावधान किया।

**5. कारोबार अनुपात**

| क्रम सं. | विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|---|
| (i) | कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता **(%)** | **9.18%** | 9.42% |
| (ii) | कार्यशील निधियों की तुलना में अब्याजी आय की प्रतिशतता **(%)** | **0.63%** | 0.66% |
| (iii) | कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता **(%)** | **1.85%** | 2.06% |
| (iv) | आस्तियों पर प्रतिलाभ **(%)** | **1.07%** | 0.81% |
| (v) | प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) **(₹ करोड़ में)** | **12.57** | 10.74 |
| (vi) | प्रति कर्मचारी लाभ **(₹ लाख में)** | **8.11** | 5.29 |

**d) Details of non-performing financial assets purchased / sold:**

**A. Details of Non Performing Financial Assets Purchased**

(₹ crore)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| 1. (a) No. of Accounts Purchased during the year | NIL | NIL |
| (b) Aggregate Outstanding | NIL | NIL |
| 2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year | NIL | NIL |
| (b) Aggregate Outstanding | NIL | NIL |

**B. Details of Non Performing Financial Assets Sold** (₹ crore)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| 1. No. of Accounts Sold | NIL | NIL |
| 2. Aggregate Outstanding | NIL | NIL |
| 3. Aggregate Consideration Received | NIL | NIL |

**e) Provisions on Standard Assets** (₹ crore)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| Provisions towards Standard Assets | 407.93 | 262.81 |

Bank has made additional standard assets provision of ₹ 41.63 crore (previous year ₹ 137.06 crore) being prudential provision in respect of stressed standard assets under restructure process.

**5. BUSINESS RATIOS**

| Sl. No. | Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|---|
| (i) | Interest Income as a percentage to Working Funds **(%)** | **9.18%** | 9.42% |
| (ii) | Non-interest income as a percentage to Working Funds **(%)** | **0.63%** | 0.66% |
| (iii) | Operating Proft as a percentage to Working Funds **(%)** | **1.85%** | 2.06% |
| (iv) | Return on Assets **(%)** | **1.07%** | 0.81% |
| (v) | Business (Deposits plus Advances) per Employee **(₹ in Crs)** | **12.57** | 10.74 |
| (vi) | Proft per Employee **(₹ in Lakhs)** | **8.11** | 5.29 |

**6. आस्ति देयता प्रबंधन/ ASSET LIABILITY MANAGEMENT**

***आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न/MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES***

(₹ करोड़ में/₹ crore)

| ऋण और अग्रिम, निवेश, जमाराशि और उधार का परिपक्व पैटर्न/THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बकेट के अंतर्गत)/(UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA) | | | | | | | | | | | | |
| क्रम सं./Sl. No. | As on दि. 31.03.2013 को | 1 दिन 1 day | 2-7 दिन 2-7 days | 8-14 दिन 8-14 days | 15-28 दिन 15-28 days | 29 दिनों से और 3 महीने तक 29 days to 3 months | 3-6 महीने >3-6 months | 6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year | 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years | 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years | 5 वर्ष से अधिक >5 years | कुल Total |
| 1 | जमाराशि/Deposits | **923.76** | **7291.29** | **6441.50** | **6410.88** | **29662.17** | **28443.51** | **31901.22** | **65661.37** | **6435.44** | **2184.75** | **185355.89** |
| 2 | अग्रिम/Advances | **2692.20** | **5102.06** | **2600.23** | **2871.94** | **20168.29** | **10189.58** | **17523.09** | **49644.84** | **13302.88** | **23473.92** | **147569.02** |
| 3 | निवेश/Investments | **0.00** | **111.64** | **24.65** | **202.07** | **1240.04** | **1323.31** | **1959.30** | **5068.76** | **9054.34** | **26663.55** | **45647.66** |
| 4 | उधार/Borrowings | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **81.43** | **1080.74** | **509.67** | **344.23** | **1691.29** | **3525.82** | **5580.60** | **12813.79** |
| 5 | विदेशी मुद्रा आस्तियां/Foreign Currency Assets | **114.40** | **4729.86** | **2177.28** | **2479.39** | **7733.43** | **5082.15** | **2836.62** | **415.49** | **452.97** | **297.52** | **26319.09** |
| 6 | विदेशी मुद्रा देयताएँ/Foreign Currency Liabilities | **6.33** | **2455.68** | **987.68** | **3133.82** | **7620.59** | **3241.40** | **1702.62** | **401.06** | **3128.34** | **2714.67** | **25392.18** |
| **नोट:** उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है।/**Note:** Item no 5 & 6 above are included in respective heads in item no 1 to 4 above | | | | | | | | | | | | |

7. निवेश

*क. स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश*

(₹ करोड़ में)

| श्रेणी | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| ***क) प्रत्यक्ष निवेश*** | **17,161.16** | 14,278.40 |
| (i) आवासीय बंधक– उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार; | **10,404.60** | 8,583.43 |
| इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण | **9,281.72** | 7,433.30 |
| (ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी; * लंदन शाखा से संबंधित ₹ 23.98 करोड़ के सी.आर.ई. निवेश भी शामिल हैं। | **6,064.79** | 4,807.41 * |
| (iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण | **691.77** | 887.56 |
| (iv) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश – क.आवासीय ख.वाणिज्यिक स्थावर संपदा | **0.00** | 0.00 |
| ***ख) परोक्ष निवेश*** राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश | **4,563.45** | 2,495.14 |
| **स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण** | **21,724.61** | 16,773.54 |

*ख. पूंजी बाजार में निवेश*

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| (i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है | **175.92** | 106.84 |
| (ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम | **0.15** | 0.20 |
| (iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है । | **0.00** | 0.00 |
| (iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है। | **0.00** | 0.00 |
| (v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और या बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां | **1.14** | 74.23 |
| (vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण | **727.49** | 1,051.85 |
| (vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण | **0.00** | 0.00 |
| (viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता | **0.00** | 0.00 |
| (ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता | **0.00** | 0.00 |
| (x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) | **157.59** | 152.33 |
| **पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश** | **1,062.29** | **1,385.45** |

7. **EXPOSURES**

**A. Exposure to Real Estate Sector**

(₹ crore)

| Category | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| **a) Direct Exposure** | **17,161.16** | 14,278.40 |
| (i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented | **10,404.60** | 8,583.43 |
| Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances | **9,281.72** | 7,433.30 |
| (ii) Commercial Real Estate (Fund-based & non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits. * includes CRE exposure of ₹ 23.98 crore pertaining to London Branch. | **6,064.79** | 4,807.41 * |
| (iii) Any other Direct Exposure to Non CRE | **691.77** | 887.56 |
| (iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate | **0.00** | 0.00 |
| **b) Indirect Exposure** Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) | **4,563.45** | 2,495.14 |
| **Total Exposure to Real Estate Sector** | **21,724.61** | 16,773.54 |

**B. Exposure to Capital Market**

(₹ crore)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| (i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt. | **175.92** | 106.84 |
| (ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds. | **0.15** | 0.20 |
| (iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security | **0.00** | 0.00 |
| (iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances | **0.00** | 0.00 |
| (v) Secured and unsecured advances to Stockbrokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers | **1.14** | 74.23 |
| (vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources. | **727.49** | 1,051.85 |
| (vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues. | **0.00** | 0.00 |
| (viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds. | **0.00** | 0.00 |
| (ix) Finance to Stockbrokers for margin trading | **0.00** | 0.00 |
| (x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) | **157.59** | 152.33 |
| **Total Exposure to Capital Market** | **1,062.29** | **1,385.45** |

ग. जोखिम श्रेणी वार देशी निवेश (₹ करोड़ में)

| जोखिम संवर्ग | 31 मार्च 2013 को निवेश (निवल) | 31 मार्च 2013 को धारित प्रावधान | 31 मार्च 2012 को निवेश (निवल) | 31 मार्च 2012 को धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|
| नगण्य | **3,481.44** | शून्य | 3,577.88 | शून्य |
| कम | **2,000.21** | शून्य | 1,509.31 | शून्य |
| मध्यम कम | **108.13** | शून्य | 45.93 | शून्य |
| मध्यम | **4.57** | शून्य | 0.23 | शून्य |
| मध्यम अधिक | **1.63** | शून्य | 9.61 | शून्य |
| अत्यधिक | **25.76** | शून्य | 0.00 | शून्य |
| प्रतिबंधित | **9.74** | शून्य | 7.57 | शून्य |
| ऋणेतर | **0.00** | शून्य | 0.00 | शून्य |
| **कुल** | **5,631.48** | शून्य | **5,150.53** | शून्य |

**घ. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में अध्याहरण के ब्यौरे: शून्य**

**ङ. बेजमानती अग्रिम**

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है:

| | |
|---|---|
| कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है जैसे अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर प्रभार | शून्य |
| ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य | लागू नहीं |

**8. विविध**

**क) न्यूनतम अतिरिक्त कर (एम ए टी):**

चालू वर्ष के आयकर के लिए डी टी ए/डी टी एल के निवल से ₹ (-)441.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 74.65 करोड़) का प्रावधान किया जाता है और पिछले वर्ष का समायोजन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जे बी के अनुसार न्यूनतम अतिरिक्त कर (एम ए टी) के आधार पर किया जाता है। चूंकि कर के परामर्शदाताओं की राय पर आधारित बैंक प्रबंधन की राय में आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के दौरान मैट (एम ए टी) ऋण की चुकौती की जा सकती है, बैंक प्रबंधन ने अनुवर्तीवर्षों में बैंक की लाभप्रदता और करयोग्य स्थिति पर विचार करते हुए ₹573.59 करोड़ के मैट ऋण की हकदारी को (पिछले वर्ष : शून्य) लाभ एवं हानि खाते में जमा करके उसे अन्य आस्तियों (अनुसूची-11) के रूप में निर्धारित किया है।

**क) वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि** (₹ करोड़ में)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| आयकर, संपदा कर, आदि के लिए प्रावधान | **363.53** | 369.52 |
| पिछले वर्ष के प्रावधान की वापसी | **0.00** | -255.58 |
| मैट क्रेडिट | **-573.59** | 0.00 |
| डीटीए/डीटीएल | **-230.95** | -39.30 |
| **कुल** | **-441.01** | 74.64 |

ख) वर्ष के दौरान भा.रि.बैं. द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है ।

**9. लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

**i) उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदे तथा लेखाकरण नीति में परिवर्तन (एएस 5):**

ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वावधि आय/व्यय मदें नहीं है जिसका एएस 5 के अंतर्गत प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।

**ii) लेखाकरण मानक 9 – राजस्व की पहचान**

अनुसूची – 17, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय

**C. Risk Category wise Country Exposure** (₹ crore)

| Risk Category | Exposure (net) as at 31st March 2013 | Provision held as at 31st March, 2013 | Exposure (net) as at 31st March, 2012 | Provision held as at 31st March, 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Insignificant | **3,481.44** | **NIL** | 3,577.88 | NIL |
| Low | **2,000.21** | **NIL** | 1,509.31 | NIL |
| Moderately Low | **108.13** | **NIL** | 45.93 | NIL |
| Moderate | **4.57** | **NIL** | 0.23 | NIL |
| Moderately High | **1.63** | **NIL** | 9.61 | NIL |
| High | **25.76** | **NIL** | 0.00 | NIL |
| Very High / Restricted | **9.74** | **NIL** | 7.57 | NIL |
| Off-Credit | **0.00** | **NIL** | 0.00 | NIL |
| **Total** | **5,631.48** | **NIL** | **5,150.53** | **NIL** |

**D. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank: NIL**

**E. Unsecured Advances**

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

| | |
|---|---|
| The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken. | NIL |
| Estimated value of such intangible collaterals. | Not Applicable |

**8. MISCELLANEOUS**

**a) Minimum Alternate Tax (MAT):**

Provision for Income Tax for the current year of ₹ (-)441.01 crore (P.Y ₹ 74.64 crore) is made net off DTA / DTL and adjustment for earlier years on the basis of Minimum Alternate Tax (MAT) in accordance with Section 115JB of the Income Tax Act 1961. Considering the future profitability and taxable position of the Bank in subsequent years, the bank management has recognised MAT credit entitlement of ₹ 573.59 crore (Previous Year: NIL) as other assets (Schedule - 11) by crediting to Profit & Loss, since in the opinion of the bank management based on Tax Consultants Opinion, MAT credit can be set-off during specified period as per the provisions of the Income Tax Act 1961.

**b) Amount of provisions made for income tax during the year**

(₹ crore)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| Provision for Income Tax, Wealth tax etc. | **363.53** | 369.52 |
| Reversal of provisions for earlier years | **0.00** | -255.58 |
| MAT Credit | **-573.59** | 0.00 |
| DTA / DTL | **-230.95** | -39.30 |
| **Total** | **-441.01** | 74.64 |

**c)** During the year no penalty was imposed by RBI on the Bank.

**9. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)**

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

**i) Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):**

There were no material prior period income / expenditure items requiring disclosure under AS – 5.

**ii) Revenue Recognition (AS 9):**

As per Accounting Policy no. 8, given in schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised

की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर पहचान की गयी है ।

**iii) विदेशी विनिमय दरों में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):**

क) वर्ष के निवल लाभ में, ₹19.54 करोड़ शामिल (पिछले वर्ष ₹13.54 करोड़ की हानि) जो एफ. एक्स. आस्तियों और देयताओं के एएस 11 मूल्यांकन के कारण हुए विनिमय अंतर के अंतर्गत दर्ज की गई हानि है।

ख) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण किया जा सके।

**iv) कर्मचारी लाभ (एएस 15):**

भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने 2010-11 से कर्मचारियों से संबंधित पेंशन और उपदान के संबंध में ₹726.90 करोड़ की बढ़ाई गई देयता का 1/5 (₹145.38 करोड़) अंश का परिशोधन किया। तदनुसार, बैंक ने ₹145.38 करोड़ को चालू वर्ष के लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया है और बाकी बची राशि ₹290.76 करोड़ को अनुवर्ती वर्षों में आमेलित किया जाएगा ।

1 नवंबर 2012 से प्रभावी वेतन परिशोधन की संभावना को देखते हुए बैंक ने चालू वर्ष के दौरान ₹100 करोड़ का प्रावधान किया है।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

(₹ करोड़ में)

| मुख्य बीमांकिक अनुमान | योजना का प्रकार | | |
|---|---|---|---|
| | पेंशन | उपदान | छुट्टी का नकदीकरण |
| नहा दर | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
| मुद्रास्फीति की दर | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| आस्तियों पर प्राप्ति | 8.50% | 8.50% | 0.00% |

(₹ करोड़ में)

| देयता के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान | योजना का प्रकार | | |
|---|---|---|---|
| | पेंशन | उपदान | छुट्टी का नकदीकरण |
| **क) 01.04.2012 को पी वी ओ** | **3981.41** | **935.26** | **244.21** |
| ख) जोडें: ब्याज लागत | 322.24 | 73.66 | 17.86 |
| ग) जोडें: चालू सेवा लागत | 557.92 | 40.10 | 16.71 |
| घ) घटाएं : प्रदत्त लाभ | 380.71 | 137.26 | 68.25 |
| ञ) जोडें: दायित्व पर बीमांकित हानि/लाभ प्राप्ति(-) | 69.17 | 119.07 | 114.82 |
| **च) 31-03-2013 को पी वी ओ** | **4550.04** | **1030.84** | **325.35** |

(₹ करोड़ में)

| योजना आस्तियों के उचित मूल्य के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का समाधान | योजना का प्रकार | |
|---|---|---|
| | पेंशन | उपदान |
| **क) दि. 01-04-2012 को योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय** | **3597.36** | **909.33** |
| ख) जोडें: योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय | 305.78 | 77.29 |
| ग) जोडें: अंशदान | 746.41 | 166.42 |
| घ) घटाएं: प्रदत्त लाभ | 380.71 | 137.26 |
| ञ) जोडें: बीमांकित लाभ/(-)हानि | 11.22 | 1.47 |
| **च) 31-03-2013 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य** | **4280.04** | **1017.26** |

on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

**iii) Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):**

a) The net profit for the year includes an amount of ₹ 19.54 crore, (₹ 13.54 Cr. Loss for the previous year) being the loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities.

b) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance Sheet.

**iv) Employee Benefits (AS 15):**

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has amortised 1/5th (₹ 145.38 crore) of the enhanced liability of ₹ 726.90 crore from the year 2010 - 11 in respect of pension and gratuity liabilities relating to continuing employees. Accordingly, the Bank has charged ₹ 145.38 crore to the current year profit and loss account and the balance amount of ₹ 290.76 crore will be absorbed in future years.

In expectation of wage revision with effect from 1st November, 2012, Bank has made adhoc provision of ₹ 100 crore during the current year.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligation and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

(₹ crore)

| Principal Actuarial Assumptions | TYPE OF PLAN | | |
|---|---|---|---|
| | PENSION | GRATUITY | LEAVE ENCASHMENT |
| Discount Rate | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
| Inflation Rate | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| Return on Assets | 8.50% | 8.50% | 0.00% |

(₹ crore)

| Reconciliation of opening and closing balance of liability | TYPE OF PLAN | | |
|---|---|---|---|
| | PENSION | GRATUITY | LEAVE ENCASHMENT |
| **a) PVO as at 01.04.2012** | **3981.41** | **935.26** | **244.21** |
| b) Add: Interest Cost | 322.24 | 73.66 | 17.86 |
| c) Add: Current Service Cost | 557.92 | 40.10 | 16.71 |
| d) Less: Benefits Paid | 380.71 | 137.26 | 68.25 |
| e) Add: Actuarial loss/gain(-) on obligation | 69.17 | 119.07 | 114.82 |
| **f) PVO as at 31-03-2013** | **4550.04** | **1030.84** | **325.35** |

(₹ crore)

| Reconciliation of opening & closing balance of fair value of plan assets | TYPE OF PLAN | |
|---|---|---|
| | PENSION | GRATUITY |
| **a) Fair Value of plan assets as on 01-04-2012** | **3597.36** | **909.33** |
| b) Add: Expected Return on Plan Assets | 305.78 | 77.29 |
| c) Add: Contributions | 746.41 | 166.42 |
| e) Less: Benefits Paid | 380.71 | 137.26 |
| f) Add: Actuarial gain / (-)loss | 11.22 | 1.47 |
| **g) Fair Value of Plan Assets as on 31-03-2013** | **4280.04** | **1017.26** |

(₹ करोड़ में)

| तुलन पत्र में पहचानी गई रकम | योजना का प्रकार | |
|---|---|---|
| | पेंशन | उपदान |
| क) वर्ष के अंत पर देयता का पी वी | 4550.04 | 1030.84 |
| ख) वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का अति मूल्य | 4280.04 | 1017.26 |
| ग) अंतर | 269.99 | 13.58 |
| घ) पहचान न की गई संव्यवहार देयता | 269.99 | 13.58 |
| **ञ) तुलन पत्र में पहचानी गई देयता** | **0.00** | **0.00** |

(₹ crore)

| Amount recognized in the Balance Sheet | TYPE OF PLAN | |
|---|---|---|
| | PENSION | GRATUITY |
| a) PV of obligation at the end of the year | 4550.04 | 1030.84 |
| b) Fair value of plan assets at the end of the year | 4280.04 | 1017.26 |
| c) Difference | 269.99 | 13.58 |
| d) Unrecognised transitional liability | 269.99 | 13.58 |
| **e) Liability Recognised in the Balance Sheet** | **0.00** | **0.00** |

(₹ करोड़ में)

| लाभ एवं हानि खाते में पहचानी गई रकम | योजना का प्रकार | | |
|---|---|---|---|
| | पेंशन | उपदान | छुट्टी का नकदीकरण |
| क) चालू सेवा लागत | 557.92 | 40.10 | 16.71 |
| ख) ब्याज लागत | 322.24 | 73.66 | 17.86 |
| ग) घटाएं: योजना अस्तियों पर प्रत्याशित आय | 305.78 | 77.29 | 0.00 |
| घ) निवल बीमांकित हानि/लाभ (-) | 57.96 | 117.60 | 114.82 |
| **लाभ एवं हानि लेखा खाते में पहचाना गया व्यय** | **632.35** | **154.07** | **149.39** |

(₹ crore)

| Amount recognized in the P & L Account | TYPE OF PLAN | | |
|---|---|---|---|
| | PENSION | GRATUITY | LEAVE ENCASHMENT |
| a) Current Service Cost | 557.92 | 40.10 | 16.71 |
| b) Interest Cost | 322.24 | 73.66 | 17.86 |
| c) Less: Expected Return on Plan Assets | 305.78 | 77.29 | 0.00 |
| d) Net Actuarial Loss / Gain(-) | 57.96 | 117.60 | 114.82 |
| **Expenses Recognised in P&L** | **632.35** | **154.07** | **149.39** |

(₹ करोड़ में)

| तुलन पत्र में पहचानी गई रकम | योजना का प्रकार | | |
|---|---|---|---|
| | पेंशन | उपदान | छुट्टी का नकदीकरण |
| प्रारंभिक निवल देयता | 384.06 | 25.94 | 0.00 |
| लाभ एवं हानि में पहचाने गए व्यय | 632.35 | 154.07 | 149.39 |
| अंशदान | 746.41 | 166.42 | 149.39 |
| अंतिम निवल देयता | 269.99 | 13.58 | 0.00 |
| **वर्षांत पर शेषनिधि/प्रावधान** | **4550.04** | **1030.84** | **325.35** |

(₹ crore)

| Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet | TYPE OF PLAN | | |
|---|---|---|---|
| | PENSION | GRATUITY | LEAVE ENCASHMENT |
| Opening Net Liability | 384.06 | 25.94 | 0.00 |
| Expenses recognised in P&L | 632.35 | 154.07 | 149.39 |
| Contributions | 746.41 | 166.42 | 149.39 |
| Closing Net Liability | 269.99 | 13.58 | 0.00 |
| **Closing Fund / Provision at the end of year** | **4550.04** | **1030.84** | **325.35** |

**v) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)**

**भाग क: कारोबार खंड/Part A: Business Segments**

(₹ करोड़ में/crore)

| कारोबार खण्ड/Business Segments | राजकोष/Treasury | | कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग/ Corporate / Wholesale Banking | | खुदरा बैंकिंग/Retail Banking | | अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations | | कुल/Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण/Particulars** | **चालू वर्ष/CY** | **पिछला वर्ष/PY** | **चालू वर्ष/CY** | **पिछला वर्ष/PY** | **चालू वर्ष/CY** | **पिछला वर्ष/PY** | **चालू वर्ष/CY** | **पिछला वर्ष/PY** | **चालू वर्ष/CY** | **पिछला वर्ष/PY** |
| परिणाम (परिचालन लाभ)/Result (Op. Profit) | 683 | 610 | 1863 | 1542 | 771 | 1132 | 132 | 63 | 3449 | 3347 |
| अनांबटित लाभ/Unallocated Expenses | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1886 | 1920 |
| परिचालन लाभ/Operating Profit | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 3449 | 3347 |
| आय कर/Income Tax | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | -441 | 114 |
| असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| शुद्ध लाभ/Net Profit | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 2004 | 1313 |
| अन्य सूचना/Other Information | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| खण्डवार आस्तियां/Segment Assets | 45648 | 40815 | 116063 | 82874 | 48005 | 40746 | 3972 | 16681 | 213688 | 181116 |
| अनांबटित आस्तियां/Unallocated Assets | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1434 | 1352 |
| कुल आस्तियां/Total Assets | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 215122 | 182468 |
| खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities | 43733 | 38802 | 111096 | 78787 | 45950 | 38736 | 3802 | 15935 | 204581 | 172260 |
| अनांबटित देयताएं/Unallocated Liabilities | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | – | 1167 |
| कुल देयताएं/Total Liabilities | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 204581 | 173427 |

**चालू वष/CY – Current Year/ पिछला वर्ष/PY – Previous Year/**

### भाग ख – भौगोलिक खंड

(₹ करोड़ में)

| | देशी | | अंतर्राष्ट्रीय | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| आय | 17,667 | 15,285 | 628 | 1,059 | 18,295 | 16,344 |
| आस्तियां | 191,049 | 168,560 | 24,064 | 13,908 | 215,113 | 182,468 |

**vi) संगत पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)**

**अ) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध**

**क) अनुषंगी:**

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

**ख) सहायक संस्थाएं:**

प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक
नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक
गुडगाँव ग्रामीण बैंक

**ग) प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी:**

| प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी | पदनाम | अवधी |
|---|---|---|
| **श्री म. गि. संघवी** | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | दिनांक 01.03.2012 से |
| **श्री रवि चटर्जी** | कार्यपालक निदेशक | दिनांक 01.09.2010 से |
| **श्री एम आंजनेय प्रसाद** | कार्यपालक निदेशक | दिनांक 24.08.2011 से |

**आ) संगत पार्टी लेन-देन** (₹ लाखों में)

| प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| वेतन और भत्ते | **52.97** | 55.52 |

एएस 18 के पैरा 9 के अनुसार अनुषंगी और सहायक संस्थाओं के लेन-देन प्रकट नहीं किए गए हैं ।

**vii) प्रति शेयर अर्जन (ए एस 20)**

| विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| लाभ एवं हानि खाते (क) के अनुसार निवल लाभ | **2004,42,18** | 1313,39,43 |
| ईक्विटी शेयरों (ख) की भारित औसत संख्या | **60,19,49,955** | 57,36,77,260 |
| आमदनी प्रतिशेयर (रुपयों में) (ग = क/ख) | **33.30** | 22.89 |
| अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹) | **10.00** | 10.00 |

**viii) समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों को एएस 21 के अनुसार और बैंक की अनुषंगी संस्था मेसर्स सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।

**ix) आय कर का लेखाकरण (एएस 22)**

बैंक ने ए एस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार डी.टी.ए./डी.टी.एल. का निवल शेष ₹ 268.16 करोड़ था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

| आस्थगित कर आस्तियां | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान | **105.58** | 79.16 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | **261.97** | 221.68 |
| पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान | **234.51** | 114.07 |
| अन्य | **69.21** | 28.06 |
| **कुल** | **671.27** | **442.97** |

### Part B: Geographic Segments

(₹ crore)

| | Domestic | | International | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| **Revenue** | 17,667 | 15,285 | 628 | 1,059 | 18,295 | 16,344 |
| **Assets** | 191,049 | 168,560 | 24,064 | 13,908 | 215,113 | 182,468 |

**vi) Related Party Disclosures (AS 18):**

**(A) Names of Related Parties and their relationship:**

**a) Subsidiary:**

Syndbank Services Limited

**b) Associates:**

Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank
North Malabar Gramin Bank
Gurgaon Gramin Bank

**c) Key Management Personnel:**

| Key Management Personnel | Designation | Period |
|---|---|---|
| **Sri M G Sanghvi** | Chairman & Managing Director | From 01-03-2012 |
| **Sri Ravi Chatterjee** | Executive Director | From 01-09-2010 |
| **Sri M Anjaneya Prasad** | Executive Director | From 24-08-2011 |

**(B) Related Party Transactions** (₹ in Lakhs)

| Key Management Personnel | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| Salary and Allowances | **52.97** | 55.52 |

Transaction with Subsidiary and Associates have not been disclosed in terms of para 9 of AS 18.

**vii) Earnings Per Share (AS 20):**

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| Net Profit as per Profit & Loss Account (A) (₹ in Thousands) | **2004,42,18** | 1313,39,43 |
| Weighted Average Number of Equity Shares (B) | **60,19,49,955** | 57,36,77,260 |
| Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B) | **33.30** | 22.89 |
| Face Value Per Share (₹) | **10.00** | 10.00 |

**viii) Consolidated Financial Statements (AS 21):**

The consolidated financial statements for the year ended 31st March 2013 have been prepared in accordance with AS 21 and on the basis of the audited financial statements of the subsidiary of the Bank, M/s. Syndbank Services Ltd.

**ix) Accounting for Taxes on Income (AS 22):**

The Bank has complied with the requirements of AS 22. The Net balance of DTA / DTL as on 31st March, 2013 amounting to ₹ 268.16 crore consists of the following:

(₹ crore)

| Deferred Tax Assets | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| Provision for Leave Encashment | **105.58** | 79.16 |
| Provision for Standard Assets | **261.97** | 221.68 |
| Provision for Interest on Restructured Assets | **234.51** | 114.07 |
| Others | **69.21** | 28.06 |
| **Total** | **671.27** | **442.97** |

(₹ करोड़ में)

| आस्थगित कर देयताएं | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | **3.08** | (7.16) |
| प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर मूल्याह्रास | **109.30** | 158.21 |
| प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज जो देय नहीं है | **290.73** | 254.71 |
| **कुल** | **403.11** | **405.76** |
| **निवल डी.टी.ए.** | **268.16** | **37.21** |

**x) आस्तियों की हानि (ए एस 28):**

बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं है।

**10. अन्य प्रकटीकरण**

**क) प्रावधान और आकस्मिक व्यय** (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | **- 25.78** | 38.53 |
| एन.पी.ए. के लिए प्रावधान | **1,135.44** | 1,399.74 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | **407.93** | 262.81 |
| आय कर/संपत्ति कर आदि के लिए प्रावधान (समायोजन का निवल) | **- 441.01** | 74.64 |
| मजदूरी के लिए प्रावधान | **100.00** | शून्य |
| अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय | **268.58** | 257.68 |
| **कुल** | **1,445.16** | **2,033.40** |

**ख) अस्थायी प्रावधान के संचलन निम्नप्रस्तुत है:** (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| क) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष | **306.63** | 306.63 |
| ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि | **शून्य** | शून्य |
| ग) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि | **शून्य** | शून्य |
| घ) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष | **306.63** | 306.63 |

**ग) आरक्षित निधियों में किए गए आहरण**

बैंक ने वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों में से कोई आहरण नहीं किया है।

**घ) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति**

**(i) ग्राहकों की शिकायतें**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | 142 |
| 2. | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. | 2,802 |
| 3. | वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं. | 2,826 |
| 4. | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. | 118 |

**(ii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं. | 0 |
| 2. | वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं. | 19 |
| 3. | वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. | 19 |
| 4. | वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं. | 0 |

**ङ) बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:**

**क) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:**

बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत

(₹ crore)

| Deferred Tax Liabilities | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| Depreciation on Fixed Assets | **3.08** | (7.16) |
| Depreciation on valuation of securities | **109.30** | 158.21 |
| Interest accrued but not due on securities | **290.73** | 254.71 |
| **Total** | **403.11** | **405.76** |
| **Net DTA** | **268.16** | **37.21** |

**x) Impairment of Assets (AS 28):**

In the opinion of the Management of the Bank, there is no impairment of assets of the Bank.

**10. OTHER DISCLOSURES**

**a) Provisions and Contingencies:** (₹ crore)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| Provision for depreciation on investment | **- 25.78** | 38.53 |
| Provision towards NPA | **1,135.44** | 1,399.74 |
| Provision towards Standard Assets | **407.93** | 262.81 |
| Provision towards Income Tax, Wealth Tax (net of adjustments) | **- 441.01** | 74.64 |
| Provision for Wage Revision | **100.00** | NIL |
| Other provision and contingencies | **268.58** | 257.68 |
| **Total** | **1,445.16** | **2,033.40** |

**b) The movement of Floating Provision is furnished below:** (₹ crore)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| (a) Opening Balance in the floating provision account | **306.63** | 306.63 |
| (b) The quantum of floating provisions made in the accounting year | **Nil** | Nil |
| (c) Amount of draw down made during the accounting year | **Nil** | Nil |
| (d) Closing Balance in the floating provision account | **306.63** | 306.63 |

**c) Draw down from reserves:**

The Bank has not made any draw down from the Reserves during the year.

**d) Status of Customer Complaints**

**(i) Customer Complaints**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | No. of complaints pending at the beginning of the year | 142 |
| 2 | No. of complaints received during the year | 2,802 |
| 3 | No. of complaints redressed during the year | 2,826 |
| 4 | No. of complaints pending at the end of the year | 118 |

**(ii) Awards passed against the Bank by the Banking Ombudsman**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | No. of unimplemented Awards at the beginning of the year | 0 |
| 2 | No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year | 19 |
| 3 | No. of awards implemented during the year | 19 |
| 4 | No. of unimplemented Awards at the end of the year | 0 |

**e) Letters of comfort issued by the Bank**

**(a) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches.**

The Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to

लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के ''संपूर्ण चलनिधि संशोधन'' के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई ने, निदेशक मंडल/ के अनुमोदन से यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया और यू.एस. डॉलर 100.00 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र (दि. 31-12-2013 तक वैध) जारी किया ।

**ख) कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:**

शाखाओं ने अपने नैगम ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31-03-2013 को ₹27.31 करोड़ तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं ।

कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता के चुकौती आश्वासन पत्र पर ऋण प्रदान करने के लिए शाखाओं द्वारा विभिन्न विदेशी बैंकों और विदेश में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की रकम दि. 31-03-2013 की स्थिति के अनुसार ₹1,743.12 करोड़ है ।

दि. 31-03-2013 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि ₹1,770.43 करोड़ है ।

चुकौती आश्वासन पत्र जारी करते समय उसकी गुणवत्ता, साख श्रेणी निर्धारण/वैश्विक श्रेणी निर्धारण, प्रतिभूति, संपार्श्विक प्रतिभूति तथा अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं को गणना में लिया गया है, इसलिए चुकौती आश्वासन पत्रों के कारण से हुए वित्तीय प्रभाव उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं ।

**च) कवरेज अनुपात हेतु प्रावधान:**

वि. वर्ष 2012-13 के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात 83.41% है ।

**छ) बैंक एश्योरेन्स कारोबार:**

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक एश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त आय ₹565.09 लाख है जो पिछले वर्ष ₹749.33 लाख था ।

**ज) जमाराशियों, अग्रिमों, उधार, अनर्जक आस्थियों का संकेन्द्रण**

**अ) जमाराशियों का संकेन्द्रण** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| 20 बड़े जमाकर्ताओं को कुल जमाराशियाँ | 29,245.21 |
| बेंक के कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता | 15.78% |

**आ) अग्रिमों का संकेन्द्रण** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| 20 बड़े जमाकर्ताओं को कुल अग्रिम | 23,257.50 |
| बैंक के कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता | 15.76% |

**इ) उधार का संकेन्द्रण** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल उधार | 23,729.56 |
| उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मूल कंपनी द्वारा दिए गए उधार में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता | 16.08% |

**ई) अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल उधार | 634.19 |

**i) क्षेत्रवार एन.पी.ए.**

| क्र.सं. | क्षेत्र | प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रिमों की तुलना में एन.पी.ए. की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| 1. | क्रषि और संबद्ध कार्यकलाप | 4.67% |
| 2. | उद्योग (माइक्रो और लघु, मध्यम और बड़े उद्योग) | 2.13% |
| 3. | सेवाएं | 5.10% |
| 4. | वैयक्तिक ऋण | 4.54% |

its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

International Division; Mumbai issued Letter of Comfort amounting to USD 75 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid upto 31-12-2013) with approval from the Board of Directors of the Bank.

**(b) Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:**

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of SyndicateBank; London Branch for providing Buyer's Credit, to the extent of ₹ 27.31 crore as on 31-03-2013.

Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India, is ₹ 1,743.12 crore as on 31-03-2013.

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as at 31-03-2013 stands at ₹ 1,770.43 crore.

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

**f) Provision Coverage Ratio:**

The provision coverage ratio for the financial Year 2012-13 is 83.41%

**g) Bancassurance Business:**

Income from the Bancassurance Business during the year 2012 -13 is ₹ 565.09 Lakhs as against ₹ 749.33 Lakhs in the previous year.

**h) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs.**

**A. CONCENTRATION OF DEPOSITS** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Total Deposits of twenty largest depositors | 29,245.21 |
| Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank | 15.78% |

**B. CONCENTRATION OF ADVANCES** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Total Advances to twenty largest borrowers | 23,257.50 |
| Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank | 15.76% |

**C. CONCENTRATION OF EXPOSURES** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Total Exposure to twenty largest borrowers / customers | 23,729.56 |
| Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers | 16.08% |

**D. CONCENTRATION OF NPAs** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Total Exposure to top four NPA accounts | 634.19 |

**i) Sector-wise NPAs**

| Sl. No. | Sector | Percentage of NPAs to Total Advances in that sector |
|---|---|---|
| 1 | Agriculture & allied activities | 4.67% |
| 2 | Industry (Micro & Small, Medium and Large) | 2.13% |
| 3 | Services | 5.10% |
| 4 | Personal Loans | 4.54% |

**ञ) अनर्जक आस्तियों का संचलन** (₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| दि. 1 अप्रैल 2012 को कुल अनर्जक आस्तियां | 3,182.70 |
| वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां) | 2,142.04 |
| **उप-जोड (क)** | **5,324.74** |
| **घटाएं:** | |
| i) स्तरोन्नयन | 300.83 |
| ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर) | 730.44 |
| iii) अपलेखन (पी डब्ल्यू ओ सहित) | 1,297.30 |
| **परिचालन/विदेशी मुद्रा (अस्थिर) (निवल)** | 17.67 |
| **उप-जोड़ (ख)** | **2,346.24** |
| दि. 31 मार्च 2013 को कुल अनर्जक आस्तियां (क-ख) | **2,978.50** |

**ट) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व**

| **विवरण (दि.31.03.2013 को)** | **रकम (₹ करोड़ में)** |
|---|---|
| कुल आस्तियां | 26,319.10 |
| कुल अनर्जक आस्तियां | 162.62 |
| कुल एनपीआई | 12.22 |
| कुल राजस्व | 627.78 |

**ठ) तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)**

| **प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम** | |
|---|---|
| घरेलू | विदेशी |
| शून्य | शून्य |

**ड) अन्य**

**i) अचल आस्तियाँ**

बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल कंपनी के पास हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान लंदन में बैंक के स्वामित्व के परिसर का पुनर्मूल्यांकन के मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तत्काल किया गया है। ऐसे मूल्यांकन से हुई कुल अधिशेष रकम ₹1.32 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि लेखे में जमा किया गया। पुनर्मूल्यांकित देशी आस्तियों पर किए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास की कुल राशि ₹30.93 करोड़ और लंदन स्थित पुनर्मूल्यांकित परिसर पर किए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास की राशि ₹ 0.04 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया।

**ii) निवेश**

**(क)** एच.टी.एम. श्रेणी में रखी गयी ₹ 475,01,665.15 की प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को लाभ व हानि लेखे में लिया गया और तदनंतर पूंजीगत आरक्षित निधि लेखे में विनियोजित किया गया।

**(ख)** एच.टी.एम. श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ₹ 56,49,74,074.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 58,17,27,342.62 करोड़) के परिशोधन प्रभार को लाभ व हानि लेखे में नामे डाला गया और उसे भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्र के अनुसार अनुसूची-13, अर्जित ब्याज: मद सं. II के अंतर्गत कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

**iii) बंधपत्र जारी करने से संबंधित ब्यौरे**

बैंक ने वर्ष के दौरान बैंक की दायर II पूँजी को सुदृढ बनाने के लिए अधीनीकृत ऋणों के रूप में ₹ 1000 करोड़ के बांडों को जारी कर दिया है। बैंक अपनी लंदन शाखा के व्यवसाय के निधीयन के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी लंदन शाखा के जरिए यू एस डी 500 मिलियन जुटा चुका है।

**j) Movement of NPAs** (₹ crore)

| | |
|---|---|
| Gross NPAs as on 1st April 2012 | 3,182.70 |
| Additions (Fresh NPAs ) during the year | 2,142.04 |
| **Sub Total (A)** | **5,324.74** |
| **Less:** | |
| (i) Up gradations | 300.83 |
| (ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts) | 730.44 |
| (iii) Write-offs (including PWO) | 1,297.30 |
| (iv) Inc./Dec. due to operation / Foreign Exchange Fluctuation (Net) | 17.67 |
| **Sub Total (B)** | **2,346.24** |
| Gross NPAs as on 31st March 2013 **(A - B)** | **2,978.50** |

**k) Overseas Assets, NPAs and Revenue**

| **Particulars (31-03-2013)** | **Amount (₹ crore)** |
|---|---|
| Total Assets | 26,319.10 |
| Total NPAs | 162.62 |
| Total NPIs | 12.22 |
| Total Revenue | 627.78 |

**l) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

| **Name of the SPV sponsored** | |
|---|---|
| Domestic | Overseas |
| NIL | NIL |

**m) OTHERS**

**(i) Fixed Assets**

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

The bank owned premises at London has been revalued on a desk top basis during the year 2012 - 13 at value determined, based on the appraisal by valuer. Surplus arising on such valuation aggregating to ₹ 1.32 crore is credited to revaluation reserves. Additional depreciation aggregating to ₹ 30.93 crore on revalued domestic assets and ₹ 0.04 crore on revalued premises at London have been adjusted to the revaluation reserves.

**(ii) Investments**

(a) Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹ 475,01,665.15 has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account.

(b) The amortization charges of ₹ 56,49,74,074.44 (previous year ₹ 58,17,27,342.62) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule-13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

**(iii) Details of Bonds Issue**

During the year, the Bank has issued Bonds of ₹ 1,000 crore as subordinated debts to strengthen the Tier II Capital of the Bank. The Bank has also raised USD 500 Mio through its London Branch during the financial year for funding its London Branch business.

**(iv) ऋण चूक की अदला –बदलियां**

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण चूक की अदला –बदलियों में कोई लेन–देन नहीं किया है।

**(v)** लंदन शाखाओं पारित रखे गए अस्थिर दर वाले नोट और विदेशवी मुद्रा के बंधपत्र जारी कर्ताओं के मूल्य के आधार पर बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत हैं। जारीकर्ताओं के मूल्य के आधार पर अस्थिर दर वाले नोटों का मूल्यांकन किया जाता है। फलस्वरूप इन निवेशों पर मूल्यहास के लिए ₹ 3.08 करोड़ का प्रावधान है।

**(vi)** अंतर शाखा लेन–देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा।

**(vii) पिछले वर्ष के आंकड़े**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

**(iv) Credit Default Swaps**

During the financial year, the Bank has not traded in Credit Default Swaps.

**(v)** Investment in Floating Rate Notes and Foreign Currency Bonds held in London Branch are classified as Available For Sale and are valued at closing rate. Floating Rate Notes are valued based on issuers value. Consequently, the provision for depreciation on these investments is at ₹ 3.08 Crs.

**(vi)** Inter Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

**(vii) Previous year figures**

Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

## 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
## STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 |
|---|---|---|---|
| | **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:** | | |
| | वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc. | **17120 68 80** | 15268 35 21 |
| | अन्य आय/Other Income | **1174 35 71** | 1075 87 97 |
| | **घटाएं/Less:** | | |
| | वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc. | **11347 95 99** | 9886 78 25 |
| | परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies | **5067 73 64** | 4729 53 80 |
| | आय पर कर/Taxes on income | **-441 01 70** | 113 93 15 |
| | **जोड़ें/Add:** | | |
| | मूल्यह्रास/Depreciation charged during the year | **100 65 93** | 66 03 94 |
| I. | **परिचालनों से अर्जित नकदी लाभ** (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) **CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS (Prior to changes in operating Assets & Liabilities)** | **2421 02 51** | 1680 01 92 |
| II. | **परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES** | | |
| | **देयताओं में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Liabilities:** | | |
| | ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमाराशियाँ/Deposits from Customer & Banks | **27414 83 00** | 22344 97 59 |
| | बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ/Borrowings from Banks & Other Institutions | **1223 88 91** | 1062 26 31 |
| | अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for exp. made in the earlier years) | **1309 35 04** | 512 40 55 |
| | **आस्तियों में कमी/(वृद्धि)/Decrease/(Increase) in Assets** | | |
| | अग्रिम/Advances | **-23948 84 07** | -16838 25 72 |
| | निवेश/Investments | **-4832 59 72** | -5747 44 52 |
| | अन्य आस्तियां/Other Assets | **-1090 47 34** | -766 09 77 |
| | | **76 15 82** | 567 84 44 |
| क. A. | **परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (I+II) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)** | **2497 18 33** | 2247 86 36 |
| | **निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES** | | |
| | अचल आस्तियों पर/On Fixed Assets | **-209 84 90** | -105 33 57 |
| | प्रक्रियाधीन कार्य पर/On Work in Progress | **-2 83 66** | -8 05 08 |
| ख. B. | **निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES** | **-212 68 56** | -113 38 65 |
| | **वित्तीयन कार्यकलापों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES** | | |
| | पूंजी जारी करना/Issue of Capital | **0** | 327 20 28 |
| | प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid | **-265 84 86** | -246 52 74 |
| | गौण ऋण (टियर I और टियर II की पूँजी)/Subordinated Debts (Tier I and Tier II Capital) | **1000 00 00** | 0 |
| | टियर I और टियर II की पूंजी पर ब्याज/Interest on Tier I and Tier II Capital | **-318 67 12** | -296 53 48 |
| ग. C. | **वित्तीयन कार्यकलापों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES** | **415 48 02** | -215 85 94 |
| | **वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)/ TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)** नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow | **2699 97 79** | 1918 61 77 |

# 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
# STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 | | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| I. वर्ष के प्रारंभ में शेष **Balances at the beginning of the Year** | | | | |
| भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेषराशि Cash & Balances with the R.B.I. | **8808 62 77** | | 10443 11 63 | |
| बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call | **5075 64 06** | **13884 26 83** | 1522 53 43 | 11965 65 06 |
| II. वर्ष के अंत में शेष **Balances at the end of the Year** | | | | |
| भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेषराशि Cash & Balances with the R.B.I. | **8095 31 40** | | 8808 62 77 | |
| बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call | **8488 93 22** | **16584 24 62** | 5075 64 06 | 13884 26 83 |
| III. वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR** | | **2699 97 79** | | 1918 61 77 |
| **नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase / (Decrease) in Cash Flow** | | | | |

**आई पी नागराज राव/I P NAGARAJA RAO**
उप महा प्रबंधक/DY. GENERAL MANAGER

**एम आंजनेय प्रसाद/M ANJANEYA PRASAD**
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

**रवि चटर्जी/RAVI CHATTERJEE**
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

**म गि संघवी/M G SANGHVI**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

## लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/Auditors' Certificate

हम, सिंडिकेटबैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31-03-2013 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे में प्रस्तुत हमारी तद्दिनांकित रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2013. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchanges and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report.

**कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
For **Thakur Vaidyanath Aiyar & Co**
*Chartered Accountants*

**(के एन गुप्ता/K N Gupta)**
*साझेदार/Partner*
सदस्यता सं./Membership No. 009169
एफ आर एन/FRN : 000038एन/N

**कृते चंडोक एंड गुलियानी**
*सनदी लेखाकार*
For **Chandiok & Guliani**
*Chartered Accountants*

**(वी के लल्ला/V K Lalla)**
*साझेदार/Partner*
सदस्यता सं./Membership No. 080847
एफ आर एन/FRN : 001199एन/N

**कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
For **J N Sharma & Co**
*Chartered Accountants*

**(कुणाल शर्मा/Kunal Sharma)**
*साझेदार/Partner*
सदस्यता सं./Membership No. 405919
एफ आर एन/FRN : 000833सी/C

**कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
For **Ramanlal G Shah & Co**
*Chartered Accountants*

**(विवेक एस शाह/Vivek S Shah)**
*साझेदार/Partner*
सदस्यता सं./Membership No. 112269
एफ आर एन/FRN : 108517डब्ल्यू/W

**कृते शंभु एन डे एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
For **Sambhu N De & Co**
*Chartered Accountants*

**(एस एन मित्रा/S N Mittra)**
*साझेदार/Partner*
सदस्यता सं./Membership No. 011678
एफ आर एन/FRN : 307055ई/E

**कृते के एन गोयल एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
For **K N Goyal & Co**
*Chartered Accountants*

**(के एन गोयल/K N Goyal)**
*साझेदार/Partner*
सदस्यता सं./Membership No. 011939
एफ आर एन/FRN : 001084एन/N

स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore
दिनांक/Date : 02.05.2013

# समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सिंडिकेट बैंक का निदेशक मंडल

**वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट**

1. हमनें 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार सिंडिकेट बैंक के समेकित संलग्न वित्तीय विवरण तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च 2013 की स्थिति में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी उपलब्धता विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का लेखा-परीक्षण किया। इन वित्तीय विवरणियों के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाओं तथा 41 क्षेत्रीय कार्यालयों के विवरण शामिल हैं, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1258 शाखाओं की रिपोर्ट हैं तथा विदेशी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित एक विदेशी शाखा की रिपोर्ट भी शामिल है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षण की जानेवाली शाखाएँ तथा अन्य लेखा परीक्षकों का चयन, बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निदेशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ व हानि विवरण में वैसी 1,620 शाखाओं के विवरण शामिल हैं जिनका लेखा परीक्षण अभी नहीं किया गया है। इन लेखा-अपरीक्षित शाखाओं के लेखा में 9.49 प्रतिशत अग्रिम, 24.37 प्रतिशत जमाराशियाँ, 8.08 प्रतिशत ब्याजी आय तथा 23.96 प्रतिशत ब्याजी व्यय शामिल हैं।

2. हमने, सिंडिकेट बैंक, इसकी सहायक कंपनी, संगठनों (समूह) के दि. 31 मार्च 2013 की स्थिति में संलग्न तुलन पत्र की भी जाँच की तथा उसके साथ संलग्न वर्ष समाप्ति पर समेकित लाभ व हानि लेखा, एवं समेकित नकदी उपलब्धता विवरण की भी जाँच की जिसमें निम्न भी शामिल हैं :
   i. लेखा - परीक्षित लेखा एक (1) सहायक कंपनी
   ii. 5 एसोसिएटों का गैर लेखा-परीक्षित लेखा

3. हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया जिनकी कुल आस्तियाँ 31.03.2013 की स्थिति में ₹ 5.60 करोड़, कुल राजस्व ₹ 3.34 करोड़ हैं। इन वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय सूचनाओं का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है तथा उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं तथा हमारी राय में, उनसे संबंधित रकम तथा अन्य मदें उन लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

# INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To

The Board of Directors
SyndicateBank

**Report on the Financial Statements**

1. We have audited the accompanying financial statements of SyndicateBank as at 31st March 2013, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2013, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the Year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and 41 Regional Offices audited by us, 1258 branches audited by branch auditors and 1 foreign branch audited by overseas auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the statement of Profit and Loss are the returns from 1,620 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.49 percent of advances, 24.37 percent of deposits, 8.08 percent of interest income and 23.96 percent of interest expenses.

2. We have also examined the attached Consolidated Balance Sheet of SyndicateBank, its Subsidiaries, Associates (the Group) as at 31st March 2013, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the Year ended on that date annexed thereto, in which are incorporated:
   i. Audited Accounts of one (1) Subsidiary.
   ii. Unaudited Accounts of five (5) Associates.

3. We did not audit the financial statements of one subsidiary whose financial statements reflect total assets of ₹ 5.60 crore as at 31st March 2013, total revenues of ₹ 3.34 crore for the year then ended. These financial statements and other financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of other entities, are based solely on the report of the other auditors.

4. हमनें उन 5 संगठनों के गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों को भी विश्वास में लिया है जिनकी वित्तीय विवरणी, 31 मार्च 2013 की स्थिति में कुल आस्तियाँ ₹ 34541 करोड़ तथा कुल राजस्व ₹ 3261 करोड़ दर्शाती हैं।

5. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि प्रबंधन समूह ने जो वित्तीय विवरण तैयार किया है वह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी, लेखा मानक (ए एस) 12 ''समेकित वित्तीय विवरण'', लेखा मानक (ए एस) 23 '' भारतीय सनदी लेखा कारों के संस्थान द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण संबंधी संगठनों में निवेश हेतु लेखा'', की आवश्यकताओं पर आधारित है।

6. समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्रबंधन समूह की है तथा प्रबंधन ने, पृथक वित्तीय विवरणों तथा समूह के विभिन्न अवयवों की अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर यह विवरण तैयार किया है। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा कर गई लेखा-परीक्षा पर दी गई राय के संबंध में है।

**वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व**

7. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व के अंतर्गत, वित्तीय विवरण की तैयारी से संबंधित उसकी संरचना, कार्यान्वयन, तथा आंतरिक नियंत्रण कायम रखना शामिल है जो कि इस बात से परे है कि यदि गलत विवरण तैयार हुआ है तो उसका ब्दर कारण जालसाजी या भूल, हो सकता है।

**लेखा परीक्षकों का दायित्व**

8. हमारा दायित्व है कि अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करना। हमने, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानक के अनुसार लेखा-परीक्षण किया है। उस मानदंड के अनुसार हम आवश्यक योजना बनाते हैं तथा लेखा परीक्षण करते समय पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करते हैं कि संबंधित वित्तीय विवरण गलत विवरणों के आधार पर तैयार नहीं किया गया है।

9. लेखा परीक्षण के अतंर्गत रकम तथा वित्तीय विवरणों के स्पष्टीकरण से संबंधित लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें यह भी शामिल है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय गलत तरीके से विवरण प्रस्तुत तो नहीं किया गया है जो भले ही धोखाधड़ीवश हो या भूलवश, और इन बातों से संबंधित जोखिमों का भी निर्धारण करना पड़ता है। इस प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक, बैंक से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तथा वित्तीय विवरणों को सही ढंग से प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हैं

4. We have also relied on the un-audited financial statements of the five associates whose financial statements reflect total assets of ₹ 34,541 Crore as at 31st March 2013, total revenues of ₹ 3,261 Crore.

5. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the management of the Group in accordance with the requirement of the Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard (AS) 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

6. These Consolidated financial statements are the responsibility of the management of the Group and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information of the different components in the Group. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

**Management's Responsibility for the Financial Statements**

7. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditors' Responsibility**

8. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

9. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to

ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित ढंग से लेखा परीक्षण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सके। अपनाई गई नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलनों की उपयुक्तता और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी लेखा परीक्षण में शामिल है।

10. हम विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखा परीक्षण साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वे हमारे लेखा परीक्षण राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

**विषयवस्तु का महत्व**

11. हम अपनी राय देने से पूर्व निम्नलिखित मदों पर ध्यानाकर्षण चाहेंगे :

क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को पेंशन देने हेतु पुनः विकल्प देने तथा ग्रेच्युटी (उपदान) सीमा बढ़ाने के संबंध (प्रुडेंशियल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट) में "कर्मचारी लाभ" पर लेखा मानदंड 15 के प्रावधानों को लागू करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं. डी बी ओ डी. बी पी. बी सी/80/21.04.018/2010-11 के तहत प्राप्त छूट के अनुसरण में पेंशन तथा बैंक के ग्रेच्युइटी देयता को अनुसूची 18 स्थित नोट सं. 5 (ii) के अनुसार स्थगित किया गया है जो ₹ 290.76 करोड़ है।

ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जेबी के अनुसरण में पूर्व के वर्षों के लेखा में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) संबंधी अनुसूची 18 के नोट सं. 7 के तहत ₹ 573.59 करोड़ जमा है जिसे भविष्य में बैंक की लाभप्रदता तथा कर योग्य स्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है।

**राय**

12. हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की लेखा बहियों में दर्शाए गए अनुसार:

i) सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र पूर्ण और सही है तथा उसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है एवं उसे इस प्रकार उचित तरीके से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।

ii) सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकार नीतियों और उनकी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा उस लेखे से संबंधित लाभ को लेखाकरण वर्ष का सही शेष दर्शाता है।

iii) नकदी प्रवाह विवरण अपनी वर्ष समाप्ति की तिथि की स्थिति में सत्य एवं उचित विवरण दर्शाता है।

design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

10. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Emphasis of Matter**

11. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

a. Note No. 5 (ii) in Schedule 18 regarding deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹ 290.76 crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India from application of the provisions of Accounting Standard 15 on "Employee Benefits" vide its Circular No. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.

b. Note No. 7 in Schedule 18 regarding recognition of Minimum Alternate Tax (MAT) credit of ₹ 573.59 crore of earlier years in these accounts in accordance with Sec 115JB of Income Tax Act, 1961 considering utilization of the credit as per future profitability and taxable position of the Bank.

**Opinion**

12. In our opinion, as shown by books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2013 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

**अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट :**

13. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म क्रमश: ''ए'' और ''बी'' में तैयार किए गए हैं।

14. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 में उपदर्शित लेखा-परीक्षा की मर्यादा के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्याधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

    क) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है।

    ख) बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही है।

    ग) बैंक की शाखाओं और उसके कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

15. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकदी उपलब्धता विवरण लागू लेखा मानदंडों के अनुरूप हैं।

| | | |
|---|---|---|
| **कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी**<br>*सनदी लेखाकार* | **कृते चंडोक एंड गुलियानी**<br>*सनदी लेखाकार* | **कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी**<br>*सनदी लेखाकार* |
| **के एन गुप्ता**<br>*साझेदार*<br>सदस्यता सं.: 009169<br>पं.सं: 000038एन | **वी के लल्ला**<br>*साझेदार*<br>सदस्यता सं.: 080847<br>पं.सं: 001199एन | **कुणाल शर्मा**<br>*साझेदार*<br>सदस्यता सं.: 405919<br>पं.सं: 000833सी |
| **कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी**<br>*सनदी लेखाकार* | **कृते शंभु एन डे एंड कंपनी**<br>*सनदी लेखाकार* | **कृते के एन गोयल एंड कंपनी**<br>*सनदी लेखाकार* |
| **विवेक एस शाह**<br>*साझेदार*<br>सदस्यता सं.: 112269<br>पं.सं: 108517डब्ल्यू | **एस एन मित्रा**<br>*साझेदार*<br>सदस्यता सं.: 011678<br>पं.सं: 307055ई | **के एन गोयल**<br>*साझेदार*<br>सदस्यता सं.: 011939<br>पं.सं: 001084एन |

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 02.05.2013

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements:**

13. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

14. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

    b. The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

    c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

15. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

| | | |
|---|---|---|
| For **Thakur Vaidyanath Aiyar & Co**<br>*Chartered Accountants* | For **Chandiok & Guliani**<br>*Chartered Accountants* | For **J N Sharma & Co**<br>*Chartered Accountants* |
| **K N Gupta**<br>*Partner*<br>Membership No. 009169<br>FRN : 000038N | **V K Lalla**<br>*Partner*<br>Membership No. 080847<br>FRN : 001199N | **Kunal Sharma**<br>*Partner*<br>Membership No. 405919<br>FRN : 000833C |
| For **Ramanlal G Shah & Co**<br>*Chartered Accountants* | For **Sambhu N De & Co**<br>*Chartered Accountants* | For **K N Goyal & Co**<br>*Chartered Accountants* |
| **Vivek S Shah**<br>*Partner*<br>Membership No. 112269<br>FRN : 108517W | **S N Mittra**<br>*Partner*<br>Membership No. 011678<br>FRN : 307055E | **K N Goyal**<br>*Partner*<br>Membership No. 011939<br>FRN : 001084N |

Place : Bangalore
Date : 02.05.2013

## तुलन-पत्र BALANCE SHEET

# 31 मार्च, 2013 का समेकित तुलन-पत्र
# CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2013

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| पूंजी एवं देयताएँ CAPITAL & LIABILITIES | अनुसूची सं. Schedule No. | **As at दि. 31.03.2013 को** | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| **पूंजी/Capital** | 1 | **601 95 00** | 601 95 00 |
| आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus | 2 | **11265 18 35** | 8443 03 36 |
| जमाराशियाँ/Deposits | 3 | **185350 80 84** | 157936 99 16 |
| उधार/Borrowings | 4 | **12813 79 54** | 10589 90 63 |
| अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions | 5 | **6411 05 81** | 4895 86 93 |
| **योग/TOTAL** | | **216442 79 54** | 182467 75 08 |
| **आस्तियाँ/ASSETS** | | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India | 6 | **8095 31 40** | 8808 62 77 |
| बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 7 | **8488 93 22** | 5075 64 06 |
| निवेश/Investments | 8 | **46968 08 03** | 40814 81 08 |
| अग्रिम/Advances | 9 | **147569 01 81** | 123620 17 74 |
| अचल आस्तियाँ/Fixed Assets | 10 | **1433 98 94** | 1351 61 02 |
| अन्य आस्तियाँ/Other Assets | 11 | **3887 46 14** | 2796 88 41 |
| **योग/TOTAL** | | **216442 79 54** | 182467 75 08 |
| आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities | 12 | **82345 28 08** | 55595 14 94 |
| वसूली के लिए बिल/Bills for Collection | | **3416 81 59** | 3126 91 72 |
| महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies | 17 | | |
| लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts | 18 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **एम आंजनेय प्रसाद** *कार्यपालक निदेशक* | **रवि चटर्जी** *कार्यपालक निदेशक* | **म गि संघवी** *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक* |
| **एच प्रदीप राव** *निदेशक* | **ए एस राव** *निदेशक* | **नरेंद्र एल दवे** *निदेशक* |
| **दिनकर एस पूंजा** *निदेशक* | **डी के सक्सेना** *निदेशक* | **जे आर श्रीमाली** *निदेशक* |
| **रमेश एल अडिगे** *निदेशक* | **सी आर नसीर अहमद** *निदेशक* | **आनंद के पंडित** *निदेशक* |
| **जसलीन सूरी** *निदेशक* | **आई पी नागराज राव** *उप महा प्रबंधक* | **आर रामलिंगम** *मुख्य प्रबंधक* |

| | | |
|---|---|---|
| **M Anjaneya Prasad** *Executive Director* | **Ravi Chatterjee** *Executive Director* | **M G Sanghvi** *Chairman & Managing Director* |
| **H Pradeep Rao** *Director* | **A S Rao** *Director* | **Narendra L Dave** *Director* |
| **Dinkar S Punja** *Director* | **D K Saxena** *Director* | **J R Shrimali** *Director* |
| **Ramesh L Adige** *Director* | **C R Naseer Ahamed** *Director* | **Anand K Pandit** *Director* |
| **Jasleenn Suri** *Director* | **I P Nagaraja Rao** *Dy. General Manager* | **R Ramalingam** *Chief Manager* |

स्थान : बेंगलूर
तारीख : 02.05.2013

Place : Bangalore
Date : 02.05.2013

## लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT

# 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
# CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | | अनुसूची सं. Schedule No. | Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2013 को | Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|---|
| I. | **आय/INCOME** | | | |
| | अर्जित ब्याज/Interest Earned | 13 | **17120 68 80** | 15268 35 21 |
| | अन्य आय/Other Income | 14 | **1174 40 53** | 1075 96 52 |
| | **योग/TOTAL** | | **18295 09 33** | 16344 31 73 |
| II. | **व्यय/EXPENDITURE** | | | |
| | व्ययगत ब्याज/Interest Expended | 15 | **11666 23 20** | 10183 02 83 |
| | परिचालन व्यय/Operating Expenses | 16 | **3177 36 95** | 2813 08 18 |
| | प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies | | **1445 78 06** | 2033 83 96 |
| | **योग/TOTAL** | | **16289 38 21** | 15029 94 97 |
| III. | **लाभ/हानि/PROFIT / LOSS** | | | |
| | वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the year | | **2005 71 12** | 1314 36 76 |
| | आगे लाया गया लाभ/(हानि) / Profit / (Loss) brought forward | | **0** | 0 |
| | अनुषंगी उद्यमों के अपनी का शयर/Share of earnings in Associates | 19 | **200 68 48** | 0 |
| | **योग/TOTAL** | | **2206 39 60** | 1314 36 76 |
| IV. | **विनियोजन/APPROPRIATIONS** | | | |
| A | सांविधिक आरक्षित निधि/Staturory Reserve | | **501 10 55** | 328 34 86 |
| B | राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserve | | **813 14 96** | 519 88 68 |
| C | आरक्षित पूंजी/Capital Reserve | | **2 40 67** | 3 28 37 |
| D | समेकित पर आरक्षित निधि/ Capital Reserve on Consolidation | | **200 68 48** | 0 |
| E | सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve | | **0** | 0 |
| F | निवेश आरक्षित निधि खाता/Investment Reserve Account | | **12 20 10** | 0 |
| G | आयकर अधिनियम 1961 धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि/Special Reserves u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act 1961 | | **205 00 00** | 197 00 00 |
| H | प्रस्तावित अंतिम लाभांश (सी वाई 67%; पी वाई 38%)/Proposed Final Dividend (CY 67%; PY 38%) | | **403 30 65** | 228 74 10 |
| I | लाभांश पर कर/Tax on Dividend | | **68 54 19** | 37 10 75 |
| J | तुलन-पत्र को अग्रेनीत शेष राशि/Balance carried over to the Balance Sheet | | **0** | 0 |
| | **योग/TOTAL** | | **2206 39 60** | 1314 36 76 |
| | प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्यवाले)/ Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10 each) | | **36.65** | 22.91 |
| | महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies | 17 | | |
| | लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts | 18 | | |

**कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
**(के एन गुप्ता)**
*साझेदार*
सदस्यता सं.: 009169
एफ आर एन: 000038एन

**कृते चंडोक एंड गुलियानी**
*सनदी लेखाकार*
**(वी के लल्ला)**
*साझेदार*
सदस्यता सं.: 080847
एफ आर एन: 001199एन

**कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
**(कुणाल शर्मा)**
*साझेदार*
सदस्यता सं.: 4059919
एफ आर एन: 000833सी

For **Thakur Vaidyanath Aiyar & Co**
*Chartered Accountants*
**(K N Gupta)**
*Partner*
Membership No. 009169
FRN : 000038N

For **Chandiok & Guliani**
*Chartered Accountants*
**(V K Lalla)**
*Partner*
Membership No. 080847
FRN : 001199N

For **J N Sharma & Co**
*Chartered Accountants*
**(Kunal Sharma)**
*Partner*
Membership No. 405919
FRN : 000833C

**कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
**(विवेक एस शाह)**
*साझेदार*
सदस्यता सं.: 112269
एफ आर एन: 108517डब्ल्यू

**कृते शंभु एन डे एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
**(एस एन मित्रा)**
*साझेदार*
सदस्यता सं.: 011678
एफ आर एन: 307055ई

**कृते के एन गोयल एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
**(के एन गोयल)**
*साझेदार*
सदस्यता सं.: 011939
एफ आर एन: 001084एन

For **Ramanlal G Shah & Co**
*Chartered Accountants*
**(Vivek S Shah)**
*Partner*
Membership No. 112269
FRN : 108517W

For **Sambhu N De & Co**
*Chartered Accountants*
**(S N Mittra)**
*Partner*
Membership No. 011678
FRN : 307055E

For **K N Goyal & Co**
*Chartered Accountants*
**(K N Goyal)**
*Partner*
Membership No. 011939
FRN : 001084N

## अनुसूचियाँ SCHEDULES

### अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE-1 : CAPITAL

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each | 3000 00 00 | 3000 00 00 |
| I. निर्गत, अभिदत्त मांगी गई और प्रदत्त पूँजी ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED & PAID UP CAPITAL | | |
| अथशेष/Opening Balance | 601 95 00 | 573 28 57 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | 0 | 28 66 43 |
| | 601 95 00 | 601 95 00 |
| a) केंद्रीय सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 39,82,85,671 (पिछले वर्ष 39,82,85,671) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 39,82,85,671 (Previous Year 39,82,85,671) Equity Shares of ₹ 10/- each. | 398 28 57 | 398 28 57 |
| b) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/ Held by Public and Others 20,36,64,284 (पिछले वर्ष 20,36,64,284) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/20,36,64,284 (Previous Year 20,36,64,284) Equity Shares of ₹ 10/- each. | 203 66 43 | 203 66 43 |
| II. बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.) Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS) | 0 | 0 |
| योग/TOTAL | 601 95 00 | 601 95 00 |

### अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

| | | As at दि. 31.03.2013 को | | As at दि. 31.03.2012 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | **सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | 2073 31 55 | | 1744 96 69 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | 501 10 55 | 2574 42 10 | 328 34 86 | 2073 31 55 |
| II. | **आरक्षित पूंजी/Capital Reserve** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | 136 07 91 | | 132 79 54 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | 2 40 67 | 138 48 58 | 3 28 37 | 136 07 91 |
| III. | **समेकित पर आरक्षित पूँजी/Capital Reserve on consolidation (अनुसूची 18 को नोट सं 4 (b) का संदर्भ लें)**/*[Refer note no 4 (b) of Schedule 18]* | | | | |
| | **31 मार्च** 2012 **तक**/Upto 31st March 2012 | 1119 98 75 | | 0 | |
| | **वर्ष के दौरान परिवर्धन**/Additions during the year | 200 68 48 | 1320 67 23 | 0 | 0 |
| IV. | **शेयर प्रीमियम/Share Premium** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | 1080 22 11 | | 781 68 26 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | 0 | 1080 22 11 | 298 53 85 | 1080 22 11 |
| V. | **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | 1005 41 15 | | 393 89 65 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | 1 31 77 | | 644 07 28 | |
| | | 1006 72 92 | | 1037 96 93 | |
| | वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year | 30 97 56 | 975 75 36 | 32 55 78 | 1005 41 15 |
| VI. | **सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | 581 16 40 | | 581 16 40 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | 0 | 581 16 40 | 0 | 581 16 40 |
| VII. | **निवेश आरक्षित निधि खाता/Investment Reserve Account** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | 0 | | 0 | |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year | 12 20 10 | 12 20 10 | 0 | 0 |
| VIII. | **राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and other Reserves** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | 3015 63 03 | | 2495 74 46 | |
| | जोडें : लाभ व हानि लेखे से शेष का अंतरण Add: Transfer of Balance from Profit and Loss Account | 813 14 96 | | 519 88 69 | |
| | घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती/Less: Transfers during the year | 1 | 3828 77 98 | 12 | 3015 63 03 |
| IX. | **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | 4 21 21 | | 16 14 | |
| | जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year | -2 72 72 | 1 48 49 | 4 05 07 | 4 21 21 |
| X. | **आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट प्रारक्षित निधि/Special Reserve u/s 36 (1)(viii) of the Income Tax Act 1961** | | | | |
| | अथशेष/Opening Balance | 547 00 00 | | 350 00 00 | |
| | जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year | 205 00 00 | 752 00 00 | 197 00 00 | 547 00 00 |
| XI. | **लाभ-हानि लेखे में शेष/Balance in Profit and Loss Account** | | 0 | | 0 |
| | **योग/TOTAL** | | 11265 18 35 | | 8443 03 36 |

## अनुसूचियाँ SCHEDULES

### अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| क./A.I. **मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits** | | |
| i) बैंकों से/ From Banks | **65 84 68** | 53 90 54 |
| ii) अन्यों से/ From Others | **13870 50 43** | 12167 41 23 |
| II. **बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits** | **38017 47 32** | 34295 91 35 |
| III. **सावधि जमाराशियाँ/ Term Deposits** | | |
| i) बैंकों से/From Banks | **23830 14 06** | 16665 38 99 |
| ii) अन्यों से/ From Others | **109566 84 35** | 94754 37 05 |
| **योग (क)/TOTAL A (I+II+III)** | **185350 80 84** | 157936 99 16 |
| ख./B. i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India | **167049 52 01** | 147703 41 96 |
| ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India | **18301 28 83** | 10233 57 20 |
| **योग (क + ख)/TOTAL (A + B)** | **185350 80 84** | 157936 99 16 |

### अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. **भारत में उधार/Borrowings in India** | | |
| a. भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India | **0** | 0 |
| b. अन्य बैंक/Other Banks | **817 61 03** | 771 82 05 |
| c. अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies | **1721 32 87** | 2520 27 73 |
| d. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आइ.पी.डी.आइ.) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) | **773 00 00** | 773 00 00 |
| e. बंधपत्र/डिबेंचरों के रूप में जारी किए गए सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत Hybrid debt capital instruments issued as bonds /debentures | **0** | 0 |
| f. बेमायादी संचयी अधिमान्य शेयर (पी.सी.पी.एस.) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) | **0** | 0 |
| g. प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) | **0** | 0 |
| h. प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आर.सी.पी.एस.) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS) | **0** | 0 |
| i. गौण ऋण/Subordinated Debt | **3744 70 00** | 2744 70 00 |
| **योग/TOTAL** | **7056 63 90** | 6809 79 78 |
| II. **भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India** | **5757 15 64** | 3780 10 85 |
| **योग/TOTAL (I + II)** | **12813 79 54** | 10589 90 63 |

### अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
### SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. देय बिल/Bills Payable | **819 05 98** | **547 30 70** |
| II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net) | **14 32 76** | **52 36 16** |
| III. उपचित ब्याज/Interest Accrued | **779 54 68** | **993 87 00** |
| IV. मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets | **807 30 60** | **683 24 89** |
| V. अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions) | **3990 81 79** | **2619 08 18** |
| **योग/TOTAL** | **6411 05 81** | **4895 86 93** |

## अनुसूचियाँ SCHEDULES

### अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
### SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes) | **385 42 75** | 302 75 47 |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India | | |
| चालू खाते में/In Current Account | **7709 88 65** | 8505 87 30 |
| अन्य खातों में/In Other Accounts | **0** | 0 |
| **योग/TOTAL** | **8095 31 40** | 8808 62 77 |

### अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
### SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. **भारत में/In India** | | |
| i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks | | |
| क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts | **69 45 99** | 58 19 99 |
| ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts | **2643 02 20** | 2439 28 25 |
| ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice | | |
| क)/a) बैंकों के पास/with banks | **5400 00 00** | 1500 00 00 |
| ख)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with other institutions | **0** | 0 |
| **योग/Total** | **8112 48 19** | 3997 48 24 |
| II. **भारत के बाहर/Outside India** | | |
| क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts | **7 31 23** | 162 40 82 |
| ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts | **369 13 80** | 915 75 00 |
| ग)/c) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice | **0** | 0 |
| **योग/Total** | **376 45 03** | 1078 15 82 |
| **योग/TOTAL** | **8488 93 22** | 5075 64 06 |

### अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. **भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)** | **46894 63 57** | 40641 21 32 |
| घटाएं: मूल्यहास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI | **42 92 28** | 42 30 48 |
| **योग/Total** | **4685171 29** | 40598 90 84 |
| सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities | **40166 18 56** | 36500 52 43 |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities | **18 96 01** | 25 71 35 |
| शेयर/Shares | **323 55 93** | 303 33 02 |
| डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds | **1901 84 11** | 1802 46 52 |
| अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and/or Associates | **1354 02 06** | 33 34 83 |
| **(अनुसूची** 18 **का नोट सं** 4 (b) **का संदर्भ लें)**/*[Refer note no 4 (b) of Schedule 18]* | | |
| अन्य/Others | **3087 14 62** | 1933 52 69 |
| **योग/ TOTAL** | **46851 71 29** | 40598 90 84 |
| II. **भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments outside India (Gross)** | **119 45 09** | 244 08 86 |
| घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation | **3 08 35** | 28 18 62 |
| शुद्ध निवेश/Net Investments | **116 36 74** | 215 90 24 |
| **योग/TOTAL** | **46968 08 03** | 40814 81 08 |

## अनुसूचियाँ SCHEDULES

### अनुसूची – 9: अग्रिम/SCHEDULE – 9: ADVANCES

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| क./A. i) खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted | **1270 53 48** | 1285 99 09 |
| ii) ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Loans, Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand | **29555 58 74** | 23522 90 17 |
| iii) मीयादी ऋण/Term Loans | **116742 89 59** | 98811 28 48 |
| **योग/Total** | **147569 01 81** | 123620 17 74 |
| ख./B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/Secured by tangible assets | **101363 49 80** | 83118 04 34 |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees | **21448 54 72** | 13119 19 11 |
| iii) अरक्षित/Unsecured | **24756 97 29** | 27382 94 29 |
| **योग/Total** | **147569 01 81** | 123620 17 74 |
| ग./C. I) **भारत में अग्रिम/Advances in India** | | |
| i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector | **39303 95 17** | 36421 10 86 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector | **10137 64 25** | 9709 32 92 |
| iii) बैंक/Banks | **4223 32 85** | 3105 87 55 |
| iv) अन्य/Others | **68804 46 97** | 59750 86 99 |
| **योग/Total** | **122469 39 24** | 108987 18 32 |
| II) **भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside India** | | |
| i) बैंकों से देय/Due from Banks | **17130 38 42** | 8355 27 96 |
| ii) अन्यों से देय/Due from others | | |
| क)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/ Bills Purchased and Discounted | **223 27 09** | 161 31 88 |
| ख)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans | **6032 56 38** | 4919 32 94 |
| ग)/c) अन्य/Others | **1713 40 68** | 1197 06 64 |
| **योग/Total** | **25099 62 57** | 14632 99 42 |
| **योग ग (I + II)/TOTAL C (I + II)** | **147569 01 81** | 123620 17 74 |

### अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. **परिसर/Premises** | | |
| पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर/At cost/revaluation as on 31st March of preceding year | **1206 16 26** | 557 89 69 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन ₹ 1.32 करोड़ के पुनर्मूल्यन (पिछले वर्ष ₹ 6.44 करोड़) के सहित Add: Additions during the year including Revaluation of ₹ 1.32 Crores (Previous Year ₹ 644.07 Crores) | **14 48 27** | 648 71 94 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year | **5 01 77** | 45 37 |
| | **1215 62 76** | 1206 16 26 |
| घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date | **143 15 41** | 111 41 62 |
| **योग/Total** | **1072 47 35** | 1094 74 64 |
| II. **प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress** | **26 57 83** | 23 74 17 |
| III. **अन्य अचल आस्तियाँ/Other Fixed Assets** | | |
| पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/ At cost as on 31st March of preceding year | **869 27 37** | 790 00 55 |
| जोडिए: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year | **204 66 98** | 107 21 53 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year | **34 09 92** | 27 94 71 |
| | **1039 84 43** | 869 27 37 |
| घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date | **704 90 67** | 636 15 16 |
| **योग/Total** | **334 93 76** | 233 12 21 |
| **योग/TOTAL (I+II+III)** | **1433 98 94** | 1351 61 02 |

## अनुसूचियाँ SCHEDULES

## अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| I. | अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net) | **0** | 0 |
| II. | उपचित ब्याज/Interest accrued | **1040 31 24** | 878 89 24 |
| III. | अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions) | **702 44 41** | 1300 43 62 |
| IV. | लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps | **10 71 16** | 13 46 07 |
| V. | दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यहास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation) | **3 51** | 3 65 |
| VI. | अन्य/Others | **2133 95 82** | 604 05 83 |
| | **योग/TOTAL** | **3887 46 14** | 2796 88 41 |

## अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

| | | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| I. | बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the bank not acknowledged as debts | **94 78 42** | 87 49 75 |
| II. | अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/venture fund | **58 13 63** | 58 38 16 |
| III. | बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts | **56952 50 04** | 37059 42 45 |
| IV. | ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantee given on behalf of constituents | | |
| | क)/a) भारत में/In India | **9817 94 28** | 8360 97 56 |
| | ख)/b) भारत के बाहर/Outside India | **26 54** | 83 22 |
| V. | प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations | **4252 32 80** | 3406 94 75 |
| VI. | अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which bank is contingently liable | | |
| | i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रा-वधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts not provided for | **9 26 56** | 22 78 10 |
| | ii) अन्य/Others | **11160 05 81** | 6598 30 95 |
| | **योग/TOTAL** | **82345 28 08** | 55595 14 94 |

## अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

| | | Year ended दि. 31.03.2013 को | Year ended दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| I. | अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills | **13524 47 26** | 12371 28 20 |
| II. | निवेशों पर आय/Income on investments | **3231 15 12** | 2735 99 77 |
| III. | भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds | **287 02 31** | 150 71 56 |
| IV. | अन्य/Others | **78 04 11** | 10 35 68 |
| | **योग/TOTAL** | **17120 68 80** | 15268 35 21 |

## अनुसूचियाँ SCHEDULES

### अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | | Year ended दि. 31.03.2013 को | Year ended दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| I. | कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage | **546 38 79** | 551 39 70 |
| II. | विनिधानों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of investments | **125 18 41** | 88 77 60 |
| | घटाएं: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of investments | **0** | 0 |
| III. | जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of land, buildings & other assets | **77 26** | 52 84 |
| | घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of land, buildings & other assets | **- 77 36** | - 71 49 |
| IV. | विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions | **81 47 18** | 191 50 33 |
| | घटाएँ: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/ Less: Loss on Exchange Transactions | **- 2 99** | -74 94 71 |
| V. | लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of dividend | **5 88 48** | 6 03 82 |
| VI. | विविध आय/Miscellaneous Income | **415 50 76** | 313 38 43 |
| | **योग/TOTAL** | **1174 40 53** | 1075 96 52 |

### अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

| | | Year ended दि. 31.03.2013 को | Year ended दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| I. | जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits | **10752 94 86** | 9325 97 28 |
| II. | भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings | **76 08 79** | 80 18 88 |
| III. | अन्य/Others | **837 19 55** | 776 86 67 |
| | **योग/TOTAL** | **11666 23 20** | 10183 02 83 |

### अनुसूची – 16: परिचालन व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

| | | Year ended दि. 31.03.2013 को | Year ended दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| I. | कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and provisions for employees | **2179 70 17** | 1891 98 52 |
| II. | किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting | **190 12 27** | 167 46 41 |
| III. | मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery | **22 44 30** | 15 58 42 |
| IV. | विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity | **19 54 18** | 14 61 89 |
| V. | बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property | **100 66 51** | 66 04 75 |
| VI. | निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses | **99 69** | 85 56 |
| VII. | लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors) | **20 07 11** | 23 62 22 |
| VIII. | विधि प्रभार/Law Charges | **6 93 61** | 6 72 98 |
| IX. | डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc. | **32 98 45** | 28 71 44 |
| X. | मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance | **74 81 31** | 94 59 09 |
| XI. | बीमा/Insurance | **138 20 42** | 125 13 85 |
| XII. | अन्य व्यय/Other Expenditure | **390 88 93** | 377 73 05 |
| | **योग/TOTAL** | **3177 36 95** | 2813 08 18 |

## अनुसूची – 17
## समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 2012-2013

**1. लेखाकरण प्रथा**

बैंक (मूल) उसकी अनुषंगियों और सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) परंपरागत आधार पर तैयार किए जाते हैं और ये अन्यथा सूचित मामलों को छोडकर सांविधिक प्रावधानों, भा.रि.बै. के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा संबंधित देशों में प्रचलित लेखाकरण मानकों और क्रियाविधियों के अनुसार हैं।

**2. समेकन प्रक्रिया**

बैंक, उसकी अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) को संबंधित वित्तीय विवरणों और इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आइ सी ए आई)/नेशनल एडवाइसरी कमिटी आन एकाउंटिंग स्टैंड्स (एन ए सी ए एस) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक (एएस-21- ''समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

बैंक और उसके अनुषंगियों के वित्तीय विवरण को अंतर समूह लेन-देनों और अप्राप्त लाभ एवं हानि को हटाकर और आस्तियों, देयों, आय एवं खर्चों की रकमों को एक साथ जोडकर एक चरणबद्ध तरीके (लाइन बै लाइन) से एकत्रित किया गया है और जहाँ भी उचित है वहाँ एक समान लेखाकरण नीतियों के अनुसार आवश्यक समायोजन किए गए हैं। अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख पर तैयार किया जाता है।

अनुषंगी संस्थाओं (पूर्ण स्वामित्व से भिन्न) में अपने निवेश के संबंध में मूल बैंक की लागत और अभिग्रहण के दिनांक के संदर्भ में ऐसी अनुषंगियों की ईक्विटी में मूल बैंक के हिस्से की पहचान साख/पूंजी आरक्षण के रूप में की जाती है। अनुषंगियों के अभिग्रहणोत्तर लाभों/हानियों में मूल बैंक के हिस्से को राजस्व आरक्षित निधियों में समायोजित किया जाता है।

समेकन के दिनांक पर सहयोगी संस्थाओं में लंबी अवधि के निवेशों का मूल्यांकन ईक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है और सहयोगी संस्थाओं की निवल आस्तियों में मूल बैंक (निवेशक) के हिस्से में अभिग्रहणोत्तर परिवर्तन के लिए आई सी ए आई द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ए एस) 23 ''सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में लेखाकरण'' के अनुसार बाद में निवेश की रखाव रकम का समायोजन किया जाता है। सहयोगी संस्थाओं के परिचालनों की प्राप्तियों में निवेशक के हिस्से को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में अलग रूप से दर्शाया जाता है।

**3. निवेश**

लागू सांविधिक/विनियामक मानकों के अनुसार निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन किए जाते हैं।

**4. अग्रिम**

4.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

## SCHEDULE – 17
## CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: 2012 - 2013

**1. ACCOUNTING CONVENTIONS**

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank(Parent), its subsidiaries and Associates are drawn up on historical cost basis and conform to the statutory provisions including the RBI guidelines and the applicable accounting standards and prevailing practices of the countries concerned, except wherever otherwise stated.

**2. CONSOLIDATION PROCEDURE**

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank, its Subsidiaries, Associates have been prepared on the basis of their respective financial statements and in accordance with Accounting Standard (AS) – 21 – "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)/National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS).

The financial statements of the bank and its subsidiaries have been aggregated on a line by line basis by adding together like sums of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group transactions and unrealized profit/loss and making necessary adjustments wherever practicable, to conform to the uniform accounting policies. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date as that of the parent.

The difference between the cost to the Parent of its investment in the subsidiary entities (other than wholly owned) and the parent's portion of the equity in such subsidiaries with reference to the date of acquisition is recognized in the financial statements as Goodwill/Capital Reserve. The parent's share of post acquisition profits / losses of the subsidiaries is adjusted in revenue reserves.

Long term investment in Associates, as on the date of consolidation, is valued under the Equity method and the carrying amount of the investment is adjusted thereafter for the post acquisition change in the parent's (Investor) share of net assets of the Associate in accordance with Accounting Standard (AS)23- "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The Investor's share of the results of operations of the Associates is reflected separately in the consolidated statement of Profit and Loss.

**3. INVESTMENT**

Investments are classified and valued as per applicable statutory / regulatory norms.

**4. ADVANCES**

4.1 Advances are classified into Performing and Non Performing Assets and provisions for loan losses on such advances are made as per prudential norms

समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक कड़ा हो, के अनुसार किया जाता है।

**5. परिसर और अन्य अचल आस्तियां**

5.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यहास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है। परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

5.2 परिसर पर मूल्यहास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

5.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान अन्यथा उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर ह्रासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है:

| क) परिसर: | दरें |
|---|---|
| i) बैंक के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए) | 5 % |
| ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय<br>– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है<br>– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है | <br>10%<br>पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित |

| ख) अन्य आस्तियाँ: | दरें |
|---|---|
| i) फर्नीचर | 10 % |
| ii) उपस्कर, टाईपराईटर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस., जनरेटर आदि | 15 % |
| iii) वाहन | 20 % |
| iv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण | 40 % |
| v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति) | 33.33% |

5.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान, पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन सॉफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यहास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है। उनका निपटान किए जाने वाले वर्ष में आस्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं किया गया है।

**6. सेवानिवृत्ति लाभ**

6.1 कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

**5. PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS**

5.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and / or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

5.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.

5.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

| (A) PREMISES: | Rates |
|---|---|
| i) Parent Company owned (freehold / leasehold) | 5 % |
| ii) Capital Expenditure on premises taken on lease<br>– where lease period is not specified<br>– where lease period is specified | <br>10 %<br>Amortised over the residual period of lease. |

| (B) OTHER ASSETS: | Rates |
|---|---|
| i) Furniture | 10 % |
| ii) Fixtures, typewriters, other equipments, UPS, generators, etc. | 15 % |
| iii) Vehicles | 20 % |
| iv) Electronic equipments | 40 % |
| v) Computers and Operating Software (Straight Line Method) | 33.33% |

5.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

**6. RETIREMENT BENEFITS**

6.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.

6.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

6.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार उपचय आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

**7. राजस्व का निर्धारण**

क) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, परिपक्व जमाराशियाँ/अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय, दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

ख) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उस से प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

ग) परिपक्व जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रावधान किया गया है ।

घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ङ) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।

च) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

**8. आय पर कर**

8.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 उपबंधों के आधार पर किया जाता है।

8.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

**9. आस्तियों की हानि**

आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन पत्र के दिनांक पर आस्तियों की रखाव की रकम का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि की पहचान उसी समय हो जाती है जब किसी आस्ति की रखाव की रकम उसकी वसूली योग्य रकम से अधिक हो जाती है।

**10. निवल लाभ**

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

– आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान

6.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.

6.3 Liability towards leave encashment is provided for on accrual basis as per actuarial valuation.

**7. REVENUE RECOGNITION**

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees / commission on transactions with Mutual Funds, income on non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills / tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) Interest on matured deposits is accounted for at the time of renewal. However provision for interest on matured deposits is made at Corporate Office as per the RBI guidelines.

d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.

e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.

f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

**8. TAXES ON INCOME**

8.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

8.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets / Liabilities in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

**9. IMPAIRMENT OF ASSETS**

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal / external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

**10. NET PROFIT**

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions & Contingencies":

– Provision for Income Tax and Wealth Tax

– अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
– मानक आस्तियों के प्रावधान
– निवेश पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
– आकस्मिकताओं को अंतरण
– अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

**11. प्रति शेयर अर्जन**

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया होनेवाले डाइल्युटिव संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग करने के द्वारा परिकलित की गई है।

– Provision / Write off of Non-Performing Advances and Investments
– Provision on Standard Assets
– Adjustment for appreciation / depreciation on Investments
– Transfer to Contingencies
– Other usual and necessary provisions.

**11. EARNINGS PER SHARE**

Earnings Per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

## अनुसूची –18

## 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधी टिप्पणियाँ

1. समूह की समेकित वित्तीय विवरणों में सिंडिकेटबैंक (मूल) और निम्नलिखित अनुषंगी एवं सहायक संस्थाओं के परिणाम शामिल हैं।

**क) अनुषंगी:**
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

**ख) सहायक संस्थाएं:**
प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक
नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक
गुडगाँव ग्रामीण बैंक

अनुषंगी और सहायक संस्थाओं का निवेश के ब्यौरे:

| अनुषंगी | स्वामित्व |
|---|---|
| सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड | 100% |
| **सहायक संस्थाएं** | |
| प्रथमा बैंक | 35% |
| कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक | 35% |
| आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक | 35% |
| नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक | 35% |
| गुडगाँव ग्रामीण बैंक | 35% |

2. **अनुषंगी और सहायक संस्थाओं का वित्तीय विवरण**

अनुषंगी/सहयोगियों की वित्तीय विवरण अनुषंगी की लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण और सहयोगियों की गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण मूल के रिपोर्टिंग तिथि भी उसी तारीख तक के लिए बनाई गई है जिस तारीख तक की मूल की है यानि 31 मार्च 2013.

3. 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए अनुषंगी के लेखे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के महा लेखा-परीक्षित एवं नियंत्रक की समीक्षा पर निर्भर है।

**4. निवेश** (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2013 | 31.03.2012 |
|---|---|---|
| (1) **निवेश का मूल्य** | | |
| (i) निवेश का सकल मूल्य | | |
| (क) भारत में | 46,894.63 | 40,641.46 |
| (ख) भारत के बाहर | 119.45 | 244.09 |
| (ii) मूल्यह्रास और एन.पी.ए. के लिए प्रावधान | | |
| (क) भारत में | 42.92 | 42.30 |
| (ख) भारत के बाहर | 3.08 | 28.19 |
| (iii) निवेश का निवल मूल्य | | |
| (क) भारत में | 46,851.71 | 40,599.16 |
| (ख) भारत के बाहर | 116.37 | 215.90 |
| (2) **निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन** | | |
| (i) प्रारंभिक शेषराशि | 70.49 | 43.03 |
| (ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 37.28 | 27.46 |
| (iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन | 52.39 | 0.00 |
| **(iv) इतिशेष** | **55.38** | **70.49** |

## SCHEDULE – 18

## Notes on Consolidated Financial Statements for the year ended 31ST March 2013

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the group comprises the results of SyndicateBank (Parent) and the following Subsidiary and Associates.

**a) Subsidiary:**

Syndbank Services Limited

**b) Associates:**
Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank
North Malabar Gramin Bank
Gurgaon Gramin Bank

Particulars of investments in Subsidiary and Associates

| Subsidiary | Ownership |
|---|---|
| Syndbank Services Limited | 100% |
| **Associates** | |
| Prathama Bank | 35% |
| Karnataka Vikas Grameena Bank | 35% |
| Andhra Pragathi Grameena Bank | 35% |
| North Malabar Gramin Bank | 35% |
| Gurgaon Gramin Bank | 35% |

2. **Financial Statements of the Subsidiary /Associates**

The Audited financial statement of Subsidiary and unaudited financial statements of the Associates have been drawn up to the same reporting date as that of parent. .i.e. 31St March, 2013.

3. The accounts of the Subsidiary for the year ended 31st March, 2013 are subject to the comments of the Comptroller & Auditor General of India under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

4. **Investments:** (₹ crore)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| ***(1) Value of Investments*** | | |
| (i) Gross Value of Investments | | |
| (a) In India | 46,894.63 | 40,641.46 |
| (b) Outside India | 119.45 | 244.09 |
| (ii) Provisions for Depreciation and NPA | | |
| (a) In India | 42.92 | 42.30 |
| (b) Outside India | 3.08 | 28.19 |
| (iii) Net Value of Investments | | |
| (a) In India | 46,851.71 | 40,599.16 |
| (b) Outside India | 116.37 | 215.90 |
| ***(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments*** | | |
| (i) Opening balance | 70.49 | 43.03 |
| (ii) Add: Provisions made during the year | 37.28 | 27.46 |
| (iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year | 52.39 | 0.00 |
| **(iv) Closing balance** | **55.38** | **70.49** |

**गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग**

| क्रम सं. | जारीकर्ता | रकम | प्राइवेट नियोजन की मात्रा | ''निम्न निवेश श्रेणी'' प्रतिभूतियों की मात्रा | अनिर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा | ''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों की मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (i) | सा.क्षे.उ. | 40.81 | 26.35 | -- | 0.63 | 0.63 |
| (ii) | वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित) | 991.49 | 991.49 | -- | 1.13 | 1.13 |
| (iii) | बैंक | 670.23 | 563.00 | -- | -- | -- |
| (iv) | निजी कंपनी | 671.37 | 659.15 | 52.22 | 1.78 | 54.00 |
| (v) | सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम | 1,354.02 | 1,354.02 | -- | -- | -- |
| (vi) | अन्य | 3,101.02 | 3,101.02 | -- | -- | -- |
| (vii) | मूल्यहास के प्रति रखा गया प्रावधान | 55.38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | **कुल** | **6,773.56** | **6,695.03** | **52.22** | **3.54** | **55.76** |

क) बैंक ने निवेश संविभाग को तीन प्रपर्गों में वर्गीकृत किया है अर्थात् ''परिपक्वता तक धारित'', ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' और ''व्यापार हेतु धारित'' और भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों के अनुसार निवेशों को मूल्यांकित बनाया है।

ख) बैंक ने लेखाकरण मानक (ए एस-23) - ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखाकरण के अनुसार सहायक संस्थाओं में लंबी अवधि के निवेशों का मूल्यांकन दि. 31.03.2012 को और ईक्विटी पद्धति में दि. 31.03.2013 को किया है और 31 मार्च 2012 तक सहायक संस्थाओं के निवेशों में परिणामिक मूल्यवृद्धि को अलग रूप से 'समेकन पर आरक्षित पूंजी' के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है और 31.03.2013 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए सहायक संस्थाओं के परिचालनों के परिणाम लाभ एवं हानि खाते के समेकित विवरणों में अलग रूप से दर्शाया गया है।''

5. i) **राजस्व का निर्धारण (ए एस 9)**

अनुसूची-17 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में दी गई लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार, आय की कुछ मदें सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण वसूली के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

ii) **कर्मचारी लाभ (ए एस 15)**

भा.रि.बैं के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने 2010-11 से सेवारत कर्मचारियों से संबंधित पेंशन और उपदान देयताओं के संबंध में ₹ 726.90 करोड़ की वर्धित देयता के 1/5 वां भाग (₹145.38 करोड़) को परिशोधित किया है। तदनुसार बैंक ने चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते को ₹145.38 करोड़ को प्रभारित कर दिया है। ₹ 290.76 करोड़ की शेष रकम आगामी वर्षों में समाविष्ट की जाएंगी ।

1 नवंबर 2012 से वेतन में संशोधन की प्रतीक्षा में बैंक द्वारा ₹100 करोड़ का तदर्थ प्रावधान और चालू वर्ष का प्रावधान किए जा चुके हैं।

**NON –SLR PORTFOLIO**

| Sl. No. | Issuer | Amount | Extent of Private Placement | Extent of "Below Investment Grade" Securities | Extent of "Unrated" Securities | Extent of "Unlisted" Securities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (i) | PSUs | 40.81 | 26.35 | -- | 0.63 | 0.63 |
| (ii) | Financial Institutions (incl. NBFCs) | 991.49 | 991.49 | -- | 1.13 | 1.13 |
| (iii) | Banks | 670.23 | 563.00 | -- | -- | -- |
| (iv) | Private Corporates | 671.37 | 659.15 | 52.22 | 1.78 | 54.00 |
| (v) | Subsidiaries / Joint Ventures | 1,354.02 | 1,354.02 | -- | -- | -- |
| (vi) | Others | 3,101.02 | 3,101.02 | -- | -- | -- |
| (vii) | Provision held towards depreciation | 55.38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | **TOTAL** | **6,773.56** | **6,695.03** | **52.22** | **3.54** | **55.76** |

a. The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held To Maturity", "Available For Sale" and "Held For Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India.

b. In compliance with Accounting Standard ( AS-23) –"Accounting for investments in Associates in Consolidated Financial Statements" the Bank has valued long term investments in associates as at 31.03.2012 and 31.03.2013 under equity method and resultant appreciation in investments of associates up to the year 31st March 2012 has been separately reflected as 'Capital Reserve on consolidation' and for the Bank's share of the results of operation of the associates for the year ended 31.03.2013 is reflected separately in the consolidated statements of the profit and loss account.

5. i) **Revenue Recognition (AS 9):**

As per Accounting Policy No. 8, given in Schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

ii) **Employee Benefits (AS 15):**

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has amortised 1/5th (₹ 145.38 crores) of the enhanced liability of ₹ 726.90 crores from the year 2010 - 11 in respect of pension and gratuity liabilities relating to continuing employees. Accordingly, the Bank has charged ₹ 145.38 crores to the current year profit and loss account and the balance amount of ₹ 290.76 crores will be absorbed in future years.

In expectation of wage revision with effect from 1st November, 2012, Bank has made adhoc provision of ₹ 100 crores and provision during the current year.

**iii) समेकित खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Consolidated Segment Reporting (AS 17):**

**भाग क: कारोबार खण्ड/Part A: Business Segments**

(₹ करोड़/₹ crore)

| कारोबार खण्ड/Business Segments | राजकोष/Treasury | | कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग/ Corporate / Wholesale Banking | | खुदरा बैंकिंग/Retail Banking | | अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations | | कुल/Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण/Particulars | चालू वर्ष/CY | पिछला वर्ष/PY | चालू वर्ष/CY | पिछला वर्ष/PY | चालू वर्ष/CY | पिछला वर्ष/PY | चालू वर्ष/CY | पिछला वर्ष/PY | चालू वर्ष/CY | पिछला वर्ष/PY |
| परिणाम (परिचालन लाभ)/Result (Op. Profit) | 683 | 610 | 1863 | 1542 | 771 | 1132 | 335 | 63 | 3652 | 3348 |
| अनांबटित लाभ/Unallocated Expenses | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1886 | 1920 |
| परिचालन लाभ/Operating Profit | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 3450 | 3348 |
| आय कर/Income Tax | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | -440 | 114 |
| असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| शुद्ध लाभ/Net Profit | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 2206 | 1314 |
| अन्य सूचना/Other Information | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| खण्डवार आस्तियां/Segment Assets | 45648 | 40815 | 116063 | 82874 | 48005 | 40746 | 5293 | 16681 | 215009 | 181116 |
| अनांबटित आस्तियां/Unallocated Assets | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1434 | 1352 |
| कुल आस्तियां/Total Assets | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 216443 | 182468 |
| खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities | 43733 | 38802 | 111096 | 78787 | 45950 | 38736 | 3798 | 15935 | 204576 | 172260 |
| अनांबटित देयताएं/Unallocated Liabilities | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | – | 1167 |
| कुल देयताएं/Total Liabilities | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 204576 | 173427 |

**CY – Current Year/चालू वर्ष/PY – Previous Year/पिछला वर्ष**

### भाग ख – भौगोलिक खंड

(₹ करोड़ में)

| | देशी | | अंतर्राष्ट्रीय | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| आय | 17,667 | 15,285 | 628 | 1,059 | 18,295 | 16,344 |
| आस्तियां | 192,369 | 168,560 | 24,064 | 13,908 | 216,443 | 182,468 |

**iv) संगत पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)**

**(अ) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध**

**क) मूल कंपनी:**

सिंडिकेटबैंक

**अनुषंगी:**

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

**ख) सहायक संस्थाएं:**

प्रथमा बैंक

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक

गुडगाँव ग्रामीण बैंक

**ग) प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी:**

| प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी | पदनाम | अवधी |
|---|---|---|
| श्री म. गि. संघवी | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | दिनांक 01.03.2012 से |
| श्री रवि चटर्जी | कार्यपालक निदेशक | दिनांक 01.09.2010 से |
| श्री एम आंजनेय प्रसाद | कार्यपालक निदेशक | दिनांक 24.08.2011 से |

**आ) संगत पार्टी लेन–देन** (₹ लाखों में)

| प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| वेतन और भत्ते | **52.97** | 55.52 |

एएस 18 के पैरा 9 के अनुसार अनुषंगी और सहायक संस्थाओं के लेन–देन प्रकट नहीं किए गए हैं ।

**v) प्रति शेयर अर्जन (ए एस 20)**

| विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| लाभ एवं हानि खाते (क) के अनुसार निवल लाभ (₹ हज़ार में) | 2206,39,60 | 1314,36,76 |
| ईक्विटी शेयरों (ख) की भारित औसत संख्या | 60,19,49,955 | 57,36,77,260 |
| आमदनी प्रतिशेयर (रुपयों में) (ग = क/ख) | 36.65 | 22.91 |
| अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹) | 10.00 | 10.00 |

**vi) समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों को एएस 21 के अनुसार और बैंक की अनुषंगी संस्था मेसर्स सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।

**vii) आय कर का लेखाकरण (एएस 22)**

बैंक ने ए एस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार डी.टी.ए./डी.टी.एल. का निवल शेष ₹ 268.16 करोड़ था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

| आस्थगित कर आस्तियां | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान | 105.58 | 79.16 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | 261.97 | 221.68 |
| पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान | 234.51 | 114.07 |
| अन्य | 69.21 | 28.06 |
| **कुल** | **671.27** | **442.97** |

### Part B: Geographic Segments

(₹ in Crores)

| | Domestic | | International | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| **Revenue** | 17,667 | 15,285 | 628 | 1,059 | 18,295 | 16,344 |
| **Assets** | 192,369 | 168,560 | 24,064 | 13,908 | 216,443 | 182,468 |

**iv) Related Party Disclosures (AS 18):**

**(A) Names of Related Parties and their relationship:**

**a) Parent:**

SyndicateBank

**Subsidiary:**

Syndbank Services Limited

**b) Associates:**

Prathama Bank

Karnataka Vikas Grameena Bank

Andhra Pragathi Grameena Bank

North Malabar Gramin Bank

Gurgaon Gramin Bank

**c) Key Management Personnel:**

| Key Management Personnel | Designation | Period |
|---|---|---|
| **Sri M G Sanghvi** | Chairman & Managing Director | From 01-03-2012 |
| **Sri Ravi Chatterjee** | Executive Director | From 01-09-2010 |
| **Sri M Anjaneya Prasad** | Executive Director | From 24-08-2011 |

**(B) Related Party Transactions** (₹ in Lakhs)

| Key Management Personnel | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| Salary and Allowances | **52.97** | 55.52 |

Transaction with Subsidiary and Associates have not been disclosed in terms of para 9 of AS 18.

**v) Earnings Per Share (AS 20):**

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| Net Profit as per Profit & Loss Account (A) (₹ in Thousands) | 2206,39,60 | 1314,36,76 |
| Weighted Average Number of Equity Shares (B) | 60,19,49,955 | 57,36,77,260 |
| Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B) | 36.65 | 22.91 |
| Face Value Per Share (₹) | 10.00 | 10.00 |

**vi) Consolidated Financial Statements (AS 21):**

The consolidated financial statements for the year ended 31st March 2013 have been prepared in accordance with AS 21 and on the basis of the audited financial statements of the subsidiary of the Bank, M/s. Syndbank Services Ltd.

**vii) Accounting for Taxes on Income (AS 22):**

The Bank has complied with the requirements of AS 22. The Net balance of DTA / DTL as on 31st March, 2013 amounting to ₹ 268.16 crores consists of the following:

(₹ in Crores)

| Deferred Tax Assets | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| Provision for Leave Encashment | 105.58 | 79.16 |
| Provision for Standard Assets | 261.97 | 221.68 |
| Provision for Interest on Restructured Assets | 234.51 | 114.07 |
| Others | 69.21 | 28.06 |
| **Total** | **671.27** | **442.97** |

(₹ करोड़ में)

| आस्थगित कर देयताएं | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | 3.08 | (7.16) |
| प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर मूल्याह्रास | 109.30 | 158.21 |
| प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज जो देय नहीं है | 290.73 | 254.71 |
| **कुल** | **403.11** | **405.76** |
| **निवल डी.टी.ए.** | **268.16** | **37.21** |

**viii) आस्तियों की हानि (ए एस 28):**

बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं है ।

**6. अन्य प्रकटीकरण**

**क) प्रावधान और आकस्मिक व्यय** (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | - 25.78 | 38.53 |
| एन.पी.ए. के लिए प्रावधान | 1,135.44 | 1,399.74 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | 407.93 | 262.81 |
| आय कर/संपत्ति कर आदि के लिए प्रावधान (समायोजन का निवल) | - 440.40 | 74.64 |
| बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण | 100.00 | शून्य |
| अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय | 268.59 | 257.68 |
| **कुल** | **1,445.78** | **2,033.40** |

**7. न्यूनतम अतिरिक्त कर (एम ए टी):**

चालू वर्ष के आयकर के लिए डी टी ए / डी टी एल के निवल से ₹ (-)441.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 74.64 करोड़) का प्रावधान किया जाता है और पिछले वर्ष का समायोजन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जे बी के अनुसार न्यूनतम अतिरिक्त कर (एम ए टी) के आधार पर किया जाता है। चूँकि कर के परामर्शदाताओं की राय पर आधारित बैंक प्रबंधन की राय में आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के दौरान मैट (एम ए टी) ऋण की चुकौती की जा सकती है, बैंक प्रबंधन ने अनुवर्तीवर्षों में बैंक की लाभप्रदता और करयोग्य स्थिति पर विचार करते हुए ₹573.59 करोड़ के मैट ऋण की हकदारी को (पिछले वर्ष : कुछ नहीं) लाभ एवं हानि खाते में जमा करके उसे अन्य आस्तियों (अनुसूची–11) के रूप में निर्धारित किया है।

**8. अचल आस्तियां**

बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है। फिर भी प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख बैंक के पास हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान लंदन में बैंक के स्वामित्व के परिसर का पुनर्मूल्यांकन के मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तत्काल किया गया है। ऐसे मूल्यांकन से हुई कुल अधिशेष रकम ₹1.32 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि लेखे में जमा किया गया। पुनर्मूल्यांकित देशी आस्तियों पर किए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास की कुल राशि ₹30.93 करोड़ और लंदन स्थित पुनर्मूल्यांकित परिसर पर किए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास की राशि ₹ 0.04 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया।

**9. पिछले वर्ष के आंकड़े**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

(₹ in Crores)

| Deferred Tax Liabilities | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| Depreciation on Fixed Assets | 3.08 | (7.16) |
| Depreciation on valuation of securities | 109.30 | 158.21 |
| Interest accrued but not due on securities | 290.73 | 254.71 |
| **Total** | **403.11** | **405.76** |
| **Net DTA** | **268.16** | **37.21** |

**viii) Impairment of Assets (AS 28):**

In the opinion of the Management of the Bank, there is no impairment of assets of the Bank.

**6. Other Disclosures**

**a) Provisions and Contingencies:** (₹ in Crores)

| Particulars | 31-03-2013 | 31-03-2012 |
|---|---|---|
| Provision for depreciation on investment | - 25.78 | 38.53 |
| Provision towards NPA | 1,135.44 | 1,399.74 |
| Provision towards Standard Assets | 407.93 | 262.81 |
| Provision towards Income Tax, Wealth Tax (net of adjustments) | - 440.40 | 74.64 |
| Provision for Wage Revision | 100.00 | NIL |
| Other provision and contingencies | 268.59 | 257.68 |
| **Total** | **1,445.78** | **2,033.40** |

**7. Minimum Alternate Tax (MAT):**

Provision for Income Tax for the current year of ₹ (-)441.01 crore (P.Y ₹ 74.64 crore) is made net off DTA / DTL and adjustment for earlier years on the basis of Minimum Alternate Tax (MAT) in accordance with Section 115JB of the Income Tax Act 1961. Considering the future profitability and taxable position of the Bank in subsequent years, the bank management has recognised MAT credit entitlement of ₹ 573.59 crore (Previous Year: NIL) as other assets (Schedule - 11) by crediting to Profit & Loss, since in the opinion of the bank management based on Tax Consultants Opinion, MAT credit can be set-off during specified period as per the provisions of the Income Tax Act 1961.

**8. Fixed Assets**

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

The bank owned premises at London has been revalued on a desk top basis during the year 2012 - 13 at value determined, based on the appraisal by valuer. Surplus arising on such valuation aggregating to ₹ 1.32 crores is credited to revaluation reserves. Additional depreciation aggregating to ₹ 30.93 crores on revalued domestic assets and ₹ 0.04 crores on revalued premises at London have been adjusted to the revaluation reserves.

**9. Previous year figures**

Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

## अनुसूची – 19: अनुषंगी उद्यमों के अर्पन का शेयर/
## SCHEDULE – 19 : SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | **Year ended दि. 31.03.2013 को** | Year ended दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| I. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक/Andhra Pragathi Grameena Bank | **65 20 73** | 0 |
| II. गुड़गांव ग्रामीण बैंक/ Gurgaon Gramin Bank | **33 65 20** | 0 |
| III. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक/Karnataka Vikas Grameena Bank | **68 73 46** | 0 |
| IV. नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक/North Malabar Gramin Bank | **5 28 35** | 0 |
| V. प्रथमा बैंक/Prathama Bank | **27 80 74** | 0 |
| **योग/TOTAL** | **200 68 48** | 0 |

## 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
## CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013 | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 |
|---|---|---|---|
| | **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:** | | |
| | वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc. | **17120 68 80** | 15268 35 21 |
| | अन्य आय/Other Income | **1174 40 53** | 1075 96 52 |
| | **घटाइए/Less:** | | |
| | वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc. | **11347 56 08** | 9886 49 35 |
| | परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies | **5066 27 73** | 4728 50 20 |
| | आय पर कर/Taxes on income | **-440 40 00** | 114 36 87 |
| | **जोड़िए/Add:** | | |
| | मूल्यह्रास/Depreciation charged during the year | **100 66 51** | 66 04 75 |
| I. | **परिचालनों से अर्जित नकदी लाभ** (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) **CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS** ***(Prior to changes in operating Assets & Liabilities)*** | **2422 32 03** | 1681 00 06 |
| II. | **परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी उपलब्धता CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES** | | |
| | **देयताओं में वृद्धि/(कमी)/*Increase/(Decrease) in Liabilities:*** | | |
| | ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमाराशियाँ/Deposits from Customer & Banks | **27413 81 68** | 22343 85 65 |
| | बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ/Borrowings from Banks & Other Institutions | **1223 88 91** | 1062 26 31 |
| | अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for exp. made in the earlier years) | **1309 18 89** | 512 43 84 |
| | **आस्तियों में कमी/(वृद्धि)/*Decrease/(Increase) in Assets*** | | |
| | अग्रिम/Advances | **-23948 84 07** | -16838 25 72 |
| | निवेश/Investments | **-4832 59 72** | -5747 44 52 |
| | अन्य आस्तियां/Other Assets | **-1090 57 73** | -765 99 26 |
| | | **74 87 96** | 566 86 30 |
| क. A. | **परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (I+II) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)** | **2497 19 99** | 2247 86 36 |
| | **निवेश गतिविधियों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES** | | |
| | अचल आस्तियों पर/On Fixed Assets | **-209 86 56** | -105 33 57 |
| | प्रक्रियाधीन कार्य पर/On Work in Progress | **-2 83 66** | -8 05 08 |
| ख. B. | **निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES** | **-212 70 22** | -113 38 65 |
| | **वित्तीयन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES** | | |
| | पूंजी जारी करना/Issue of Capital | **0** | 327 20 28 |
| | प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid | **-265 84 86** | -246 52 74 |
| | गौण ऋण (चरण I और चरण II की पूँजी)/Subordinated Debts (Tier I and Tier II Capital) | **1000 00 00** | 0 |
| | चरण I और चरण II की पूंजी पर ब्याज/Interest on Tier I and Tier II Capital | **-318 67 12** | -296 53 48 |
| ग. C. | **वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES** | **415 48 02** | -215 85 94 |
| | **वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता (क+ख+ग)/ TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)** नकदी **उपलब्धता** में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow | **2699 97 79** | 1918 61 77 |

## 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
## CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

| | **31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013** | | 31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| I. **वर्ष के प्रारंभ में शेष Balances at the beginning of the Year** | | | | |
| भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष Cash & Balances with the R.B.I. | **8808 62 77** | | 10443 11 63 | |
| बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call | **5075 64 06** | **13884 26 83** | 1522 53 43 | 11965 65 06 |
| II. **वर्ष के अंत में शेष Balances at the end of the Year** | | | | |
| भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash & Balances with the R.B.I. | **8095 31 40** | | 8808 62 77 | |
| बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call | **8488 93 22** | **16584 24 62** | 5075 64 06 | 13884 26 83 |
| III. **वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR** | | **2699 97 79** | | 1918 61 77 |
| नकदी उपलब्धता में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow | | | | |

**आई पी नागराज राव/I P NAGARAJA RAO**
उप महा प्रबंधक/DY. GENERAL MANAGER

**एम आंजनेय प्रसाद/M ANJANEYA PRASAD**
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

**रवि चटर्जी/RAVI CHATTERJEE**
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

**म गि संघवी/M G SANGHVI**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

### लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/Auditors' Certificate

हम, सिंडिकेट बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31-03-2013 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे में प्रस्तुत हमारी तद्दिनांकित रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Consolidated Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2013. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchanges and is based on and in agreement with the corresponding Consolidated Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report.

**कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
For **Thakur Vaidyanath Aiyar & Co**
*Chartered Accountants*

**(के एन गुप्ता/K N Gupta)**
*साझेदार/Partner*
सदस्यता सं./Membership No. 009169
एफ आर एन/FRN : 000038एन/N

**कृते चंडोक एंड गुलियानी**
*सनदी लेखाकार*
For **Chandiok & Guliani**
*Chartered Accountants*

**(वी के लल्ला/V K Lalla)**
*साझेदार/Partner*
सदस्यता सं./Membership No. 080847
एफ आर एन/FRN : 001199एन/N

**कृते जे एन शर्मा एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
For **J N Sharma & Co**
*Chartered Accountants*

**(कुणाल शर्मा/Kunal Sharma)**
*साझेदार/Partner*
सदस्यता सं./Membership No. 405919
एफ आर एन/FRN : 000833सी/C

**कृते रमणलाल जी शाह एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
For **Ramanlal G Shah & Co**
*Chartered Accountants*

**(विवेक एस शाह/Vivek S Shah)**
*साझेदार /Partner*
सदस्यता सं./Membership No. 112269
एफ आर एन/FRN : 108517डब्ल्यू/W

**कृते शंभु एन डे एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
For **Sambhu N De & Co**
*Chartered Accountants*

**(एस एन मित्रा/S N Mittra)**
*साझेदार /Partner*
सदस्यता सं./Membership No. 011678
एफ आर एन/FRN : 307055ई/E

**कृते के एन गोयल एंड कंपनी**
*सनदी लेखाकार*
For **K N Goyal & Co**
*Chartered Accountants*

**(के एन गोयल/K N Goyal)**
*साझेदार /Partner*
सदस्यता सं./Membership No. 011939
एफ आर एन/FRN : 001084एन/N

स्थान/Place : बेंगलूर/Bangalore
दिनांक/Date : 02.05.2013

## स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

**सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यों की वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट:**

1) हमने **सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड** की संलग्न वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2013 का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण एवं तब समाप्त हुए वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

**वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी:**

2) इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र जिम्मेदार है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 (नियम) की धारा 211 की उप धारा 3 (सी) में दिए गए लेखाकरण मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह का सही विवरण देना है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित अभिकल्पना, क्रियान्वयन और आंतरिक नियंत्रण शामिल है जिससे कंपनी के बारे में, या तो गलती या धोखाधड़ी के कारण भौतिक विषयवस्तु से संबंधित गलत विवरण से मुक्त सही एवं स्पष्ट चित्रण मिलता है।

**लेख-परीक्षकों की जिम्मेदारी:**

3. हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय को प्रस्तुत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अनुसार अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करें और लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं जिससे पर्याप्त आश्वासन मिलें कि वित्तीय विवरणियां विषयवस्तु संबंधी अयथार्थ विवरणी नहीं है।

4. लेखा परीक्षा में अनुपालन प्रक्रियाएं हैं ताकि वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि एवं अन्य प्रकटीकरण के बारे में लेखा साक्ष्य प्राप्त हो सके। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षक के निर्णय के अनुसार होती हैं जिसमें या तो गलती या धोखाधडी से वित्तीय विवरणियों में भौतिक विषयवस्तु संबंधी गलती का निर्धारण करना भी शामिल है। उन जोखिम निर्धारणों को करते समय, लेखा-परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं इसका स्पष्ट रूप से प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं ताकि वे ऐसी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की अभिकल्पना कर सकें जो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार समुचित है। लेखा-परीक्षा में, कंपनी द्वारा प्रयोग की गई लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण आकलन के औचित्य का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा संबंधी साक्ष्य हमारी लेखा संबंधी राय के लिए पर्याप्त हैं और उचित भी हैं।

**राय:**

6. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए विवरणों के अनुसार, वित्तीय विवरणियाँ अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाए दे रही हैं और भारत

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of **SYNDBANK SERVICES LTD.**

**Report on the Financial Statements:**

1. We have audited the accompanying financial statements of **SYNDBANK SERVICES LTD.**, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013, and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Management's Responsibility for the Financial Statements:**

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditor's Responsibility:**

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan andperform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks ofmaterial misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

**Opinion:**

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial

में सामान्यत: स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार सही एवं स्पष्ट चित्रण दर्शा रही हैं।

क) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2013 के अनुसार कंपनी का कार्यसंचालन

ख) लाभ एवं हानि लेखों के संबंध में उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का लाभ

ग) नकदी प्रवाह विवरण, के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नकदी प्रवाह

**अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:**

7. भारत के कंपनी अधिनियम की धारा 227 की उप धारा (4 ए) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 (''आदेश'') के आधार पर हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट विषयों के विवरण इसके साथ संलग्न कर रहे हैं।

8. अधिनियम की धारा 227 (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं।

ख) कंपनी की लेखा बहियों की जाँच करने पर यह पता चला है कि कंपनी ने बहियों का विधिवत् रख रखाव किया है।

ग) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन पत्र एवं लाभ व हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के साथ मेल खाता है।

घ) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3 सी) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) दि. 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि दि. 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खण्ड (जी) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त करने से अनर्ह नहीं ठहराया गया है।

च) चूँकि, भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत प्रदत्त की जानेवाली उपकर की दर के बारे में किसी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की है तथा कथित धारा के अंतर्गत उपकर प्रदत्त करने की विधि के बारे में भी किसी प्रकार की नीति जारी नहीं की है, कंपनी द्वारा कोई भी उपकर प्राप्य और देय नहीं है।

कृते **मेसर्स नायक एण्ड एसोसियेट्स**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 007580S)

ह /-
**सी.ए. नरसिंह नायक**
(मालिक)
(सदस्यता सं. 205543)

स्थान : उडुपि
दिनांक : 27.04.2013

statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2013;

b) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and

c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements:**

7. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the Order.

8. As required by section 227(3) of the Act, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.

c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

d) In our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards referred to in subsection (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956.

e) On the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2013, and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2013, from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956.

f) Since the Central Government has not issued any notification as to the rate at which the cess is to be paid under section 441A of the Companies Act, 1956 nor has it issued any Rules under the said section, prescribing the manner in which such cess is to be paid, no cess is due and payable by the Company.

For **M/s Nayak and Associates**
Chartered Accountants
(FRN: 007580S)

Sd/-
**C.A. Narasimha Nayak**
(Proprietor)
(Membership No. 205543)

Place: Udupi
Date : 27.04.2013

**31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यों से संबंधित उक्त तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुबंध 7 के संदर्भ में**

हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान उचित जाँच के आधार पर जिसे हम सही मानते हैं और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

1. क) कंपनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है, जिसमें उन्होंने अचल संपत्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरे एवं अवस्थिति समेत संपूर्ण विवरण दर्शाया है।

   ख) जैसा कि हमें बताया गया, अचल आस्तियों की भौतिक जाँच उचित समयांतरालों पर प्रबंधन द्वारा की जाती है और जाँचों के दौरान कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

   ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी भी अचल आस्ति का निपटान नहीं किया गया और अतएव चालू मामलों की धारणाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. क) जैसा कि हमें बताया गया, कंपनी कोई माल सूची नहीं रखती है, इसलिए अनुछेद 4(ii) (क) से (ग) लागू नहीं होता।

3. क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और खाता-बहियों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने किसी कंपनी फर्म और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखी जानेवाली पंजी में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण मंजूर नहीं किया है, चाहे जमानती हो या बेजमानती/परिणामस्वरूप, ऑर्डर के खंड (iii) (ख), iii (ग) और iii (घ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

   ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी भी कंपनी फर्म और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखी जानेवाली पंजी में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण, चाहे वे जमानती हो या बेजमानती, उपलब्ध नहीं कराए हैं। इस प्रकार उपखंड (च) एवं (छ) कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

4. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास एक ऐसी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो कंपनी के आकार तथा अचल आस्तियों की खरीद एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप है। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमने, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण कमजोरी नहीं पायी है।

5. क) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानदारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जिसे अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता हो, अतएव लेन-देन के औचित्य की जरूरत नहीं है।

**The Annexure referred to in paragraph 7 of the Our Report of even date to the members of SYNDBANK SERVICES LTD. on the accounts of the company for the year ended 31st March, 2013.**

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us during the course of our audit, we report that:

1. (a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of its fixed assets.

   (b) As explained to us, fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals; no material discrepancies were noticed on such verification.

   (c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, no fixed asset has been disposed during the year and therefore does not affect the going concern assumption.

2. (a) As explained to us, the Company does not have any Inventory and hence paragraphs 4 [ii] (a) to (c) of the order are not applicable to the company.

3. (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Consequently, the provisions of clauses iii (b), iii (c) and iii (d) of the order are not applicable to the Company.

   (b) According to the information and explanations given to us, the Company has not taken any loans, secured or unsecured from any Company, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Thus sub clauses (f) & (g) are not applicable to the company.

4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there exists an adequate internal control system commensurate with the size of the company and the nature of its business with regard to purchase of fixed assets and with regard to the sale of services. During the course of our audit, we have not observed any major weakness in the internal control system of the Company.

5. a) Based on the audit procedures applied by us and according to the information and explanations provided by the management, there is no transaction that needs to be entered into the register in pursuant of section 301 of the Act, therefore requirement of reasonableness of transactions does not arises.

6. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए अधिनियम की धारा 58ए और 58एए के उपबंध एवं उसके अंतर्गत नियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

7. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आंतरिक लेखा प्रणाली है जो इसके कारोबार के आकार और स्वरूप के अनुरूप है।

8. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के परिचालन के संबंध में, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखने की शर्त नहीं लगाई है। अतएव, कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) के इस खंड के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

9. क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी भविष्य निधि, आयकर, सेवाकर, उपकर सहित सभी अविवादित देय राशियों एवं उस पर लागू होनेवाली अन्य सांविधिक देय राशियों को उच्च प्राधिकारियों के पास सामान्यत: नियमित रूप से निक्षेपित की है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2013 तक कोई सांविधिक बकाया देय नहीं था जो देय निधि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए हो।

ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार आयकर, सेवाकर और उपकर की कोई भी राशि देय नहीं है जिन्हें किसी विवाद के कारण से निक्षेपित नहीं किया गया हो।

10. कंपनी के पास कोई संचित हानि नहीं है और हमारी लेखा-परीक्षा से संबंधित वित्तीय वर्ष तथा तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकदी हानि नहीं हुई है।

11. हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या डिबेंचर धारकों को देय-राशि की चुकौती में चूक नहीं की है।

12. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं किए हैं।

13. कंपनी एक चिट फंड, या निधि/पारस्परिक लाभ निधि/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) के इस खंड के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

14. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों, म्यूचुअल फंडों और अन्य निवेशों में लेन-देन

6. As per information & explanations given by the management, the Company has not accepted deposits from the public during the year covered by our audit report. Therefore the provisions of section 58A and 58AA of the Act, and rules there under are not applicable to the company.

7. As per information & explanations given by the management, the Company has an internal audit system commensurate with its size and the nature of its business.

8. As per information & explanation given by the management, the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under Section 209(1) (d) of the Companies Act, 1956 with regard to the company's operation. Therefore, the provision of this clause of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (as amended) is not applicable to the Company.

9. (a) According to the information and explanations given to us and according to the records of the company, undisputed statutory dues including Provident Fund, Income-tax, Service Tax, Cess to the extent applicable and any other statutory dues have generally been regularly deposited with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us there were no outstanding statutory dues as on 31st of March, 2013 for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) According to the information and explanations given to us, there are no dues of income tax, service tax and Cess to the extent applicable which have not been deposited on account of any disputes.

10. The Company does not have any accumulated losses and has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year.

11. Based on our audit procedures and on the information and explanations given by the management, we are of the opinion that, the Company has not defaulted in repayment of dues to a financial institution, bank or debenture holders.

12. According to the information and explanations given to us, the Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

13. The Company is not a chit fund or a nidhi /mutual benefit fund/society. Therefore, the provision of this clause of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (as amended) is not applicable to the Company.

14. According to information and explanations given to us, the Company is not dealing in Shares,

नहीं कर रही है। इसलिए कंपनी (लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) के इस खंड के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अन्यों द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है।

17. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और 31 मार्च, 2013 के कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जाँच करने पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग नहीं किया है।

18. की गई लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

19. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने लेखा-परीक्षा से संबंधित अवधि के दौरान कोई जमानती डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) के इस खंड का उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोई धनराशि नहीं जुटाई है।

21. की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी पर या द्वारा कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं पाया गया है, न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

कृते **मेसर्स नायक एण्ड एसोसियेट्स**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 007580S)

ह/-
**सी.ए. नरसिंह नायक**
(मालिक)
(सदस्यता सं. 205543)

स्थान : उडुपि
दिनांक : 27.04.2013

Securities, Debentures, Mutual funds & other Investments. Therefore, the provision of this clause of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (as amended) is not applicable to the Company.

15. According to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantees for loan taken by others from a bank or financial institution.

16. Based on our audit procedures and on the information given by the management, we report that the company has not raised any term loans during the year.

17. Based on the information and explanations given to us and on an overall examination of the Balance Sheet of the Company as at 31st March, 2013, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term investment by the Company.

18. Based on the audit procedures performed and the information and explanations given to us by the management, we report that the Company has not made any preferential allotment of shares during the year.

19. According to the information and explanations given to us the Company has not issued any secured debentures during the period under audit. Therefore, the provision of this clause of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (as amended) is not applicable to the Company.

20. The Company has not raised any money by public issue during the year.

21. Based on the audit procedures performed and the information and explanations given to us, we report that no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.

For **M/s Nayak and Associates**
Chartered Accountants
(FRN: 007580S)

Sd/-
**C.A. Narasimha Nayak**
(Proprietor)
(Membership No. 205543)

Place: Udupi
Date : 27.04.2013

# सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

# Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

## 31 मार्च, 2013 का तुलन–पत्र (ईक्विटी एवं देयताएं)/BALANCE SHEET (EQUITY AND LIABILITIES) AS AT 31ST MARCH, 2013

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

| | नोट सं. Notes No. | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|---|
| I इक्विटी और देयताएं/EQUITY AND LIABILITIES | | | |
| 1 शेयरधारकों की निधि/Shareholders Funds: | | | |
| क/a) शेयर पूँजी/Share Capital | 3 | **2,500,000** | 2,500,000 |
| ख/b) आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus | 4 | **51,195,293** | 38,301,597 |
| 2 आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन पत्र की राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENTS | | – | – |
| 3 गैर चालू देयताएं/NON-CURRENT LIABILITIES | | | |
| क/a) दीर्घावधि उधार/Long Term Borrowings | | | |
| ख/b) आस्थगित कर देयताएं (निवल)/Deferred Tax Liabilities (Net) | | | |
| ग/c) अन्य दीर्घावधि देयताएं/Other Long Term Liabilities | | | |
| घ/d) दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions | 5 | **945,526** | 717,285 |
| 4 चालू देयताएं/CURRENT LIABILITIES | | | |
| क/a) अल्पावधि उधार/Short Term Borrowings | | | |
| ख/b) व्यापार देय राशि/Trade Payables | | | |
| ग/c) अन्य चालू देयताएं/Other Current Liabilities | 6 | **1,087,280** | 1,962,266 |
| घ/d) अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions | 7 | **299,328** | 183,556 |
| कुल/TOTAL | | **56,027,427** | 43,664,704 |
| II आस्तियां/ASSETS | | | |
| 1. गैर चालू आस्तियां/NON-CURRENT ASSETS | | | |
| क/a) अचल आस्तियां/Fixed Assets | | | |
| (i) मूर्त आस्तियां/Tangible Assets | 8 | **305,371** | 197,251 |
| (ii) अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets | | | |
| (iii) प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital Work in Progress | | | |
| (iv) अमूर्त आस्तियां जो प्रक्रियाधीन है/Intangible Assets under-Development | | | |
| ख/b) गैर चालू निवेश/Non-Current Investments | | | |
| ग/c) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/Deferred Tax Asset (Net) | 9 | **418,879** | 303,900 |
| घ/d) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances | 10 | **28,900** | 59,500 |
| ङ/e) अन्य गैर चालू आस्तियां/Other Non-Current Assets | | | |
| 2. चालू आस्तियां/CURRENT ASSETS | | | |
| क/a) चालू निवेश/Current Investments | | | |
| ख/b) माल सूची/Inventories | | | |
| ग/c) व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivables | 11 | **3,394,727** | 1,809,420 |
| घ/d) नकद और नकदी समतुल्य राशि /Cash and Cash Equivalents | 12 | **49,886,209** | 39,861,243 |
| ङ/e) अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances | 13 | **697,315** | 642,111 |
| च/f) अन्य चालू आस्तियां/Other Current Assets | 14 | **1,296,026** | 791,279 |
| कुल/TOTAL | | **56,027,427** | 43,664,704 |
| लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts | 2 | | |
| इसमें उल्लिखित नोट तुलन पत्र का अभिन्न भाग बनते है Notes referred to herein forms an integral part of Balance Sheet | | | |

**कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.**

ह/Sd/
**(म. गि. संघवी/M. G. Sanghvi)**
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
**(रवि चटर्जी/Ravi Chatterjee)**
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
**(एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad)**
निदेशक/Director

ह/Sd/
**(एस. के.ढींगरा/S. K. Dhingra)**
निदेशक/Director

ह/Sd/
**(के. पी. मुरलीधरन/K. P. Muralidharan)**
निदेशक/Director

**अवकाश पर**/On Leave
**(एच. एन. विश्वेश्वर/H. N. Vishweshwar)**
निदेशक/Director

ह/Sd/
**(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)**
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
**कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580S
As per our report of even date
**FOR NAYAK & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
**(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)**
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

तारीख/Date : 27.04.2013
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

# सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

# Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

## दि. 31-03-2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

## PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2013

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

| | ब्यौरे/PARTICULARS | नोट सं. Notes No. | 2012-13 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|
| I. | **परिचालन प्राप्त राजस्व/ Revenue From Operations** | 15 | **29,433,091** | 22,358,607 |
| II. | **अन्य आय/Other Income** | 16 | **3,990,801** | 3,005,439 |
| III. | **कुल राजस्व/Total Revenue** | | **33,423,893** | 25,364,046 |
| IV. | **व्यय/Expenditure :** | | | |
| | वेतन और भत्ते/Salary & Allowances | 17 | **5,044,359** | 5,352,481 |
| | परिचालन व्यय/Operational Expenses | 18 | **9,258,058** | 5,825,178 |
| | मूल्यह्रास/Depreciation | 8 | **57,750** | 81,179 |
| V. | **कुल व्यय/Total Expenses** | | **14,360,167** | 11,258,838 |
| VI. | **कर से पहले लाभ/Profit Before Tax** | | **19,063,726** | 14,105,207 |
| VII. | **कर संबंधी व्यय/Tax Expenses** | | | |
| | – चालू कर/Current Tax | | **6,285,010** | 4,420,000 |
| | – आस्थगित कर/Deferred Tax | | **(114,979)** | (47,870) |
| VIII. | **उक्त अवधि के लिए लाभ/Profit for the Period** | | **12,893,695** | 9,733,077 |
| IX. | ईपीएस – मूल और ह्रासमान (अंकित मूल्य ₹ 10/-) EPS – Basic and Diluted (Face value of ₹10/-) | | **51.57** | 38.93 |
| | लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes to Accounts | 2 | | |
| | इसमें उल्लिखित नोट, लाभ व हानि लेखे का अंतिम भाग बनते हैं Notes referred to herein forms an integral part of Profit and Loss Account | | | |

**कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.**

ह/Sd/
**(म. गि. संघवी/M. G. Sanghvi)**
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
**(रवि चटर्जी/Ravi Chatterjee)**
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
**(एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad)**
निदेशक/Director

ह/Sd/
**(एस. के.ढींगरा/S. K. Dhingra)**
निदेशक/Director

ह/Sd/
**(के. पी. मुरलीधरन/K. P. Muralidharan)**
निदेशक/Director

**अवकाश पर**/On Leave
**(एच. एन. विश्वेश्वर/H. N. Vishweshwar)**
निदेशक/Director

ह/Sd/
**(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)**
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 27.04.2013
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
**कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580S
As per our report of even date
**FOR NAYAK & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
**(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)**
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

# सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

# Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

## अनुसूची जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

| | As at<br>दि. 31.03.2013 को | As at<br>दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| **नोट सं./Note No. 3: शेयर पूंजी/SHARE CAPITAL** | | |
| **प्राधिकृत/Authorised :** | | |
| 1,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/1,00,00,000 equity shares of ₹10 each | **10,00,00,000** | 10,00,00,000 |
| (पी.वाई. 1,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10)/(P.Y. 1,00,00,000 equity shares of ₹10 each) | | |
| **निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी/Issued, subscribed and paid up Capital** | | |
| 2,50,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त/2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid | **25,00,000** | 25,00,000 |
| (पी.वाई. 2,50,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त)/(P.Y. 2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid) | | |
| उपर्युक्त सभी शेयर सिंडिकेटबैंक तथा इसके नामिती द्वारा धारित है/All the above shares are held by SyndicateBank and its Nominees | | |
| **कुल/Total** | **25,00,000** | 25,00,000 |
| **नोट सं./Note No. 4: आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus** | | |
| **सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve:** | | |
| पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement | **72,45,997** | 62,72,689 |
| जोडिए: शेष अधिशेष से अंतरित रकम<br>Add: Amount transferred from Surplus Balance | **12,89,370** | 9,73,308 |
| इतिशेष/Closing Balance | **85,35,367** | 72,45,997 |
| **लाभ व हानि लेखा विवरण में अधिशेष/Surplus in the Statement of Profit and Loss:** | | |
| पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement | **3,10,55,600** | 2,22,95,831 |
| वर्ष के लिए लाभ/Profit for the Year | **1,28,93,695** | 97,33,077 |
| **घटाइए/Less: विनियोजन/Appropriations** | | |
| सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण/Transfer to General Reserve | **12,89,370** | 9,73,308 |
| **लाभ व हानि लेखा विवरण में निवल अधिशेष/Net Surplus in the Statement of Profit and Loss A/c** | **4,26,59,926** | 3,10,55,600 |
| **नोट सं./Note No. 5: दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions** | | |
| **उपदान के लिए प्रावधान/Provision for Gratuity** | **9,45,526** | 7,17,285 |
| **कुल/Total** | **9,45,526** | 7,17,285 |
| **नोट सं./Note No. 6: अन्य चालू देयताएँ/Other Current Liabilities** | | |
| **व्ययों के लिए लेनदार/Creditors for Expenses** | **9,66,027** | 18,78,148 |
| **प्रदत्त सेवा कर/Service Tax Payable** | **–** | 15,318 |
| प्रदत्त स्रोत पर कर की कटौती/TDS Payable | **1,20,053** | 68,800 |
| **प्रदत्त व्यावसायिक कर/Professional Tax Payable** | **1,200** | |
| **कुल/Total** | **10,87,280** | 19,62,266 |

# सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

# Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

## अनुसूची जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| **नोट सं./Note No. 7: अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions** | | |
| **छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Provision for Leave Encashment** | **2,99,328** | 1,83,556 |
| **कुल/Total** | **2,99,328** | 183,556 |
| **नोट सं./Note No. 10: दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances** | | |
| किराया जमा/Rent Deposits | **27,900** | 58,500 |
| दूरभाष जमा/Telephone Deposits | **1,000** | 1,000 |
| **कुल/Total** | **28,900** | 59,500 |
| **नोट सं./Note No. 11: व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivable** | | |
| (बेजमानती, अच्छे समझे गए और छह महिने से कम)/(Unsecured, Considered good and less than six months) | | |
| सिंडिकेट बैंक/SyndicateBank | **33,11,197** | 15,84,628 |
| अन्य/Others | **83,530** | 2,24,792 |
| **कुल/Total** | **33,94,727** | 18,09,420 |
| **नोट सं./Note No. 12: नकद और नकदी समतुल्य राशि/Cash and Cash Equivalents** | | |
| नकदी शेष/Cash in Hand | **–** | – |
| **अनुसूचित बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Scheduled Banks** | | |
| मीयादी जमाराशि में/In Term Deposit | **4,85,00,000** | 3,92,00,000 |
| चालू खाते में–सिंडिकेट बैंक/In Current A/c – SyndicateBank | **13,86,209** | 6,61,243 |
| **कुल/Total** | **4,98,86,209** | 3,98,61,243 |
| **नोट सं./Note No. 13: अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances** | | |
| कर्मचारी त्योहार अग्रिम/Staff Festival Advance | **69,480** | 1,96,584 |
| पूर्वदत्त एएमसी प्रभार/Prepaid AMC Charges | **–** | – |
| अग्रिम आय कर/टीडीएस/Advance Income Tax/TDS | **6,27,835** | 4,45,527 |
| **कुल/Total** | **6,97,315** | 6,42,111 |
| **नोट सं./Note No. 14: अन्य चालू आस्तियाँ/Other Current Assets** | | |
| जमाराशियों पर उपचित ब्याज/Interest Accrued on Deposits | **8,98,098** | 7,91,279 |
| प्राप्य सेवा कर/Service Tax Receivable | **3,97,928** | – |
| **कुल/Total** | **12,96,026** | 7,91,279 |

# सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104
(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

# Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104
(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

**नोट सं/Note No. 8 : अचल आस्तियाँ/Fixed Assets**

| | सकल खण्ड/Gross Block | | | मूल्यह्रास खण्ड/Depreciation Block | | | | निवल खण्ड/Net Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्यौरे/Particulars | दि. 01.04.2012 को शेष राशि Balance as on 01.04.2012 | वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the Year | **दि. 31.03.2013 को शेष राशि Balance as on 31.03.2013** | दि. 01.04.2012 को प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2012 | मूल्यह्रास की दर Depn. Rate | वर्ष के लिए परिवर्धन Additions for the Year | दि. 31.03.2013 को शेष राशि Balance as on 31.03.2013 | दि. 31.03.2012 को मूल्यह्रसित मूल्य WDV as on 31.03.2012 | **दि. 31.03.2013 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2013** |
| **मूर्त आस्तियाँ: Tangible Assets:** | | | | | | | | | |
| फर्नीचर/Furniture | 87,214 | – | **87,214** | 57,428 | 18.10% | 5,391 | 62,819 | 29,786 | **24,395** |
| विद्युत जुडनार Electrical Fittings | 24,450 | – | **24,450** | 15,086 | 13.91% | 1,303 | 16,389 | 9,364 | **8,061** |
| कंप्यूटर और पेरिफेरल्स Computer & Pheripherals | 6,67,739 | 1,65,870 | **8,33,609** | 6,05,617 | 40.00% | 27,394 | 6,33,011 | 62,122 | **2,00,598** |
| मोबाइल फोन Mobile Phones | 9,900 | – | **9,900** | 5,229 | 13.91% | 650 | 5,879 | 4,671 | **4,021** |
| वैक्यूम क्लीनर Vacuum Cleaner | 7,790 | – | **7,790** | 2,551 | 13.91% | 729 | 3,280 | 5,239 | **4,510** |
| मोटर कार/Motor Car | 519,870 | – | **5,19,870** | 433,801 | 25.89% | 22,283 | 4,56,084 | 86,069 | **63,786** |
| **कुल/Total** | 13,16,963 | **1,65,870** | **14,82,833** | **11,19,712** | | **57,750** | **11,77,462** | **1,97,251** | **3,05,371** |
| पिछला वर्ष Previous Year | 13,16,963 | – | **13,16,963** | 10,38,533 | | 81,179 | 11,19,712 | 2,78,430 | **1,97,251** |

**नोट सं./Note No. 9: आस्थगित कर/DEFERRED TAX**

| आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets | आय कर Income Tax | वित्तीय विवरण Financial Statements | अंतर Difference | आस्थगित कर आस्तियाँ/Deferred Tax Assets |
|---|---|---|---|---|
| अचल आस्तियां: कर मूल्यह्रास और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रभारित मूल्यह्रास के बीच के अंतर का प्रभाव/ Fixed Assets: Impact of difference between Tax Depreciation and Depreciation charged for Financial Reporting | 3,51,561 | 3,05,371 | 46,190 | 14,986 |
| लाभ व हानि विवरण को प्रभारित परंतु कर के प्रयोजन हेतु भुगतान आधार पर अनुमत व्ययों का प्रभाव/ Impact of Expenditure charged to the Statement of Profit and Loss but allowed for Tax purpose on payment basis | 0 | 12,44,854 | 12,44,854 | 4,03,893 |
| कुल आस्थगित कर आस्तियां/Total Deferred Tax Assets | | | | 4,18,879 |

स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru
तारीख/Date : 27.04.2013

# सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

# Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

## अनुसूची जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

## SCHEDULE FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

| | As at दि. 31.03.2013 को | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| **नोट सं./Note No. 15: सेवा राजस्व/REVENUE FROM OPERATIONS** | | |
| हार्डवेयर परीक्षण प्रभार/Hardware Testing Charges | **73,27,340** | 36,84,410 |
| अनियमित रिटेल ऋणों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेवा प्रभार/Service charges for follow up Irregular Retail Loans | **72,03,167** | 83,49,214 |
| मेलर प्रेषण राजस्व/Mailer Despatch Revenue | **–** | 10,25,587 |
| कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Income | **68,41,761** | 49,92,419 |
| क्रेडिट कार्ड की अनुवर्ती कार्रवाई से प्राप्त आय/Credit Card Followup Income | **–** | 1,56,923 |
| ई-फाइलिंग से प्राप्त आय/E-Filing Income | **7,663** | 42,574 |
| सी.एम.एस.-एस.एम.एस. से प्राप्त आय/CMS-SMS Income | **2,02,536** | 1,59,455 |
| कर्नाटक राज्य पेंशन डाटाबेस निर्माण से प्राप्त आय/Karnataka State Pensions Database buildup income | **–** | 98,720 |
| प्रथमा बैंक के निष्क्रिय लेखा रख-रखाव से प्राप्त आय/Prathama Bank Dormant A/c Maintenance income | **–** | – |
| इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड से प्राप्त आय/Internet Banking Password Income | **54,07,276** | 30,12,998 |
| कियोस्क वसूली से प्राप्त आय/KIOSK Collection Income | **21,99,478** | 3,58,380 |
| के.पी.एस.सी. से प्राप्त आय/KPSC Income | **1,04,085** | 74,940 |
| आर.ई.सी.एस. से प्राप्त आय/RECS Income | **–** | 50,000 |
| सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से प्राप्त आय/Software Development Income | **–** | 3,50,000 |
| विविध सेवा से प्राप्त आय/Miscellaneous Service Income | **1,39,785** | 2,987 |
| **कुल/Total** | **2,94,33,091** | 2,23,58,607 |
| **नोट सं./Note No. 16: अन्य आय/OTHER INCOME** | | |
| बैंक ब्याज/Bank Interest | **39,90,801** | 28,90,131 |
| आय कर वापसी पर ब्याज/Interest on Income Tax Refund | **–** | 1,15,308 |
| विविध आय/Miscellaneous Income | **–** | – |
| **कुल/Total** | **39,90,801** | 30,05,439 |
| **नोट सं./Note No. 17: वेतन और भत्ते/SALARY AND ALLOWANCES** | | |
| कर्मचारियों का वेतन/Staff Salaries | **41,60,734** | 43,77,424 |
| पेंशन/भविष्य निधि और अन्य निधियों को अंशदान/Contribution to Pension, Provident and other Funds | **2,07,375** | 2,58,212 |
| उपदान और छुट्टी का नकदीकरण/Gratuity and Leave Encashment | **3,44,013** | 1,74,958 |
| अन्य भत्ते और परिलब्धियां/Other Allowances & perquisites | **3,32,237** | 5,41,887 |
| **कुल/Total** | **50,44,359** | 53,52,481 |
| **नोट सं./Note No. 18: परिचालन संबंधी व्यय/OPERATIONAL EXPENSES** | | |
| कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation expenses | **4,325,681** | 30,10,575 |
| क्रेडिट कार्ड अनुवर्ती कार्रवाई प्रभार/Credit Card Follow Up Charges | **-** | 25,227 |
| ई. फाइलिंग प्रभार/E-Filing charges | **1,848** | 326 |
| कर्नाटक पेंशन डाटाबेस निर्माण प्रभार/Karnataka Pension Database buildup charges | **-** | – |
| मेलर प्रेषण व्यय/Mailer despatch expense | **444,737** | 2,75,695 |
| प्रथमा बैंक निष्क्रिय लेखा रख-रखाव प्रभार/Prathama Dormant A/c Maintenance expense | **-** | – |
| खुदरा ऋण अनुवर्ती कार्रवाई व्यय /Retail Loan Follow up expense | **708,004** | 8,98,523 |
| दूरभाष प्रभार और एस.एम.एस./Telephone charges & SMS | **245,625** | 1,98,387 |
| पंजीकरण और नवीकरण/Registration and Renewals | **5,000** | 5,000 |
| फाइलिंग शुल्क/Filing fees | **2,000** | 6,300 |

# सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

# Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

## अनुसूची जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

## SCHEDULE FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

| | **As at दि. 31.03.2013 को** | As at दि. 31.03.2012 को |
|---|---|---|
| लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/Auditor's Remuneration: | | |
| लेखा परीक्षा शुल्क/Audit fees | **20,000** | 20,000 |
| कर लेखा परीक्षा शुल्क/Tax Audit fees | **20,000** | 20,000 |
| लेखा परीक्षा व्यय/Audit Expenses | **40,699** | 24,534 |
| व्यावसायिक प्रभार अनुपालन और अन्य/Professional charges for Compliance & others | **3,500** | 10,000 |
| निदेशकों की बैठक का शुल्क/Director's sitting fees | **6,000** | 15,000 |
| यात्रा व्यय/Travelling Expenses | **1,37,546** | 47,209 |
| वाहन रख-रखाव व्यय/Vehicle Maintenance expenses | **2,30,449** | 1,06,734 |
| कार बीमा/Car Insurance | **–** | – |
| वेबसाइट डेवलपमेंट प्रभार/Website Development charges | **3,540** | 3,905 |
| मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery | **62,375** | 2,23,789 |
| विराम और वाहन व्यय/Halting & conveyance | **2,04,180** | 1,91,175 |
| कार्यालय का किराया/Office Rent | **4,78,275** | 2,43,600 |
| आंकडा प्रविष्टि प्रभार/Data Entry charges | **–** | 63,113 |
| कंप्यूटर का रख-रखाव/Computer Maintenance | **40,279** | 36,644 |
| विविध व्यय/Miscellaneous Expenses | **12,578** | 17,835 |
| आंतरिक लेखा परीक्षकों का शुल्क/Internal Auditors Fees | **–** | 15,000 |
| विद्युत प्रभार/Electricity Charges | **36,000** | 36,000 |
| मनोरंजन व्यय/Entertainment Exps. | **–** | – |
| डाक व्यय/Postal Charges | **5,026** | 342 |
| कियोस्क वसूली व्यय/KIOSK Collection Expenses | **15,98,170** | 3,06,599 |
| बैठक और सम्मेलन व्यय/Meeting and Conference expenses | **9,407** | 23,666 |
| आउटसोर्सिंग प्रभार/Outsourcing Expenses | **75,717** | – |
| आर ई सी एस व्यय/RECS Expenditure | **50,000** | – |
| पिन मेलर के प्रेषण पर व्यय/PIN Mailers Dispatch Expenses | **4,91,420** | – |
| **कुल/Total** | **92,58,058** | 58,25,178 |

**कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.**

ह/Sd/
**(म. गि. संघवी/M. G. Sanghvi)**
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
**(रवि चटर्जी/Ravi Chatterjee)**
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
**(एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad)**
निदेशक/Director

ह/Sd/
**(एस. के.ढींगरा/S. K. Dhingra)**
निदेशक/Director

ह/Sd/
**(के. पी. मुरलीधरन/K. P. Muralidharan)**
निदेशक/Director

**अवकाश पर**/On Leave
**(एच. एन. विश्वेश्वर/H. N. Vishweshwar)**
निदेशक/Director

ह/Sd/
**(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)**
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 27.04.2013
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
**कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार - एफ.आर.एन.: 007580S
As per our report of even date
**FOR NAYAK & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
**(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)**
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

# सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104
(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)
# Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104
(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)
## दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित नोट
## NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

**नोट सं. 1: नैगम सूचना**

सिंडिबैंक सर्विसेज लि. की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 25 जनवरी, 2006 को की गई थी, जो सिंडडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनी है, जिसकी प्राधिकृत पूंजी ₹ करोड और प्रदत पूंजी ₹ लाख है। इसका उद्देश्य बैंक ऑफिस सेवाएं उपलब्ध कराना है। वर्ष 2012-2013 के दौरान कंपनी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप संपन्न किए गए:

1. नोटिस तथा एस.एम.एस. संदेशों के जरिए सिंडिकेटबैंक के अनियमित खुदरा ऋण पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।
2. सिंडिकेटबैंक और उसके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य बैंकों को भेजे जाने वाले कंप्यूटर हार्डवेयरों की पोतलदानपूर्व जाँच।
3. सिंडिकेटबैंक को कार्ड वैयक्तिकरण सेवाएं।
4. सी.एम.एस.सी., सिंडिकेटबैंक, मुंबई के ग्राहकों को देशी और अंतर्राष्ट्रीय एस.एम .एस. संदेश भेजना।
5. सिंडिकेटबैंक के बेंगलूर और मणिपाल क्षेत्र की शाखाओं की तिमाही टी.डी.एस. विवरणियों (फार्म 24 क्यू, 26 क्यू, और 27 क्यू ) की ई–फाइलिंग ।
6. सिंडिकेटबैंक के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का मुद्रण।
7. सिंडिकेटबैंक के लिए बी.डब्ल्यू.एस.एस.बी. कियोस्क से नकद और चेकों की वसूली।
8. सिंडिकेटबैंक के लिए के.पी.एस.सी. अभ्यर्थियों के अंकडों का संसाधन करना ।

**नोट सं. 2: लेखा संबंधी टिप्पणियाँ**

1. **महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ**

**क. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार**

इस वित्तीय विवरण को प्रायोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के संगत उपबंधों के अनुसार उपचय आधार पर परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया गया है ।

**ख. राजस्व की पहचान**

i) कारोबार प्रक्रिया बाह्यनियोजन (बी.पी.ओ.) सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान, समय एवं सामग्री, निर्दिष्ट मूल्य और यूनिट मूल्य संविदाओं पर की गयी है । समय एवं सामग्री, यूनिट मूल्य संविदा से प्राप्त राजस्व की पहचान, प्रदान की गयी संगत सेवाओं के रूप में की गयी है । नियत कीमत संविदाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान आनुपातिक समापन पद्धति तथा समापन के स्तर निर्धारित करने की संविदागत लागत के अनुसार की गयी है।

ii) सेवा की पहचान, सेवा कर घटाने के बाद की जाती है ।

iii) ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि तथा लागू होनेवाली दर की गणना में लेकर समय अनुपात के आधार पर की गयी है ।

**ग. अचल आस्तियाँ**

अचल आस्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यह्रास को घटाने के बाद अभिग्रहण की परंपरागत लागत पर किया गया है ।

कंपनी अचल आस्तियों के अभिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागतों का पूंजीकरण करती है।

**घ. मूल्यह्रास**

i) अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों और उसमें यथा निर्दिष्ट रीति के अनुसार अवलेखित मूल्य पद्धति पर प्रावधान किया गया है।

ii) आस्तियों में किए गए परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान उनके अभिगृहण की तारीख को प्रचलित दरों पर समानुपातिक आधार पर किया गया है।

**Note No. 1: Corporate information**

SyndBank Services Ltd. (the Company) is a wholly owned Subsidiary of SyndicateBank, incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and domiciled in India. The Company is engaged in providing Back Office support to SyndicateBank and other Financial Institutions. The major activities undertaken by the Company are as under. The company has undertaken the following activities during the year 2012-13

1. Follow-up of irregular retail loans of the Bank by sending Notices and SMS messages.
2. Pre-shipment testing of computer hardware procured by SyndicateBank, RRBs sponsored by SyndicateBank and other Banks.
3. Card personalization services to SyndicateBank.
4. Sending of domestic and international SMS messages to clients of CMSC, SyndicateBank, Mumbai.
5. E filing of quarterly TDS returns (24Q, 26Q and 27Q) of the branches of Bengaluru and Manipal Regions of SyndicateBank.
6. Printing of Internet Banking Passwords for customers of SyndicateBank.
7. Collection of cash and cheques from Kiosks of BWSSB for SyndicateBank.
8. Processing of Data of KPSC Candidates for SyndicateBank.

**Note No. 2: Notes to Accounts**

**1. Significant Accounting Policies**

**A. Basis of Preparation of Financial Statements**

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis in accordance with the applicable mandatory Accounting Standards and the relevant provisions of the Companies Act, 1956.

**B. Revenue Recognition**

i) Revenue from Business Process Outsourcing (BPO) services are recognized on time and material, fixed price and unit priced contracts. Revenue on time and material, unit priced contracts is recognized as the related services are rendered. Revenue from fixed price contracts is recognized as per the proportionate completion method with contract cost determining the degree of Completion.

ii) Services are Recognized net of Service Tax.

iii) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

**C. Fixed Assets**

Fixed Assets are stated at historical cost of acquisition less accumulated depreciation.

The company capitalizes all direct costs relating to the acquisition of the fixed assets.

**D. Depreciation**

i) Depreciation on fixed assets has been provided on Written Down Value method at the rates and in the manner prescribed in the Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

ii) Depreciation on the additions to the assets is provided on pro-rata basis, at their respective rates with reference to the date of acquisition.

**ङ. आस्तियों की हानि**

आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है। यदि किसी आंतरिक/बाहरी घटकों के आधार पर हानि का संकेत मिलता है तो, जब कभी आस्तियों की रखाव रकम उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्तियों के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य से अधिक है ।

**च. कराधान**

कर व्यय में, चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर का आंकन भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली रकम पर किया जाता है । आस्थगित आय करों की पहचान, आय के वित्तीय विवरण के निर्धारण तथा कर उद्देश्य हेतु उनकी पहचान करने के बीच के समय अंतर के लिए लगाए जाने वाले भावी कर के परिणामों के लिए की जाती है। कर की दरों में हुए परिवर्तन के कारण से आस्थगित कर आस्ति तथा देयताओं पर पड़नेवाले प्रभाव की पहचान, तुलन-पत्र की तारीख तक लागू कर की दरों और लागू किए गए या वास्तविक रूप से लागू किए गए कर संबंधी कानूनों का प्रयोग करते हुए आय लेखे में की गयी है । आस्थगित कर आस्तियों की केवल उस सीमा तक पहचान की गयी और आगे ले जाया गया है जिस पर यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि पर्याप्त मात्रा में भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त की जा सके। पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया गया और पहचान की गयी जिस से भावी कर योग्य आय उपलब्ध है, जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त हो सके ।

**छ. खण्डवार रिपोर्टिंग**

कंपनी, मुख्यतः सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी के रूप में कार्य कर रहा है। कंपनी, हार्डवेयर परीक्षण, रिटेल ऋण पर अनुवर्ती कार्रवाई, डाक प्रेषण, कार्ड वैयक्तीकरण सेवाएं, विभिन्न प्रकार के ग्राहक संबंधी आंकडों का संग्रहण तथा बैंकिंग परिचालनों से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान करती है। इन सभी सेवाओं में समान प्रकार की जोखिम और प्रतिलाभ शामिल हैं। इसलिए पहचान की गयी एक ही रिपोर्ट योग्य खण्ड है, यानी, सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करना । कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है ।

**ज. कर्मचारी लाभ**

कंपनी के सभी कर्मचारी सिंडिकेटबैंक के स्थायी कर्मचारी है और वे प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं । सभी कर्मचारी लाभ-भविष्य निधि में सांविधिक अंशदान, पेंशन निधि, उपदान निधि और छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयता का प्रावधान सिंडिकेटबैंक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया गया है ।

**झ. आकस्मिक देयताएं**

कोई आकस्मिक देयताएं नहीं है ।

**ञ. प्रावधान**

प्रावधानों की पहचान तभी किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण से वर्तमान दायित्व शामिल होता है और यह संभव है कि उस दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके । प्रावधानों को उसके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं किया गया है और उसका निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर किया गया है । इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है । मौजूदा प्रबंधन प्राक्कलन को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है ।

**ट. प्राक्कलनों का प्रयोग**

वित्तीय विवरणों की तैयारी, सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है जो प्रबंधक वर्ग को उन प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों के लिए अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तारीख तथा आलोच्य वर्ष के अंत में परिचालन संबंधी परिणामों को प्रभावित करता है । ये प्राक्कलन चालू परिणामों और कार्रवाइयों के संबंध में प्रबंधक वर्ग की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होने के बावजूद वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकता है ।

**ठ. प्रति शेयर अर्जन**

मूल प्रतिशेयर अर्जन का परिकलन, उक्त अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए किया गया है । हटाया गया प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान बकाया ह्रासमान ईक्विटी के बराबर शेयरों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहाँ परिणाम ह्रासमान न हो ।

**E. Impairment of Assets**

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use.

**F. Taxation**

Tax expense comprises of current and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Indian Income Tax Act. Deferred income taxes are recognized for the future tax consequenses attributable to timing differences between the financial statement determination of income and their recognition for tax purposes. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in the tax rates are recognized in income using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable incomes will be available against which such deferred tax assets can be realized. Unrecognized deferred tax assets of earlier year are reassessed and recognized to the extent that future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized.

**G. Segment Reporting**

The company operates as an outsourcing service provider to SyndicateBank. The company provides services of Hardware testing, Retail loan follow-up, Mailer despatch, Card Personalisation services, creating various customer database and other services facilitating banking operations. All these services have similar risk and returns. Thus, there is only one identified reportable segment that is outsourcing service to SyndicateBank. There is no reportable geographical segment either.

**H. Employee Benefits**

All the staff of the company are permanent employees of SyndicateBank and are on deputation to the company. All the employee benefits - statutory contributions to Provident Fund, Pension Fund, Gratuity Fund and Liability towards Leave Encashment are provided based on information given by SyndicateBank.

**I. Contingent Liabilities**

There are no contingent liabilities.

**J. Provisions**

Provisions are recognized when there is present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provsions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

**K. Use of Estimates**

The preparation of financial statements in confirmity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

**L. Earning per Share**

Basic earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period except where the results would be anti-dilutive.

# सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

# Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

## कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार विवरण
## Statement Pursuant to Part IV of Schedule VI of the Companies Act, 1956

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I. | **पंजीकरण के ब्यौरे/Registration details** | यू/U72300 के ए/KA2006 ओकेसीओ/OKCO38305 | | |
| | राज्य कूट/State Code | 08 | | |
| II. | **वर्ष के दौरान जुटाई गई पूँजी/Capital raised during the year** | | | |
| | सार्वजनिक निर्गम/Public issue | 0 | अधिकार निर्गम/Right issue | 0 |
| | बोनस निर्गम/Bonus issue | 0 | निजी तौर पर शेयर आबंटन/Private Placement | 0 |
| III. | **निधियों का संग्रहण और विनियोजन की स्थिति<br>Position of Mobilisation and Deployment of Funds** | | | |
| | कुल देयताएँ/Total Liabilities | 56,027.43 | कुल आस्तियाँ/Total Assets | 56,027.43 |
| | **निधियों का स्रोत/Sources of Funds :** | | | |
| | प्रदत्त पूँजी/Paid up Capital | 2,500.00 | आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus | 51,195.29 |
| | जमानती ऋण/Secured Loans | 0.00 | बेजमानती ऋण/Unsecured Loans | 0.00 |
| | **निधियों का अनुप्रयोग/Application of Funds:** | | | |
| | निवल अचल आस्तियाँ/Net Fixed Assets | 0.00 | निवेश/Investments | 0.00 |
| | विविध व्यय/Misc. Expenditure | 0.00 | संचित हानि/Accumulated losses | 0.00 |
| | निवल चालू आस्तियाँ/Net Current Assets | 55,274.28 | आस्थगित कर आस्ति/Deferred tax Asset | 418.88 |
| IV. | **कंपनी का निष्पादन/Performance of the Company** | | | |
| | आय/Income | 33,423.89 | व्यय/Expenditure | 14,360.17 |
| | कर से पहले लाभ/Profit before Tax | 19,063.73 | कर के बाद लाभ/Profit after Tax | 12,893.70 |
| | प्रति शेयर अर्जन/Earnings per Share ₹ | 51.57 | लाभांश की दर/Dividend rate % | 0 |
| V. | **कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम<br>Generic names of three principal products/services of the company :** | | | |
| | मद कूट सं (आई.टी.सी. कूट)/Item Code No. (ITC Code): | लागू नहीं/N A | | |
| | उत्पाद के ब्यौरे/Product description : | सेवाएँ/Services | | |

**कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.**

ह/Sd/
**(म. गि. संघवी/M. G. Sanghvi)**
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
**(रवि चटर्जी/Ravi Chatterjee)**
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman

ह/Sd/
**(एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad)**
निदेशक/Director

ह/Sd/
**(एस. के.ढींगरा/S. K. Dhingra)**
निदेशक/Director

ह/Sd/
**(के. पी. मुरलीधरन/K. P. Muralidharan)**
निदेशक/Director

**अवकाश पर**/On Leave
**(एच. एन. विश्वेश्वर/H. N. Vishweshwar)**
निदेशक/Director

ह/Sd/
**(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)**
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 27.04.2013
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
**कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580S
As per our report of even date
**FOR NAYAK & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
**(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)**
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

# सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

# Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

## दि. 31-03-2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

## CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2013

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

| ब्यौरे/Particulars | 2012-13 | 2011-12 |
|---|---|---|
| **परिचालन क्रियाकलापों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES** | | |
| सतत परिचालन के संबंध में कराधान से पहले लाभ/Profit before tax from continuing operations | **19,063,726** | 14,105,207 |
| कराधान से पहले लाभ और निवल नकदी प्रवाह के समाधान हेतु किया गया गैर नकदी समायोजन<br>Non-cash adjustment to Reconcile Profit before tax to Net Cash Flows | | |
| सतत परिचालनों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Continuing Operations | **57,750** | 81,179 |
| उपदान के लिए प्रावधान/Gratuity Provisions | **228,241** | 174,958 |
| छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Leave Encashment Provision | **115,772** | – |
| ब्याज आय/Interest Income | **(3,990,801)** | (2,890,131) |
| **कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/Operating Profit before Working Capital Changes** | **15,474,688** | 11,471,214 |
| **कार्यशील पूंजी में उतार–चढ़ाव/Movement in Working Capital:** | | |
| व्यापार देय राशि में हुई वृद्धि/(कमी)/Increase/(decrease) in Trade Payable | | |
| अन्य चालू देयताओं में हुई वृद्धि (कमी)/Increase/(decrease) in other Current Liabilities | **(874,986)** | 710,252 |
| व्यापार प्राप्य राशियों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in trade receivable | **(1,585,307)** | (319,790) |
| दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in long term loans and advances | **30,600** | 1,000 |
| अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई वृद्धि/(कमी)/Decrease/(increase) in short term loans and advances | **127,104** | 37,686 |
| अन्य चालू आस्तियों में हुई वृद्धि (कमी)/Decrease/(increase) in other current assets | **(504,747)** | (351,625) |
| परिचालनों से सृजित नकद/Cash generated from operations | **12,667,352** | 11,548,737 |
| प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी को घटाकर)/Direct taxes paid (net of refund) | **(6,467,318)** | (3,598,518) |
| **परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह/Net cash flow from operating activities** | **6,200,034** | 7,950,220 |
| असाधारण मदें/Extra ordinary items | – | – |
| **परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी/Net cash from operating activities** | **6,200,034** | 7,950,220 |
| **निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह/Cash flow from investing activities** | | |
| अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets | **(165,870)** | – |
| प्राप्त ब्याज/Interest received | **3,990,801** | 2,890,131 |
| **निवेश कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from investing activities** | **3,824,931** | 2,890,131 |
| **वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/Cash flow from financing activities** | | |
| शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आगम राशि/Proceeds from issuance of share capital | – | – |
| **वित्तीयन कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from financing activities** | – | – |
| **नकद और नकदी समतुल्य मदों में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents** | **10,024,966** | 10,840,350 |
| **वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी के समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the beginning of the year** | **39,861,243** | 29,020,893 |
| **वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the end of the year** | **49,886,209** | 39,861,243 |
| **नोट:** नकदी प्रवाह विवरण को नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखाकरण मानक – 3 में निर्धारित ''परोक्ष पद्धति'' के अंतर्गत तैयार किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 1956 कि धारा 211 कि उप–धारा (3ग) के अंतर्गत अधिसूचित है।<br>**Notes:** The Cash flow statement has been prepared under the "Indirect Method" as set out in Accounting Standard-3 on Cash Flow Statements, notified under sub section (3c) of Section 211 of the Companies Act, 1956. | | |

**कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.**

| | | |
|---|---|---|
| ह/Sd/<br>**(म. गि. संघवी/M. G. Sanghvi)**<br>अध्यक्ष/Chairman | ह/Sd/<br>**(रवि चटर्जी/Ravi Chatterjee)**<br>उपाध्यक्ष/Vice-Chairman | ह/Sd/<br>**(एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad)**<br>निदेशक/Director |
| ह/Sd/<br>**(एस. के.ढींगरा/S. K. Dhingra)**<br>निदेशक/Director | ह/Sd/<br>**(के. पी. मुरलीधरन/K. P. Muralidharan)**<br>निदेशक/Director | **अवकाश पर**/On Leave<br>**(एच. एन. विश्वेश्वर/H. N. Vishweshwar)**<br>निदेशक/Director |

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
**कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580S
As per our report of even date
**FOR NAYAK & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN: 007580S

ह/Sd/
**(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)**
प्रबंध निदेशक/Managing Director

ह/Sd/
**(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)**
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

तारीख/Date : 27.04.2013
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

प्रिय शेयरधारक,

**विषय: ई.सी.एस. (जमा) के माध्यम से लाभांश का भुगतान/खाते में सीधा जमा।**

1. कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अधीन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
   क) प्रेषण में हानि
   ख) तृतीय पक्ष द्वारा कपटपूर्ण भुनाई
   ग) डाक में देरी
2. इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांशों/ ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई सी एस) की शुरुआत की है, जो शेयरधारकों के लिए उनके बैंक खातों में लाभांशों की समयोचित सीधे जमा सुनिश्चित करता है।
3. **आगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) ने निदेश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ईसीएस सुविधा अनिवार्य है।**
4. ई सी एस के अधीन शेयरधारक सदस्य के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी। इस व्यवहार को कार्यान्वित करने के बाद बैंक शेयरधारक को सीधे एक सूचना पत्र जारी करेगा।
5. संप्रति, यह सुविधा कुछ विशिष्ट केन्द्रों में स्थित बैंकों में खाता रखनेवाले शेयरधारकों को उपलब्ध है और भा.रि.बैं. इस सुविधा को अन्य केन्द्रों में भी शुरू करनेवाला है। विशेष रूप से ई सी एस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक के लिए नया बैंक खाता खोलना आवश्यक नहीं है क्योंकि शेयरधारक के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी।
6. कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण का कोई अधिदेश निर्देश वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित कराने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और ई सी एस अधिदेश दर्ज किया जाएगा यदि आपने ई सी एस के लिए विकल्प दिया है।
7. हम एतद्द्वारा एक 'ई सी एस अधिदेश फार्म' संलग्न कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उसमें प्रस्तुत करें जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण होनी चाहिए और आपके बैंक द्वारा प्रमाणित की गई हो। कृपया पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित आई एफ एस सी कूट और एम आई सी आर कूट पंक्ति (कोड लाईन) की यथातथ्यता सत्यापित की जा सके।
8. सिंडिकेटबैंक की सभी शाखाएं सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) परिवेश में कार्य कर रहीं है। हमारे पास बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे संलग्न ई सी एस अधिदेश में अपनी 14 अंकों वाली खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश को सीधे उनके खाते में जमा किया जा सके।
9. कृपया ई सी एस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजंट अर्थात **मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: सिंडिकेटबैंक,** प्लॉट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081 को अग्रेषित करें।
10. आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और केवल भविष्य में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से ही इस सूचना का उपयोग किया जाएगा।

भवदीय,
रवि
**(आर. रवि)**
कंपनी सचिव

दिनांक: 29.05.2013

Dear Shareholder,

**Sub: Payment of Dividend through ECS (Credit) /Direct Credit to the account.**

1. At times, the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
   a) Loss in transit
   b) Fraudulent encashment by third parties
   c) Postal delay
2. To avoid these problems, the Reserve Bank of India has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/ interest etc. that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
3. **Further, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) has directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.**
4. Under ECS, the Bank Account of the Shareholder member would be credited with the dividend amount. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder after the transaction is effected.
5. This facility is presently available to shareholders having Bank Account with all Banks at certain specified centres and RBI is proposing to extend this facility to other centres as well. The shareholder need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder.
6. Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record, in case you opt for ECS.
7. The 'ECS Mandate Form' is annexed and we request you to furnish the details of your Bank Account, where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and certified by your Bank. Please attach a self attested copy of PAN Card and a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank for verifying the accuracy of the IFSC Code and MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.
8. All the branches of SyndicateBank are operating under CBS (Core Banking Solutions) environment. The investors maintaining their Savings Bank/ Current/ Overdraft accounts with us are requested to provide us their 14 digit account number in the ECS Mandate for DIRECT CREDIT of dividend to their accounts.
9. Kindly send the ECS Form/ Bank Mandate duly filled, directly to our Registrars and Share Transfer Agents viz. **M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. UNIT: SyndicateBank,** Plot No. 17 to 24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081.
10. The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of remitting the future dividend payments.

Yours faithfully,

**(R RAVI)**
COMPANY SECRETARY

Date: 29.05.2013

This Page is Left Blank

## इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (क्रेडिट)
## ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ई सी एस अधिदेश फार्म
## ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT)
## ECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
**यूनिट : सिंडिकेटबैंक**
प्लॉट सं. 17 से 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद - 500 081

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
**Unit : SyndicateBank**
Plot No. 17 to 24
Vithalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad – 500 081

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   First Shareholder's Name (IN BLOCK LETTERS) :

2. पता/Address :

3. शेयरधारक की फोलियो संख्या/Shareholder's Folio No. :

4. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account :

   क) बैंक का नाम
   A) Bank Name :

   ख) शाखा का नाम तथा शहर (पिन कूट)
   B) Branch Name & City (Pin Code) :

   ग) खाता संख्या (चेक बुक पर जो लिखा गया है)
   C) Account No. (as appearing on the cheque book) :

   घ) खाते का प्रकार (कृपया निशान लगाएं)
   D) Account Type (Please tick) : ब.बैं. SB ☐ चालू Current ☐ नकदी उधार Cash Credit ☐
   (बचत बैंक खाता, चालू खाता या नकदी उधार)
   (SB Account, Current A/c or Cash Credit) :

   ङ) बैंक खाते का खाता बही पन्ना सं. (यदि चेक बुक पर दिया गया है)
   E) Ledger Folio No. of the Bank A/c
   (If appearing on the Cheque Book) :

   च) बैंक द्वारा जारी किये गए एम आई सी आर चेक पर दिया हुआ बैंक तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या
   F) 9-Digit Code No. of the Bank & Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank : ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

कूट संख्याओं की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित 'चेक पन्ने' की एक फोटोप्रति या एक कोरा निरस्त चेक संलग्न करें।

Please attach a photocopy of the 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

## घोषणा/DECLARATION

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं सही है। अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेन-देन में विलंब होता है या संपन्न ही नहीं होता है तो मैं सिंडिकेटबैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी ।

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold SyndicateBank responsible.

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर
Signature of the First Shareholder

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं ।

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर
Signature of the Manager of Bank Concerned

**टिप्पणी:** शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी फोलियो संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।

**NOTE :** Shareholders are requested to furnish their Folio No. without fail.

**अनुलग्नक:** 1) एकल/प्रथम शेयरधारक के 'पैन' कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति

**ENCL:** Self attested copy of PAN Card of the sole / first shareholder.

2) बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/निरस्त किया गया चेक पन्ना
Copy of / Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.

# प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए और हस्ताक्षर किए जाए)

| |
|---|
| **पंजीकृत फोलियो**<br>(यदि बेकागजीकृत नहीं हो) |
| **डी पी आई डी व ग्राहक आई डी**<br>(यदि बेकागजीकृत हो) |

मैं/हम ............................................................ निवासी ...............................................................
जिला ...................................... राज्य ................................... सिंडिकेटबैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा
श्री/श्रीमती...........................................................................................निवासी..........................................
जिला ................................................ राज्य ...................................................... को, **अथवा** इनके न होने पर,
श्री/श्रीमती ................................................................... निवासी ...................................................
जिला ................................................ राज्य .................................... को सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की ...............
को सिंडिकेटबैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में 25.06.2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे होनेवाली वार्षिक आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2013 के ................ माह के ................................ दिन को हस्ताक्षरित

कृपया ₹ 1/- का राजस्व स्टांप लगाएं

.................................. प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

............................................... प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

**मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश:**

1. प्राक्सी की लिखत तभी वैध होगा जब
   - क) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में उसके/उसकी अटर्नी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया जाए ।
   - ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।
   - ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।
2. मुख्तारी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए । किन्तु शेयरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेटबैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए ।
3. मुख्तारी के साथ
   - क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
   - ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात्, 20.06.2013 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले नैगम सूचना केन्द्र, सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल – 576 104 में जमा किए जाने चाहिए।
4. मुख्तारी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत् स्टाम्पित न हों ।
5. बैंक में जमा की गई मुख्तारी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी ।
6. यदि मुख्तारी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हों तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाए ।
7. जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस लिखत से संबंधित वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हों।
8. सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या मुख्तारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

# PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

| | |
|---|---|
| **Regd. Folio** (If not dematerialised) | |
| **DP ID & Client ID** (If dematerialised) | |

I/We.........................................................................................................resident(s) of.................................................in the district of..........................................................in the State of........................................................being a shareholder/ shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. ........................................................................................ resident of...................................................in the district of....................................in the State of...............................**OR** failing him/her, Shri/Smt. ..........................................................................resident of...................................in the district of ........................................................in the state of.......................................as my/our proxy to vote for me/us and on my/ our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of SyndicateBank to be held on 25.06.2013 at 11.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this ............................... day of .............................. 2013.

Please Affix
₹ 1/-
Revenue
Stamp

........................................................ Signature of Proxy

........................................................................ Signature of First named/Sole Shareholder

Name :
Address :

**INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM**

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of SyndicateBank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on 20.6.2013.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of SyndicateBank.

# फॉर्म 2 बी

**(नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)**

## नामांकन प्रपत्र

(उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन कर रहे हैं)

मैं/हम........................................................................................................................और..............................................................................................................

और .................................................................................................................... जो सिंडिकेटबैंक के फोलियो नं. ............................................................................

के अन्तर्गत शेयरधारक हूँ/हैं एतद्द्वारा निम्न व्यक्ति(यों) को नामित करता/करती हूँ /करते हैं, जिन्हें मेरी अथवा हमारी मृत्यु होने पर शेयरों के मामले में अंतरण और/अथवा देय रकम के बारे में सभी अधिकार होंगे ।

**नामिती का नाम और पता**

नाम : ______________________________

पता : ______________________________

______________________________

जन्म तिथि* (* यदि नामिती नाबालिग हो)

**नामिती नाबालिग, जिसका संरक्षक ______________________________

नाम और पता ______________________________

______________________________

(** यदि लागू नहीं है तो काट दीजिए)

हस्ताक्षर : ..............................................................................................

नाम : ..............................................................................................

पता : ..............................................................................................

..............................................................................................

दिनांक :

हस्ताक्षर : ..............................................................................................

नाम : ..............................................................................................

पता : ..............................................................................................

दिनांक:

**गवाह का नाम, पता और हस्ताक्षर:**

| नाम और पता | दिनांक सहित हस्ताक्षर |
|---|---|
| 1. ______________________________ | ______________________________ |
| 2. ______________________________ | ______________________________ |

**अनुदेश:**

1. नामांकन केवल वे लोग कर सकते हैं जो अपने ही नाम पर या संयुक्त रूप से शेयर के लिए आवेदन करते हैं/शेयर रखते हैं। सोसाइटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसै गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो सभी संयुक्त धारक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के लिए जगह दी गयी है । यदि कई संयुक्त धारक हैं तो अधिक पन्ने लगाये जा सकते हैं, जिस पर शेयर धारक व गवाह हस्ताक्षर करेंगे ।
2. नाबालिग को नामित किया जा सकता है, और उस स्थिति में तब उसके संरक्षक का नाम व पता धारक द्वारा दिया जाए ।
3. सोसायटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझीदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । एक अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामिति हो सकता है ।
4. शेयर के अंतरण पर नामांकन समाप्त हो जाएगा ।
5. नामिती के पक्ष में शेयरों के अंतरण उसके कानूनी वारिस के प्रति बैंक का वैध उन्मोचन होगा।
6. नामांकन/नामांकन प्रपत्र के बारे में दी जानेवाली सूचना बैंक/रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में भरी जाए जो उसकी एक प्रति शेयरधार को वापस लौटा देंगे।

**कार्यालय उपयोग हेतु**

क्र. सं. ................................................ नामांकन प्रपत्र दिनांक .............................................. को प्राप्त हुआ

पंजीकरण सं. ....................................................... दिनांक: ..................................................

टिप्पणी: ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

अनुलग्नक : पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति

# FORM 2B

**(See rules 4 CCC and 5 D)**

## NOMINATION FORM

(To be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We............................................................................................................and.........................................................................
and ………............................... the holder(s) of shares under the Folio No. .......................................... of SyndicateBank wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect of shares shall vest in the event of my or our death.

**Name and Address of Nominee**

Name : ______________________________

Address : ______________________________

______________________________

Date of Birth* (* To be furnished in case the nominee is a minor)

**The Nominee is a minor whose guardian is ______________________________

Name and Address: ______________________________

______________________________

(** To be deleted if not applicable)

Signature : ....................................................................

Name : ....................................................................

Address : ....................................................................

....................................................................

Date :

Signature : ....................................................................

Name : ....................................................................

Address : ....................................................................

Date :

**Address, name and signature of witnesses :**

| Name and Address | Signature with date |
|---|---|
| 1. ______________________________ | ______________________________ |
| ______________________________ | |
| 2. ______________________________ | ______________________________ |
| ______________________________ | |

**Instructions:**

1. The Nomination can be made by individuals only applying/holding shares on their own behalf singly or jointly. Non-individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will have to sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of shares and witness.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on repatriable basis.
4. Nomination stands rescinded upon transfer of shares.
5. Transfer of shares in favour of a nominee shall be a valid discharge by the BANK against the legal heir.
6. The intimation regarding nomination/nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

**FOR OFFICE USE**

SL. NO. ...................................... NOMINATION FORM RECEIVED ON ..................................................................................

REGISTRATION NO. ................................................. DATE: .................................

REMARKS: ..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Encl : Self attested copy of PAN Card

# उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 25.06.2013

समय : प्रात: 11.00 बजे

स्थान : सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

**बैंक की 14वीं वार्षिक आम बैठक में मैं एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ**

| | |
|---|---|
| उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर | |
| **पंजीकृत फोलियो** | **डीपी आइडी** |
| | **ग्राहक आइडी** |
| (यदि बेकागजीकृत नहीं हो) | (यदि बेकागजीकृत हो) |
| शेयरधारक का नाम | |
| शेयरों की संख्या | |

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

# प्रवेश पत्र

**(बैठक के अंत तक रखा जाए)**

| | |
|---|---|
| उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर | |
| **पंजीकृत फोलियो** | **डीपी आइडी** |
| | **ग्राहक आइडी** |
| (यदि बेकागजीकृत नहीं हो) | (यदि बेकागजीकृत हो) |
| शेयरधारक का नाम | |
| शेयरों की संख्या | |

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। प्रवेश-पत्र-मतदान-पत्र पास अंश को शेयरधारक (प्राक्सी/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जिसे बैठक के अंत तक रखा जाना चाहिए मतदान-पत्र पास को मतदान-पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्पित किया जाए । किन्ही भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वारा पर डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतदान-पत्र पास जारी नहीं की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उसकी जांच/सत्यापना किया जाएगा।

## ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 25.06.2013

Time : 11.00 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

**I hereby record my presence at the 14th Annual General Meeting of the Bank.**

| | |
|---|---|
| Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present | |
| **Regd. Folio** | **DP ID** |
| | **Client ID** |
| (If not dematerialised) | (If dematerialised) |
| Name of the Shareholder | |
| Number of Shares | |

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

## ENTRY PASS

**(To be retained throughout the meeting)**

| | |
|---|---|
| Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present | |
| **Regd. Folio** | **DP ID** |
| | **Client ID** |
| (If not dematerialised) | (If dematerialised) |
| Name of the Shareholder | |
| Number of Shares | |

Shareholders/Proxy or Authorised Representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The entry pass– Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrenderedto obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum Entry pass-cum Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting.

# सिंडिकेटबैंक/ SYNDICATEBANK

**प्रधान कार्यालय: मणिपाल/Head Office: Manipal**

## मतदान पत्र पास/BALLOT PAPER PASS

मतदान पत्र प्राप्त करने के लिए मतदान काँऊटरों पर अभ्यर्पित किया जाए
(to be surrendered to the Polling counters to get Ballot Paper)

**वार्षिक आम बैठक की तारीख 25 जून 2013 सुबह 11.00 बजे**
**Annual General Meeting Date: 25th June 2013 at 11.00 a.m.**

| | |
|---|---|
| नाम, स्पष्ट अक्षरों में/Name in Block Letters (शेयरधारक/प्रॉक्सी/ए.आर./Shareholder/Proxy/AR) | |
| शेयरों की संख्या/No. of Shares | |
| पंजीकृत फोलियो/Regd. Folio | डीपी आईडी और ग्राहक आईडी/DP ID & Client ID |
| (यदि बेकागजीकृत नहीं हो/If not dematerialised) | (यदि बेकागजीकृत हो/If dematerialised) |
| उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder/Proxy/Representative Present | |

This Page is Left Blank

## सभी शेयरधारकों से अपील

प्रिय शेयरधारक,

**संदर्भ: अप्रदत्त लाभांश**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (दि.16.10.2006 से लागू) की शर्तों के अनुसार वे लाभांश जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक बैंक के पास अदत्त रह जाते हैं उनको कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना है। उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी सभी धनराशियों को जो सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती हैं तो उन्हें दि. 16.10.2013 से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा ।

बैंक वर्ष 2000 से हर वर्ष लाभांश की घोषणा करता रहा है। **जिन शेयरधारकों ने वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, के लिए लाभांश वारंट, वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए अंतरिम/अंतिम लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने अप्रदत्त लाभांशों का दावा करने के लिए बैंक के निवेशक संपर्क केन्द्र, नैगम कार्यालय, बेंगलूर से संपर्क करें।**

सेबी ने अधिदेश दिया है कि लाभांश को निवेशकों के बैंक खाते में एन ई एफ टी/ ऑन-लाइन के माध्यम से सीधा जमा करें । हमारा आपसे अनुरोध है **यदि कागज़ी रूप में शेयर को रखें हैं तो** आप अपने बैंक खाते के ब्यौरे को पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और निरस्त चेक पन्ने के साथ-साथ इस रिपोर्ट में संलग्न ई सी एस अधिदेश में भरकर निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करें ताकि भविष्य में बैंक के लाभांश को सीधे जमा करने में सुविधा हो।

''कंपनी सचिव, सिंडिकेटबैंक, कॉरपोरेट कार्यालय, निवेशक संपर्क केंद्र, गाँधीनगर, बेंगलूरु 560 009''.

**यदि शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखा गया है तो** जिस डिपॉजिटरी सहभागी (डी पी) के पास डी मैट खाते को रखा गया है उसके पास अपने बैंक खाते के ब्यौरे अद्यतन करें।

भवदीय,

रवि

**(आर. रवि)**
**कंपनी सचिव**

दिनांक : 29.05.2013
दूरभाष सं.: 080 22283030
ई-मेल आईडी : inrc@syndicatebank.co.in
syndinvest@syndicatebank.co.in

## APPEAL TO ALL SHAREHOLDERS

Dear Shareholder,

**Re: Unpaid Dividends**

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the dividends remaining unpaid with the Bank for a period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend account, are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205 C of the Companies Act, 1956. In compliance of the above guidelines, all such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund, commencing from 16.10.2013.

The Bank has a track record of declaring dividends every year since the year 2000. **Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants for the year (s) 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, Interim/Final Dividend Warrants 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 and 2008-09, 2009-10, 2010-11 and 2011-12 are requested to approach the Company Secretary at Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance in claiming their unpaid dividends.**

SEBI has mandated credit of dividend directly to the Bank account of investors through NEFT / online. We request you to update Bank account details by submitting ECS Mandate annexed to this report alongwith self-attested copy of PAN Card and cancelled cheque leaf to our office at the following address, **if the shares are held in physical form,** to facilitate direct credit of future dividends of the Bank.

"The Company Secretary, SyndicateBank, Corporate Office, Investor Relations Centre, Gandhinagar, Bengaluru 560 009".

**If the shares are held in Electronic form**, Address and Bank account details may be updated with the Depository Participant (DP) with whom Demat account is maintained.

Yours faithfully,

**(R. RAVI)**
**Company Secretary**

Date: 29.05.2013
Phone No. : 080 22283030
Email ID : inrc@syndicatebank.co.in
syndinvest@syndicatebank.co.in

प्रिय शेयरधारक,

**विषय: नैगम अभिशासन में पर्यावरण संरक्षण पहल: बिना कागज के**

नैगम कार्य मंत्रालय (''मंत्रालय'') ने कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा पेपरलेस अनुपालन अपनाकर नैगम अभिशासन में पर्यावरण संरक्षण पहल (ग्रीन इनीशिएटिव) लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में, उक्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. 17/2011 दि. 21.04.2011 और 18/2011 दि. 29.4.2011 के अनुसार कंपनियाँ अब अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिसें/दस्तावेजों (वार्षिक आम बैठक से संबंधित बुलावा पत्र, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट इत्यादि) को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकती हैं।

समाज के व्यापक हित की दृष्टि से यह एक अनूठी पहल है। इस से कागज की खपत बहुत कम होगी और आम जनता के लिए हरा-भरा पर्यावरण प्रदान करने के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।

बैंक के प्रत्येक शेयरधारक के लिए यह एक सुनहरा अवसर है क्योंकि वह बैंक की नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसूचना प्राप्त करने के लिए केवल आपको अपना ई-मेल आई. डी. बैंक के पास पंजीकृत कराना होगा।

**ई-मेल संसूचना के लिए पंजीकरण करने से मिलनेवाले लाभ**

- संसूचना तत्काल प्राप्त होगी।
- कागज की खपत कम होगी और पेड़ों को बचाया जा सकता है।
- डाक प्रेषण के दौरान दस्तावेज के गुम होने से बचा जा सकता है।

यदि आप कोई अन्य ई-मेल आई.डी. पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो, कृपया उसे अपने डी.पी. में अद्यतन कराएं (यदि उसका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में है तो) और (यदि आपके शेयर कागज़ी फार्म में है तो) मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राईवेट) लिमिटेड के पास तत्काल अद्यतन करवाएं।

बैंक वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्टों के उन निवेशों के पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करेगा जिन्होंने उक्त सुविधा हेतु विकल्प दिए हैं ।

कृपया नोट करें कि यदि आप सभी संसूचनाओं को कागज़ी रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं तो, बैंक उसे आपको नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी।

**आइए, हम इस 'पर्यावरण संरक्षण पहल' में सहभागी (ग्रीन इनीशिएटिव) बनें।**

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

रवि

**(आर. रवि)**

कंपनी सचिव

Dear Shareholder,

**RE: Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless**

The Ministry of Corporate Affairs ("Ministry") has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In accordance with the recent circular bearing No.17/2011 dated 21.04.2011 and 18/2011 dated 29.04.2011 issued by the Ministry, companies can now send various notices /documents (including notice calling Annual General Meeting, Audited Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report etc.) to their shareholders through electronic mode, to the registered email addresses of the shareholders.

It is a welcome move for the society at large, as this will reduce paper consumption to a great extent and allow public at large to contribute towards a greener environment.

This is also a golden opportunity for every shareholder of the Bank to contribute to the Corporate Social Responsibility initiative of the Bank. All you have to do is to register your e-mail id with the Bank to receive communication through electronic mode.

**ADVANTAGES OF REGISTERING FOR E-COMMUNICATION**

- Receive communication promptly
- Reduce paper consumption and save trees
- Avoid loss of document in postal transit

In case you desire to have a different e-mail id to be registered, please update the same in your DP (if you are holding shares in electronic form) and with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd., (if you are holding shares in physical form) immediately.

The Bank will be sending Annual Reports 2012-2013, to the investors who have opted through electronic mode to the registered email – IDs of the Investors.

Kindly note that if you still wish to get a physical copy of all the communications, the Bank undertakes to provide the same at no extra cost to you.

**Let us be part of this 'Green Initiative'.**

With warm regards

Yours faithfully,

**(R Ravi)**

COMPANY SECRETARY

## पते में परिवर्तन –अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु अनुरोध

सेवा में,

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट: सिंडिकेटबैंक)
प्लॉट सं.: 17 से 24, विठ्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद – 500 081

प्रिय महोदय,

**विषय: पते में परिवर्तन**

मैं/हम एतद्द्वारा आपसे अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि पंजीकरण फोलियो सं. एस वाई एन ................................ के लिए मेरे/हमारे पते को अपने अभिलेखों में अद्यतन करें ।

| **पुराना पता** | **नया पता** |
|---|---|
| | |

**शहर** :

**राज्य** :

**पिन कूट** :

**ई मेल आई डी** :

**दूरभाष संख्या** :

आपके अनुरोध पर, मैं/हम इसके साथ पते के पहचान की स्व-प्रमाणित प्रति तथा पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ/रहे हैं ।

कृपया पुष्टि करें कि परिवर्तित पते को अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है।

दिनांक:

भवदीय,

(________________________________)
प्रथम तथा संयुक्त धारक/कों के हस्ताक्षर
(पंजीकृत नमूने के अनुसार)

## REQUEST FOR UPDATION OF RECORDS – CHANGE OF ADDRESS

To

Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : SYNDICATEBANK)
Plot No.: 17 to 24, Vittalrao Nagar
Madhapur
Hyderabad – 500 081.

Dear Sir,

**Reg: Change of Address**

I/We hereby request you to please update my / our change in address in your records for the Registered Folio No.: SYN………………………..

**Old Address** **New Address**

**City :**

**State :**

**Pin Code :**

**Email ID :**

**Phone No. :**

As requested by you, I / We am / are attaching herewith self attested copy of Proof of Address (POA) and self attested copy of PAN Card.

Kindly confirm having recorded the changed address.

Yours faithfully,

Date :

(______________________________)
Signature of the First and Jt. Holder(s)
(as per specimen Registered)

कॉरपोरेट कार्यालय : गांधीनगर, बेंगलूर – 560 009

## निवेशक संपर्क केन्द्र

## शिकायत पंजीकरण फॉर्म

दिनांक :

1) **शेयरधारक का नाम व पता**

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2) **दूरभाष सं./ई-मेल आईडी:** _______________________________

3) **फोलियो सं./डीपीआईडी और ग्राहक आईडी के ब्यौरे:** _______________________

4) **बैंक अधिदेश:**

मेरे बैंक खाता संख्या संबंधी विवरण निम्नवत् हैं:

बैंक का नाम : _______________________

शाखा : _______________________

खाता सं. : _______________________

एम.आई.सी.आर. कूट : _______________________

5) **शिकायत का स्वरूप :** _______________________________

**शेयरधारक के हस्ताक्षर**

अनुलग्नक:
1. एकल/प्रथम शेयरधारक के पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।
2. अद्यतन पते के सबूत की स्व-प्रमाणित प्रति। (टेलिफोन बिल/पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)
3. बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/निरस्त चेक पन्ना।

---

CORPORATE OFFICE: GANDHINAGAR: BENGALURU – 560 009

## INVESTOR RELATIONS CENTRE

## GRIEVANCE REGISTRATION FORM

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

**Date:**

1) **Name & Address of the shareholder**

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2) **Phone No./E-Mail ID:** _______________________________

3) **Folio No./DPID & Client ID particulars:** _______________________

4) **Bank Mandate:**
Details of my Bank account number are as under:

Name of the Bank : _______________________

Branch : _______________________

Account No. : _______________________

MICR Code : _______________________

5) **Nature of Grievance :** _______________________________

**Signature of the Shareholder**

Enclosures:
1. Self-attested copy of PAN Card of the sole / first shareholder.
2. Self-attested copy of latest address proof (Telephone Bill/Passport/Voters ID Card/Driving Licence, etc.)
3. Copy of / Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.

This Page is Left Blank

# अनुबंध/ANNEXURE

## निदेशकों का चुनाव – संगत अधिनियमों, योजना और विनियम विनियमावलियों इत्यादि का उद्धरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अनुसार शेयरधारकनिदेशकों की नियुक्ति उक्त अधिनियम की-धारा 3 की उप-धारा (2 बी) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी की गयी पूंजी की सीमा तक ही की जाए।

बैंकिंग विनियमन अधिनियमन, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 की संगत धारा तथा सिंडिकेट बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली 1998 और भा.रि.बैं. के उचित और उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का संगत विनियमावलियों को शेयरधारकों की सूचना हेतु नीचे दोहराया गया है:

### बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

#### सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध – धारा 16(1)

भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने बोर्ड में ऐसे व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त न करें जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो।

#### ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध – धारा 20

1. कंपनी अधिनियम 1956, (1956 का 1) की धारा 77 में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए, कोई भी बैंकिंग कंपनी-
    - क) अपने शेयरों की जमानत पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या
    - ख) निम्नलिखित को या निम्नलिखित की ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए कोई वायदा नहीं करेगा-
        - I. अपने किसी निदेशक
        - II. कोई फर्म जिसमें उसके किसी निदेशक-साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में हित रखता हो, या
        - III. कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी संस्थान हो या किसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या किसी सरकारी कंपनी (या होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी कंपनी) जिसका कोई निदेशक बैंकिंग कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर हो या जिसमें वह पर्याप्त हित रखता हो, या
        - IV. कोई भी व्यक्ति, जिसके संबंध में उसके कोई निदेशक, साझेदार या गारंटर हो।

## ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME, AND REGULATIONS ETC

In terms of Sections 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (C) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 and RBI's fit and proper guidelines, respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

### THE BANKING REGULATION ACT, 1949

#### Prohibition of common Directors – Section 16 (1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

#### Restrictions on Loans and Advances – Section 20

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking company shall, –
    - a) grant any loans or advances on the security of its own share, or
    - b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of –
        - I. any of its Directors,
        - II. any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
        - III. any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary of the holding company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
        - IV. any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

2. जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा संस्वीकृत ऋण या अग्रिम के लिए कोई वायदा न किया गया हो, बशर्ते जिस तारीख को ऋण या अग्रिम मंजूर किया गया था उस तारीख को उप धारा (1) के खंड (बी) प्रचलन में हो (या ऋण को बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारंभ के बाद बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया हो, किंतु उक्त धारा के प्रारंभ से पूर्व किए गए वायदे के अनुसरण में किया गया हो) तो ऐसे मामले में ऋण या अग्रिम की वजह से बैंकिंग कंपनी को देय राशि तथा उस पर उपचित ब्याज के साथ ऋण या अग्रिम को उसकी मंजूरी के समय निर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गयी है तो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर उसकी चुकौती की जाए।

   बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक, इस संबंध में बैंकिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत किए गए अनुरोध पर ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को उस तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से तीन वर्षों से अधिक न हो, जो ऐसी शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा जो भा.रि.बैं. द्वारा उचित समझा जाए।

   आगे, यह उप धारा उन मामलों में लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक पद को रिक्त कर देता है भले ही वह निदेशक की मृत्यु की वजह से हो, सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या किसी अन्य कारण से हो।

3. उप-धारा (2) या उसके किसी भाग में संदर्भित किसी भी ऋण या अग्रिम को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना विप्रेषित न किया जाए और ऐसे अनुमोदन के बिना दी गयी छूट अमान्य और निष्प्रभावी हो जाएगी।

4. यदि उप-धारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी व्यक्ति द्वारा देय हो जिसकी चुकौती उक्त उप- धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को नहीं की गयी है तो, ऐसा व्यक्ति, उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है तो ऐसा समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त तारीख को अपने पद को रिक्त कर दिया है।

   **इस धारा का स्पष्टीकरण –**

   क. ''ऋण या अग्रिम'' में वे लेन-देन शामिल नहीं होंगे जिनके संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लेन-देन के स्वरूप पर विचार करते हुए निर्दिष्ट अवधि के भीतर और ढंग से तथा परिस्थितियों के अधीन लेन-देन के कारण देय किसी राशि की उगाही होने की संभावना हो, जमाकर्ता के हित और अन्य संगत प्रतिफल जिनका उल्लेख उक्त धारा के उद्देश्य हेतु सामान्य या विशेष आदेश में ऋण या अग्रिम के रूप में न किया गया हो।

2. Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement), steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

   Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on application made in writing made to it by the Banking in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit:

   Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3. No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4. Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

   **Explanation in this Section –**

   a. "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;

ख. ''निदेशक'' में वह सदस्य शामिल है जो भारत में किसी बोर्ड या उस समिति का सदस्य हो जिसका गठन किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा अपने किसी या सभी कार्यों के प्रबंधन के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से किया गया हो।

5. यदि इस धारा के प्रयोजन हेतु किसी ऋण या अग्रिम के लेन-देन होने का प्रश्न उठता है तो इसे भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित किया जाए, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

ऋण एवं अग्रिम - वैधानिक एवं अन्य निषेध, पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक मास्टर परिपत्र सं. डी बी ओ डी. सं. डी आई आर. बी सी. 4/13.03.00/2012-13 दि. 2 जुलाई 2012 जारी किया है ।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि चुनाव में उम्मीदवार के रूप में अपने नामांकन पत्र भरने से पूर्व उक्त परिपत्र का अध्ययन कर लें ।

**बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 [अधिनियम]**

**मतदान अधिकार पर प्रतिबंध**

3(2 ई): अनुरूपी नये बैंक का कोई भी शेयरधारक, जो केन्द्र सरकार से भिन्न, अनुरूपी नये बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के **दस** प्रतिशत (बैंकिंग संशोधन बिल 2012 के तहत संशोधित) से अधिक शेयर रखता है, तो यह उक्त अतिरिक्त शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

**निदेशक मंडल का गठन**

9(3)(i) धारा 3 की उप-धारा (2बी) खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी की गयी पूंजी:

I. कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है तो एक निदेशक,
II. कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक किंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है तो, दो निदेशक
III. कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो तीन निदेशक

इन का चयन उन्हीं शेयरधारकों में से किया जाएगा जो केन्द्र सरकार से भिन्न हैं:

बशर्ते कि इस खण्ड के अंतर्गत ऐसे निदेशकों का चयन करने के बाद उनके पदग्रहण करने पर खण्ड (एच) के अंतर्गत समान संख्या में निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट ढंग से सेवातिवृत हो जाएंगे।

बशर्ते कि यदि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के प्रारंभ की तारीख को या उस से पहले संबंधित नये बैंक में चयनित निदेशकों की संख्या उप

b. "Director" includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

Reserve Bank of India has issued a Master Circular DBOD.No.Dir.BC. 4/13.03.00/2012-13 dated July 2, 2012 on Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions.

Shareholders are requested to go through the aforesaid Circular before filling their nomination form as a candidate for the Election.

**THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970 [ACT]**

**Restrictions on voting rights**

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of **Ten** percent (amended vide Banking amendment bill 2012) of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

**Composition of the Board of Directors**

9(3)(i) Where the capital issued under clause (c ) of sub-section (2B) of Section 3 is :

I. not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director,
II. more than sixteen per cent but not more than thirty two percent of the total paid-up capital, two Directors
III. more than thirty two percent of the total paid-up capital, three Directors

to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

Provided that in case the number of the Directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Undertaking) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, in corresponding

खण्ड (i) या उप खण्ड (ii) या उप खण्ड (iii), इनमें से जो भी पहले हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक है तो ऐसे चयनित अतिरिक्त निदेशकगण, योजना में विनिर्दिष्ट ढंग से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और अपने पद से समयपूर्व ढंग से निवृत्त होनेवाले ऐसे अतिरिक्त निदेशक अपनी पदावधि के संबंध में कोई क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगें ।

9 (3 ए): उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत चयनित निदेशकों से अपेक्षित है कि वे

(क) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के संबंध में उनके पास विशिष्ट जानकारी या व्यावहारिक अनुभव हो, उदाहरणार्थ:

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारी
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- अन्य कोई विशेष जानकारी और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय के अनुसार, नए बैंक के लिए उपयोगी हो।

(ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो या

(ग) किसानों, कामगारों और कारीगारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

9 3(एए) – उप-धारा (3ए) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम या प्रचलित किसी विधि में शामिल किसी बात के होते हुए किसी भी व्यक्ति को उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयनित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उक्त व्यक्ति अच्छा ट्रेक रिकार्ड, निष्ठा के आधार पर उचित और उपर्युक्त स्थिति बनाए रखता हो तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचित अन्य मानदण्डों का पालन करता हो।

9(3एबी) भारतीय रिज़र्व बैंक उप-धारा (3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उचित और उपयुक्त स्थिति को निर्धारित करने का प्राधिकार, ऐसे निर्धारण का ढंग, ऐसे निर्धारण के संबंध में पालन की जानेवाली प्रक्रिया तथा अन्य मामलों का उल्लेख भी कर सकेगा जो आवश्यक या प्रासंगिक समझा गया हो।

9.(3बी): जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक मानता है कि उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत अनुरूपी नया बैंक का कोई निदेशक उप-धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है तो यह ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकेगा और इस प्रकार निदेशक को निकालने के बाद अगली वार्षिक आम बैठक के दौरान अनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक का विधिवत् चयन किए जाने तक निदेशक मंडल, हटाए गए

new bank exceed the number of Directors specified in sub clause (I) or sub clause (II) or sub clause (III), as the case may be, such excess number of Director elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for premature retirement of the term of office.

9 (3A) The Directors to be elected under the said clause (i) of sub-section (3) shall –

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely –

- agriculture and rural economy
- Banking
- co-operation,
- economics,
- finance
- law
- small scale industry,
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in ,which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the corresponding new Bank.

(B) represent the interest of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

9 3(AA) – Without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9.(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause(i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and 3(AA), it may, after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Directors and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person

व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक के रूप में सहयोजित कर सकता है जो उप-धारा (3ए) और (3ए ए) की अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को अनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत् चयनित निदेशक समझा जाएगा।

**निष्ठा और गोपनीयता का दायित्व:**

13(2): हर निदेशक, स्थानीय या समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक, सलाहकार या अनुरूपी नए बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी से अपेक्षित है कि वे अपने कार्य शुरू करने से पहले तीसरी अनुसूची में दिए गए फॉर्म के अनुसार निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करें।

**राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 (योजना)**

**4ए. अतिरिक्त चयनित निदेशक की निवृत्ति का ढंग:**

अतिरिक्त निदेशकों की संख्या का निर्धारण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 की उप-धारा के खण्ड (i) के दूसरे परंतुक के अनुसार किया जाएगा और शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) द्वारा चयनित निदेशकों की संख्या के बराबर संख्या के निदेशक सेवा निवृत्त हो जाऐंगे और जिस निदेशक ने सबसे लंबी अवधि तक सेवा की है उसकी सेवा निवृत्ति सब से पहले होगी।

बशर्ते, यदि दो या अधिक निदेशकों ने एकही अवधि के लिए सेवा की है तो उनमें से अधिक उम्रवाले निदेशक पहले निवृत्त होंगे।

**चयनित निदेशक की पदावधि:**

**खण्ड 9(4):**

चयनित निदेशक की पदावधि तीन वर्ष की होगी और वे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हैं।

बशर्ते कोई भी निदेशक निरंतर छह वर्षों से अधिक अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

**निदेशकों की अनर्हता**

**खण्ड 10:**

किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मामले में निदेशक बनने से अनर्ह किया जा सकता है:

क. यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान को रोका हो या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन किया हो या

ख. उसको सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त भारितष्क वाला व्यक्ति घोषित किया गया हो; या

ग. उसको किसी ऐसे अपराध के लिए फौजदारी न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया गया हो जिसमें नैतिक भ्रष्टता शामिल हो।

घ. यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट

fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholder of the corresponding new Bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

**Obligation as to Fidelity and Secrecy:**

13(2) Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

**THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970 [SCHEME]**

**4A. Manner of retirement of excess elected director:**

The number of excess directors shall be determined under the second proviso to clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and such number of directors elected by the shareholders (other than the Central Government) equal to the number so determined shall retire, and the order in which the directors shall retire, will begin with the longest serving director;

Provided that, if two or more directors have served for the same period of time, the older among the said directors shall retire first."

**Terms of office of elected Director**

**Clause 9(4):**

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

**Disqualification of Directors**

**Clause 10:**

A person shall be disqualified from being appointed as, and from being a Director:

a. if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or

b. if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c. If he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude.

d. If he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-

बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में, पूर्णकालिक निदेशक के पद से भिन्न, बैंक के कर्मचारियों में से उक्त अधिनियम धारा 9 की उप-धारा(3) के खण्ड (ङ) और (च) के अंतर्गत नामित प्रबंध निदेशक एवं निदेशक सहित किसी लाभकारी पद को ग्रहण किए हुए हो।

**निदेशकों के पद को रिक्त करना, इत्यादि**

**खण्ड 11:**

(1) यदि कोई निदेशक खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के अंतर्गत आता हो या वह निरंतर तीन या उससे अधिक बैठकों में बोर्ड की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता हो तो यह माना जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है और तदनुसार उसका पद रिक्त हो जाएगा।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में यथा उल्लिखित अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक तथा प्रबंध निदेशक का या कोई निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और यदि उसका इस्तीफा सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है; अन्य निदेशक भी केन्द्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और ऐसा इस्तीफा केन्द्र सरकार द्वारा इस्तीफा की सूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

(3) पूर्वगामी उपखण्डों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3) के खण्ड (ङ) और (च) में उल्लिखित निदेशक का पद तब रिक्त हो जाएगा, जब निदेशक की, कामगार या कर्मचारी के रूप में सेवाएं समाप्त हो जाती है, उस राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से भिन्न, जिसका वह निदेशक है।

(4) चयनित निदेशक से भिन्न किसी अन्य निदेशक का पद रिक्त हो जाता है तो उसे उक्त अधिनियम की धारा 9 के उप-धारा (3) के अनुसार भरा जाएगा।

**चयनित निदेशक को पद से हटाया जाना:**

**खण्ड 11-ए:**

केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारक उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत चयनित किसी भी निदेशक को उन शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उनको पद से हटा सकते हैं, जिनकी शेयरधारिता सभी शेयरधारकों द्वारा रखी गयी कुल शेयर पूँजी के ½ से कम न हो।

section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section of the Act from among the employees of the Bank.

**Vacation of office of Directors, etc.**

**Clause 11:**

(1) If a director becomes subject to any of the disqualifications specified in Clause 10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

(2) The Chairman or whole-time director including the Managing Director or a director referred to in Clause (b) or Clause (c) or Clause (d) of sub-section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; any other director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

(3) Without prejudice to the provision of the foregoing Sub-clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-section(3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a wokman or an employee, other than a workman of the nationalized bank of which he is a Director.

(4) Where any vacancy occurs in the office of a director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

**Removal from office of an elected director**

**Clause 11-A:**

The shareholders other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any director elected under Clause (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

**चयनित निदेशक पद में हुई रिक्ति को भरना**

**खण्ड 11-बी:**

(1) यदि चयनित निदेशक की पदावधि की समाप्ति से पहले कोई पद रिक्त हो जाता है तो उक्त रिक्त पद को चुनाव द्वारा भरा जाएगा:

बशर्ते, यदि रिक्ति की अवधि छह महीने से कम होने की संभावना है तो, उक्त रिक्त पद को शेष निदेशकों द्वारा भरा जाए।

(2) उप-खण्ड (1) के अंतर्गत चयनित या स्वयोजित व्यक्ति, इनमें से जो भी मामला हो, अपने पूर्ववर्ती निदेशक की अवधि के असमाप्त भाग के लिए पदभार संभाल सकता है।

**निदेशकों के हितों का प्रकटीकरण**

**खण्ड 12(8):**

कोई निदेशक, जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा या उनकी ओर से की गयी या की जानेवाली किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से संबद्ध या हितबद्ध हो, उससे अपेक्षित है कि ज्यों ही उसे संगत परिस्थितियों की सूचना मिलती है, वह अपने हितों की प्रकृति को यथाशीघ्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रकट करेगा और उस मंडल बैठक में उपस्थित नहीं होगा जब किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव के बारे में उक्त बैठक में चर्चा की जाती हो, बशर्ते इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो और बैठक में उपस्थित होनेवाले कोई भी निदेशक ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते, इस उपखण्ड में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित कारणों से ऐसे निदेशक पर उक्त खण्ड लागू होगा:

(i) कोई शेयरधारक (निदेशक से भिन्न) जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या किसी निगम जो भारत में फिलहाल प्रचलित किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित हो या किसी सहकारी समिति जिसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक ने संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव हेतु करार किया हो या करार करने का प्रस्ताव किया हो उसमें उसकी प्रदत्त पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक शेयर न रखता हो।

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो उक्त अधिनियम के धारा 9 के उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में उल्लिखित निदेशक हो।

**Filling of vacancy in the office of an elected director**

**Clause 11-B**

(1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election:

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.

(2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

**Disclosure of Interest by Directors**

**Clause 12 (8):**

A director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other directors for the purpose of eliciting information and no director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such director by reason only of his being—

(i) a shareholder (other than a director) holding not more than two per cent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal, or

(ii) an officer or other employee of the nationalised bank, if he is a director referred to in Clause (e) or Clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

# सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली 1998

**संयुक्त धारक के अधिकारों का प्रयोग**

**विनियम 10**

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले उल्लेख किया गया है उसे मतदान, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस जारी करने या शेयरों के अंतरण से भिन्न बैंक से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में एकल शेयरधारक माना जाएगा।

**आम बैठकों में मतदान**

**विनियम 61**

i) किसी भी आम बैठक में मतदान हेतु प्रस्तुत संकल्प को हाथ उठाकर निर्धारित किया जाएगा बशर्ते मतदान की माँग न की गयी हो।

ii) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आम बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक मामले का निर्धारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा।

iii) उप-विनियम (i)के अंतर्गत जब तक मतदान के लिए मांग नहीं की जाती है और बैठक के अध्यक्ष यह घोषणा नहीं करते हैं कि संकल्प को हाथ उठाकर पारित किया जाए या किया गया है भले ही उसे एक मत से पारित किया गया हो या बहुमत से और जिसकी प्रविष्टि बैठक के कार्यवृत से संबंधित बही में की गयी हो, तब तक इस तथ्य को ऐसे संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध डाले गए वोटों के अनुपात की संख्या के सबूत के बिना निर्णायक सबूत माना जाएगा।

iv) मतदान के परिणामों की घोषणा करने से पहले या उसके बाद या हाथ उठाकर किसी संकल्प पारित करने के बाद बैठक के अध्यक्ष अपने स्व निर्णय से मतदान के लिए आदेश दे सकते हैं और इस संबंध में किसी शेयरधारक या स्वयं उपस्थित शेयरधारकों या उस प्रॉक्सी जिसके पास बैंक के शेयर हो जिससे उसको मतदान करने का अधिकार हो और जो संकल्प के संबंध में कुल मतदान अधिकार के 1/5 से कम न हो, उनकी ओर से की गयी मांग पर या उनके द्वारा दिए जानेवाले आदेश के अनुसार मतदान के लिए आदेश दे सकते हैं।

v) मतदान के लिए जो मांग की जाती है उसे उसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वापस ली जा सकती है जिसने मांग की हो।

vi) बैठक के स्थगन और अध्यक्ष के चुनाव के मामले में मतदान हेतु मांग की जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

vii) अन्य किसी मामले में मतदान के लिए मांग की जाती है तो उस पर बैठक के अध्यक्ष के निदेशानुसार मांग किए जाने के समय से 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

viii) किसी व्यक्ति के मतदान की अर्हता और मतदान में कोई व्यक्ति कितने वोट डालने के लिए सक्षम है, इस पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा जो निर्णय लिया जाता वह अंतिम निर्णय होगा।

# SYNDICATEBANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 1998

**EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS**

**Regulation 10**

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

**VOTING AT GENERAL MEETINGS:**

**Regulation 61**

i) At any General Meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands.

ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a General Meeting shall be decided by a majority of votes.

iii) Unless a poll is demanded under Sub-Regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number of proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

iv) Before or on the declaration of the result of the voting or any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the Meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

v) The demand for the poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

vi) The poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.

vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.

viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

**आमबैठक में चयनित किए जानेवाले निदेशक**

**विनियम 63**

i) उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत किसी निदेशक का चयन केन्द्र सरकार से भिन्न, रजिस्टर में शामिल शेयरधारकों द्वारा बैंक की आमबैठक में शेयरधारकों में से किया जाएगा।

ii) यदि किसी आम बैठक में निदेशक का चयन करना है तो इसकी सूचना बैठक आयोजित करने के संबंध में जारी की जानेवाली नोटिस में शामिल की जानी चाहिए। ऐसी प्रत्येक नोटिस में चयनित होनेवाले निदेशकों की संख्या तथा उन रिक्तियों के ब्यौरे का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके लिए चुनाव आयोजित किया जाना है।

**शेयरधारकों की सूची**

**विनियम 64**

i) इन विनियमावलियों के विनियम 63 के उपविनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के उद्देश्य हेतु रजिस्टर पर शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिसमें से निदेशक का चयन किया जाएगा।

ii) उक्त सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, संख्या और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या तथा उक्त शेयरों को पंजीकृत करवाने की तारीख तथा चुनाव के लिए आयोजित की जानेवाली बैठक की तारीख को वे कितने वोटों के लिए पात्र हैं, आदि जैसे ब्यौरे शामिल होंगे और सूची की प्रतियां खरीद के लिए उपलब्ध होंगी, जो मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा निर्दिष्ट मूल्य पर बैठक के लिए निर्दिष्ट तारीख से कम से कम तीन हफ्ते पहले प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होंगी बशर्ते इसके लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता हो।

**चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन:**

**विनियम 65**

i) निदेशक के रूप में चयन के लिए उसका नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह –

क) बैंक में 100 (एक सौ) से अधिक शेयर रखनेवाला शेयरधारक न हो;

ख) नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को उसे उक्त अधिनियम या योजना के अंतर्गत निदेश के रूप में चयनित करने के लिए अनर्ह नहीं कर दिया गया हो;

ग) उसने, एकल रूप में या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से रखे गए बैंक शेयरों से संबंधित सभी मांग राशियों को भुगतान हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उससे पहले भुगतान न कर दिया हो;

घ) लिखित नामांकन पर कम से कम एक सौ शेयरधारकों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत या उनके सम्यक् रूप

**DIRECTORS TO BE ELECTED AT GENERAL MEETING**

**Regulation 63**

i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.

ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

**LIST OF SHAREHOLDERS:**

**Regulation 64**

i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.

ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

**NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:**

**Regulation 65**

i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless –

a) he is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in the Bank;

b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;

c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors

से नियुक्त अटर्नी द्वारा निदेशकों का चयन करने के लिए पात्र हो, बशर्ते नामांकन किया जानेवाला शेयरधारक एक कंपनी है तो नामांकन को उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा किया जाए और ऐसे मामले में संकल्प की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाए जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो जिसमें उक्त संकल्प को पारित किया गया हो और ऐसी प्रति को कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

ङ) नामांकन के साथ एक घोषणा-पत्र भी संलग्न हो या शामिल हो जो अभ्यर्थी द्वारा किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या आश्वासनों के उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित हो और उक्त घोषणा पत्र में यह उल्लेख हो कि वे नामांकन को स्वीकार करेंगे और वे चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं तथा उनको उक्त अधिनियम या योजना या इन विनियमावलियों के अंतर्गत निदेशक बनने से अनर्ह नहीं ठहराया गया है।

ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक यह पूरी तरह भरे हुए संगत दस्तावेजों के साथ प्राप्त नहीं होता है और वह बैठक के लिए निर्दिष्ट तारीख से चौदह कार्य दिवसों से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए।

**नामांकन की छानबीन**

**विनियमावली 66**

i) नामांकनों की छानबीन नामांकनों की पावती के लिए निर्दिष्ट तारीख के बाद प्रथम कार्यदिवस को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा और अस्वीकृति के कारणों को अभिलेखित किया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरी जानेवाली किसी रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ है तो ऐसे नामित अभ्यर्थी को तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पते को प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे मामले में बैठक में कोई चुनाव आयोजित नहीं किया जाएगा और यदि बैठक को उपर्युक्त चुनाव आयोजित करने के लिए ही बुलाया गया है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।

ii) चुनाव आयोजित किए जाने के मामले में यदि प्राप्त वैध नामांकनों की संख्या चयनित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या से अधिक है तो, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

iii) वर्तमान रिक्ति को भरने के लिए चयनित निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने निर्वाचन की तारीख या उसे चयनित समझे जाने की तारीख के अगले दिन कार्यग्रहण कर लिया है।

under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;

e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the scheme or these regulations from being a Director.

ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

**SCRUTINY OF NOMINATIONS:**

**Regulation 66**

i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefore. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

**चुनाव संबंधी विवाद**

**विनियम 67**

i) यदि चयनित समझे गए या चयनित घोषित किए गए व्यक्ति या निदेशक या कोई व्यक्ति जो एक अभ्यर्थी या शेयरधारक हो जो उक्त चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हो उसकी अर्हता या अनर्हता के बारे में संदेह या विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे चुनाव के परिणाम घोषित करने की तारीख से सात दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित सूचना दी जा सकती है और उक्त सूचना में उन सभी कारणों का उल्लेख किया जाए जिनकी वजह से उन्होंने चुनाव की वैधता पर संदेह या विरोध किया है।

ii) उप विनियम (i) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के बाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद पर निर्णय लेने हेतु उसे तुरंत एक समिति को संदर्भित करेंगे जिसमें बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) और (ग) के अंतर्गत नामित कोई दो निदेशक शामिल होंगे।

iii) इस मामले में उप-विनियम (ii)में उल्लिखित समिति द्वारा आवश्यक जाँच की जाएगी और यदि समिति द्वारा चुनाव वैध पाया जाता है तो वह घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या समिति द्वारा यह पाया जाता है कि चुनाव वैध नहीं था तो समिति जाँच शुरू करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दोबारा मतदान आयोजित करने के साथ-साथ ऐसे आदेश और निदेश पारित करेगी जो परिस्थितियों के अनुरूप उचित समझा जाए।

iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति द्वारा जारी किए गए आदेश और निदेश निर्णायक होंगे।

**मतदान अधिकारों का निर्धारण**

**विनियम 68**

i) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ङ) में उल्लिखित उपबंधों के अधीन प्रत्येक शेयर धारक, जिसे आम बैठक तारीख से पहले रजिस्टर के समापन की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह ऐसी बैठक में हाथ उठाकर एक वोट डालने के लिए पात्र है और मतदान के मामले में वह अपने पास रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट डाल सकेगा।

ii) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ङ) में उल्लिखित उपबंधों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी नहीं हो, और बैठक में स्वयं या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होता हो या जो एक कंपनी हो और बैठक में एक विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि का प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होता हो तो उसके पास हाथ उठाकर एक वोट डालने का अधिकार होगा और

**ELECTION DISPUTES:**

**Regulation 67**

i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

ii) On receipt of an intimation under Sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under Clause (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

**DETERMINATION OF VOTING RIGHTS:**

**Regulation 68**

i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall

मतदान के मामले में उपर्युक्त उप-विनियम (i) के अनुसार उसके पास रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

स्पष्टीकरण - इस अध्याय के लिए ''कंपनी'' का अर्थ किसी निकाय से होगा।

iii) बैंक के शेयरधारक जो आम बैठक में उपस्थित होने के लिए और वोट डालने के लिए पात्र हैं वे अपनी ओर से बैठक में उपस्थित होने के लिए और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी (शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त कर सकते हैं; परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा।

**विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान**

**विनियम 69**

1. कोई शेयरधारक जो केन्द्र सरकार हो या कंपनी हो किसी संकल्प द्वारा इनमें से जो भी मामला हो, अपने किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को शेयरधारकों की आम बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इस विनियमावली में ''विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि'' कहा गया है) केन्द्र सरकार या उस कंपनी की ओर से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग के लिए पात्र है जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जैसा कि वह बैंक का एक वैयक्तिक शेयरधारक हो। इस प्रकार दिए गए प्राधिकार वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में दिया जा सकता है और ऐसे मामले में केवल एक ही व्यक्ति केन्द्र सरकार/कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप कार्य कर सकता है।

2. कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक उपस्थित नही हो सकेगा या वोट नहीं डाल सकेगा जब तक वह उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने से संबंधित संकल्प की प्रति को बैठक के लिए निर्दिष्ट तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं करता हो, जो इस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो जिसमें उक्त संकल्प पारित किया जाएगा।

**प्रॉक्सी**

**विनियम 70**

i. प्रॉक्सी की लिखत तभी वैध होगी जब व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में उसकी अटर्नी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाए या संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए अथवा किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation – for this Chapter, "Company" means any body corporate.

iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

**VOTING BY DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

**Regulation 69**

1. A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a 'duly authorised representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorised representative of the Central Government/ Company.

2. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

**PROXIES**

**Regulation 70**

i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing, or in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing.

ii. बशर्ते प्रॉक्सी लिखत पर शेयरधारक के विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिए किंतु शेयरधारक किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह ऊपर अंगूठा-निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट, आश्वासनों का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेटबैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

iii. प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह विधिवत स्टांपित न हो तथा बैठक हेतु निर्धारित तिथि से चार दिन पहले उसे बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न किया गया हो, इसके साथ ही, मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो जिसके तहत हस्ताक्षर किया गया हो, तो उसे भी जमा किया जाए; अथवा उस मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार की प्रमाणित सत्य प्रति जो कि नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया गया हो बशर्ते ऐसा मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो।

iv. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह फार्म ''बी'' में न हो।

v. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिमसंहरणीय होगी।

vi. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किया जाए।

vii. इस विनियम के अंतर्गत प्रॉक्सी लिखत के व्यक्ति को उस बैठक से संबंधित लिखत पर व्यक्तिगत रूप से वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

viii. सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

## भारतीय रिज़र्व बैंक का उचित और उपयुक्त मानदण्ड से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत

भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा 3 (एए) और 3(ए.बी.) के अंतर्गत प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. डीबीओडी बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 दि.01 नवंबर 2007 में जारी की है जिसमें उन्होंने बैंकिंग में कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पूर्ति किए जानेवाले विशिष्ट ''उचित और उपयुक्त'' मानदण्ड दिए गए हैं।

**मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताएं:**

1. ''उचित और उपयुक्त'' स्थिति इत्यादि को निर्धारित करने का प्राधिकार, ढंग/प्रक्रिया और मानदण्ड निम्नवत् हैं:

**(क) प्राधिकार**

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षा है कि वे एक ''नामांकन समिति''

ii. Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.

iii. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof is deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority, if any under which it is signed. or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public, or a Magistrate unless such a power of Attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

iv. No Instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B".

v. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

vi. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

vii. The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

viii. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of SyndicateBank.

## RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI) in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 laying down specific "fit and proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1970/1980.

**SALIENT FEATURES OF THE GUIDELINES**

1. The authority, manner /procedure and criteria for deciding the "fit and proper" status etc., are as under:

**(a) Authority**

All the nationalized banks are required to

का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल में से किन्हीं तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक) हों। निदेशक मंडल को चाहिए कि वे अपने किसी निदेशक को नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करें। कोरम् अध्यक्ष सहित तीन सदस्यगण होने चाहिए। यदि पहले से नामित कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो, निदेशक मंडल आगामी बैंठक के लिए अनुपस्थित सदस्य के स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड उसकी अवधि का निर्धारण कर सकता है।

**(ख) ढंग और प्रक्रिया**

नामांकन समिति को चाहिए कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयनित व्यक्ति/वर्तमान चयनित निदेशक की ''उचित और उपयुक्त'' स्थिति के निर्धारण हेतु सम्यक् तत्परता प्रक्रिया शुरू करें। इस उद्देश्य हेतु बैंकों से अपेक्षा है कि वे उन वर्तमान चयनित निदेशकों से विनिर्दिष्ट संलग्न फॉर्मेट (अनुबंध-I) में आवश्यक सूचना और घोषणा पत्र प्राप्त करें जिन्होंने चुनाव के लिए अपना नाम दर्ज करवाया है। नामांकन समिति से अपेक्षा है कि वे अभ्यर्थी के चयन करने के मामले में नामांकन की स्वीकृति हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख से पहले बैठक आयोजित करें और निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर व्यक्ति की अभ्यर्थिता को स्वीकार करना है या नहीं इसके बारे में उक्त बैठक में निर्णय लें। बैठक में समिति द्वारा जो चर्चा की जाती है उसको औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकार्ड किया जाए और यदि मतदान किया गया है तो वर्तमान और प्रस्तावित दोनों निदेशकों के ब्यौरे नोट किए जाएं। नामांकन समिति से अपेक्षा है कि वे विधिवत् हस्ताक्षरित घोषणापत्र में प्रस्तुत की गयी सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को स्वीकार करने या न करने के बारे में निर्णय लें और यदि आवश्यक पाया जाता है तो इसकी सूचना समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों को दी जाए ताकि उपर्युक्त अपेक्षाओं के संबंध में उनके अनुपालन की पुष्टी की जा सके।

**(ग) मानदण्ड**

नामांकन समिति को चाहिए कि वे वर्तमान चयनित निदेशकों/प्रस्तावित अभ्यर्थियों की ''उचित और उपयुक्त'' स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित व्यापक मानदण्डों के आधार पर करें:

i) शैक्षिक अर्हता

ii) अनुभव और विशेषता का क्षेत्र

iii) ट्रैक रिकार्ड और ईमानदारी इत्यादि

नामांकन समिति को चाहिए कि वे उपर्युक्त किसी मानदण्ड के अनुपालन से क्या वर्तमान चयनित निदेशक/प्रस्तावित अभ्यर्थी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में कर्तव्यों का पालन करने में बाधा

constitute a "nomination Committee' Consisting of a minimum of three directors (all independent /non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the Board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

**(b) Manner and procedure**

The nomination Committee should undertake a process of due diligence to determine the "fit and proper" status of existing elected directors/ the person to be elected as director under Section 9(3)(i) of the Act. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure –I), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority / persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

**(c) Criteria**

The nomination committee should determine the "fit and proper" status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) Educational Qualification

(ii) Experience and field of expertise

(iii) Track record and integrity, etc.,

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/

डाल सकता है, इसकी जाँच करें। पुनः, यदि अभ्यर्थी के खिलाफ किसी प्राधिकारी/विनियामक एजेंसी या दिवालिया या किसी बैंक की वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण की चुकौती में की गयी चूक की वजह से प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है तो अभ्यर्थी को बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए अयोग्य और अनुपयुक्त ठहराया जाएगा।

**(घ) अन्य मामले**

यह वांछनीय है कि जनहित की दृष्टि से यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चयनित निदेशक एक प्रसंविदा विलेख का निष्पादन करेंगे (भा.रि.बैं. के परिपत्र डीबीओडी सं. बीसी. 116/08.139.001/2001-02 दि. 20 जून 2002 के तहत डॉ. गांगुली ग्रूप की सिफारिशों के अनुसरण में) और दि. 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष भी करेंगे ।

पुनः, यह अनिवार्य है कि सभी चयनित निदेशक हर वर्ष 31 मार्च को एक साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा पहले प्रस्तुत की गयी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यदि उससे कोई परिवर्तन हुआ है तो उनके ब्यौरे तुरंत प्रस्तुत किए जाएं। यदि उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो नामांकन समिति से अपेक्षा है कि वे नए सिरे से सम्यक् तत्परता प्रक्रिया शुरू करें और निदेशक की ''उचित एवं उपयुक्त'' स्थिति की जाँच करें।

proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority /regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a Bank.

**(d) Other Matters**

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr. Ganguly Group vide RBI Circular DBOD No. BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March and that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the "fit and proper" status of the director.

This Page is Left Blank

# घोषणा पत्र

**(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)**

**(विनियमावली का विनियम 65 का संदर्भ लें)**

मैं, श्री/श्रीमती..........................................................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती............................................ ...................................... निवासी ................................................... एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि:

क) मैं सिंडिकेटबैंक का शेयरधारक हूँ और 24.05.2013 को यानी चुनाव में सहभागिता करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को मेरे पास ₹10/- के ......... ईक्विटी शेयर हैं और यदि चयनित होता हूँ तो, मेरी अवधि के समाप्ति तक 100 ईक्विटी शेयर रखूँगा; और

ख) *मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता, iv) अर्थशास्त्र v) वित्त vi) विधि, vii) लघु उद्योग, या................ (विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी हो) में विशेष जानकारी है और मैं उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 ए की शर्तों के अनुसार मैं जमाकर्ताओं, किसानों, कामगारों और कारिगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ और इसके सदस्यस्वरूप, मैं इसके साथ संगत प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहा /रही हूँ ; और

ग) मैं ......... संख्यावाले नामांकनों को स्वीकार करता/करती हूँ; और

घ) मैं सिंडिकेटबैंक के निदेशकों के चुनाव में सहभागिता करना चाहता/चहती हूँ; और

ङ) मुझे, अधिनियम, योजना, विनियमावली, भा.रि.बैं. की अधिसूचना, के अंतर्गत बैंक के निदेशक बनने से अनर्ह नहीं ठहराया गया है; और

च) न तो मैं किसी लाभकारी पद पर हूँ न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ; और

छ) मैं अपने वैयक्तिक विवरण संलग्न कर रहा /रही हूँ जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं; और

ज) इस घोषणा के बाद घटनेवाली उन सभी घटनाओं की पूरी सूचना बैंक को देने का वचन देता/देती हूँ जो प्रदान की गयी सूचनाओं से संबद्ध हो और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयन होने के बाद मैं प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ ।

| | |
|---|---|
| नाम | |
| हस्ताक्षर | |
| शेयरों की संख्या | |
| **पंजीकृत फोलियो सं.**<br>(यदि बेकागजीकृत नहीं हो) | |
| **डी.पी.आई.डी. सं. तथा ग्राहक आई.डी. सं.**<br>(यदि बेकागजीकृत हो) | |
| स्थान | |
| दिनांक | |

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या आश्वासनों का उप-रजिस्ट्रार, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या सिंडिकेटबैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गए।

(हस्ताक्षर और मोहर)

नाम :

दिनांक :

*जो लागू है उस पर निशान लगाएँ

# DECLARATION

(By the Candidate)
(Refer regulation 65 of the Regulations)

I, Sri/Smt. ____________________________________________ son/daughter/wife of Sri/Smt. ____________ ______________________________ a resident of ___________________________________ hereby confirm that:

a) I am a shareholder holding __________ equity shares of ₹10/- each of the Bank as on 24.05.2013 i.e., the Specified date for participating in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected; and

b) *I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _______________ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials; and

c) I accept the nominations numbering ____________; and

d) I am willing to contest for the election of Directors of SyndicateBank; and

e) I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations and RBI Notification; and

f) I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and

g) I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete; and

h) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

| | |
|---|---|
| Name | |
| Signature | |
| Number of Shares | |
| **Regd. Folio No.**<br>(If not dematerialised) | |
| **DP ID No. and Client ID No.**<br>(If dematerialised) | |
| Place | |
| Date | |

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or SyndicateBank or any nationalised bank.

The above declaration was signed before me.

(Signature with Seal)

Name :

Date :

* Tick whichever is applicable.

## व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन
## बैंक का नाम: सिंडिकेटबैंक

यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएँ

### अभ्यर्थी द्वारा घोषणा और वचन
### (दि. ...... 2013 की स्थिति के अनुसार विनियोजित अनुबंधों के साथ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| I | निदेशक के वैयक्तिक ब्यौरे | | |
| | क) | पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)<br>पिता का पूरा नाम | |
| | ख) | जन्म तिथि | |
| | ग) | शैक्षिक अर्हता | |
| | | (शैक्षिक/अकादमी) (जानकारी से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) | |
| | | (शैक्षिक/व्यावसायिक) (जानकारी से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) | |
| | घ) | संगत पृष्ठभूमि और अनुभव (बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें। (बैंक में निदेशक पढ से संबंधित अनुभवों का उल्लेख करें ।) | |
| | ङ) | स्थायी पता | |
| | च) | वर्तमान पता | |
| | छ) | ई-मेल पता<br>दूरभाष सं. (लैंड लाइन)<br>दूरभाष सं. (मोबाइल) | |
| | ज) | 1) आय कर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)<br>2) आय कर सर्किल/मंडल का नाम और पता जहाँ व्यक्तिगत रिटर्न भरा जाता हो । | |
| | झ) | संगत पृष्ठभूमि और अनुभव-बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें। | |
| | ञ) | बैंक के निदेशकत्व से संबद्ध अन्य कोई सूचना | |
| II | अभ्यर्थी के साथ संबंध | | |
| | क) | उन रिश्तेदारों यदि कोई हो, की सूची जो बैंक के साथ संबंध रखते हैं (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची, 1ए का संदर्भ लें) | |
| | ख) | उन संस्थाओं यदि कोई हो की सूची जिनमें वे हितबद्ध हो (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 299(3)(ए) और धारा 300 का संदर्भ लें) | |

## Personal Information, Declaration and Undertaking
## Name of Bank: SyndicateBank

Affix Passport Size Photo here

### Declaration and Undertaking by the Candidate
### (with enclosures as appropriate as on ———— 2013)

| | | | |
|---|---|---|---|
| I | **Personal details of Candidate** | | |
| | a. | Full Name (in block capital letters)<br>Father's Name (in full) | |
| | b. | Date of Birth | |
| | c. | Educational Qualifications | |
| | | (Educational/academic)<br>(Please attach self attested copies of the certificates supporting the information) | |
| | | (Educational/professional)<br>(Please attach self attested copies of the certificates supporting the information) | |
| | d. | Relevant Background and Experience<br>(As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970<br>(Please indicate your experience relevent to the directorship of the Bank) | |
| | e. | Permanent Address | |
| | f. | Present Address | |
| | g. | E-mail Address<br>Telephone Number (Landline)<br>Telephone Number (Mobile) | |
| | h. | 1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy)<br>2) Name and Address of the Income Tax Circle/ Division where personal tax returns are being filed. | |
| | i. | Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 | |
| | j. | Any other information relevant to Directorship of the Bank | |
| II | **Relevant Relationships of Candidate** | | |
| | a. | List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956) | |
| | b. | List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ग) | उन संस्थाओं की सूची जिनमें वे बैंकिंग विनियमावली अधिनियम 1949 की धारा 5 (एन.ई) के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित रखते/रखती हो, वर्तमान और प्रस्तावित। | |
| | घ) | उस बैंक का नाम जिसमें वे बोर्ड के सदस्य हो या रहे हों (पदावधि के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं)। | |
| | ङ) | बैंक से उनके द्वारा और/या उपर्युक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा हाल ही में उपलब्ध की निधि आधारित और निधि आधारित सुविधाएँ, यदि कोई हो। | |
| | च) | वे मामलें, यदि कोई हो, या उपर्युक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक से या अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की है चूक कर रहे है। | |
| III | **व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख** | | |
| | क. | व्यावसायिक उपलब्धियाँ संबंधी | |
| IV | **अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कुछ हो:** | | |
| | क. | यदि अभ्यर्थी किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है तो अनुशासनिक कार्रवाइयों का विवरण, यदि कुछ हो, उनके विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में इसमें प्रभावित कार्रवाई, अथवा उन्हें क्या किसी व्यावसायिक/पेशे में आने के लिए कभी निषिद्ध/निषेधित किया गया था। | |
| | ख. | अभियोजना का विवरण, यदि कुछ हो, अभ्यर्थी और/या उक्त मद सं. II (ख) एवं (ग) में उद्धृत किसी सदस्यों के विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में इससे प्रभावित किसी प्रकार की कार्रवाई जिससे आर्थिक नियमों तथा विनियमों की अवहेलना हो। | |
| | ग. | अभ्यर्थी के विरुद्ध, यदि कुछ हो, लंबित या चल रही अथवा अतीत में इससे प्रभावित किसी प्रकार का अभियोजन। | |
| | घ. | क्या अभ्यर्थी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के तहत किसी प्रकार की परिकल्पित अयोग्यता दर्शायी है ? | |
| | ङ. | क्या अभ्यर्थी या उक्त मद सं. II (ख) तथा (ग) में सूचित कोई सदस्य, किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के मामले किसी प्रकार की पड़ताल से संबद्ध हैं ? | |
| | च. | क्या अभ्यर्थी ने पहले कभी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों संबंधी नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं का उल्लंघन किया है, यदि हाँ तो विवरण दें। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | c. | List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing | |
| | d. | Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held) | |
| | e. | Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank | |
| | f. | Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank | |
| **III** | **Records of Professional Achievements** | | |
| | a. | Professional achievements relevant | |
| **IV** | **Proceedings, if any, against the Candidate** | | |
| | a. | If the Candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time | |
| | b. | Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations | |
| | c. | Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate | |
| | d. | Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act, 1956? | |
| | e. | Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency? | |
| | f. | Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange/ other revenue authorities, if so give particulars | |

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>छ</td><td>क्या अभ्यर्थी को पहले कभी सेबी, आई.आर.डी.ए., डी.सी.ए. भा.रि.बै., फेमा, एम.सी.ए., सिबिल जैसे नियंत्रण तंत्र से प्रतिकूल नोटिस मिल चुकी है?<br>(हालांकि किसी भी प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि, इस कॉलम में वैसे आदेशो तथा निष्कर्षों को लिखा जाए जिन्हें बाद में नियंत्रक तंत्र द्वारा वापस ले लिया गया हो या छोड़ दिया गया हो। इस बारे में यह सूचित करना आवश्यक होगा बशर्ते वह क्षेत्राधिकार में बाहर या सीमा जैसे कारणों से वापस लिया गया हो/छोड़ा गया हो न कि व्यक्तिगत गुणों के कारण। यदि नियंत्रक तंत्र का आदेश अस्थाई रूप से रोका गया है तथा अपीलीय/न्यायालयीन कार्यवाहियाँ लंबित हैं तो इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>V</td><td colspan="2">मद सं. I से III तक के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा उपयुक्त एवं उचित का निर्णित करने संबंधी कोई अन्य सूचना</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">वचन<br>मैं ............................................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री ............................................. ............ पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। मैं वचन देता हूँ कि ऊपर वर्णित सभी बातें जिनसे मेरी नियुक्ति का संबंध है तथा उनसे संबंधित सभी सूचनाएं तथा सभी घटनाओं से बैंक को यथाशीघ्र अवगत कराता रहूँगा।<br>मैं, बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने संबंधी सभी अपेक्षित विलेखों को निष्पादित करने का भी वचन देता हूँ।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">स्थान:<br>दिनांक:<br>अभ्यर्थी के हस्ताक्षर</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">संलग्नक:<br>1. यदि स्थान पर्याप्त न हो तो जानकारी क्रमानुसार तथा उचित संदर्भ सहित, अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।<br>2. अनुलग्नक सहित सभी पृष्ठों पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।</td></tr>
<tr><td colspan="4">नामांकन समिति की टिप्पणियाँ/अभियुक्तियाँ</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **समिति सदस्य** | **समिति सदस्य** | **समिति सदस्य** | **समिति सदस्य** |

स्थान:

दिनांक:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | g. | Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc.<br>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned). | |
| **V** | Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper | | |

**Undertaking**

I ............................................................................................ Son/Daughter/Wife of Sri ........................................ ................confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenants required to be executed by all directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of Candidate

**Enclosures:**

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

**Observations/Remarks of the Nomination Committee**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Committee Member** | **Committee Member** | **Committee Member** | **Committee Member** |

Place :

Date :

# नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए)

(विनियमावली के विनियम 65 (घ) का संदर्भ लें)

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सिंडिकेटबैंक
प्रधान कार्यालय, मणिपाल

प्रिय महोदय,

## निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

दिनांक 15.05.2013 की आपकी नोटिस के संदर्भ में मैं, श्री/श्रीमती ........................................................................................ सिंडिकेटबैंक का शेयरधारक हूँ और मैं, शुक्रवार दि. 24 मई, 2013 (चुनाव में सहभागिता करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख) को ................ ईक्विटी शेयर रखता/रखती हूँ जिनका मूल्य प्रति शेयर ₹10 है और मैं श्री/श्रीमती ...................................................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती...........................................................................निवासी............................................................ ........................................................................................... को 25.06.2013 को मणिपाल में आयोजित की जानेवाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में सिंडिकेटबैंक के निदेशक के पद पर निर्वाचित होने के लिए नामित करता/करती हूँ।

| | |
|---|---|
| नाम | |
| हस्ताक्षर | |
| शेयरों की संख्या | |
| **पंजीकृत फोलियो सं.**<br>(यदि बेकागजीकृत नहीं हो) | |
| **डी.पी.आई.डी. सं. तथा ग्राहक आई.डी. सं.**<br>(यदि बेकागजीकृत हो) | |
| स्थान | |
| दिनांक | |

**नोट:**

क) यदि नामांकन किसी कॉरपोरेट निकाय द्वारा किया गया है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति संलग्न की जाए जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जिसमें संकल्प पारित हुआ है।

ख) अभ्यर्थी को नामित करनेवाले शेयरधारक के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मिलान होने चाहिए।

# NOMINATION FORM

(By the Shareholder)

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To
The Chairman & Managing Director
SyndicateBank
H.O. Manipal

Sirs,

## NOMINATION FOR ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your Notice dated 15.05.2013, I Shri/Smt.______________________________ a shareholder of SyndicateBank holding __________ equity shares of ₹10/- each as on Friday, the 24th May 2013 (being the Specified date considered for participating in the election), do hereby nominate Shri/Smt. ______________ son / daughter / wife of ____________________________ residing at __________ ______________________________ for being elected as a Director of SyndicateBank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 25.06.2013 at Manipal.

| | |
|---|---|
| Name | |
| Signature | |
| Number of Shares | |
| **Regd. Folio No.**<br>(If not dematerialised) | |
| **DP ID No. and Client ID No.**<br>(If dematerialised) | |
| Place | |
| Date | |

**Notes:**

a) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified True copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

b) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.

This Page is Left Blank

This Page is Left Blank

This Page is Left Blank

This Page is Left Blank

# A single savings account with many benefits*

## सिंड नवरत्न

## Synd Navaratna

Online trading facility

Zero Balance Facility

SMS Banking facility

Cheque book facility payable at all branches of the Bank at par

Free Demand drafts/pay orders (six instances in a year up to ceiling of salary credited per instance)

Free Funds transfer facility through RTGS/NEFT up to ₹1 lakh

Internet and Mobile Banking facility

Temporary overdraft facility for a period of 15 days

Free instant Global Debit card and Add-on Debit card to joint account holder

*Conditions apply

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

प्रधान कार्यालय मणिपाल - 576 104, भारत
नैगम कार्यालय गांधीनगर, बेंगलूर - 560 009.

Head Office: Manipal - 576 104, India
Corporate Office: Gandhinagar, Bengaluru - 560 009.
www.syndicatebank.in
Toll Free Voice Mail No.: 1800 425 66 55

विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण
Faithful. Friendly

# सिंडिकेटबैंक
# SyndicateBank

भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

**Corporate Office : Bengaluru - 560 009**

**Head Office : Manipal - 576 104**

www.syndicatebank.in

Registrars & Share Transfer Agents
M/s Karvy Computershare (P) Ltd., Unit: SyndicateBank,
Plot No. 17 to 24, Vithalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad - 500081. Ph.: 040 44655000-Exten: 116 or
040 44655116 (D). Fax: 040 23420814

Permitted to post on Prepayment of postage in cash in
Mail Business Centre, Manipal - 576104 under P.M.G.,
S.K. Region, Bangalore - 560001 vide licence
KT/SK/BD/2/182329/2013-2014/29-05-2013 to 31-05-2013
with postage of ₹19/- (Rupees Nineteen only)